खण्ड-397, अंक-9
बुधवार, 20 आषाढ़, शक संवत् 1912
(11 जुलाई, 1990 ई0)

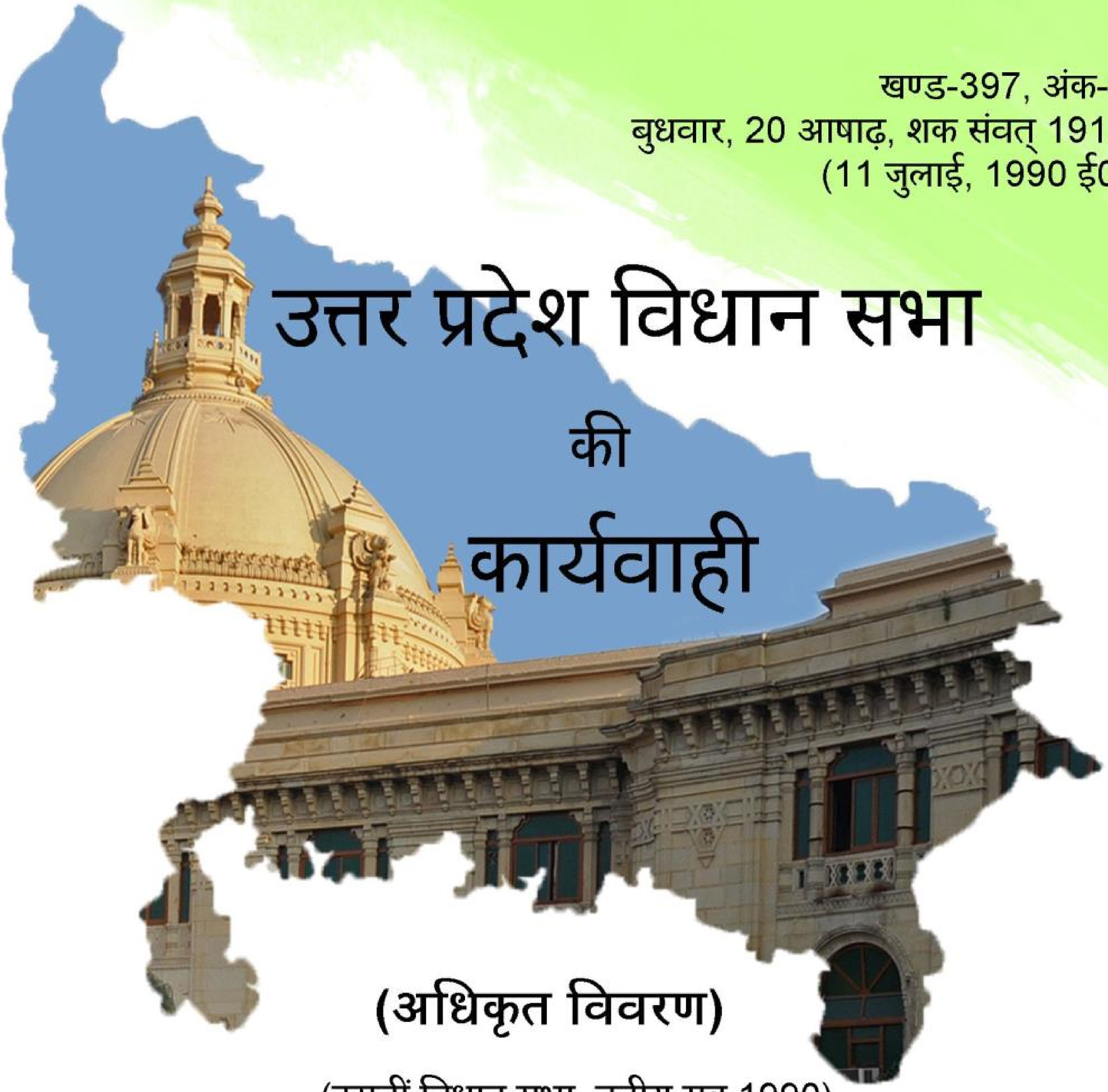

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... ... ... | घ |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... ... ... .. | 1 |
| प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न | 95 |
| औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं को अगले दिन लिए जाने की सूचना | 95 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 95 |
| जनपद सीतापुर में आवास विकास परिषद् की पंचवटी कालोनी की सफाई व्यवस्था आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 96 |
| जनपद मुजफ्फरनगर थाना झिझाना में दो समुदायों के बीच हुए संघर्ष में पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... ... ... ... ... ... | 96 |
| जनपद गढ़वाल के कोटद्वार भावर में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... ... ... | 97 |
| जनपद हरदोई की मल्लावां नगरपालिका में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... ... | 97 |
| जनपद उन्नाव के जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में ऋण वितरण में धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ... | 98 |
| जनपद मऊ में मधुबन बेल्थरा मार्ग पर अहिरपुर सोलडीह के बीच हाहानाला पर पुल निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... ... ... ... ... ... | 98 |
| सरकारी नौकरियों हेतु ली गई परीक्षाओं को निरस्त किये जाने से उत्पन्न जन असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 99 |
| वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 88 सामान्य प्रशासन (जारी) ... | 99 |
| सभी दलों के नेताओं के भाषण में व्यवधान उत्पन्न न किये जाने संबंधी बैठक में लिए गये निर्णय की सूचना ... | 109 |
| वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 88 सामान्य प्रशासन (स्वीकृत) ... ... ... | 110 |
| वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 20-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ... ... ... ... | 166 |

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 21—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) ... ... ... ... ... ... 166

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)... ... ... 167

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 39-नियुक्ति विभाग (स्वीकृत) ... ... 167

वित्तीय वर्ष 1990—91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या—45 प्रशासनिक सुधार विभाग ... 167

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 55-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ... ... ... ... 168

वित्तीय वर्ष 1990—91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 56 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ... ... ... ... ... 168

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 57 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ... ... ... ... 168

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 58-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) ... ... ... ... ... 169

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) ... ... ... ... 169

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 60-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ... ... ... ... ... 169

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 61-विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) ... 170

वित्तीय वर्ष 1990—91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 62—विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ... 170

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 63-विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) (स्वीकृत) ... ... ... 170

| विषय | पृष्ठसंख्या |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष, 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ... ... ... ... ... ... | 171 |
| वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 81-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) (स्वीकृत) ... ... ... .. ... ... | 171 |
| वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-82 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ... . ... ... | 171 |
| वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-83 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ... ... ... ... | 172 |
| वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 84-सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ... ... ... ... ... ... | 172 |
| वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-85 सतर्कता विभाग (स्वीकृत) ... | 172 |
| वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-64-विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग (स्वीकृत) ... ... ... ... ... ... | 173 |
| प्रदेश में खाद्य तेलों, नमक एवं मिट्टी के तेल तथा भवन निर्माण सामग्री जैसे ईंट, लोहा, सीमेन्ट आदि के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का स्थगन ... ... | 186 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... .. ... | 186 |
| मेरठ महानगर की बीस बस्तियों में पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात में होने वाली असुविधाओं की आशंका के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ... ... | 186 |
| मानसिक चिकित्सालय आगरा के अधिकारियों द्वारा श्री दौलत लाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व विधायक के अपमान के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ... ... ... | 189 |
| यू0 पी0 एलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन (अपट्रान) में करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में वक्तव्य ... ... ... ... ... | 190 |
| नत्थियां ... ... ... ... ... | 194–200 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में, 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

| | |
|---|---|
| अकबर हुसैन बाबर, श्री | फैजाबाद |
| अकबाल हसन उर्फ | |
| अकबाल हुसैन, श्री | गोण्डा |
| अरविन्द कुमार, श्री | ललितपुर |
| करन चन्द्र सिंह, श्री | नैनीताल |
| काजी मो0 मोहिउद्दीन श्री | हरिद्वार |
| कृष्ण किंकर सिंह, श्री | बस्ती |
| केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री | इलाहाबाद |
| खुर्शीद , श्री | गाजीपुर |
| गुलाब सिंह, श्री | देहरादून |
| जफर अली नकवी, श्री | खीरी |
| झग्गड़ सिंह , श्री | मेरठ |
| तीरथराज, श्री | सोनभद्र |
| दयाराम भास्कर, श्री | आजमगढ़ |
| दौलतराम, श्री | बदायूं |
| नारायण दत्त तिवारी, श्री | नैनीताल |
| निरवेन्द्र कुमार, श्री | खीरी |
| पद्मा सेठ, श्रीमती | सीतापुर |
| परवेज हलीम खान, श्री | मेरठ |
| प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी | |
| तिवारी, श्री | सिद्धार्थनगर |
| बृजेन्द्र सिंह , श्री | अलीगढ़ |
| भगवान सिंह शाक्य, श्री | बदायूं |
| मनोहर लाल, श्री | उन्नाव |
| महावीर सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| मास्टर कंवर पाल, श्री | सहारनपुर |
| मुख्तार अनीस, श्री | सीतापुर |
| मुस्तमन्द अली खां, श्री | मथुरा |
| मोहम्मद असलम खां श्री | सहारनपुर |
| मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री | मुरादाबाद |
| यदुनाथ सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| रवीन्द्र कुमार सिंह, श्री | गाजीपुर |
| रवीन्द्र शुक्ल, श्री | झांसी |
| राजधारी, श्री | बलिया |
| राजा मो0 अमीर | |
| मोहम्मद खां, श्री | सीतापुर |
| राजेश्वर बंसल, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राम औतार मिश्र, श्री | शाहजहांपुर |
| रामकरन आर्य, श्री | बस्ती |
| राम सिंह सैनी, श्री | हरिद्वार |
| रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री | गोण्डा |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| रेशमा आरिफ, श्रीमती | कानपुर |
| वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री | एटा |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| शारदा प्रसाद रावत, श्री | गोरखपुर |
| शिव बहादुर सक्सेना, श्री | रामपुर |
| सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री | उन्नाव |
| सत्य प्रकाश सोनकर, श्री | वाराणसी |
| सरस्वती प्रताप सिंह, श्री | खीरी |
| साहब सिंह, श्री | मेरठ |
| सियाराम सागर, डा0 | बरेली |
| सुखदा मिश्रा, श्रीमती | इटावा |
| सुखबीर सिंह गहलौत, श्री | गाजियाबाद |
| सुबास, श्री | मऊ |
| सोमांश प्रकाश, श्री | मुजफ्फरनगर |
| हर नारायण सिंह , श्री | रायबरेली |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**वर्ष 1987-88 व 1988-89 में वर्षा की कमी तथा विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण फसल की हुई हानि तथा विद्युत बकाये को माफ करने की मांग**

*1—**श्री रघुवर दयाल वर्मा**—क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1987-88 और 1988-89 में वर्षा की औसत कमी के कारण प्रदेश में सूखा की स्थिति के पैदा होने के कारण प्रदेश के निजी नलकूप काश्तकार विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर सके तथा उन्हें विद्युत की आपूर्ति भी वांछित मात्रा में न होने के कारण फसल सूखा से प्रभावित हुई ? क्या सरकार उक्त वर्षों के बिजली के बकाया के भुगतान को समाप्त कर किसानों को राहत प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)**—निजी नलकूपों पर वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89 में विद्युत बिलों का भुगतान क्रमशः रु0 63.42 करोड़ व रु0 73.93 करोड़ के विपरीत कुल रुपये 39.56 करोड़ व रु0 56.75 करोड़ ही प्राप्त हुआ है। इन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति क्रमशः 12 घंटे 15 मिनट प्रतिदिन व 13 घंटे 15 मिनट प्रतिदिन रही।

राज्य विद्युत परिषद् ने सूखे से उत्पन्न किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, माह अक्टूबर, 1989 में प्रदेश भर में 1-4-87 से 31-3-88 तक एक वर्ष के लिए निजी नलकूपों के विद्युत बिलों की धनराशि एवं इस धनराशि पर 31-8-89 तक लगने वाले अधिभार का परित्याग किये जाने का निर्णय लिया था। यह निर्णय केवल उन्हीं निजी नलकूप उपभोक्ताओं पर लागू है जो माह सितम्बर, 89 से नियमित भुगतान कर रहे हों।

**श्री रघुवर दयाल वर्मा**—मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि प्रदेश भर में 1-4-87 से 31-3 88 तक एक वर्ष के लिए निजी नलकूपों के विद्युत बिलों की धनराशि एवं इस धनराशि पर 31-8-89 तक लगने वाले अधिभार का परित्याग किये जाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, उसमें एक प्रतिबन्ध भी उन्होंने लगा दिया है और उत्तर में आगे यह भी कहा है कि यह लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो सितम्बर, 89 से नियमित भुगतान करते रहे होंगे। दूसरे किसानों को यह छूट नहीं दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे क्या इस प्रतिबन्ध को हटाने की कृपा करेंगे क्योंकि सूखे से प्रभावित किसान अपने विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं इसलिए यह छूट उनको भी मिलनी चाहिए ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**—मान्यवर, 1987 के साल में किसानों पर जो बकाया था वह माफ कर दिया गया है। 31-8-89 तक जिन किसानों पर मिनिमम चार्ज भी देय था वह

भी माफ कर दिया गया है। यह फैसला भी किया गया है कि वर्ष 1987-88 के साल की स्थिति को देखते हुए वर्ष 1988-89 का जो वर्ष है उस वर्ष में भी किसानों के जो बिल हैं और जहां सूखे से प्रभावित किसान बिलों का भुगतान नहीं कर सके हैं उसे भी माफ करने पर विचार किया जाये क्योंकि इसकी मांग जगह-जगह से आई है और हमारे साथी माननीय वर्मा जी भी यही मांग रहे हैं। इसलिए इस पर भी विचार करने का फैसला किया है और इस संबंध में विचार हो रहा है।

**श्री रघुवर दयाल वर्मा**--मान्यवर, मेरा एक प्रश्न और था। मैं मा0 मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने वर्ष 1988-89 पर भी विचार करने का मंतव्य प्रकट कर दिया, किसानों के हित में उस के लिये आभारी हूं। धन्यवाद देता हूं। लेकिन, दूसरी बात मैंने निवेदन की है कि जिन लोगों ने सितम्बर, 1989 से नियमित भुगतान नहीं किया है, क्या उन पर भी इसी सहानुभूति से विचार करेंगे, छूट दे ही रहे हैं तो नियमित भुगतान के प्रतिबंध को उठाने की कृपा करेंगे ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, यह सवाल जो आप जानते हैं कि आज देखने पर पता लगा है। हमको इसकी जानकारी नहीं थी। यह सही है कि जब उत्तर दिया था तो सरकार विचार करके फैसला नहीं ले पायी थी। लेकिन आज सदन के सामने यह सरकार ने जो निर्णय लिया, उससे अवगत करा दिया है। जब सरकार विचार कर रही है तो मा0 वर्मा जी से निवेदन है कि 1988-89 के बकाये को भी समाप्त करने पर सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्द ही फैसला हो जायेगा। इस प्रश्न के बारे में फैसला शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

**श्री मुईद अहमद**--मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जवाब में बताया कि 1987-88 और 1988-89 में क्रमशः 12 घंटे 15 मिनट प्रतिदिन व 13 घंटे 15 मिनट प्रतिदिन बिजली रही। तो यह 13 घंटे सूखे के दौरान बिजली रही जहां कहते है कि कांग्रेस शासन में 4 घंटे भी बिजली नहीं रही। मा0 मंत्री जी ने अब 14 घंटे बिजली देने की घोषणा की है कि 14 घंटे बिजली अवश्य रहेगी। मेरा कहना है कि जहां लगातार 15 दिन बिजली बिलकुल न गयी हो क्या वहां के किसानों के नलकूप पर बिलों को माफ करने की घोषणा करेंगे ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, जो मूल प्रश्न है, मुईद साहब समझ ले कि यह किसानों का भला चाहने वाली सरकार है, केवल कागजी आंकड़ों की सरकार नहीं है। वर्ष 1987-88 के बारे में फैसला कर लिया है और 1988-89 के बारे में सरकार विचार कर रही है। यह पूरे प्रदेश के लिये है।

**श्री मुईद अहमद**--मान्यवर, मेरा सवाल 15 दिन वाला है। सुल्तानपुर में 2 ब्लाकों में लगातार 15 दिन बिजली नहीं रही, इसका जवाब नहीं आया। आंशिक जवाब आया है।

**श्री उपाध्यक्ष**--उन्होंने यह कहा कि आपका प्रश्न कवर हो जाता है कि 1987-88 और 1988-89 के बारे में सरकार विचार कर रही है। जब सरकार विचार कर रही है तो आपका प्रश्न उसी से कवर हो जाता है कि ऐसे स्थान भी उसमें विचार करने में आ जाएंगे। पूरे प्रदेश के लिये कहा है।

**श्री मुईद अहमद**--मैं आज की स्थिति में पूरे प्रदेश के लिये नहीं, जहां 15 दिन बिजली नहीं गयी, उन क्षेत्रों में माफी के बारे में पूछ रहा हूं ?

**श्री उपाध्यक्ष**--मंत्री जी के उत्तर से सब कवर हो जाता है। टोटल ऐसे स्थानों के लिये 1988-89 पर भी विचार कर लेंगे।

**श्री कुंवर सिंह नेगी**--मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत बिलों के अविभार में जो यह माफी दी है, उससे कितने काश्तकार लाभान्वित हुए हैं और विद्युत परिषद् को कितना नुकसान हुआ है।

**शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, सारे प्रदेश से किसान लाभान्वित हुए हैं और लाभ-नुकसान के बारे में अभी अंतिम रूप से फैसला नहीं हुआ है। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को फायदा हुआ है।

**श्री उपाध्यक्ष**--(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर) मा0 वर्मा जी; आपका संतोषजनक उत्तर आया और आपने मा0 मंत्री जी को धन्यवाद भी दिया है कि विचार करेंगे। इसलिये कृपा करके बैठ जायं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

**सार्वजनिक निगमों के सरकारी वाहनों की सुविधा का उपभोग करने वाले सचिवों की संख्या**

*1--**श्री अतीक अहमद, श्री मंजूर अहमद तथा श्री रविदास मेहरोत्रा (अनुपस्थित)**-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 शासन में ऐसे कितने सचिव हैं जिनके पास सार्वजनिक निगमों के एक या अधिक सरकारी वाहन हैं ? क्या सरकार निगमों के घाटे को देखते हुए उक्त सुविधा अविलम्ब वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)**--सूचना एकत्र की जा रही है।

**आठवीं पंचवर्षीय योजना में बनायी गयी नई औद्योगिक नीति का विस्तृत विवरण**

*2--**डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री किशन गोपाल**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? उसके अन्तर्गत कितने रोजगार स्थापित किए जायेंगे एवं कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गत 14 जून, को उत्तर प्रदेश में नये उद्योग लगाने के लिए देश के प्रमुख उद्यमियों की बैठक में क्या निर्णय लिए गये ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--जी हां। नई औद्योगिक नीति में रोजगार के अधिकतम अवसरों का सृजन, आम जनता के उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं की

उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। कृषि आधारित उद्योगों, ग्रामीण शिल्पकारों के उद्योग पर आधारित ग्रामीण उद्योग, जो विशेषकर महिलाओं और ग्रामीणों के लिए लाभकर हों, को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना प्रस्तावित है। आम उपयोग में आने वाली ऐसी वस्तुओं जिनका उत्पादन घरेलू और लघु उद्योग कर सकते हैं, बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित करने के प्रस्तावों को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रभावकारी हैसियत बनी रहेगी तथा उनके प्रबन्ध कौशल को चुस्त बनाया जायेगा। स्थानीय प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देते हुए नई-नई तकनीकों के स्वदेशी विकास पर बल दिया जायेगा। प्रदेश में उद्यमिता के विकास व सम्बन्धित तकनीकी प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया जाना प्रस्तावित है।

यद्यपि इसका कोई उल्लेख नई औद्योगिक नीति में नहीं किया गया है फिर भी राज्य सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में 3 लाख लघु उद्योग, 5 लाख खादी एवं ग्रामीण उद्योग तथा 500 मध्यम एवं वृहत उद्योग लगाये जाने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है। इन समस्त कार्य-क्रमों के कार्यान्वियन हेतु समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उपरोक्त उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

14 जून, 1990 को देश के प्रमुख उद्यमियों के साथ कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

**डा0 दिनेश जौहरी**--मान्यवर, पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण बिजली न देने के कारण, बहुत से उद्योगों पर असर पड़ा, खासकर बरेली के उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं कि नहीं चले, बंद होने लगे। मान्यवर, यह जो औद्योगिक नीति बतायी है यह स्वागत योग्य है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी दिख रही है। पहले सबसिडी दे रहे थे, 5 साल के लिये नये उद्योगों के लिये सेल्स टैक्स माफ था, वह बंद कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग घाटे में न जायं नये उद्योग घाटे में न जायं, उनके लिये सेल्स टैक्स 5 साल के लिये माफ करने जा रहे हैं?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, सेल्स टैक्स खत्म करने या न खत्म करने के लिये अलग से प्रश्न की जरुरत होगी। मान्यवर, आप मूल प्रश्न देखने का कष्ट करें यह नयी औद्योगिक नीति से संबंधित है।

**श्री उपाध्यक्ष**--माननीय जौहरी जी आपका प्रश्न नयी औद्योगिक नीति क्या बनायी गयी है उससे संबंधित है।

**डा0 दिनेश जौहरी**--यह बता दें कि नये उद्योगों को सबसिडी देने जा रहे हैं या नहीं बिक्री कर वाली बात फिलहाल छोड़ दी है मैंने।

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--जो नयी औद्योगिक नीति बनी है, उसमें विभिन्न मुद्दों में विभिन्न श्रेणियों में, इसकी श्रेणी में पूंजी उपादान दिया गया, उसका प्राविधान है। मान्यवर, जो श्रेणियां हैं, विभिन्न जो जनपद हैं, उन जनपदों का वर्गीकरण किया गया है। एक वर्गीकरण के हिसाब से 10 फीसदी पूंजी उपादान है और दूसरे वर्ग के आधार पर 20 फीसदी और इसी तरह से 25 फीसदी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख,

इस तरह के विशेष पूंजी उपादान का प्राविधान है अगर नये उद्योग लगने हैं। पूरी योजना विस्तृत है, उद्योग पर बजट आने वाला है। अब अगर खास सवाल पूछने हैं तो बतायें कि पहाड पर क्या है पूर्वांचल में क्या है सेल्स टैक्स में क्या नीति है।

**श्री किशन गोपाल**--मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, यह उल्लेख है कि 3 लाख लघु उद्योग, 5 लाख खादी एवं ग्रामीण उद्योग तथा 500 मध्यम एवं वृहत उद्योग लगाये जायेंगे और इसमें 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मान्यवर, बहुत सुनते आ रहे हैं कि यह नीति है यह नीति है, मैं जानना चाहता हूं कि यह उद्योग कब से लगायें जायेंगे, कब से लोगों को रोजगार मिलने लगेंगे, यह कौनसी उद्योग नीति बनायी है यह कब से लागू होगी और क्या-क्या सुविधा दी जायेगी ?

**श्री शत रुद्र प्रकाश**--मान्यवर, आप कृपापूर्वक देखें, पहले तो यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नहीं है, एक तारांकित प्रश्न है, विस्तार से इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। जो प्रश्न किया गया है, प्रश्न के जरिये जो छोटे-मोटे हिस्से हैं, वह ही आ सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**--माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कब से लागू की जायेगी ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, यह आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये है और 1990-91, 91-92, 92-93, 93-94, 94-95 के लिये है, इसमें हर साल इसके 5 चरण होंगे और पांच चरणों में 5 साल की योजना बनाई गयी है। उद्योग का बजट प्रस्तुत होने वाला है, जो इसके प्राविधान है, इसका वितरण कर दिया जायगा। उद्ययोगकर्मी उद्योग लगाना चाहेंगे, उनको आमंत्रण है, उन प्राविधानों के अन्तर्गत उनके उद्योग लगवाये जायेंगे।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर प्रश्न पूछने का प्रयास करने पर)

**श्री उपाध्यक्ष**--इस पर 3 प्रश्न हो चुके हैं। उद्योग का बजट आयेगा, तो पूछ लीजियेगा। जौहरी जी ने भी प्रश्न पूछ लिया है, किशन गोपाल जी ने भी पूछ लिया है।

**श्रीमती प्रेमवती तिवारी**--मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि नई औद्योगिक नीति बनाई गयी है। इसी संबंध में सम्मानित सदस्य ने बताया कि बरेली की 80 प्रतिशत इन्डस्ट्री मृतप्राय है। मेरी निजी जानकारी है कि जितनी भी इकाईयां है, वह जन्म लेते ही मरना शुरू कर देती हैं क्योंकि जो उनकी कार्य पूंजी है वह उनको बैंक द्वारा मिल नहीं पाती है। मैं जानना चाहती हूं कि जहां मंत्री जी ने यह क्रान्तिकारी कदम उठाया है, जिसकी घोषणा भी की है, तो औद्योगिक इकाईयों को सुचारू रूप से चलने के लिये उनको वर्किंग कैपिटल बैंकों द्वारा या अन्य किसी स्रोतों से दिलवाने की कृपा करेंगे ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, नई औद्योगिक नीति में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बौद्धिक रूप से और तकनीकी रूप से दक्ष लोग जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न योजनाओं का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, यह पूरी योजना को पढ़ ले तो पायेंगे कि लघु उद्योग और ग्रामीण स्तर पर उद्योग जो लगाना चाहेंगे, उनके लिये वर्किंग कैपिटल दिलाने की व्यवस्था की गयी है।

(पुनः कई सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने का अनुरोध करने पर)

**श्री उपाध्यक्ष**--अब कई प्रश्न हो गये हैं, अब ज्यादा नहीं। उद्योग का बजट आ रहा है, उसमें सब पूछ लीजियेगा।

**अपट्रॉन इण्डिया लिमि0 की वर्ष 1987-88 की बैलेन्स शीट में करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी का मामला**

***3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा**--क्या सरकार को जानकारी है कि महालेखाकार उ0प्र0 द्वारा अपट्रॉन इण्डिया लि0 की वर्ष 1987-88 की बैलेन्स शीट पर जारी ड्राफ्ट कमेन्ट्स में लगभग 10 करोड़ रुपये की धनराशि की हेरा-फेरी कम्पनी के खातों में करके फर्जी लाभ दिखाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इसके लिये कौन दोषी है ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--अपट्रॉन इंडिया लि0 की वर्ष 1987-88 की वार्षिक लेखा पर महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा ड्राफ्ट कमेन्ट्स में लगभग 17 करोड़ रुपये की धनराशि को विभिन्न मदों में गलत दिखाये/नहीं दिखाये जाने के कारण कम्पनी द्वारा रुपये 4 करोड़ से अधिक हानि को छुपाये जाने के विषय में टिप्पणी की गई है। इस विषय पर प्रबन्ध निदेशक, अपट्रॉन द्वारा महालेखाकार को स्पष्टीकरण भेजा गया है, जिस पर महालेखाकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

शासन द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम को निर्देश दिये जा रहे हैं कि इस मामले को निगम के निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जाय और निदेशक--मण्डल गुण-अवगुण के आधार पर मामले का परीक्षण करके उत्तरदायित्व निर्धारित करें और उत्तरदायी/दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करें तथा शासन को कृत-कार्यवाही से अवगत करायें।

**श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी**--मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि यह सी0ए0जी0 की टिप्पणी सरकार को कब मिल गयी थी और प्रबन्ध निदेशक, अपट्रॉन द्वारा महालेखाकार को स्पष्टीकरण कब भेजा गया और अब तक इस पर शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, यह 5 साल की बैलेन्सशीट है, उसका स्पेशल आडिट कराया गया, यह काफी पहले चली गयी थी। ठीक-ठीक तारीख तो उपलब्ध नहीं है कि इसका जवाब कब भेजा गया, कब स्पष्टीकरण भेजा, लेकिन यह सही है कि इसमें 4 करोड़ 21 लाख रुपये से ज्यादा का फायदा दिखाया गया है। महालेखाकार द्वारा ड्राफ्ट कमेन्ट्स में धनराशि को विभिन्न मदों में गलत दिखाये जाने/ नहीं दिखाय जाने की टिप्पणी अपनी आपत्ति रिपोर्ट में अंकित की है। इसके बारे में स्पष्टीकरण गया है। चूंकि कई माननीय सदस्यों ने यहां पर यह सवाल उठाया है, इसके पूर्व में भी बहुत से माननीय सदस्य जो विरोध पक्ष में थे, इस सम्बन्ध में सवाल उठाये गये थे, इन सारी चीजों को देखते हुए और इसकी गम्भीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि शासन स्तर पर किसी वरिष्ठ सचिव से इस सारे मामले की जांच करा ली जायगी।

**श्री रघुवर दयाल वर्मा**--मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 4 करोड़ 21 लाख रुपये का फर्जी मुनाफा अंकित करना व 17 करोड़ रुपये की हेरा-फेरी करना-ये दोनों चीजें अंकित हैं। इसकी जानकारी प्रबन्ध निदेशक और जो प्रबन्ध बोर्ड है, महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद उनकी जानकारी में भी यह बात आ गई। उसके बाद, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि निदेशक मण्डल से इसकी जांच करवायेंगे और अभी माननीय मंत्री जी ने फिर कहा कि सचिव स्तर से जांच करवायेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सचिव स्तर की जांच आप कब से शुरू कर देंगे और इस कार्यवाही से सदन को कब तक अवगत करा देंगे ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, जांच बहुत जल्द शुरू कर दी जायेगी। और जब जांच पूरी हो जायेगी तो उसके बाद मान्यवर, आप जो आदेश देंगे, जो सदन के नियम हैं, उनके मुताबिक दे दी जायेगी।

**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**--मान्यवर, यह स्पष्ट है कि 4 करोड़ 21 लाख का फर्जी मुनाफा दिखाया गया है और 17 करोड़ रुपये की हेर-फेरी की गई है। प्रबन्ध निदेशक के संज्ञान में आने के बाद भी और ए0 जी0 की रिपोर्ट आने के बाद भी प्रबन्ध निदेशक ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। इससे ऐसा लगता है कि प्रकारान्तर में प्रबन्ध निदेशक व निदेशक मण्डल की जानकारी से ही यह सब हेरा-फेरी हुई है। उस प्रबन्ध निदेशक के रहते हुए इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि प्रबन्ध निदेशक को हटाकर शासन स्तर से इसकी जांच करवाई जायेगी ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, मैं आपके जरिये माननीय सदस्य को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार है, ऐसा कोई आफिसर नहीं है जो सरकार द्वारा जांच करवाये जाने की कार्यवाही को प्रभावित कर सके।

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**--मान्यवर, माननीय मंत्री जी भी स्वयं जानते हैं कि इस अधिकारी के खिलाफ कई आरोप हैं। 28 फरवरी, 1989 को जब माननीय मुख्य मंत्री जी इधर बैठा करते थे उन्होंने इस अधिकारी को केवल भ्रष्टाचारी ही नहीं कहा अपितु देशद्रोही भी कहा था। इसके पूर्व भी इसी अधिकारी के खिलाफ जांच हुई थी और आरोप पाये गये थे। वे सब रिपोर्ट सरकार के पास हैं, अब जो मंत्री जी जांच करवाने जा रहे हैं और जो पुरानी रिपोर्ट हैं, उन सबको भी इस जांच अधिकारी के पास भेज देंगे कि इन रिपोर्ट पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण थे ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--ठीक है, मान्यवर, इसे दिखवा लेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री मुईद अहमद का नाम पुकारे जाने पर)

**श्री अनुग्रह नारायण सिंह**--मान्यवर, जिस माननीय सदस्य को आप प्रश्न करने के लिए कह रहे हैं, वह पिछले वर्षों में इस अधिकारी को डेफेन्ड करते रहे हैं।

**श्री मुईद अहमद**--मान्यवर, ये कह रहे हैं कि हम संरक्षण दे रहे हैं। अब जवाब से खुद ही पता चल गया कि संरक्षण आप दे रहे हैं। जब महालेखाकार ने एक टिप्पणी कर दी, इसी

टिप्पणी के संबंध में एक माननीय सदस्य ने पूछा कि यह टिप्पणी कब की। माननीय श्री गुप्ता जी ने कहा कि यह व्यक्ति देशद्रोही है।

(संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

**श्री मुईद अहमद**---माननीय मंत्री जी आप बीच में कहां से आ गये ?

**श्री उपाध्यक्ष**---माननीय सदस्य आप प्रश्न करें।

**श्री मुईद अहमद**---मान्यवर, इसमें प्राइमा फेसाई 4 करोड़ रुपये से अधिक का घपला सिद्ध हो चुका है, माननीय मंत्री जी ने अभी तक कोई निर्देश यहां से भेजे नहीं हैं। उत्तर में लिखा है कि "निर्देश दिये जा रहे हैं", जब प्राइमा फेसाई सिद्ध हो चुकी है तो एम0 डी0 से स्पष्टीकरण मांगना और उसका जवाब आने में काफी विलम्ब होगा, इसलिये क्या एम0 डी0 और जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)**---यह माननीय सदस्य को मालूम होगा कि इस पर काम रोको प्रस्ताव भी लाया गया था, उस पर वक्तव्य का निर्देश हुआ है। इस प्रश्न को तो लिया ही नहीं जाना चाहिये था।

(श्री विजय सिंह राणा और श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने से व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**---आप लोग बैठें, इसके बाद कुछ पूछने का प्रश्न नहीं उठता।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

**शहीद अक्षयवर मल्ल की हत्या संबंधी जांच आख्या पर की गई कार्यवाही की जानकारी**

*[1]**श्री रविदास मेहरोत्रा**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 29 फरवरी, 1988 को विधान भवन के समक्ष पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज में शहीद अक्षयवर मल्ल की हत्या की खुफिया जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी ? क्या शासन को इस संबंध में विधिक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इन रिपोर्टों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री शत्रुद्र प्रकाश**---जी हां। स्वर्गीय श्री अक्षयवर मल्ल के सम्बन्ध में प्राथमिक चिकित्सा करने वाले, शव विच्छेदन करने वाले चिकित्सकों तथा चिकित्सा विधि विशेषज्ञ से प्राप्त रिपोर्ट में विरोधाभास होने के कारण प्रश्नगत घटना की विवेचना पुनः अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के केन्द्रीय अन्वेषण खण्ड (सी0आई0एस0) से कराई जा रही है।

विवेचना अभी प्रचलित है।

**श्री रविदास मेहरोत्रा**---मैं जानना चाहता हूं कि शव विच्छेदन करने वाले चिकित्सकों तथा चिकित्सा विधि विशेषज्ञ ने क्या रिपोर्ट दी है ? क्या जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--जैसा पिछले सत्र में प्रश्न था, उसमें भी बताया था कि इसमें पुलिस ने जो जांच की थी उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गयी है और फिर जो विधि चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे जो रिपोर्ट मांगी गयी तो उनकी बगैर रिपोर्ट के फाइनल रिपोर्ट लग गई। जब यह सरकार बनी तो उनसे फिर राय मांगी गयी। उन्होंने कहा कि सिर के अन्दर चोट थी। सिर के अन्दर एक भाग होता है मौडेला आबलंगेटा उसमें चोट पहुंच गयी थी। इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है। इसकी जांच करायी जा रही है। अभी जांच की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही बताया जा सकता है।

**श्री रविदास मेहरोत्रा**--मैं जानना चाहता हूं कि जांच की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायगी? दो साल हो गये अभी तक जांच पूरी नहीं हो पायी है, जांच कब तक पूरी हो जायगी स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें।

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--जांच पूरी हो जायगी तब रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी।

**श्री रविदास मेहरोत्रा**--मैंने जानना चाहा था कि कब तक प्राप्त हो जायगी? विधान सभा के सामने यह हत्याकाण्ड हुआ था।

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, जांच करायी जा रही है और गम्भीरता से जांच हो रही है। कोशिश की जा रही है कि जांच अच्छी तरह से, बारीकी से हो जाय। अगर जल्दबाजी हो गयी तो जांच ठीक नहीं हो पायेगी।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के पुकारे जाने पर)

**श्री रविदास मेहरोत्रा**--मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला है और इसमें कई माननीय सदस्यों की रूचि है जिसे आप देख ही रहे हैं और माननीय मंत्री जी यह नहीं बतला रहे हैं कि कब तक जांच पूरी हो जायेगी। अतः मुझे एक प्रश्न और कर लेने दीजिये।

**श्री शारदा प्रताप शुक्ल**--अभी माननीय रविदास मेहरोत्रा ने जो प्रश्न किया कि कब तक जांच पूरी हो जायेगी तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच जल्दी हो जायेगी। जब विधान सभा चल रही थी उस समय स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल पर लाठी चार्ज हुआ और पुलिस की लाठी से वे मर गये। मौजूदा प्रधान मंत्री भी उनको देखने आयें और उसके बाद उनकी डेथ हो गयी। जब यह इतना गम्भीर मामला है और लखनऊ का ही मामला है कि एक जो हमारे दल के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता थे उनकी मौत हो गयी तो क्या इसके लिये कोई निश्चित तिथि आप बतायेंगे कि कब तक इस पर जांच पूरी करा लेंगे?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--माननीय शारदा प्रताप शुक्ल जी और मा0 रविदास मेहरोत्रा जी दोनों को मैं आपके जरिये से यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस संबंध में बहुत जल्दी रिपोर्ट मंगा ली जायेगी लेकिन यदि तारीख न पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा।

(बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 1990 के लिए निर्धारित नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न)

**पूरे प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू किये जाने की मांग।**

*1—**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पूरे प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है और पूरे प्रदेश में कब तक लागू हो जायेगी ?

**श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)**—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**—मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार का नारा है कि "गांव की ओर चलो तो जो सुविधायें आप शहरी जनता को दैवी आपदाओं के लिये बीमा की, आप प्रदान करते हैं जैसे आग लगने पर, अति वर्षा होने पर, बाढ़ या सूखा के समय तो फिर गांवों में जब दैवी आपदायें आती हैं और किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, किसानों की हानि होती है तो वहां पर सरकार 'बीमा योजना' को क्यों नहीं लागू करना चाहती है ?

**श्री मोहम्मद आजम खां**—मान्यवर, यह केन्द्र सरकार की स्कीम थी बीमा योजना की। यह सही है कि हमारी सरकार ने कहा है कि गांव की ओर चलो। इसका मतलब यह नहीं है बीमा योजना के द्वारा ही गांव की ओर चलने की बात कही है बल्कि पूर्व में जो कुछ योजनायें ऐसी चलायी गयी थीं जो गांव के भले के लिये नहीं थीं, जिससे कि गांव की कोई भलाई नहीं हुई उसे समाप्त कर दिया गया है क्योंकि बीमा योजना से किसानों को लाभ नहीं हो रहा है इससे बीमा कम्पनी को फायदा था क्योंकि जब भिन्न फसलों में भिन्न-भिन्न का उत्पादन का मामला है। ऊपर की हानि होगी तब किसानों को बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मसलन् ओला गिरा, इसकी एक पूरी पट्टी चलती है तो एक ही जगह को देख कर ओला कितना गिरा यह मान लिया जायेगा कतिपय फसलों में 40 प्रतिशत तक क्षति होगी। उसमें किसान को कुछ नहीं मिलता है, मिलता है बीमा कम्पनी को। तो इस सरकार का दायित्व है कि वह देखे कि पूर्व की जो सरकार थी, उसने किसानों के भले के लिये सोचा था, या कम्पनी के भले के लिये सोचा था। इसमें बीमा कम्पनी का भला था और इसी लिये इस योजना को समाप्त किया गया।

**श्री विजय सिंह राणा**—मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पूर्व में प्रस्तावित योजना थी, वह किसानों के भले की नहीं थी, तो बजाय उसको समाप्त करने के उसमें कोई सुधार करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया जिससे किसानों का भला होता। क्या माननीय मंत्री जी उसका पुनरीक्षण करके उसे लागू करने की कोशिश करेंगे ?

**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**—मान्यवर, मेरा प्रश्न है। मुझे तो केवल एक ही प्रश्न करने को मिला है।

**श्री उपाध्यक्ष**—आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर आ जाने दें।

**श्री मोहम्मद आजम खां**—मान्यवर, मंत्री परिषद् का निर्णय है और माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं और वह जानते हैं कि उस के बाद कितनी जिम्मेदारी आ जाती है। यह सही

है कि बीमा योजना होनी चाहिये, लेकिन उसका फायदा किसानों को मिलना चाहिये, यह उससे ज्यादा सही बात है। जो योजना किसानों के भले की नहीं समझी गयी उस योजना को समाप्त कर दिया गया और भविष्य में क्या-क्या योजनायें होंगी, इसके सम्बन्ध में नये-नये प्लान आ रहे हैं और किसानों की बेहतरी के सम्बन्ध में सरकार सोचेगी।

**श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी**--मान्यवर, फैजाबाद में 60 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन बीमा योजना द्वारा वहां पर यह सुविधा नहीं दी गयी।

**श्री उपाध्यक्ष**--यह परिधि के बाहर है।

**श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)**--मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि सदन की भावना को देखते हुए, गांवों में किसानों के जानवर का बीमा होता है और आदमी का बीमा होता है, तो किसानों के हित को देखते हुए, दैवी प्रकोप को देखते हुये क्या शासन के पास फसल बीमा योजना पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां तो उसको कब तक लागू कर दिया जायेगा?

**श्री उपाध्यक्ष**--नहीं है, उत्तर आ गया है।

**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**--मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार की फसल बीमा योजना किसानों के लिये लाभकारी नहीं हुई। उसका मानक पूरी तहसील था, क्या आप पूरी तहसील को हटाकर प्रति व्यक्ति मानक रखेंगे और उसकी फसल को कितना नुकसान हुआ है, इस बात को उसके मानक में रखेंगे। आप उसमें संशोधन करके हानि का मानक पूरी तहसील न होकर व्यक्तिगत काश्तकार की जोत को रखेगें और इस प्रकार से इस योजना को लागू करेंगे?

**श्री मोहम्मद आजम खां**--मान्यवर, मैंने पूर्व में निवेदन किया कि वह केन्द्रीय सरकार की योजना थी। जो पुराने मानक थे वह बहुत घातक थे और नुकसान-देह थे। मैं धान की मिसाल देना चाहता हूं। पूरी तहसील ही नहीं थी बल्कि पिछले 3 सालों में और 5 सालों में कितने प्रतिशत हानि रहीं है यह भी देखा जाता रहा है। तो इस प्रकार की स्कीम थी। कहां तक इसको सुधारते इनको कितना घटाते, उससे किसानों को नुकसान ही होता। और किसी भी तरह से अगर इस मानक को आसान से आसान कर दिया जाय, तीन के बजाय एक कर दिया जाय या तहसील आधी कर दी जाय तब भी इससे किसान का भला होने वाला नहीं था, बीमा कम्पनियां का ही भला होने वाला था। इस-लिय सरकार यह समझती है कि बीमा कम्पनियों का भला न करके गांवों की और चला जाय।

**श्री इम्तियाज मोहम्मद खां**--मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भविष्य में सरकार जो भी नई फसल बीमा योजना लागू करेगी उसमें क्या आम के बागों को भी उस फसल बीमा योजना में शामिल करेगी?

**श्री उपाध्यक्ष**--यह आपका दूसरा प्रश्न है कि अगर सरकार नई योजना कोई बीमे की फसल के लिये लागू करेगी तो आम की फसल पर भी लागू करेगी, यह इससे नहीं उठता।

**श्री रघुवर दयाल वर्मा**--क्या माननीय मंत्री जी फसल बीमा योजना जो पूर्व सरकार की थी उसको न छोड़ते हुये किसान की फसल जो दैवी आपदाओं से ग्रसित होती है, उसे फसल बीमा योजना से सम्बद्ध करके विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर कोई ऐसी योजना बनायेंगे जो सारे इस तरह के मामलों को देखकर किसानों के हित में काम कर सकें ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, यह सरकार क्योंकि किसानों के हित के लिये बचनबद्ध है इसलिये जो भी उनके लिये हितकर होगा, अवश्य किया जायेगा ।

(श्री मंत्री प्रसाद नैथानी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

**श्री उपाध्यक्ष**--मंत्री जी ने स्पष्ट नीति बता दी कि चूंकि वह किसानों के हित में नहीं थी इसलिये वह योजना बन्द कर दी गई है । नैथानी जी, कृपया बैठ जायं ।

**बांदा जनपद की थाना बरगढ़ के गांव मोरका के आदिवासियों पर सवर्णों द्वारा अत्याचार की शिकायत**

*2--**श्री राम प्रसाद सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के थाना बरगढ़ के अन्तर्गत मोरका के पुरवों के मिट्टू आदि कोलों (आदिवासियों) के घरों को जलाने एवं सवर्णों द्वारा सामूहिक मारपीट संबंधी शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 2-2-90 को मुख्य मंत्री को दिया गया है जो कि सी0ए म0वि0को0एम0 3/35-146/बु--90 द्वारा सचिव गृह को भेजा जाना सूचित किया गया है ? यदि हां, तो उसमें अपराधियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--जी हां । प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 2-2-90 प्राप्त हुआ ।

प्रश्नगत मामले में थाना बरगढ़ पर 12 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या --4/90 अन्तर्गत धारा 147/148/149/323/436 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं शेष आठ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । विवेचना के उपरांत नामजद बारह अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक 10--3--90 को प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

**श्री राम प्रसाद सिंह** --मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जो 12 आदिवासी परिवारों के मकान जला दिये गये, उनको मारा गया और उनको मारने का उद्देश्य यह था कि.....

**श्री उपाध्यक्ष**--आप प्रश्न करें ।

**श्री राम प्रसाद सिंह**--मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं कि उनके घर जलाने का मात्र उद्देश्य उनको बेदखल करना था । मेरा सवाल यह है कि क्या वहां पर जिन परिवारों के मकान बने थे, उनको उसका मालिकाना हक देने की व्यवस्था कर दी गई है और क्या उनको कोई आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, जो वारदात हुई है, जिनके घर जले हैं उसके बारे में जिलाधिकारी को यह निर्देश दिये गये हैं जो कुटी बीमा योजना है उसके अन्तर्गत यदि यह आते हों तो उचित प्राविधान के तहत जो भी धनराशि हो, वह दे दी जाय ।

**श्री राम प्रसाद सिंह**--मान्यवर, मेरा पहला सवाल यह था कि उन मकानों को जलाने का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वहां से बेदखल करना था इसलिये क्या मंत्री जी उन आदिवासियों को मालिकाना हक देने की व्यवस्था करेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष**--आपने अपने सप्लीमेंटरी सवाल में यह पूछ लिया और मंत्री जी ने बता दिया कि अगर वह उस योजना के अन्तर्गत आयेगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा। बाकी जो बात है कि क्या कार्यवाही हुई, उसके सम्बन्ध में यह बात आ गई कि मुल्जिमान जेल भेज दिये गये, कुछ ने आत्मसमर्पण कर लिया और पूरे प्रकरण में चार्जशीट करके यह मामला अदालत में विचाराधीन है। तब अब कौन सी बात रह गई है ?

**श्री राम प्रसाद सिंह**--उनकी झोपड़ियां जला दी गई हैं ताकि वे लोग उस पर कब्जा कर सके। (व्यवधान)

**श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी**--मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जिनके घर जल गये हैं उनको बीमा योजना के अन्तर्गत पैसा दिया जायेगा। बीमा योजना के अन्तर्गत वह जले हुये मकान आते हैं जो दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हों। इस मामले में इन लोगों के घर भी जला दिये और उनको मारा पीटा गया ऐसी स्थिति में वह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कौन से जिम्मेदार अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उनको क्या राहत देने की कार्यवाही की गयी।

दूसरी एफ0 आई0 आर0 दर्ज कब हुई और एफ0आई0 आर0 दर्ज होने के कितने दिनों बाद गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--पहली तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया और 24 जनवरी की यह घटना है और पहली फरवरी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। दो तारीख को जगदीश व रणजीत गिरफ्तार किये गये उसके बाद 11 तारीख को गैंदा लाल व शत्रुघन गिरफ्तार किये गये और 12 तारीख को 8 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

**श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी**--कौन अधिकारी मौके पर पहुंचे क्योंकि यह मामला बड़ा गंभीर है इसमें ठाकुरो और हरिजनों का मामला है ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**--एक प्रश्न का उत्तर आया नहीं और चार प्रश्न और करने लगते हैं माननीय सदस्य बैठ जायं। माननीय मंत्री जी क्या इसकी जानकारी है कि कोई राहत की कार्यवाही की गयी ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, जो मूल प्रश्न है और जिसमें पत्र भी लिखा था माननीय सदस्य न उसमें राहत कार्य के बारे में कोई जिक्र नहीं था। यह एक

अपराधिक घटना हुई इसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है और मुलजिमों को पकड़ने के संबंध में लिखा गया था तो मुलजिम गिरफ्तार कर लिये गये हैं यही मूल प्रश्न था राहत कार्यों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

**श्री राम करन आर्य**--मान्यवर, जैसा प्रश्न कर्ता सदस्य ने कहा है यह सवर्णों द्वारा हरिजनों पर जुल्म का मामला है उनको बेदखल करने की नियत से किया गया तो उनको जमीन दिलाने के लिये क्या करेंगे इस मामले को कैसे हल करेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष**--इस प्रश्न से हल नहीं होगा। (व्यवधान) अब इस पर इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि चार-पांच प्रश्न हो गये हैं हरिजनों का मामला था इसलिये मैंने इतने प्रश्न करा दिये।

**नलकूपों में विद्युत कनेक्शन देने हेतु कास्ट डिपाजिट स्कीम के स्थान पर नार्मल स्कीम लागू करने की मांग**

*3--**श्री कल्यान सिंह (अनुपस्थित)**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई हेतु नलकूपों के लिए विद्युत कनेक्शन देने तथा उन्हें चालू कराने के लिए "कुल जमा" (कास्ट डिपाजिट स्कीम) को समाप्त करके "नार्मल स्कीम" के अन्तर्गत ही किसानों को विद्युत कनेक्शन चालू कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-1-90 का कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। ग्रामीण जमा योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निजी नलकूपों का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत नलकूपों के विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त किया जाता है और इसका सामान्य योजना के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः वर्तमान में ग्रामीण जमा योजना को समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**उत्तर प्रदेश में जाली लाटरी टिकटों पर रोक की मांग**

*4--**डा० दिनेश जौहरी**--क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में नकली लाटरी टिकट बिक रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार नकली लाटरी के टिकटों की बिक्री की रोक के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य लाटरियों के प्रदेश में नकली टिकट की बिक्री किये जाने का कोई प्रकरण पंजीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

**डा० दिनेश जौहरी**--मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि प्रदेश में भारी मात्रा में फर्जी लाटरी के टिकट बिक रहे हैं। ऐसा लगता है मंत्री जी और सरकार की आंखों में पट्टी बंधी हुई है जो यह देख नहीं रहे हैं और जो हम बता रहे हैं उसको यह सुन नहीं रहे हैं लगता है इनके कान में रूई ठूंसी है। पूरे प्रदेश में फर्जी टिकट बिक रहे हैं मेरे पास टिकट हैं आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा रसीद पर दूसरा नम्बर लिखा हुआ है और टिकट पर दूसरा नम्बर है। बैंडर फर्जी

टिकट बेचते हैं और असली टिकट अपने पास रख लेते हैं और जब इनाम आता है तो उसका पैसा रख लेते हैं। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कभी यह कोशिश की गयी और बैंडर्स के स्टालों में छापा मारा गया और वहां कोई इस प्रकार के टिकट पकड़े गये कि असली टिकट रखे रहे हों और फर्जी बिक रहे हों।

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, हमारे पास चश्मा नहीं है, आंख है जिनसे देख रहा हूं। कान में रुई भी मेरे ठूस दी तो मेरे कान में रुई नहीं ठूसी है और मैं उनकी बात सुन रहा हूं।

मान्यवर, मैंने साफ जवाब दिया है कि लाटरी के फर्जी टिकटों के बारे में कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। यदि मा0 सदस्य जानकारी दे दें तो जांच करा लूंगा।

**डा0 दिनेश जौहरी**--क्या मंत्री जी सुनिश्चित करने के लिये कि जनता के पास सही टिकट पहुंचे कोई कार्यवाही करेंगे? जांच की क्या बात है?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मा0 सदस्य कोई शिकायत करें और जांच भी न करायें और जांच न करायें तो कहेंगे कि जांच क्यों नहीं कराते हैं। फर्जी टिकट बिक रहे हैं इसमें कहा है कि कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है और जानकारी देंगे तो जांच करा लेंगे।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**--मान्यवर, प्रत्येक जिले में और उसके प्रत्येक मोहल्ले में लाटरी टिकट की बिक्री बहुत बढ़ गयी है, लाखों परिवार तबाह हो रहे हैं, इसलिये क्या इसकी बिक्री को कोई दूसरा स्वरूप देने और इसकी बिक्री बंद करने पर विचार करेंगे?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--यह प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है इसलिये लाटरी टिकट बंद करने के संबंध में अलग से प्रश्न लिखाकर दें।

**(व्यवधान)**

**श्री उपाध्यक्ष**--डा0 दिनेश जौहरी, मंत्री जी ने तो कह दिया कि शिकायत करेंगे तो जांच करा लेंगे, इसलिये आपके पास कोई शिकायत हो तो मंत्री जी के पास भेज दें।

**श्री लक्ष्मी कांत बाजपेयी**--मान्यवर, जब सदन में फर्जी टिकटों की जानकारी दी जा रही है तो मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें कि छापे मारकर रोकने का प्रयास करेंगे?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--जानकारी और शिकायत स्पैस्फिक प्राप्त होने पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

**(व्यवधान)**

**श्री उपाध्यक्ष**--आप लोग बैठ जायं। डा0 दिनेश जौहरी जी का प्रश्न है और जब मंत्री जी ने कह दिया कि कोई स्पैस्फिक शिकायत आयगी तो सरकार उस पर जरूर कार्यवाही करेगी। इससे बड़ा क्या आश्वासन हो सकता है, इसलिये आप लोग बैठ जायं।

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, जौहरी साहब कह रहे हैं कि उनके पास शिकायत है लेकिन वह जेब में रखे हैं, दे नहीं रहे हैं, इसलिये यदि लिखित देंगे तो जानकारी करा लेंगे।

**(डा० दिनेश जौहरी ने मंत्री जी को कागज दिया)**

**(व्यवधान)**

**श्री प्रमोद कुमार**--मान्यवर, माननीय कारागार और नियोजन मंत्री जी बड़े विद्वान् हैं और मैं इन्हें जानता भी हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**--इस वक्त वह गृह मंत्री हैं।

**श्री प्रमोद कुमार**--मैं उनसे जानना चाहता हूं कि परसों शाम को वह हजरतगंज में कुछ लाटरी टिकट खरीद रहे थे, वह सही हैं या गलत हैं ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, मैं वहां नहीं था, मेरा भूत उन्होंने देख लिया होगा।

**पर्वतीय क्षेत्र के उद्यमियों को केन्द्रीय पूंजी उपादान देना बन्द किये जाने की शिकायत**

*5. **श्री कुंवर सिंह नेगी**--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में उद्यमियों को दिनांक 1-4-83 से केन्द्रीय पूंजी उपादान दिया जाता था ? यदि हां, तो क्या अब उक्त क्षेत्र में केन्द्रीय पूंजी उपादान देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--जी हां। जी हां। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना का कार्यकाल 30-9-88 से आगे नहीं बढ़ाया गया।

**श्री कुंवर सिंह नेगी**--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार की आपने पर्वतीय क्षेत्रों की पूंजी उपादान योजना के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने अपनी संस्तुति के साथ कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां तो कब ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--जो हमारी नई औद्योगिक नीति है, उसके अन्तर्गत हमने 35 प्रतिशत पूंजी उपादान का प्राविधान किया है, और केन्द्र सरकार 25 प्रतिश करती थी। इस प्रकार अब तो 10 प्रतिशत ज्यादा वहां मिल रहा है, जो 25 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत हो गयी है। इस तरह राज्य सरकार की औद्योगिक नीति ज्यादा अच्छी है।

**श्री किशोरी श्याम**--मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पैसा दिया जा रहा है, वह तो ठीक है, लेकिन 5 साल चलाकर बाद में फैक्ट्री छोड़कर जो लोग चले जाते हैं, जिसमें मजदूर मारे जाते हैं, उसके लिए वह क्या कर रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष**--यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, मंत्री जी क्या जवाब दें ?

श्री किशोरी श्याम--उद्योग में जो फैक्ट्री खड़ी की जाती है और फैक्टरी में काम होता है, किन्तु 5 साल चलाकर, सेल्स टैक्स का लाभ उठाकर उद्योगपति भाग जाते हैं, इसके लिए वह क्या उपाय कर रहे हैं ? उसको रोकेंगे या नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कुंवर सिंह नेगी- मंत्री जी ने बताया कि अब पर्वतीय क्षेत्र में 35 प्रतिशत पूंजी उपादान की व्यवस्था कर दी गयी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह केन्द्रीय पूंजी उपादान की व्यवस्था थी 30-9-88 में समाप्त कर दी गयी है, लेकिन आपने अभी देना शुरू नहीं किया है, तो 30-9-88 से आपकी जब तक लागू नहीं होती है, इस बीच की अवधि के लिए क्या आप उद्यमियों को देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि 30-9-88 तक जिन इकाइयों ने प्रभावशाली ढंग से कदम उठाए हैं, उनके सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार से करा ली जाए। तो इस बारे में केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 35 प्रतिशत उपादान की व्यवस्था है और 30-9-88 से पहले जो सब्सिडी मिलती थी, बन्द कर दी गयी है। पर्वतीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उद्योग होटल उद्योग है, उसके सम्बन्ध में जो सब्सिडी मिलती थी, उस पर मैं यह जानना चाहता हूं कि वह 35 प्रतिशत एक उद्योग के लिए है या विभिन्न उद्योगों के लिए है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--यह अपने विभिन्न चरण में हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं और फिर अब तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की उद्योग नीति में परिवहन पर भी विशेष छूट का प्राविधान किया गया है ।

श्रीमती सरस्वती तिवारी--अक्टूबर, 88 से मार्च, 89 तक केन्द्र सरकार ने इकाईयों को सब्सिडी देना बन्द कर दिया था । क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस बीच में (अक्टूबर, 88 से मार्च, 89 तक) राज्य सरकार स्टेट सब्सिडी देनी जैसे कि गुजरात, बिहार राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टेट सब्सिडी दी जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार स्टेट सब्सिडी देगी, मुख्य प्रश्न यही है ना ?

श्रीमती सरस्वती तिवारी--जी मान्यवर, जिन उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं ने स्वीकृति दे दी है, क्या उनको गुजरात, बिहार जैसे राज्यों की तरह सब्सिडी दी जायेगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--मान्यवर, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 30-9-88 तक जिन इकाईयों ने प्रभावशाली कदम उठा लिये हैं उनके बारे में केन्द्र से आग्रह किया गया है क्योंकि यह योजना 30-9-88 को समाप्त हो जायेगी और उसके पहले जिन इकाईयों ने प्रभावशाली कदम उठा लिये हैं उनके बारे में केन्द्र को पत्र लिखा गया है कि उनको भी इस तरह की धनराशि दें ।

**श्री कुंवर सिंह नेगी**—मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 30-9-88 को केन्द्रीय उपादान बन्द हो जायेगा और नयी नीति अभी तक लागू नहीं हुई है, इस बीच उन उद्यमियों को, जिन्होंने वहां उद्योग लगाये हैं, उनको किस तरह से आप अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**—मान्यवर, इस पर देख लेंगे कि क्या हो सकता है।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होकर बोलने पर)

**श्री उपाध्यक्ष**—अब मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप लोग सो-सोकर जाग रहे हैं।

**श्री जसवन्त सिंह विष्ट**—मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में लोग सब्सिडी के लिए उद्योग लगाते हैं और सब्सिडी मिलने के बाद उद्योग बन्द कर देते हैं। तो इस बारे में एक बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही आप कर रहे हैं।

(मन्त्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया)

**श्री उपाध्यक्ष**—इससे प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय विष्ट जी आप बैठ जायें।

***6—श्री रामप्रसाद सिंह**—

(4थे बुधवार में ता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**ओबरा तापीय परियोजना तथा आनपारा तापीय परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता तथा इसमें वृद्धि किये जाने की मांग**

***7—श्री विजय सिंह**—क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओबरा तापीय परियोजना और आनपारा तापीय परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः क्या है और इन दोनों परियोजनाओं की प्रति दिन का औसत बिजली उत्पादन क्या है ? इन पावर स्टेशनों में क्षमता से कम बिजली उत्पादन के क्या कारण हैं तथा उनको दूर करने के कौन से उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**—ओबरा तथा आनपारा तापीय विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता निम्नवत् है :—

| विद्युत गृह | अधिष्ठापित क्षमता मेगा वाट | अवक्षरित क्षमता मे0 वा0 |
|---|---|---|
| ओवरा | 1550 | 1482 |
| आनपारा | 630 | 630 |

उपरोक्त परियोजनाओं का प्रतिदिन औसत विद्युत उत्पादन निम्नवत् रहा :—

| | अप्रैल 1990 | मई 1990 | जून (अनन्तिम) 1990 |
|---|---|---|---|
| ओबरा | 21.04 | 20.29 | 22.11 मि0यू0 |
| आनपारा | 11.52 | 9.99 | 9.72 मि0यू0 |

उपरोक्त विद्युत गृहों में माह अप्रैल, 1990 से जून, 1990 तक के त्रैमास में विद्युत उत्पादन सामान्यतया संतोषजनक रहा, यद्यपि मैसर्स कोल इन्डिया द्वारा इस अवधि में इन परियोजनाओं हेतु कोयले की समुचित आपूर्ति सुलभ न करायी जा सकी।

इन परियोजनाओं को कोयले की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु कोल इण्डिया से उच्च स्तर पर निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है।

**श्री विजय सिंह**--मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उत्पादन क्षमता है यह इन्होंने मेगावाट में बताई है और प्रतिदिन का औसत उत्पादन जो है वह मिलियन यूनिट में बताया है, तो यह मिलियन यूनिट में बताने के क्या कारण हैं ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, उत्पादन मेगावाट में होता है और विद्युत का वितरण मिलियन यूनिट में होता है। यह अलग-अलग इकाई है। माननीय सदस्य चाहें तो गुणा भाग करके इसको अलग-अलग कर सकते हैं।

**श्री सत्य प्रकाश विकल**--उत्पादन क्षमता और प्रतिदिन के उत्पादन की औसत दोनों का वर्णन किया गया है और जो मूल प्रश्न था, क्षमता और उत्पादन में अन्तर है, इसके क्या कारण हैं ? इसका कहीं उत्तर में जिक्र नहीं किया गया है, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्पादन क्षमता और औसत बिजली जो उत्पादित हो रही है, उसका पूरा उत्पादन क्या है ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--ओबरा में 1550 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है ओबरा में 50·50 मेगावाट की दो मशीनें हैं जिनकी 40-40 मेगावाट की क्षमता है। 1482 मेगावाट अवक्षरित क्षमता है। 57-58 फीसदी लोड फैक्टर है, जो उत्पादन कम हो रहा है उसका कारण यह है कि पहले दो-तीन महीने कोल इण्डिया से कोयला नहीं मिल पाया। पैसे की वजह से कुछ विवाद था, तो इसमें प्रयास किया गया है कि इसमें कोयला मिल जाए। पहले इसमें घटिया स्तर का कोयला मिल रहा था, अब इसमें अच्छा कोयला मिल सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बीना कोयले की खान में भी कोयले के उत्पादन में कमी आई तो इसमें भी प्रयास किया जा रहा है।

**श्री विजय सिंह**--ओबरा और आनपारा तथा रेनू सागर पावर कम्पनी में एक ही कोयला सप्लाई होता है रेनू सागर पावर कम्पनी की क्षमता 100 फीसदी है लेकिन ओबरा और आनपारा की क्षमता 50-50 फीसदी है इसके क्या कारण हैं ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--दूसरे बिजली घरों में, उत्पादन ग्रहों में जो इन्होंने बताया है, इनकी जानकारी सही है और यह भी सही है कि ओबरा और आनपारा का जितना विद्युत उत्पादन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है, वह, यह भी जानते हैं कि हमारा पी0एल0एफ0 उनसे कम है।

**जनपद खीरी के थाना निघासन के ग्राम सभा दौलतपुर के कतिपय परिवारों के साथ पुलिस ज्यादतियों का पूर्ण विवरण देने की मांग**

*8. **श्री निरवेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)**--क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की पुलिस श्री भवानी निवासी नौगवां ग्राम सभा दौलतपुर व अन्य परिवारजनों को जिनमें महिलायें भी शामिल थीं, को 13/14 मार्च, 1090 को पकड़ कर थाने पर लायी तथा उनको मारा-पीटा और एक आपराधिक मुकदमा कायम करके छोड़ दिया गया ? क्या यह सच है कि उक्त पीड़ित व्यक्तियों ने पुलिस बर्बरता की विस्तृत जानकारी पुलिस अधीक्षक,

खीरी को दी है किन्तु दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--दिनांक 13.3.90 को श्री मुल्लू निवासी ग्राम बिचपुरी मजरा दौलतापुर ने थाना निघासन पर सूचना दी कि वह तथा उसका पुत्र राम गुलाम मजदूरों को लेकर जब डनलप से गन्ना बोने के लिये खेत ग्राम नौगांव जा रहे थे, तब भवानी पुत्र मायाराम व उसके अन्य साथियों ने डनलप को घेर लिया है। इस सूचना पर एक उप निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर गये और पाया कि भवानी व उनके शसस्त्र साथी राम गुलाम पुत्र मुल्लू व उसके मजदूरों को घेरे हुये है। वह लोग मुल्लू के बोरिंग के पाइप को काट चुके थे। पुलिस को देखकर भवानी व उनके समर्थक भागे। पुलिस ने भवानी के पक्ष के 6 व्यक्तियों को तथा दूसरे पक्ष के राम गुलाम पुत्र मुल्लू को धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया। दोनों पक्षों का द0प्र0स0 की धारा 107/116 के अन्तर्गत चालान किया गया।

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस कर्मियों ने अभियुक्तों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और न ही भवानी के परिवार तथा महिलाओं को थाने पर लाकर उनके साथ मारपीट की गयी।

यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त अभियुक्तों को थाने से मुकदमा कायम करके छोड़ दिया गया, अपितु दोनों पक्षों के विरूद्ध चालानी रिपोर्ट परगनाधिकारी निघासन के न्यायालय को दिनांक 14-3-90 को भेजी गयी जहां से दोनों पक्षों के व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा गया। इस संबंध में भवानी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, खीरी को दिया गया जिसकी क्षेत्राधिकारी धौरहरा द्वारा जांच कराये जाने पर, प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। जांच से पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाये गये अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*9--**श्री अनुग्रह नारायण सिंह**
(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

*10--**श्री रविदास मेहरोत्रा**
(5वें बुधवार के लिए स्थगित)

*11--**श्री रवीन्द्र शुक्ला**
(दि0 5-7-90 को ता0 प्र0 सं0 20 द्वारा उत्तरित)

*12--**श्री रघुवर दयाल वर्मा**
(5वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)।

## जनपद वाराणसी में दिसम्बर 1989 से अप्रैल 1990 के मध्य अपराधिक मामलों की जानकारी

*13--**श्री ऊदल**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में दिसम्बर, 89 से 6 अप्रैल, 90 तक थाना वार, कितने कत्ल, डाकें, राहजनी एवं लूट की घटनायें हुयी है ? क्या यह सही है कि वाराणसी में शान्ति और व्यवस्था की बिगड़ती हुई

स्थिति के संबंध में दिनांक 5·4·90 को प्रश्नकर्ता ने मा0 मुख्य मंत्री को पत्र दिया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री शत्रुद्रप्रकाश**--प्रश्न में उल्लिखित अवधि में अंकित अपराधों से संबंधित सूची संलग्न है । जी हां । पत्र एवं संलग्न ज्ञापन पर जांच कराई गई। पत्र में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक (देहात) के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है न ही प्रश्न- कर्ता ने आरोपों का कोई आधार दिया है। श्री जे0 पी0 राय, पुलिस उप महानिरीक्षक तथा श्री एस0 के सिंह, पुलिस अधीक्षक (देहात) का वाराणसी से स्थानान्तरण हो चुका है ।

(देखिये नथी 'क' आगे पृष्ठ :--196 पर)

**श्री ऊदल**--मान्यवर, इस बात को देखते हुये कि वाराणसी एक धार्मिक नगरी है और वहां लाखों आदमी बाहर से भी आते हैं तथा कभी-कभी वहां धार्मिक उन्माद भी बढ़ जाता है, और इस बात को भी देखते हुये कि अप्रैल तक वहां बहुत ज्यादा हत्यायें हुयी हैं और अप्रैल के बाद भी बहुत ज्यादा हत्यायें हो रही हैं तो क्या मंत्री जी इस सभी प्रश्नों को देखते हुये इसकी पूरी जांच कराकर और जो वहां के एस0एस0पी0 हैं, चूंकि उनका कार्यकाल अच्छा नहीं है, इसलिये उनको वहां से हटाकर कोई दूसरा अच्छा एस0एस0पी0, ढूढकर वाराणसी की नगरी की महानता को देखते हुए, वहां भेजने की कृपा करेंगे ?

**श्री शत्रुद्र प्रकाश**--मान्यवर, इस संबंध में स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन वाराणसी कचहरी में किया था और मा0 ऊदल जी ने एक पत्र भी लिखा था और उसका परीक्षण नगर पुलिस अधीक्षक से कराया गया । वहां पर इस दौरान जो अपराध हुये हैं उनमें कई मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और कुछ मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हुये हैं। कुछ दिनों पहले वहां हत्या की काफी वारदातें हुयी हैं। मान्यवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संबंध में जो उनका ख्याल है उसके बारे में उनसे वार्ता कर ली जायगी और वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने, हत्याओं को रोकने के लिये जो अभी कदम उठाने के लिये उनके सुझाव होगें उसके अनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये जायेंगे ।

***14--श्री कल्यान सिंह--**

[10 वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## वर्तमान विधान सभा के सदस्यों को भवन आवंटित किये जाने की प्रक्रिया

***15--श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट (अनुपस्थित)**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दसवीं विधान सभा के लिये निर्वाचित विधायकों को आवास के आवंटन की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ? क्या समस्त विधायकों को आवास आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--नवम्बर, 1989 में गठित विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों को यथा संभव उनके क्षत्र से पराजित पूर्व विधायकों (पार्क रोड/ओ0सी0 आर0 को छोड़कर ) के कक्ष सामन्य तौर पर आवंटित किये गये ।

जी नहीं ।

आवंटन के समय कुछ मा0 सदस्यों ने आवास लेने से मना किया था परन्तु अब उन्होंने आवास आवंटन हेतु आवेदन दिया है। तथा कुछ मा0 सदस्यों की सुविधा का आवास उपलब्ध न होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका।

**कृषि विपणन विभाग एवं मण्डी परिषद के कर्त्तव्य एवं दायित्वों को अलग-अलग किये जाने की मांग**

*16--**श्री ओम प्रकाश गुप्ता**--क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग के प्रतिवेदन 1976 भाग-2, पृष्ठ-171, प्रस्तर-56-6-8 के आधार पर शासनादेश संख्या-3306 दिनांक 14-7-76 द्वारा मार्केटिंग विभाग का एक अलग निदेशालय बनाया गया है तथा माह फरवरी, 1984 में जयपुर (राजस्थान) में हुई द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला में मण्डी परिषद् व कृषि मार्केटिंग विभाग के कार्यों एवं दायित्वों को अलग-अलग किये जाने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उसी के अनुरूप प्रदेश सरकार मण्डी परिषद् एवं कृषि मार्केटिंग विभाग के कर्तव्यों एवं दायित्वों को अलग-अलग करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मोहम्मद आजम खां**--जी हां। जी हां। कृषि विपणन विभाग एवं मण्डी परिषद् के कर्तव्य एवं दायित्व अलग-अलग निर्धारित हैं।

(तारांकित प्रश्न संख्या 16 पुकारा गया किन्तु श्रममंत्री श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा किसी अन्य प्रश्न का उत्तर दिया गया)

**श्री ओम प्रकाश गुप्त**--मान्यवर यह हमारे प्रश्न से संबंधित नहीं है।

**श्री प्रमोद कुमार**--मान्यवर, इस सरकार की कार्य प्रणाली देख लें। मा0 सदस्य उनके दल के हैं। उनके प्रश्न का उत्तर कुछ और दे रहे हैं। आप मंत्रियों को समझाइये कि होसो हवास में रहा करें। मंत्रियों का ध्यान सदन में नहीं रहता है आपसी उठा-पटक में रहता है।

**श्री उपाध्यक्ष**--माननीय मंत्री जी प्रश्न संख्या 16 का उत्तर दें।

(प्रश्न का उत्तर मा0 श्रम मंत्री जी द्वारा दिये जाने पर)

**श्री उपाध्यक्ष**--मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

**श्री मोहम्मद आजम खां**--मान्यवर, मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष**--ठीक है, उत्तरित मान लिया गया, उन्होंने कोई प्रश्न भी नहीं किया है।

**कुमाऊं क्षेत्रों में विद्युत लाइनों के रख-रखाव हेतु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग**

*17--**श्रीमती सरस्वती तिवारी**--क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि कुमायूं क्षेत्र में विद्युत लाइनों के रख-रखाव हेतु नियुक्त कर्मचारी की संख्या राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित

मापदण्डों से अत्यधिक कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में लाइनों के रख-रखाव व बिलिंग हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नियुक्तियां यथाशीघ्र करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--इस संबंध में सम्पूर्ण स्थिति का आंकलन उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा गठित जनगणना समिति द्वारा किया जा रहा है। आंकलन के उपरान्त में कर्मचारियों की कमी पाये जाने की दशा में उनकी पूर्ति कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्रों के कर्मचारियों से की जायेगी।

**श्रीमती सरस्वती तिवारी**--माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि आपने इस संबंध में उत्तर दिया कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा गठित "जनगणना समिति" द्वारा आंकलन किया जा रहा है मैं जानना चाहती हूं कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ? जहां तक मुझे सुनिश्चित जानकारी है, यह विद्युत परिषद् द्वारा आंकलन पहले ही मिल गया था, यह दुबारा आंकलन कब तक पूरा हो जायगा ? दूसरा आपने लिखा है कि आंकलन के उपरान्त कर्मचारियों की कमी पाये जाने की दशा में उनकी पूर्ति कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्रों के कर्मचारियों से की जारही है। मान्यवर, कुमायूं मण्डल में कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये कर्मचारी बहुतायत में हैं ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, अभी जनगणना समिति के द्वारा यह आंकलन कराया जा रहा है और इस संबंध में एक रामदत्त गौड़, सचिव ने 21 दिसम्बर, 1989 को एक कार्यालय ज्ञाप भी प्रस्तुत किया था और इसके पहले संत कुमार अग्रवाल थे, उन्होंने 4 मई को प्रस्तुत किया था, इसके बाद इसमें कार्यवाही कराई जा रही है और आंकलन की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई और इसको भी देखा जा रहा है कि कहां पर बाहुल्य है।

**श्रीमती सरस्वती तिवारी**--मान्यवर, कुमायूं मण्डल का यह प्रश्न था, कुमायूं मण्डल का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, जहां पर कर्मचारियों का बाहुल्य है ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, इसी की जानकारी करा रहे हैं ?

**श्रीमती सरस्वती तिवारी**--मान्यवर, कौन सी जानकारी करा रहे हैं ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी करा रहे हैं।

**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी (गढ़वाल)**--मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पौड़ी गढ़वाल में 14 अवर अभियंताओं के पद रिक्त हैं, जिसके कारण वहां पर विद्युत कार्य हो नहीं पा रहा है, वे रिक्तियां कब तक भरी जायेंगी ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, बहुत जल्दी ही भरी जायंगी।

**ग्राम भागीरथ पुरवा मजरे सिरौली कलां थाना रामनगर जिला बाराबंकी अन्तर्गत निवासी गजोधर की पुलिस की पिटाई से जेल में मृत्यु की शिकायत**

*18--**श्री रतन लाल उर्फ दीना**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भागीरथ पुरवा मजरे सिरौली कलां थाना रामनगर जनपद बाराबंकी निवासी गजोधर पुत्र बुद्धू हरिजन की दिनांक 13·10·89 को थाना रामनगर बाराबंकी के एस0आई0 रामप्रकाश पाण्डेय तथा सिपाही राम बिलास मिश्रा द्वारा की गयी निर्मम पिटाई से हुयी जेल में मृत्यु के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

**श्री शतरूद्र प्रकाश**---प्रकरण की जांच विशेष जांच द्वारा की जा रही है। जांच अभी प्रचलित है। जांचोपरान्त मामले में यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री रतन लाल उर्फ दीना**---मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच किस निश्चित निर्धारित समय तक हो जायगी । (2) मान्यवर, मृतक के बच्चे दर-दर भटक रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी शासन द्वारा कोई उनकी सहायता करने की कृपा करेंगे ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**---मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, इसमें शासन को काफी तथ्य मिल रहे हैं, इस संबंध में यह भी सही है कि अभियुक्त (इस समय 12 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए) 13·10·89 को जो एफ0आई0आर0 लिखायी गयी उसके बाद चोरी की घटना में और तमाम घटनाओं में आर्म्स एक्ट में भी पकड़ा गया, इसकी जांच करायी जा रही है और जल्दी ही इसमें जो उचित प्राविधान होगा वह कर दिया जायेगा । एक और जांच करायी जा रही है कि जो चोट लगी थी उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसमें अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। इसलिए इसके बारे में विधि चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी और उन की रिपोर्ट प्राप्त होते ही उचित कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ प्रश्न पूछने की अनुमति मांगनेपर व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**---एक माननीय सदस्य होते तो मान भी लेता, 7·8 मा0 सदस्य खड़े हैं ।

(व्यवधान)

**श्री विजय सिंह राणा**---मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**श्री शिव करन सिंह**---मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो दोषी कर्मचारी हैं जिनके नाम दिये गये हैं उनको थानों से हटा दिया गया है, या हटा दिया जायेगा ।

**श्री शतरुद्र प्रकाश**---मान्यवर, प्रश्न दुहरा दें ।

---

नोट :---नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

**श्री शिव करन सिंह**--मान्यवर, जो दोनों कर्मचारियों के नाम दिये गये हैं आर0 पी0 पाण्डे और राम विलास मिश्रा, क्या इन दोनों को थाने से हटा दिया गया है यदि नहीं तो कब तक हटा दिया जायेगा ?

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--मान्यवर, जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार इन दोनों को हटा दिया गया है ।

**श्री देवेन्द्र सिंह**--मान्यवर, मेरा नाम आपने पुकारा था ।

**श्री अध्यक्ष**--अब तो समय समाप्त हो गया है, 12.20 के बाद प्रश्न नहीं हो सकते हैं ।

**ललितपुर जनपद में नदियों के जल से सिंचाई हेतु नदियों के किनारे विद्युत तार बिछाने की योजना को लागू करने की मांग**

*19--**श्री देवेन्द्र कुमार सिंह**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में नदियों के जल से सिंचाई हेतु नदियों के किनारे विद्युत लाइन डलवाने की योजना शासन के विचाराधीन है जिससे नदियों के जल का पूर्ण उपयोग हो सके ? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। इस संबंध में एक प्रस्ताव जिला विकास अधिकारी ललितपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है ।

प्रस्ताव के स्वीकृत होने एवं वांछित धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ करना संभव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**फर्रुखाबाद की तहसील सदर के परगना परमनगर में आवारा पशुओं से होने वाली हानियों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग**

*20--**श्री विमल प्रसाद तिवारी**--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की तहसील सदर के परगना परमनगर में आवारा गायें लगभग पचास लाख रुपये मूल्य की फसल प्रति वर्ष खा जाती हैं ? यदि हां, तो फसल को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद फर्रुखाबाद की तहसील सदर के परगना परमनगर के कुछ ग्रामों में नील गायों एवं छुट्टा गायों से फसल को अनुमानित 35-36 लाख रुपये की हानि प्रति वर्ष होती है। नील गायें वन्य संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची -3 में शामिल हैं और इनसे होने वाली फसलों की हानि को बचाने के लिए वन विभाग के परिपत्र संख्या-1024/14-3-11/80, दिनांक 17-4-90 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पुनः निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

जहां तक छुट्टा गायों से फसलों को होने वाली हानि का सम्बन्ध है, इसके लिए कांजी हाऊस की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है ।

अतारांकित प्रश्न

**बांदा जनपद के बिसण्डा थाना में ग्राम सिलाथू के श्री बाला प्रसाद की पत्नी की हत्या का विवरण एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग**

1---**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**--- क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के बिसण्डा थाना अन्तर्गत ग्राम सिलाथू के श्री बाला प्रसाद की पत्नी की हत्या माह जून अथवा जुलाई, 1989 में दहेज प्रकरण को लेकर कर दी गयी ? यदि हां तो मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है तथा मृत्यु का कारण क्या है ? थाने में रिपोर्ट दर्ज न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुयी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बांदा के बिसण्डा थाने के अन्तर्गत ग्राम सिलाथू के श्री बाला प्रसाद की पत्नी श्रीमती सुरेशा की मृत्यु जुलाई, 1989 में बीमारी के कारण हुयी थी । मृतका के पिता, भाई या मायके के लोगों ने तथा ससुराल पक्ष अथवा अन्य किसी ने मृत्यु की सूचना थाना बिसण्डा पर नहीं दी । मृत्यु के उपरान्त दहेज प्रकरण की कोई शिकायत किसी अधिकारी से नहीं की गई है । अतः शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम नहीं हुआ ।

चूंकि इस संबंध में किसी पक्ष द्वारा थाने पर कोई सूचना नहीं दी गयी थी अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

**बांदा जनपद की नरैनी तहसील मुख्यालय पर अग्निशामक केन्द्र अथवा उपकेन्द्र खोलने की मांग**

2---**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी तहसील मुख्यालय में अग्निशामक केन्द्र अथवा उपकेन्द्र खुलने के लिए प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह अग्निशामक केन्द्र कब तक स्थापित हो जायेगा ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---तहसील नरैनी जनपद बांदा में अग्निशामक केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था । सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में इस प्रस्तावित स्थान पर अग्निशामक केन्द्र अथवा उप-केन्द्र खोले जाने का औचित्य सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, नहीं पाया गया है ।

**बांदा जनपद में प्रस्तावित पुलिस चौकियों का विवरण**

3---**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में पुलिस चौकियां स्थापित की जानी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां तथा वह कब तक स्थापित कर दी जायेंगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां ।

जनपद बांदा में निम्नलिखित 23 स्थानों पर पुलिस चौकियां स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं :--

| क्र0सं0 प्रस्तावित चौकी का नाम | प्रस्तावित चौकी का थाना |
|---|---|
| 1--बड़ागांव | बिसण्डा |
| 2--सिंहपुर | पहाड़ी |
| 3--दादों | कमासिन |
| 4--रूकमा खुर्द | कर्वी |
| 5--सढ़ा | कालिंजर |
| 6--खमटिया कलां | पैलानी |
| 7--भरतकूप | बदोसा |
| 8--इटावाडुढ़ेला | मानिकपुर |
| 9--सरधुवा | राजापुर |
| 10--भुइयारानीपुर | मानिकपुर |
| 11--औगासी | मार्का |
| 12--चिल्लीमल | कमासिन |
| 13--बहेरी | गिरवां |
| 14--अकबरपुर | ,, |
| 15--पुकारी | नरैनी |
| 16--पुलिस लाइन चिल्ला | कोतवाली |
| 17--खाईपार | ,, |
| 18--पौहार | बदौसा |
| 19--टिव्हरा | ,, |
| 20--रामनगर | रैपुरा |
| 21--कोटा कटैला | मानिकपुर |
| 22--जामू | कमासिन |
| 23--गोपरा | कालिंजर |

शीघ्र ही ।

**वाराणसी जिले के विकास खण्ड बड़ागांव के गांव कूडी में खराब ट्रान्सफार्मर की मरम्मत की मांग**

4--**श्री ऊदल** --क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कूडी ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में एक ट्रान्सफार्मर दो तीन माह से जल गया है ? यदि हां, तो अब तक ट्रान्सफार्मर न लगाये जाने का क्या कारण है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां । ग्राम कूडी में लगा हुआ 63 के0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर 4-12-89 को खराब हो गया था ।

ट्रान्सफार्मर दिनांक 31 जनवरी, 1990 को लगाकर चालू कर दिया गया है ।

**दिनांक 20 फरवरी 1989 को विधान भवन के गेट नम्बर 8 पर सुरक्षा गार्ड एवं सैंडो के बीच हुई झड़प की रिपोर्ट पर कार्यवाही**

5---**श्री रामचन्द्र बख्श सिंह**--क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 20-2-1989 को पूर्वाह्न 11.50 बजे गेट नं0 8 पर तैनात विधान भवन रक्षक की किसी मंत्री के शैडो से गेट पास मांगे जाने पर शैडो ने विधान भवन रक्षक की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी और इस संबंध में विधान भवन रक्षक ने कोतवाली हजरतगंज में रिपोर्ट अंकित कराई थी ? यदि हां तो उक्त शैडो को अब तक गिरफ्तार कर जेल न भेजे जाने का क्या कारण है और उसे कब तक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20-2-89 को पूर्वान्ह 11.50 बजे श्री विनोद कुमार, विधान भवन रक्षक, उ0 प्र0 सचिवालय द्वारा तत्कालीन मा0 सिंचाई मंत्री, के साथ तैनात हेड कानि0 श्री हरपाल सिंह से सचिवालय प्रवेश-पत्र मांगे जाने पर हेड कान्स्टेबिल द्वारा उनसे गाली-गलोज करने तथा रिवल्वर निकाल कर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट थाना हजरतगंज पर की गई, जिस पर मु0 अ0 सं0 182/89, धारा 353/332/504/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान संबंधित गवाहों ने न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल करते हुए प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य देने से इन्कार किया जिसके कारण साक्ष्य के अभाव में विवेचना दिनांक 7-4-89 को अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। अतः साक्ष्य के अभाव में उक्त शैडो के विरूद्ध अपराध प्रमाणित न होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया।

**जनपद वाराणसी के थानों में तैनात वर्णवार निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों की संख्या तथा अनुसूचित जाति की कम संख्या की शिकायत**

6---**श्री राज किशोर सिंह**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के थानों में कार्यरत प्रभारी निरीक्षकों व थानाध्यक्षों में से कितने-कितने व्यक्ति सवर्ण जाति के है ? कितने पिछड़ा जाति के, कितने अनुसूचित जाति के और कितने अल्पसंख्यक जाति के हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वाराणसी जनपद के थानों में नियमानुसार अनुसूचित जाति के कितने थाना इन्चार्ज बनाये गये हैं और वे किन-किन थानों में कार्यरत हैं ? क्या यह सच है कि वाराणसी जनपद में थानाध्यक्षों व प्रभारी निरीक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे की उपेक्षा की गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद वाराणसी में नियुक्त 10 प्रभारी निरीक्षकों में 8 सवर्ण, एक पिछड़ी जाति तथा एक अनुसूचित जाति एवं नियुक्त 30 थाना इन्चार्ज में से 22 सवर्ण, 2 पिछड़ी जाति, 3 अनुसूचित जाति तथा 3 अल्प संख्यक जाति के हैं। वर्तमान समय मे जनपद वाराणसी में आरक्षण कोटे के अनुसार 4 अनुसूचित जाति के थाना इन्चार्ज नियुक्त हैं जो क्रमशः थाना भदोही, बबुरी, बलुवा तथा चौरी में कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

7---**श्री कुंवर सिंह नेगी**--[6 वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**राज्य विद्युत परिषद में अधीक्षण अभियंताओं के स्थानान्तरण नीति की जानकारी एवं हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) की तैनाती अधिक समय से होने की शिकायत**

8---**श्री बसन्तलाल गुप्ता**--क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की क्या नीति है ? क्या शासन/परिषद् हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) में विगत 5 वर्षों से अधिक अवधि से तैनात अधीक्षण अभियन्ताओं का परियोजना से बाहर स्थानान्तरित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--इस संबंध में परिषद् की स्पष्ट नीति निर्धारित है जिसमें निहित प्राविधानों के अनुसार अधीक्षण अभियन्ताओं का स्थानान्तरण उनके अनुभव, रूझान, प्रबन्धकीय एवं अन्य योग्यताओं व परिषद् की आवश्यकता को दृष्टिगत कर किया जाता है। वितरण व्यवस्था में नियुक्त अधीक्षण अभियन्ताओं का जिनका सीधा सम्पर्क उपभोगताओं से है अथवा जो लोग क्रय-विक्रय एवं भण्डार के कार्यों से संबंधित हैं, उन्हें 3/4 वर्ष के अन्तराल पर स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है।

हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह में केवल तीन अधीक्षण अभियंता ऐसे थे जिन्होंने 31-3-90 तक वहां 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूर्ण कर लिया था। सत्र 1990 में उन तीनों अधीक्षण अभियंताओं को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**ग्राम गौसगंज कहली विकास खण्ड कछौना जनपद हरदोई में विद्युत आपूर्ति की मांग**

9---**श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गौसगंज कहली, विकास खण्ड कछौना जनपद हरदोई में बिजली के खम्भे गड़े हैं और तार नहीं है ? इन गांवों में विद्युत आपूर्ति कब तक शुरू हो जायेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--11 के0 वी0 सण्डीला-बांगरमऊ फीडर पर स्थित ग्राम हसनापुर से गौसगंज तक 4·685 कि0मी0 लम्बी लाइन के तार बहुत पहले चोरी हो चुके हैं। इस लाइन से 18·9·82 को ग्राम गौसगंज का विद्युतीकरण किया गया था तथा ग्रामवासियों ने कोई कनेक्शन नहीं लिया था।

उपरोक्त 11 के0वी0 लाइन का तार लगाकर जीर्णोद्धार एवं गौसगंज तथा निकटवर्ती ग्रामों में विद्युत आपूर्ति तभी की जा सकती है जब पर्याप्त मात्रा में ग्रामवासी कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र देकर अनुबन्ध कर लें और 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ सुनिश्चित हो जाए।

**विकास खण्ड बेहदर जिला हरदोई के ग्राम रसूलपुर बभनान में विद्युतीकरण कराये जाने की गलत रिपोर्ट की शिकायत**

10 **श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बेहदर जनपद हरदोई के ग्राम रसूलपुर बभनान में विद्युतीकरण का होना कागज पत्र में दिखलाया गया है मगर उक्त गांव में अभी तक बिजली के खम्भे ही नहीं लगे हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक उक्त गांव में विद्युतीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जिस समय ग्राम रसूलपुर ब्रम्हनान का मार्च, 1985 में विद्युतीकरण किया जा रहा था, वहां के ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र पाल ने रसूलपुर ब्रम्हनान की जगह उससे सट हुए उसके मजरे माखन खेड़ा को ग्राम सभा बताकर विद्युतीकरण करा लिया और लिखित रूप में दे दिया कि ग्राम रसूलपुर ब्रहम्नान का विद्युतीकरण हो गया है।

अब ग्राम रसूलपुर ब्रहम्नान का विद्युतीकरण वहां के निवासियों से पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त होने और अनुबन्ध करने पर 15 प्रतिशत प्रतिलाभ के आधार पर किया जा सकता है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद में विद्युतीकरण की मांग**

11--**श्री नजमउद्दीन**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षत्र 274 नवाबगंज, इलाहाबाद के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? इनका लक्ष्य क्या था उसके विरूद्ध उपब्धि क्या रही ? उक्त समस्त गांवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद में पड़ने वाले विकास खण्ड कौड़िहार, होलागढ़ और सोरांव के कुल 315 ग्रामों में से 251 ग्रामों का एल0 टी0 मेंस बिछाकर विद्युतीकरण किया जा चुका है।

उक्त विकास खण्डों में 9 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध 3 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सका।

उक्त विकास खण्डों के शेष 64 ग्रामों का विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में वार्षिक लक्ष्यों के अन्तर्गत संभव हो सकेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**जनपद उन्नाव, माह मार्च, 1990 से अप्रैल, 1990 के मध्य पुलिस महानिरीक्षक को औरास पुलिस के विरूद्ध मिली शिकायतों का विवरण**

12--**श्री हृदय नारायण दीक्षित**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के औरास पुलिस के संबंध में कितने शिकायती पत्र माह मार्च, अप्रैल, 90 में लखनऊ परिक्षेत्र के उप पुलिस महानिरीक्षक को जनता या जन प्रतिनिधियों ने दिये हैं ? कितने शिकायती पत्र जनता या उन प्रतिनिधियों ने एस0 पी0 उन्नाव को प्रेषित किये हैं ? क्या दिनांक 19-4-90 को प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित श्री अशर्फीलाल मदारी खेड़ा थाना औरास का एफ0 आई0 आर0 न दर्ज करने और अपराध को छिपाने विषयक पत्र उप पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र को मिला है ? यदि हां, तो जांच के नतीज क्या है और दोषी व्यक्ति को क्या सजा दी गयी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद उन्नाव के थाना औरास पुलिस के संबंध में माह मार्च, अप्रैल, 90 में पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षत्र को 4 शिकायती पत्र जनता या जनप्रतिनिधियों के प्राप्त हुये।

पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को जनप्रतिनिधियों से 6 शिकायती पत्र प्राप्त हुये। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अशर्फी लाल का प्रार्थना-पत्र गेहूं की फसल चोरी कर लेने के आरोप से सम्बन्धित था। प्राप्त पत्र पर मु0 अ0 सं0- 59/90 के अन्तर्गत धारा 379 भा0दं0वि0 थाना औरास में पंजीकृत कर विवेचना की गयी। विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-39 दिनांक 16-5-90 न्यायालय को प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। किसी को सजा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

**अधिशासी अभियंता, जनपद जालौन द्वारा विद्युतीकरण हेतु मुख्यालय से मांगे गये तथा प्राप्त किये गये सामानों का विवरण**

13---**श्री शिवराम सिंह कुशवाहा**--- क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता जनपद जालौन ने कब और कितने विद्युतीकरण हेतु आवश्यक सामग्री मुख्यालय से मांगी है और मांग के अनुसार कितनी सामग्री उन्हें उपलब्ध हुई है ? मुख्यालय से उपलब्ध करायी गई सामग्री से क्या-क्या कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्य में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड जालौन को वर्ष 1989-90 में उनकी मांग के अनुसार परिषद् के भण्डार संगठन द्वारा मुख्यतः निम्न सामग्री उपलब्ध कराई गई :

| | |
|---|---|
| 1. पी0सी0सी0 पोल | 2197 |
| 2. ट्रान्सफारमर | 347 |
| 3. ए0सी0एस0आर0 कंडक्टर | 335.59 कि0 मी0 |
| 4. केबिल | 1412 मीटर |

जनपद जालौन में वर्ष 1989-90 में निर्धारित निम्नलिखित कार्य कराये गये :--

| | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1. निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण | 60 | 60 |
| 2. ग्रामों का विद्युतीकरण : | -- | -- |
| (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार | 14 | 14 |
| (ख) एल0टी0 मेंस बिछाकर | 15 | 15 |
| 3. हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण | 15 | 24 |

प्रश्न नहीं उठता।

**थाना फूलपुर, वाराणसी में स्थान कुवार पर जहरीली शराब काण्ड का विवरण ।**

14--**श्री ऊदल**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान कुवार थाना फूलपुर, वाराणसी में जहरीली शराब पीने से 8 व्यक्तियों की मृत्यु मार्च, 89 में हो गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त काण्ड से संबंधित पुलिस का एक कान्स्टेबिल तथा आबकारी इन्सपेक्टर व दो आबकारी कान्स्टेबिल निलम्बित कर दिए गए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि हल्का एस0 आई0 थाना फूलपुर को न तो सस्पेंड किया गया और न ही थाना फूलपुर से हटाया ही गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इस संबंध में उस क्षेत्र के प्रधानों एवं नागरिकों की दरख्वास्त को सदस्य, विधान सभा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह ने अपने पत्र के साथ ता0 11 अप्रैल, 89 को भूतपूर्व गृहमंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और मरने वालों के आश्रितों को कितनी-कितनी सरकारी सहायता दी गयी ? क्या यह सही है कि सी0 आई0 डी0 इस मामले की जांच कर रही है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां उक्त काण्ड में पुलिस का कोई कान्सटेबिल निलम्बित नहीं किया गया था, बल्कि आबकारी विभाग के इन्सपेक्टर श्री के0 पी0 घोष व तीन आबकारी कान्सटेबिल निलम्बित किये गये । पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की जांच से सब-इन्सपेक्टर, थाना फूलपुर को दोषी नहीं पाया गया । अतः उनके विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गई और न उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया । मा0 विधायक रामचन्द्र बख्श सिंह का संदर्भित पत्र दिनांक 11-4-89 परगना मजिस्ट्रेट, वाराणसी उत्तरी को भेजा गया था । प्रश्नगत काण्ड में प्रत्येक मृतक परिवार वालों को रु0 500/- की अहेतुक सहायता जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा दी गयी है । प्रश्नगत प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है ।

**जनपद वाराणसी के पूरापुर बस्ती के विद्युतीकरण की मांग ।**

15--**श्री ऊदल**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा सिधौरा ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी का विद्युतीकरण कर दिया गया है और उसी मे सटा पुरवा (पुरापुर) का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पुरापुर बस्ती का विद्युतीकरण कराने की कृपा करेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां । नियमानुसार गांव सभा का विद्युतीकरण करते समय मुख्य ग्राम का ही विद्युतीकरण किया जाता है। ग्राम के विद्युतीकरण के साथ उसके पुरवों के विद्युतीकरण करने का कोई प्राविधान नहीं है।

**प्रदेश में टी0 एन0 वी0 योजना के लागू होने के संबंध में व्यय धनराशि का विवरण ।**

16--**श्री रामचन्द्र बख्श सिंह**--क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपने प्रदेश में टी0 एन0 वी0 योजना किन-किन जनपदों में लागू है ? इस योजना पर जिलवार कितना धन अब तक खर्च किया गया है ? क्या सरकार इस योजना की प्रगति की समीक्षा सदन कमेटी द्वारा कराने पर विचार करेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--उत्तर प्रदेश में टी० एण्ड वी० (प्रशिक्षण एवं सम्पर्क) योजना संलग्न सूची में क्रमांक 1 से 19 पर अंकित जनपदों, जिनमें 3 नवसृजित जनपद भी शामिल हैं, में चलाई जा रही है। क्रमांक 20 से 25 पर अंकित जनपदों में योजना लागू करने के आदेश हो गए हैं। स्टाफ की तैनाती के आदेश शीघ्र किए जायेंगे।

इस योजना पर संलग्न सूची में अंकित जनपदों के सम्मुख इंगित धनराशियां अब तक व्यय की गयी हैं।

जी नहीं।

( देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ:—196 पर)

**बांदा जनपद की कर्वी मण्डी समिति परिसर में किसानों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त गार्डों की व्यवस्था करने की मांग।**

17--**श्री राम प्रसाद सिंह**-- क्या सरकार को जानकारी है कि बांदा जनपद के कर्वी तहसील में कर्वी मण्डी समिति परिसर में किसानों एवं व्यापारियों की समुचित सुरक्षा के लिए पर्याप्त गार्डों की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या गार्डों की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--सुरक्षा का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय पुलिस का है। फिर भी मण्डी समिति द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था हेतु चार सुरक्षा गार्डों की तैनाती का निर्णय लिया जा चुका है और इनकी तैनाती की व्यवस्था की जा रही है।

**जनपद बांदा, मण्डी परिषद् द्वारा कृषि कार्य हेतु वितरित किये जाने वाले यंत्रों से होने वाली घटनाओं के कर्वी मण्डी समिति के समक्ष विचाराधीन मामले**

18--**श्री राम प्रसाद सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के कर्वी मण्डी समिति में मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कृषि कार्यों में संचालित यंत्रों से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में दी जाने वाली सहायता संबंधी मामले पड़े हुए हैं? यदि हां, तो कितने और कब से? क्या उन्हें शीघ्र निरस्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**-- जी हां। तीन मामले जिसमें एक मामला सितम्बर, 1989 से तथा दो मामले 1990 से लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में बीमा कम्पनी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

**जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलारियागंज के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण।**

19--**श्री पंचानन राय**--विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के संबंध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदर्शित 180 गांवों के विद्युतीकरण हेतु संसाधन कब तक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद आजमगढ़ के विकास खंड बिलारियागंज के संदर्भित 180 ग्रामों में से एक ग्राम-बारी, कोड संख्या- 642 का विद्युतीकरण दिनांक 31--03--1990 को किया जा चुका है। 179 शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधन उपलब्ध होने पर होगा।

**बरेली महानगर के बाकरगंज के रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां के ऐतिहासिक मकबरे के ढह जाने की सूचना।**

20--**डा0 दिनेश जौहरी**--क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली महानगर के बाकरगंज में स्थित रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां का ऐतिहासिक मकबरा जुलाई, 1989 में बारिश में ढह गया था जिससे एक समुदाय के असंख्य लोगों की भावनाओं को बेहद आघात लगा है ? यदि हां, तो सरकार रोहेल खण्ड के उक्त आकर्षण के केन्द्र का पुनः निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--बरेली महानगर के बाकरगंज में स्थित रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां का ऐतिहासिक मकबरा भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। उ0 प्र0 सरकार के कार्य-क्षेत्र के बाहर है।

**अयोध्या विधान सभा क्षेत्र में स्थित रसूलाबाद अयोध्या और मुजफ्फरा नाका पर विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने की योजना।**

21--**श्री जय शंकर पाण्डेय**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या विधान सभा क्षेत्र स्थित रसूलाबाद अयोध्या और मुजफ्फरा नाका पर विद्युत सब-स्टेशन बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो रसूलाबाद, अयोध्या और मुजफ्फरा नाका पर कितनी शक्ति के सब-स्टेशन बनाए जायेंगे और इनका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--केवल अयोध्या में 33/11 के0 वी0 का विद्युत उप- केन्द्र बनाया जा रहा है।

अयोध्या में 5 एम0 वी0 ए0 का विद्युत उप-केन्द्र निर्माणाधीन है और इस उप-केन्द्र का निर्माण वर्ष 1990--91 में पूरे किये जाने का प्रयास किया जावेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रसूलाबाद और मुजफ्फरा नाका में वर्तमान मे कोई उप-केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित नहीं है।

**अलीगंज के विद्युत अवर अभियंता श्री पी0 सी0 जोशी तथा लाइनमैन श्री के0एन0 सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र।**

22--**श्री देव कुमार यादव**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 33/11 के0 वी0 विद्युत उपस्थल अलीगंज के अवर अभियंता (विद्युत) श्री पी0 सी0 जोशी एवं लाइनमैन श्री के0 एन0 सिंह के विरुद्ध रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाने

हुए प्रश्नकर्ता के पत्र सहित श्री भारत सिंह यादव नि0-ई0 2/192 अलीगंज इन्दिरा नगरी लखनऊ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-2-90 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो प्रश्नगत कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां विभागीय जांच करायी गयी जिसमें श्री पी0 सी0 जोशी अवर अभियन्ता दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध रू0 2189-00 प्रकीर्ण अग्रिम डाला गया तथा उन्हें वर्ष 1988-89 अवधि के लिये निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया। इसके अतिरिक्त उनका स्थानान्तरण पनकी पावर हाऊस करके कार्य मुक्त भी कर दिया गया। जांच में श्री के0 एन0 सिंह लाइनमैन निर्दोष पाए गए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**पंजाब नेशनल बैंक झांसी के वरिष्ठ श्री कमलेश कुमार मेहरोत्रा के हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने की मांग**

23--**श्री रविदास मेहरोत्रा**--क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 28-11-89 को पंजाब नेशनल बैंक झांसी के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री कमलेश कुमार मेहरोत्रा जिनकी रूम नं0 16 गुप्ता लाज कचहरी झांसी में गला काटकर हत्या हुई थी, के हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए ? यदि हां, तो हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--श्री के0 के0 मेहरोत्रा की हत्या की घटना के संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबाद, जनपद झांसी पर मुकदमा अपराध संख्या--720/89 धारा 302 भा0दं0वि0 पंजीकृत हुआ । अभियुक्तों का पता लगाने के लिये अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जिला पुलिस के सहचार्य से विवेचना की जा रही है । अभियुक्तों का अभी तक सुराग नहीं मिला है। अतः कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है । इस हेतु पुलिस दल अनेक स्थानों एवं विभिन्न जनपदों को भेजे जा चुके है। विवेचना का निकटतम पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।

**टाऊन एरिया भारतगंज, मेजा इलाहाबाद के निवासियों को त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल दिये जाने की शिकायत ।**

24--**श्री प्रदीप कुमार यादव**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित श्री श्यामलाल, एम0 एल0 सी0 सभापति वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति का पत्र दिनांक 20-2-1990 जो कि टाउन एरिया भारतगंज, मेजा इलाहाबाद के निवासियों को त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल उपलब्ध कराये जाने संबंधी है, प्राप्त हुआ है ? क्या पत्र में उल्लिखित मुख्य बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण करा ली जायेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां । पत्र में उल्लिखित मुख्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर निम्नलिखित कार्यवाही करा ली गई है --

1--- श्री शमसुद्दीन को मीटर रीडिंग के कार्य से माह अप्रैल, 90 से हटा दिया गया है।

2 —श्री राम यज्ञ यादव के बिल को संशोधित करके उन्हें 12-6-90 को उपलब्ध करा दिया गया है ।

3--ऐसी व्यवस्था की गयी है कि बिलों के देय तिथि के पूर्व भाण्डा रोड अथवा भारतगंज में बिलों के संशोधन से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ एक पूर्व सूचित तिथि पर अधिकारी एवं कर्मचारी एक शिविर आयोजित करेंगे तथा वहीं बिलों का संशोधन करेंगे। माह जून में यह शिविर गत 25-6-90 को भारतगंज टाउन में लगाया गया जिसमें लगभग 70 उपभोक्ताओं के बिलों का संशोधन किया गया। यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

**महानगर लखनऊ में जालसाजी व ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को पकड़ा जाना तथा सम्बन्धित पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देने की मांग**

25 --**श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 फरवरी, 1990 को लखनऊ की महानगर थाने की पुलिस ने एक जालसाजी व ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को पकड़ा और लाखों रुपये का इलेक्ट्रानिक सामान बरामद किया? यदि हां, तो इस कार्य हेतु पुलिस कर्मियों को क्या इनाम दिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मुजरिमों की सूचना के आधार पर अन्य किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार की गयी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-2-90 को श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, निव सी 2/153 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा थानाध्यक्ष, महानगर को दी गई लिखित सूचना के आधार पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0 सं0 94/90 धारा 420/41/411 भा0दं0वि0 का अभियोग ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर चन्द्र अग्रवाल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा उसी दिन अभियुक्त को बन्दी बनाकर भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक का सामान आदि बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाले उप निरीक्षकों को 100-100 रुपये तथा सहयोगी आरक्षियों को 25-25 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। अभियुक्त ओम प्रकाश ने किसी अन्य अभियुक्त का नाम नहीं बताया अतः अन्य कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

**ग्राम मटहट टोला बड़हरिया थाना गुलरिया जिला गोरखपुर में 11-8-85 को प्रतिबंधित पशु की हत्या के संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी**

26--**श्री केदार नाथ सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि कुछ लोगों द्वारा ग्राम मटहटा टोला बड़हरिया थाना गुलरिहा जिला गोरखपुलर में दिनांक 11-8-85 को प्रतिबन्धित पशु की हत्या कर उसके मांस को बेचा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी और उसमें कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-8-85 को अबूबकर पुत्र नूर मोहम्मद बंजारा एवं भोला पुत्र नाथू बंजारा, निवासी मटहट टोला बड़हरिया द्वारा प्रतिबन्धित पशु (गाय) का बछड़ा चमड़ा एवं मांस बेचने हेतु बध किया गया। बध किये गये पशु का मांस बेचा नहीं जा सका। पुलिस द्वारा उसे कब्जे में लेकर थाने में जमा कर लिया गया है।

दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना गुलरिहा पर मुकदमा अपराध संख्या 87/85 धारा 5/8 गोवध अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। अभियुक्त भुवर पुत्र नूर मोहम्मद बंजारा को गिरफ्तार किया गया जबकि भोला पुत्र नाथू बंजारा ने दिनांक 3-9-85 को न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया। प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है।

**ग्राम खरहनिया तहसील तुलसीपुर जिला गोण्डा के विद्युतीकरण की योजना**

27. **श्री अमर मणि त्रिपाठी**--क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम किरबनिया तहसील उत्तरीपुर जनपद गोण्डा के विद्युतीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद गोण्डा में उत्तरीपुर नामक कोई तहसील नहीं है। तुलसीपुर नामक एक तहसील है जिसमें खरहनिया का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

उक्त ग्राम का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**विधान सभा क्षेत्र निधासन जिला खीरी के कतिपय बाढ़ प्रभावित गांवों के पशुओं को जानलेवा बीमारी से बचाने की मांग**

28. **श्री निरबेन्द्र कुमार**--क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 72 निधासन जिला लखीमपुर खीरी के ग्रामों सुमेरनगर कालोनी, बिलरांवा, खरवहिया, गजियापुर, डखरेवा नानकार, तेलियार, खैरीगढ़ पटिहन लगदहन में नदी के बाढ़ के पानी से पशुओं में फैलने वाली महामारी में हजारों जानवरों को मौत से बचाने हेतु उक्त ग्रामों में क्या पशु चिकित्सालय खुलवायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्रश्नगत क्षेत्र के विकास खण्ड पलिया में 4 पशु-चिकित्सालय, 2 पशु सेवा केन्द्र एक "द" श्रेणी औषधालय तथा एक रोग निरोधक केन्द्र, विकास खण्ड रमिया बेहड़ में एक पशु चिकित्सालय, 3 पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड निधासन में 4 पशु चिकित्सालय, 2 पशु सेवा केन्द्र तथा एक रोग निरोधक केन्द्र पहले से ही स्थापित हैं, जिनसे इस क्षेत्र में रोग नियंत्रण का कार्य ठीक ही भी की जाती है। इसलिए अतिरिक्त पशु चिकित्सालय खोलने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है।

**विद्युत उपगृह पुरवा जिला उन्नाव के निर्माण में हुई अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता की शिकायत तथा ठीक करने की मांग**

29. **श्री हृदय नारायण**--क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में 33/11 के0 वी0 विद्युत उपगृह पुरवा (उन्नाव) के निर्माण में हुयी अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र मुख्य मंत्री व मुख्य अभियन्ता (जनपद) उ0 प्र0 रा0 विद्युत परिषद् को माह मार्च 1990 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त अनियमितता में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? जांच निष्कर्ष क्या है? प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के उक्त विद्युत उपगृह की खराबियों को पुनः ठीक किया जायेगा और दोषी लोगों से राजकीय धन की रिकवरी की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

**ग्राम बड़सरा विकास खण्ड करन्डा जिला गाजीपुर में एक विद्युत उप केन्द्र की स्थापना की मांग**

30--**श्री रवीन्द्र कुमार सिंह**--क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत ब्लाक करण्डा के ग्राम बड़सरा में नये 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण शासन के विचाराधीन है और इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा एक पत्र सं0 104/ओ0 सी0 आर0 दिनांक 2-3-90 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) गाजीपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुयी?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। जी हां। वर्तमान में प्रश्नगत ग्राम में विद्युत उप-केन्द्र की स्थापना तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है।

**उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम इकाई चोपन के अभियन्ता द्वारा स्वीकृत से अधिक पानी श्रमिकों को वेतन देने की शिकायत।**

31--**श्री विजय सिंह**--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के चोपन इकाई का मुख्यालय ने अपने पत्र संख्या एम0 डी0 सी0/आई0 डी0/चोपन/87-88/3036 दिनांक 19-8-87 के द्वारा कालोनी में पानी भरने हेतु 10 श्रमिकों की स्वीकृति प्रदान की थी? क्या यह सही है कि वहां के अभियन्ता ने 55 श्रमिकों को पानी भरने के नाम पर वेतन दिया है! यदि हां, तो किसके आदेश से?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--निगम के पत्र संख्या--एम0डी0सी0/आई0सी0/चोपन/87--88/3036 दिनांक 19/20-8-87 द्वारा इकाई में कार्यरत 10 श्रमिकों को कालोनी में पानी भरने के कार्य पर लगाये जाने के आदेश दिये गये थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**पिछले तीन माह में लखनऊ शहर में अपराधों की स्थिति एवं विवरण।**

32--**श्री प्रेमवती तिवारी**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में अपराधों की संख्या पिछले तीन महीनों फरवरी से अप्रैल, 1990 में कितनी रही?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--लखनऊ शहर में अपराधों की संख्या पिछले तीन महीनों फरवरी से अप्रैल, 1990 तक कुल 1938 रही।

**एक से 15 जनवरी, 1990 के मध्य बदायूं से कछला तथा बदायूं से मथुरा मार्ग पर हुई दुर्घटनाओं का विवरण**

33--**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जनवरी, 190 से 15 मई, 1990 तक बदायूं में कछला तक बदायूं-मथुरा मार्ग पर कितनी सड़क दुर्घटनायें

हुयी जिनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुयी एवं कितने जख्मी हुए ? शासन ने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 90 से 15-5-90 तक की अवधि में जनपद बदायूं में बदायूं से कछला तक मथुरा मार्ग पर 11 सड़क दुर्घटनायें हुयीं जिनमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 12 व्यक्ति घायल हुये । शासन द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना वाले स्थानों, चौराहों, स्कूलों, रेलवे फाटकों आदि के पूर्व स्पीड ब्रेकर्स का निर्माण कराया गया है तथा सड़क किनारे यातायात नियमों के चिन्ह लगवाये गये हैं । स्कूली बच्चों व जनता के व्यक्तियों को ट्रैफिक के नियम की जानकारी दी जाती है । वाहनों की गति सीमा को निर्धारित किया गया है जिसकी समय-समय पर पुलिस विभाग व परिवहन विभाग द्वारा जांच की जाती है ।

## जनपद खीरी तहसील निघासन के ग्राम पढुआ में हिस्ट्रीशीटरों की संख्या एवं उन पर लगे धाराओं का विवरण

34--**श्री राम कुमार वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद खीरी तहसील निघासन के ग्राम पढुआ के कितने लोग थाना सम्पूर्णानगर खीरी में किन-किन श्रेणियों में हिस्ट्रीशीटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं और किन-किन धाराओं के अन्तर्गत उन हिस्ट्रीशीटरों पर जनपद खीरी के किन-किन थानों में कितने मुकदमें (अभियोग) पंजीकृत हुये ? कितने मुकदमें अभी तक किन-किन हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन हैं ? क्या यह सही है कि सरकार कुछ पंजीकृत हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध चल रहे अभियोग न्यायालयों से वापस लेने तथा कुछ हिस्ट्रीशीटरों की हिस्ट्रीशीटें रद्द करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पढुवा, थाना के सम्पूर्णानगर में श्री निरवेन्द्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना पुत्र श्री राजबहादुर मिश्र हिस्ट्रीशीटर हैं तथा उनकी हिस्ट्रीशीट नं0--2 बी है । अन्य कोई व्यक्ति किसी श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर नहीं है तथा इनके विरुद्ध निम्न अपराध पंजीकृत हैं :----

1--मु0अ0 सं0 248/74 धारा 147/436 भा0दं0 वि0 थाना पलिया।
2--मु0अ0 सं0 208/75 धारा 147/148/452/336/323 भा0 दं0 वि0 थाना पलिया ।
3--मु0अ0 सं0 13/76 धारा 332 भा0 दं0 वि0 थाना पलिया ।
4--मु0अ0 सं0 70/78 धारा 342/323 भा0 दं0 वि0 थाना पलिया ।
5--मु0अ0 सं0 177/78 धारा 394 भा0 दं0 वि0 थाना पलिया ।
6--मु0अ0 सं0 376/78 धारा 188 भा0 दं0 वि0 थाना पलिया ।
7--मु0अ0 सं0 139ए/80 धारा 147/323 भा0 दं0 वि0 थाना पलिया ।

कोई नहीं ।

श्री निरवेन्द्र कुमार मिश्र के विरुद्ध कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है । उनकी हिस्ट्रीशीट रद्द अथवा बन्द करने की कार्यवाही नहीं की गयी । श्री निरवेन्द्र कुमार मिश्र गवाहिया हिस्ट्रीशीटर हैं ।

**जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर विद्युत उप-केन्द्र में वर्ष 1990 के आरम्भ के तीन माह में अलग-अलग फीडरों से विद्युत आपूर्ति का विवरण**

35--**श्री पंचानन राय**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद स्थित जीयनपुर विद्युत उपकेन्द्र से माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च 1990 में अलग-अलग फीडरों से प्रतिदिन अलग-अलग कितने कितने घंटे विद्युत की आपूर्ति की गयी है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर विद्युत उपकेन्द्र से माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1990 में प्रत्येक फीडर से प्रतिदिन की गई विद्युत आपूर्ति की अवधि का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 197 पर)

**विधान सभा क्षेत्र निघासन जिला लखीमपुर खीरी में क्रेशर तथा चावल उद्योग के मालिकों द्वारा विद्युत चोरी किये जाने की शिकायत**

36--**श्री निरवेन्द्र कुमार**--क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 72 निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा नियमों के विपरीत क्रेशरों एवं चावल उद्योगों को निर्धारित घण्टों से अधिक घण्टे चोरी से विद्युत आपूर्ति की जाती है ? क्या इस प्रकार क्रेशरों एवं चावल उद्योगों को अधिक दी जाने वाली चोरी की जांच जांच दल द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--क्रेशरों एवं चावल उद्योगों के लिए दी जा रही विद्युत उसी लाइन से दी जाती है जिससे पूरे क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं को दी जाती है। अतः क्रेशरों एवं चावल उद्योगों को अन्य उपभोक्ताओं के बराबर ही विद्युत दी जाती है।

समय-समय पर जांच दल द्वारा जांच की जाती है एवं भविष्य में भी की जायेगी।

**थाना बीकापुर जिला फैजाबाद में कतिपय स्थानीय पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग**

37--**डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के बीकापुर थाने में अ0सं0 342/89 धारा 147/323/336/332/395 308/427 भा0 दं0 वि0 7 अमेन्डमेन्ट ऐक्ट की रिपोर्ट देवसिंह सागर एस0 आई0 बीकापुर में दर्ज करायी है, जिसमें क्षेत्रीय तीन पत्रकारों अनिल, सुरेन्द्र सिंह तथा गणेश दत्त तिवारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार पत्रकारों पर दर्ज करायी गयी फर्जी रिपोर्ट को वापस लेने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार मु0अ0 सं0 342/89 धारा 147/323/336/332/395/308/427 भा0 दं0 वि0 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट का अभियोग एस0एस0आई0 श्री देवसिंह सगर थाना बीकापुर द्वारा दिनांक 14-12-89 को थाना बीकापुर में (1) गोविन्द प्रसाद (2) अनिल कुमार (3) सुरेन्द्र सिंह (4) ज्ञान प्रकाश (5) गणेश प्रसाद तिवारी (6) इन्द्र देव पाण्डेय तथा 500 से अधिक शेष 1,000 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

मामले की मजिस्टीरियल जांच प्रचलित है। जांच निष्कर्षों के आधार पर अग्रेतर कार्यवही की जायेगी।

**38—श्री राम लखन वर्मा—**

(दिनांक 27·6·90 को अतारांकित प्रश्न सं0 75 द्वारा उत्तरित)।

**बांदा जनपद में उझयानी एवं कादर चौक विकास खण्डों के विद्युत विहीन ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग**

39—**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**—क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायू जनपद के उझयानी एवं कादर चौक विकास खण्डों के जिन ग्रामों में बिजली नहीं पहुंची है वहां क्या वर्ष 1990 तक बिजली पहुंच जायेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—जी नहीं।

**नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रेणी 3 के एस0 टी0 ए0, टी0 ए0 के सभी पदों के वेतनमानों में समानता दिये जाने की मांग।**

40—**श्री शिव करन सिंह**—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्व विद्यालय में कार्यरत श्रेणी 3 के एस0 टी0 ए0, टी0 ए0 के सभी समान पदों पर कार्यरत लोगों के वेतन एक समान हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस पर कोई कार्यवही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—जी नहीं। जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। पद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा प्रवत्त योजनाओं में स्वीकृत हैं। जिस वेतनमान में यह पद स्वीकृत थ उन्हीं वेतनमानों में विश्वविद्यालय द्वारा उसे विज्ञापित कर भरा गया है।

**मेरठ मण्डल में धारा 7 के अन्तर्गत लम्बित विभागीय कार्यवाही तथा सम्बन्धित पुलिस निरीक्षक / उप-निरीक्षकों की संख्या व विवरण**

41—**श्री महावीर सिंह राणा**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेरठ मण्डल में कितने पुलिस निरीक्षक, उप पुलिस निरीक्षक, ऐसे हैं जिन पर पुलिस विभागीय कार्यवाही धारा-7 में होनी बाकी है ? क्या वे उन जनपदों को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं जिस जनपद में उपरोक्त विभागीय कार्यवाही धारा-7 के अन्तर्गत होनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—मेरठ मण्डल के कुल 6 निरीक्षक व 39 उपनिरीक्षक ऐसे हैं जिन पर धारा-7 की कार्यवाही लम्बित है।

5 निरीक्षकों व 34 उपनिरीक्षकों को उन जनपदों में स्थानान्तरित कर दिया गया है। जहां उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है। एक निरीक्षक तथा 5 उपनिरीक्षकों को सम्बन्धित जनपदों में स्थानान्तरित किया जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

**नगरपालिका देवरिया के अधिशासी अधिकारी एवं सभासद द्वारा दिनांक 12-4-90 को कोतवाली में दर्ज करायी गई रिपोर्ट के संबंध में जानकारी।**

42- **श्री राम छबीला**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका देवरिया के अधिशासी-अधिकारी व सभासद मु0 अली खान उर्फ (गुड्डू) ने कोई रपट दिनांक 12-4-90 को कोतवाली देवरिया में दर्ज करायी है ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों में से दो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं अन्य तीन अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया। अभियोग में विवेचना प्रचलित है।

**कृषि मंडी पहाड़िया जिला वाराणसी के बने कमरों के बारे में विवरण**

43- **श्री ऊदल**--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मंडी पहाड़िया जिला वाराणसी में कितने कमरों का आवंटन बाकी है और जो कमरे दिये गये हैं उनका कितना किराया अब तक बकाया है ? क्या सरकार इसकी जांच करके पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--कमरों का नहीं बल्कि कुल 114 दुकानों का आवंटन बाकी है।

आवंटित दुकानों का कुल रुपया 3,30,516.00 बकाया है।

बकाये की स्थिति स्पष्ट है। जांच की आवश्यकता नहीं है।

**मोहल्ला नगरिया (न्यू0) हरदोई मार्ग ठाकुर गंज के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर ठीक करने / बदलने के संबंध में मांग-पत्र।**

44- **श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मो0 नगरिया (न्यू) ठाकुरगंज हरदोई मार्ग लखनऊ के उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर की तकनीकी खराबी को दूर किये जाने अथवा बदले जाने के संबंध में श्री मान्धाता सिंह, भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 का पत्र दिनांक 4-11-89 अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) लखनऊ विद्युत प्रदाय उपक्रम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**- जी हां। उपभोक्ता का मीटर दिनांक 4-11-89 को बदल दिया गया तथा संशोधित विद्युत बिल दिनांक 27-1-90 को उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया गया।

**बुन्देलखण्ड के बांदा अथवा झांसी में तेल रिफाइनरी खोले जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध**

45- **श्री राम प्रसाद सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग शून्य जनपद बांदा में पिछड़े क्षेत्र के विकास को देखते

हुए तेल रिफाइनरी की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---तेल शोधक परियोजना की स्थापना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी या बांदा जिले में करने, का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री अद्या सिंह एवं श्री रामकुमार मिश्र को लखनऊ उद्यान इकाई में सर्वाधिक समय से कार्यरत रहने की शिकायत**

46--**श्री ज्वाला प्रसाद यादव**--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग के लखनऊ मण्डल में श्री अद्या सिंह एवं श्री राम कुमार मिश्रा, अधीनस्थ सेवा वर्ग के कर्मचारी क्रमशः 25-3-80 एवं 1-12-75 से एक ही यूनिट/जनपद में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत इनका स्थानान्तरण मण्डल से बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं । श्री आद्या प्रसाद सिंह एवं श्री राम कुमार मिश्र अधीनस्थ सेवा वर्ग के कर्मचारी क्रमशः 27-7-1981 एवं 17-8-1979 से लखनऊ जनपद की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत रहे हैं । श्री राम कुमार मिश्र को विशेष कार्यहित में जनपद में रोका गया है ।

निर्धारित नीति के अनुसार एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण किये जाने की निर्धारित 18 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

47--**श्री ज्वाला प्रसाद यादव**--

[दि0 20-6-90 को अता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित] ।

**श्री पूरन चन्द्र गुप्ता एस0 आई0 लखनऊ द्वारा धर्मशाला राधेश्याम लक्ष्मी नारायण ड्योढ़ी आगामीर लखनऊ में अवैध कब्जा किये जाने की शिकायत**

48--**श्री ज्वाला प्रसाद यादव**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमानिया विधान सभा क्षेत्र जनपद गाजीपुर के विधायक के पत्रांक 104 ए0 ओ0 सी0 आर0 दिनांक 30-3-90 द्वारा उनको कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जो एस0 आई0 (पुलिस) पूरन चन्द्र गुप्ता के विरुद्ध धर्मशाला राधेश्याम लक्ष्मी नारायण ड्योढ़ी आगामीर लखनऊ में अवैध कब्जा तथा भ्रष्टाचार के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, विधायक, जमानिया विधान सभा क्षेत्र का पत्र दिनांक 303-90 जो पूरन चन्द्र गुप्ता, एस0 आई के विरुद्ध धर्मशाला राधेश्याम लक्ष्मी नारायण ड्योढ़ी आगामीर लखनऊ में अवैध कब्जा तथा भ्रष्टाचार के संबंध में है, प्राप्त हुआ । प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, चौक द्वारा की गई थी । जांच से उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस श्री पूरन चन्द्र गुप्ता द्वारा उपरोक्त धर्मशाला पर अवैध कब्जा किए जाने की बात सही नहीं पायी गई । उक्त धर्मशाला के कमरा नं0-33 में उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस श्री पूरन चन्द्र गुप्ता द्वारा स्वयं न रहकर नीलम सिंह नामक नर्स को रखने की बात भी सही नहीं पायी गई । पत्र में अंकित दूसरे आरोप के संबंध में जांच से यह पाया गया कि उप निरीक्षक श्री पूरन चन्द्र गुप्ता वर्ष, 1986 में थाना वजीरगंज, लखनऊ में नियुक्त थे तो उन्होंने श्री

रमेश कुमार श्रीवास्तव, निवासी जवाहर नगर हाथी पार्क के सामने मकान का एक कमरा 200/- मासिक किराये पर लिया था और तब से उसी मकान में रह रहे हैं। इस समय उक्त उप निरीक्षक जनपद मेरठ में नियुक्त हैं, उनका परिवार उक्त मकान में रह रहा है, जिसे मकान मालिक श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव आदि उसे जबरदस्ती खाली करवाना चाहते हैं। दिनांक 18-6-90 को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री पूरन चन्द्र गुप्ता द्वारा थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0-264/90 धारा 395 भा0दं0वि0 का अभियोग 8 व्यक्तियों के विरुद्ध कायम करवाया गया था। जिसकी विवेचना हो रही है। दोनों पक्षों में मुख्य विवाद उक्त मकान को खाली किए जाने के बारे में है।

**उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990 के आरम्भिक चार माह में दहेज हत्याओं का विवरण**

49--**श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 1990 से 30 अप्रैल, 1990 तक कितनी दहेज हत्याओं की रिपोर्ट दर्ज की गई हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिनांक 1-1-90 से 30-4-90 तक दहेज से सम्बन्धित कुल 311 मामले दर्ज हुए। इनमें से 58 अभियोगों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं, 9 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लग दी गयी है तथा 16 मामले खारिज हुए है। शेष 228 अभियोग विवेचनाधीन है।

50--**श्री कुंवर सिंह नेगी**--

[5वें शुक्र में अता0प्र0सं0 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

51--**श्री कुंवर सिंह नेगी**--

[6वें शुक्र में अता0प्र0सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

**जनपद चमोली में भारी संख्या में जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों के ठीक कराने या बदलवाने की मांग**

52--**श्री कुंवर सिंह नेगी**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद चमोली में भारी संख्या में विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से या अन्य खराबियों से क्षतिग्रस्त हो गये हैं और निष्प्रयोज्य पड़े हैं ? यदि हां, तो इनकी संख्या 1 मार्च, 1990 तक कितनी थी ? क्या इनको बदलने या इनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--विगत वर्ष में जनपद चमोली में 11 ट्रांसफार्मर, जिनकी क्षमता निम्न है क्षतिग्रस्त हुए हैं :--

| ट्रांसफार्मर की क्षमता | संख्या |
|---|---|
| 5 के0वी0ए0/ | 7 |
| 25 के0वी0ए0 | |
| 63 के0वी0ए0 | 2 |
| 100 के0वी0ए0 | 1 |
| 250 के0वी0ए0 | 1 |
| कुल संख्या | 11 |

जो हैं।

इन क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्यवाही की जा रही है और माह सितम्बर, 1990 के अन्त तक इनके बदल दिये जाने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

**मोती झील सचिवालय कालोनी ऐशबाग में बाउन्ड्री वाल बनवाने तथा सफाई की मांग**

53---**श्री ओम प्रकाश तथा श्री ऐदल सिंह**--क्या सरकार को जानकारी है कि मोती झील सचिवालय कालोनी के एक सौ बीस भवनों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा खरीदते समय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों के बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की बात तय हुयी थी ? यदि हां, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक उक्त कालोनी के भवनों में बाउन्ड्रीवाल न बनाए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इसके अभाव में उक्त कालोनी में गन्दगी फैल रही है तथा प्रत्येक वर्ष विभाग को हजारों रुपये के खिड़की ग्लास खरीदना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी के बाउन्ड्रीवाल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। कालोनी की गन्दगी से राज्य सम्पत्ति विभाग सम्बन्धित नहीं है। प्रश्नगत कालोनी में खिड़की के शीशे अन्य कालोनियों की अपेक्षा बड़ी साइज के हैं, जो खिड़कियों के खुले रहने के कारण आंधी आदि से टूट जाते हैं।

विशिष्टियों के अनुसार इस श्रेणी के आवासों के आगे बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना अनुमन्य नहीं है।

54---**श्री राम बचन धुसिया**--

[7वें सोम में अता0 प्र0 सं0 113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

**टाऊन एरिया भारत गंज मेजा इलाहाबाद के निवासियों को त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल दिये जाने की शिकायत**

55---**श्री रामरती बिन्द**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें संबंधित श्री राम लाल, एम0 एल0 सी0 सभापति, वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति का पत्र दिनांक 20-2-90 जो कि टाऊन एरिया भारतगंज, मेजा, इलाहाबाद के निवासियों को त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल उपलब्ध कराये जाने संबंधी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा पत्र में उल्लिखित मुख्य बिन्दुओं पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :---

1---श्री शमसुद्दीन को मीटर रीडिंग के कार्य से माह अप्रैल, 90 से हटा दिया गया है।

2---श्री राम यज्ञ यादव के बिल को संशोधित करके उन्हें 12-6-90 को उपलब्ध करा दिया गया है।

3---ऐसी व्यवस्था की गयी है कि बिलों के देय तिथि के पूर्व माण्डा रोड अथवा भारत गंज में बिलों के संशोधन से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ एक पूर्व सूचित तिथि पर अधिकारी एवं कर्मचारी एक शिविर आयोजित करेंगे तथा वहीं बिलों का संशोधन करेंगे । माह जून में यह शिविर गत 25-6-90 को भारतगंज टाऊन में लगाया गया जिसमें लगभग 70 उपभोक्ताओं के बिलों का संशोधन किया गया । यह प्रक्रिया जारी रहेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बुलन्दशहर के ई0डी0डी0 तृतीय खण्ड में निजी नलकूपों के उर्जीकरण में हो रहे विलम्ब की शिकायत ।**

56---**श्री इम्तियाज मोहम्मद खां**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी नलकूप के निर्माण हेतु जनपद बुलन्दशहर के ई0 डी0 डी0-3 डिवीजन में 1988/89 में भर्रा, स्याना, बिहटा, बैरा फिरोजपुर, भैसोड़ा, सराय, किरावली, देहरा, गुबरसी, जलालपुर, हाजीपुर, बरहाना, भगवानपुर, रमनीकटीरी, मांकड़ी, चनदिया, गेसूपुर, बसीबागर, अमरपुर, नरसैना, दौलतपुर कला, कमालपुर, अमरगढ़, मबई, ऊंचा गांव, तिलखंनी, भगवन्तपुर, दुलखड़ा, खन्दतोई, नगला मदारीपुर, ढलना, रघुनाथपुर, करयारी, काचरौट, जाडौल, परवाना, मुलानी नवी नगर, रौडा, खिन्जरपुर, पाली परतापुर, अभैयपुर, श्यामपुर, खानपुर, गिरोरा, लड़ाना, सूरजपुर, टिकरी, मानपुर, ढलना ग्रामों में कितने लाइन आर्डर स्वीकृत हुए ? क्या मंत्री जी उपरोक्त ग्रामों में दो वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत सामग्री की तत्काल व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, बुलन्दशहर के कार्य क्षेत्र में प्रश्नगत ग्रामों में वर्ष 1988-89 में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु कुल 81 लाइन आदेश किए गये ।

दिनांक 31-5-90 तक उपरोक्त में से 33 लाइन आदेशों का कार्य पूर्ण कर दिया गया । शेष नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु सामग्री की व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंत्री औद्योगिक निगम गोरखपुर वर्ष 1990-91 में विक्रय सहायकों को केन्द्र प्रभारी बनाये जाने में गड़बड़ी की शिकायत ।**

57---**श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)**--क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम गोरखपुर में वर्ष 1990-91 में उर्वरक तथा गेंहूं खरीद केन्द्रों/विक्रय केन्द्रों पर कितने सहायकों को केन्द्र प्रभारी के पदों पर तैनात किया गया है ? क्या यह सत्य है कि तमाम विक्रय सहायकों को केन्द्र प्रभारी न बनाकर सहायकों को बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विक्रय सहायकों को केन्द्र प्रभारी बनाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--वर्ष 1990-91 में गोरखपुर में उर्वरक तथा गेहूं खरीद केन्द्रों/विक्रय केन्द्रों पर केवल 2 सहायकों को केन्द्र प्रभारी की हैसियत से तैनात किया गया ।

जी नहीं ।

नव नियुक्त चार विक्रय सहायकों को गेहूं क्रय योजना का अनुभव न होने के कारण गेहूं क्रय केन्द्रों पर तैनात नहीं किया गया। गेहूं क्रय योजना के समापन के उपरान्त इनकी तैनाती उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कर दी जायेगी।

58--**श्री श्याम बिहारी सिंह**--

[5वें गुरु में अता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

**जनपद उन्नाव में वर्ष 1986-87 में औद्योगिक कनेक्शन दिये जाने में की गई गड़बड़ी की जांच की मांग।**

59--**श्री हृदय नारायण तथा श्री मोती लाल दहेलवी**--क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में ग्राम जाजनपुर के विनोद कुमार मिश्रा समेत अन्य ग्रामों के उपभोक्ताओं को वर्ष 1986-87 में औद्योगिक कनेक्शन देने में की गयी अनियमितताओं की जांच विजिलेंस अधिकारियों द्वारा की गयी है? यदि हां, दो जांच के निष्कर्ष क्या है और क्या जांच रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर रखेगी? क्या सरकार ने जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। जांच परिषदीय सतर्कता द्वारा की जा रही है।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुंदरकी में दुग्ध चीलिंग प्लान्ट लगाये जाने की मांग**

60--**श्री चन्द्र विजय सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र 31 कुन्दरकी में दुग्ध चीलिंग प्लांट लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुग्ध सहकारी समितियों से उपार्जित दूध को ठण्डा कर के दलपतपुर डेरी फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए किराये के दो चीलिंग प्लांट इस जनपद में अमरोहा तथा सम्भल में कार्यकर रहे हैं। इस क्षेत्र का जितना भी दूध उपार्जित होता है उसके लिए वह दोनों चिलिंग प्लांट में पर्याप्त हैं। अतएव विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में चिलिंग प्लांट लगाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**यू0 पी0 एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के मंडलीय अभियंताओं के पदोन्नति में की गई अनियमितता की शिकायत।**

61--**श्री रविदास मेहरोत्रा**--क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के सेवा मण्डल में मण्डलीय अभियन्ता पद पर किन-किन व्यक्तियों की प्रोन्नति की गई है? क्या यह सही है कि उक्त प्रोन्नत अभियन्ताओं पर विगत

वर्षों में वित्तीय अनियमितायें बरतने व भ्रष्टाचार करने के अनेक मामले लम्बित है ? यदि हां, तो उन अभियंताओं की प्रोन्नति किस आधार पर की गई ? क्या इनकी प्रोन्नतियां निरस्त की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--सूचना एकत्र की जा रही है ।

**सामान्य प्रबन्धक के स्थान पर महा प्रबन्धक (सेवाएं) की नियुक्ति का औचित्य ।**

62 **श्री रविदास मेहरोत्रा**---क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के कनिष्ठ सामान्य प्रबन्धक को प्रबन्ध निदेशक के पत्र सं0 371/23-14/प्र0 नि0/89-90 दिनांक 4 अप्रैल, 1990 के द्वारा पुनर्गठन का सहारा लेते हुए सबसे महत्वपूर्ण पद महा प्रबन्धक (सर्विसेज) पर नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है जब कि इससे निगम पर अधिक विभागीय भार बढ़ेगा ? क्या मंत्री जी ऐसे पुनर्गठन पर रोक लगायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---एग्रो के निदेशक मण्डल द्वारा सामान्य प्रबन्धक के तीन पदों के पदनाम शुद्ध कर इसी वेतनमान में महाप्रबन्धक कर दिए गये हैं । अतः इन सब पदनामों पर नियुक्ति में ज्येष्ठता का प्रश्न नहीं उठता । इससे निगम पर कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**बदायूं जनपद के विकास खण्ड उझानी के कतिपय व्यक्तियों द्वारा वर्ष 1988-89 में विद्युत कनेक्शन हेतु धन जमा करने के बाद भी कनेक्शन न दिये जाने की शिकायत ।**

63 **श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**---क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के उझियानी विकास खण्ड में किन-किन व्यक्तियों के वर्ष 1988 एवं वर्ष 1989 में विद्युत कनेक्शन के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से जमा किये गये ? इन्हें अब तक कनेक्शन न दिए जाने का क्या कारण है एवं उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--बदायूं जनपद के विकास खण्ड उझानी के अन्तर्गत वर्ष 1988 तथा वर्ष 1989 में निजी नलकूप एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा 25 रुपया जमा करने वालों की संख्या दिये गये कनेक्शनों की संख्या एवं लम्बित कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार है :--

| वर्ष | श्रेणी | 25 रु0 जमा करने वाले व्यक्तियों की सं0 | दिये गये कनेक्शनों की संख्या | लम्बित |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | निजी नलकूप | 45 | 20 | 25 |
| | औद्योगिक कनेक्शन | 6 | 5 | 1 |
| 1989 | निजी नलकूप | 41 | 1 | 40 |
| | औद्योगिक कनेक्शन | 9 | 0 | 9 |

लम्बित निजी नलकूप उपभोक्ताओं में से कुछ को अनुबन्ध निष्पादित न किये जाने तथा जिन्होंने अनुबन्ध किये जाने की औपचारिकता पूर्ण कर ली है उन्हें सामान की अनुपलब्धता के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके। सामान की उपलब्धता हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। और उसके उपरान्त ही कनेक्शन दिये जाने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

लम्बित 10 औद्योगिक कनेक्शनों में से 5 उपभोक्ताओं ने औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की है तथा दो कनेक्शन तकनीकी दृष्टि से दिये जाना सम्भव प्रतीत नहीं होते। शेष 3 के संबंध में कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

**पीलीभीत को पिछड़ा जिला घोषित किये जाने की प्रश्नकर्ता की मांग।**

64—**श्री हरीश कुमार गंगवार**—क्या मुख्य मंत्री को पीलीभीत जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 2-1-90 का पत्र जिसकी प्राप्ति उनके कार्यालय के पत्र सं0 सी0 एम0 वि0 को एम0 4/3-128/व 90 दिनांक 8-1-90 द्वारा स्वीकार की गई है, मिला है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—जी हां। पत्र प्राप्त हुआ।

भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों की श्रेणी "स" में पीलीभीत जनपद पहले से ही है। अतः इस संबंध में कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

**उत्तर प्रदेश राज्य बीज संस्था के उप-निदेशक के बारह वर्ष से एक ही स्थान पर रहने की शिकायत**

65—**श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह**—क्या कृषि मंत्री को पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज संस्था लखनऊ के उप निदेशक 12 वर्षों से इसी पद पर हैं? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**— जी नहीं। दिनांक 7-2-81 से तैनात एक उप निदेशक को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह संस्था की लखनऊ स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला के बीज विश्लेषक का कार्य भी देख रहे हैं तथा बीज विश्लेषक हेतु वांछित अर्हताएं एवं अनुभव संस्था में केवल उक्त अधिकारी ही रखते हैं।

**जनपद हरदोई के भवैय्या गांव में बारातियों के भोजन से बेहोस होने की शिकायत**

66—**श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह**—क्या सरकार को जानकारी है कि जिला हरदोई के भवैया ग्राम में एक बरात जो दिनांक 24-4-90 के रानीगंज लखनऊ से आई उस बरात में भोजन खाने से सभी बाराती बहोश हो गये थे? यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामनारायण ग्राम भवैया जनपद हरदोई की कन्या के विवाह के अवसर पर रानीगंज लखनऊ से बारात दिनांक 23-4-90 को रात में देर से पहुंची। कन्या पक्ष द्वारा दिनांक 23-4-90 के

पूर्वान्ह में भोजन सामग्री तैयार कर ली गई थी जिसे बारातियों ने 24-4-90 के प्रातः 3.00 बजे खाया। इसके खाने से 62 व्यक्तियों (बच्चे, महिलायें तथा पुरुष) को उल्टी व दस्त हो गये। दिनांक 24-4-90 को सूचना मिलते ही पुलिस बल घटना-स्थल पर पहुंच गया। बीमारों में से 14 व्यक्तियों की दशा गंभीर थी जिन्हें तत्काल उपचार हेतु सदर अस्पताल पहुंचाया गया। शेष का उपचार ग्राम मवैया में ही चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा करके छुट्टी दे दी गयी। अस्पताल में लाये गये 14 में से 5 को प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण के बाद छुट्टी दे दी गई। शेष 9 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। भोजन की बची सामग्री का नमूना उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा रासायनिक परीक्षण हेतु कब्जे में ले लिया गया।

**उप निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ द्वारा परीक्षण के बाद बचे बीजों को बेच देने की शिकायत**

67--**श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह**--क्या कृषि मंत्री को पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ में परीक्षण के बाद नमूनों का जो बीज बच जाता है उसे बाजार में उप निदेशक बेच देते हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों? बचे हुए बीजों को नीलाम क्यों नहीं किया जाता है?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। परीक्षण के पश्चात् बीज की अवशेष मात्रा अल्प रह जाती है, जिसे वर्तमान में नष्ट कर दिया जाता है ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके।

**जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा स्वीकृत एक किलो मीटर सड़क के निर्माण की मांग**

68--**श्री चेतराम**--क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की पुवायां तहसील अन्तर्गत पुवायां-बण्डा रोड से बैंक आफ बड़ौदा होती हुयी मुख्य बाजार तक लगभग एक किलोमीटर सड़क के निर्माण की स्वीकृति व तत्सम्बन्धी धन की व्यवस्था वर्ष 1988 में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो सड़क का निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण है? निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। सड़क निर्माण में मिट्टी का कार्य मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया जाता है। प्रश्नगत सड़क पर मिट्टी का कार्य होना था, जिसे स्थानीय निकाय द्वारा पूरा करा दिया गया है। उसे पक्का कराने हेतु मण्डी परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है जो मार्च, 1991 तक पूर्ण हो जायेगी।

69--**श्री चेतराम**--

[7 वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

**जनपद सोनभद्र के खान अधिकारी के विरुद्ध शिकायत**

70--**श्री विजय सिंह**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के खान अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों एवं स्थानान्तरण विषयक पत्र संख्या सी0 एम0 (वि0 को0) एम-1ब/1-348/90, दिनांक 19 जनवरी, 1990 पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद सोनभद्र में पृथक से कोई खान अधिकारी नियुक्त नहीं है। जनपद मिर्जापुर के खान अधिकारी द्वारा ही जनपद सोनभद्र का कार्य भी देखा जाता है। प्रश्न में उल्लिखित पत्र के साथ संलग्न शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी सोनभद्र से आख्या मांगी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

**71--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--**

[दिनांक 9-7-90 को अता0 प्र0 सं0 185 द्वारा उत्तरित]।

**उद्योग रहित जनपदों में जनपद बदायूं का नाम जोड़ने की मांग**

72--**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने जनपद उद्योग रहित जनपद माने गए हैं एवं जनपद को उद्योग रहित घोषित करने का आधार क्या है? क्या उन जनपदों में बदायूं जनपद भी है? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--उत्तर प्रदेश में उद्योग शून्य जनपद निम्नलिखित है:--

कानपुर देहात, फतेहपुर, बांदा, जौनपुर, जालौन, हमीरपुर, सुल्तानपुर, पौड़ी गढवाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी।

उद्योग शून्य जनपदों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार के अनुसार उद्योग शून्य जनपद होने का आधार यह है कि सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र वर्ष 1979-80 के एक्शन प्लान में किसी मध्यम एवं बड़े उद्योग का न होना दर्शाया गया हो।

जी नहीं।

भारत सरकार ने इस जनपद को उद्योग शून्य घोषित नहीं किया है।]

73--**श्री नजमुद्दीन**--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

**जनपद बदायूं के विकास खण्ड उझानी में विद्युतीकरण के अधूरे कार्य की शिकायत**

74--**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के उझियानी विकास खण्ड किन-किन गांवों में जनता विद्युतीकरण के अन्तर्गत खम्भे लगाये गये हैं या कार्य कराया जा रहा है परन्तु तार नहीं खींचा गया है तथा कनेक्शन नहीं दिया गया है? वहां कब तक तार खींचकर विद्युत कनेक्शन दे दिया जायेगा?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद बदायूं के विकास खण्ड उझियानी में ग्राम चौसिगा एवं सरायसवल में खम्भे लगा दिये हैं, परन्तु तार नहीं खींचा जा सका है। तार उपलब्ध होते ही खींच दिये जायेंगे। तत्पश्चात् कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

75--**श्री खुर्शीद**--[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]।

**कुमाऊं तथा गढ़वाल मण्डलों में दिये गये इन्डेक्शन का विवरण तथा इन्डेक्शन फाइनेस लगाने की अनुमति न देने की मांग**

76--**डा0 दिनेश जौहरी**--क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गत वर्ष प्रदेश में कितनी इन्डेक्शन कुमाऊं व गढ़वाल मण्डलों में दी गई है? क्या वर्तमान बिजली संकट देखते हुए

अब किसी भी इन्डेक्शन फरनेस को लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्डेक्शन फरनेस लगाने पर पूर्ण रोक लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--वर्ष 1989 में गढ़वाल मंडल में केवल एक इन्डेक्शन फरनेश लगाने की अनुमति दी गई है। इसी अवधि में कुमायूं मण्डल में इन्डेक्शन फरनेश लगाने हेतु कोई अनुमति दी गई।

बिजली की वर्तमान व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तथा प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में गति लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा इन्डेक्शन फरनेश लगाने हेतु नीति निर्धारित की गई है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न जिलों में इंडेक्शन फरनेश लगाए जाने हेतु संख्या निर्धारित कर दी गई है और जिनके संबंध में विद्युत भार की स्वीकृति विद्युत उपलब्धता के अनुसार दिये जाने का प्रस्ताव है।

निकट भविष्य में नई इन्डेक्शन फरनेश हेतु विद्युत भार स्वीकृति पर रोक लगाने का विचार नहीं है, परन्तु उक्त विद्युत भार की स्वीकृति उद्योग विभाग की इन्डेक्शन फरनेश नीति के अनुरूप ही दिये जाने का प्रस्ताव है।

**जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण की मांग ।**

77---**श्री अख्तर**--क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गढ़-मुक्तेश्वर विधान सभा क्षेत्र के जिन गांवों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--विधान सभा क्षेत्र गढ़-मुक्तेश्वर में 1981 की जनगणना के अनुसार कुल 88 ग्राम हैं। कुल 88 ग्रामों में से 86 ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार एवं 31 ग्रामों एल0टी0 मेंस बिछाकर विद्युतीकरण किए जा चुके हैं। शेष ग्रामों का विद्युतीकरण जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन किए जाने पर वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में आलू उत्पादन तथा उनके रखने के कोल्ड स्टोर की संख्या, क्षमता आदि का विवरण ।**

78---**श्री चन्द्र विजय सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में आलू का कुल उत्पादन कितना है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र में कितने आलू के कोल्ड स्टोरेज हैं एवं उनकी आलू रखने की कितनी क्षमता है तथा उनमें से कितने कोल्ड स्टोर कार्यरत अवस्था में है ? क्या उक्त क्षेत्र में सहकारी शीत गृह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--विधान सभा कुन्दरकी क्षेत्र के विकास खण्ड बिलारी व कुन्दरकी में वर्ष 1989-90 में आलू का कुल उत्पादन 9447.04 मी0 टन हुआ है।

उक्त क्षेत्र में तीन कोल्ड स्टोरेज 8323.20 मी0 टन क्षमता के है जिन में से एक कोल्ड स्टोरेज 4261.76 मी0 टन क्षमता का कार्यरत है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

इस क्षेत्र में कुल उत्पादन की लगभग 88 प्रतिशत भण्डारण क्षमता वहां के शीत गृहों में विद्यमान है ।

**जनपद देहरादून के ग्राम अधोईवाला में विद्युत सब-स्टेशन हेतु की गई भूमि के बारे में कतिपय विवरण**

79-- **श्री रणजीत सिंह**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में ग्राम अधोईवाला में सब स्टेशन हेतु भूमि ली गई है ? यदि हां, तो भूमि का स्वामी कौन था और किन शर्तों पर कितनी भूमि ली गयी ? क्या भू-स्वामी को शर्तों के अनुसार प्रतिकर किराये अथवा मुआवजे का पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां । जनपद देहरादून के ग्राम अधोईवाला में 33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन के निर्माण हेतु वर्ष 1983 में 1.40 एकड़ भूमि ली गयी थी ।

भूमि के स्वामी निम्नलिखित हैं :--

1--श्री शशिभूषण पुत्र श्री संतोष लाल
2--श्री महेन्द्र किशोर पुत्र श्री संतोष लाल
3--श्री मनोहर लाल पुत्र श्री दीपचन्द
4--श्री विद्यादत्त पुत्र श्री दीपचन्द
5--श्री श्याम किशोर पुत्र श्री दीपचन्द
6--श्री राम किशोर पुत्र श्री दीपचन्द ।

भूमि तहसीलदार देहरादून द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ दिलवाई गयी थी :--

(अ) भूमि का अधिग्रहण सुपरवाइजर कानूनगो, ग्राम अधोईवाला, देहरादून करेंगे एवं तत्पश्चात् विद्युत विभाग को सौंप देगें ।

(ब) विद्युत विभाग भूमि को यू0 पी0 रूरल डेवलपमेंट रिक्वीजीशन ऐक्ट, 1948 की धारा (3) के सेक्शन --9 के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए लेंगे एवं छमाही किराया भू-स्वामियों की अदा करेंगे ।

(स) विद्युत विभाग भू-स्वामियों की फसल के नुकशान एवं मुआवजा का भुगतान उक्त एक्ट के अनुसार करेंगे ।

(द) भू-स्वामी तहसीलदार के आदेशों दिनांक 4-2-83 से 30 दिन के अन्तर्गत मुआवजा हेतु अपना दावा प्रस्तुत करेंगे ।

जी नहीं ।

फरवरी, 84 में तहसीलदार देहरादून द्वारा भूमि का प्रतिकर 500 रु0 प्रति माह प्रति बीघा निर्धारित किया गया था परन्तु प्रति बीघा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम देहरादून मई, 84 में तहसीलदार को एक मुश्त भूमि का प्रतिकर निर्धारित

करने हेतु लिखा। सितम्बर, 85 में तहसीलदार ने इसके आस-पास की भूमि का मूल्य रु092,333.00 प्रति एकड़ बतलाया। क्षेत्रीय अधिकारियों ने भू-स्वामियों को उक्त दर पर प्रतिकर लेने को प्रस्तावित किया था, परन्तु भू-स्वामियों ने इस दर पर भुगतान के लिये असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त परिषद् ने वर्ष 1983 से (जबकब्जा लिया गया था।) प्रतिकर की राशि पर ब्याज भी देने की पेशकश की थी, परन्तु इस पर भू-स्वामी सहमत नहीं है।

भू-स्वामियों ने भूमि के प्रतिकर की मांग काफी अधिक दर से की है। अतः मामला परिषद् के विचाराधीन है। इसके साथ-साथ जिलाधिकारी, देहरादून से भी मामले के शीघ्र निस्तारण के लिये हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।

**जनपद ललितपुर के ग्राम सोरई में राक फास्फेट के खनन हेतु किसानों की ली गई भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग।**

80—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के ग्राम सोरई में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा राक फास्फेट का खनन कार्य चालू कर दिया गया है? क्या उक्त खनन स्थल में ग्राम पिसनासि एवं टोरी के किसानों की भूमि को अधिग्रहीत कर किसानों की भूमि का मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि किसानों की ली गई है तथा उसका कितना मुआवजा शासन द्वारा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या किसानों की भूमि का मुआवजा एक वर्ष के अन्दर दे दिया जायेगा? यदि, नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—जी हां। यह खनन कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा नहीं अपितु उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। केवल ग्राम टोरी की भूमि को अधिग्रहित कर किसान की भूमि का मुआवजा दे दिया गया है। ग्राम टोरी में 2.99 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। उक्त भूमि के मुआवजे का रु0 40,000.00 की धनराशि का भुगतान दिनांक 1-9-88 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हरदोई के कतिपय गांवों में बिजली के खम्भे लगाने के बाद भी ऊर्जीकरण न किये जाने की शिकायत।**

81—श्री धर्मज्ञ मिश्र—क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ग्राम छिवरामऊ, परसोला, वावरमऊ, मटियामऊ, तेरवा कुल्ली, बलेहरा, नया गांव बांसा, बरौना, कुसनठ, परचलरसूलपुर, हजरतपुर, ठठिया जाहितपुर, रुकनापुर, आदि ग्रामों के ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ऊर्जीकृत किए जाने हेतु खम्भे लगाए जाने के बावजूद भी उपरोक्त ग्राम ऊर्जीकृत नहीं हुए हैं? उपरोक्त ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।

**श्री मुलायम सिंह यादव**—प्रश्नगत 15 ग्रामों में से 7 ग्रामों बांसा, बरौना परचल रसूलपुर, हीरापुर, रुकनापुर, नया गांव एवं हजरतपुर में विद्युतीकरण हेतु खम्भे लगाये गये थे और उनमें से नया गांव तथा हजरतपुर को छोड़कर शेष 5 ग्राम आज भी विद्युतीकृत हैं। नया गांव तथा हजरतपुर ग्राम का विद्युतीकरण इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि उनको पोषित करने वाली 11 के0 वी0 लाइन के तार की चोरी हो गयी थी।

अन्य 8 ग्राम---छिब्रामऊ, परसोला, बाबरमऊ, मटियामऊ, तेरवा कुल्ली, बलेहरा, ठठिया एवं कुरसठ ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु खम्भे नहीं लगाये गये हैं, अतः उनके विद्युतीकृत होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपरोक्त में से ग्राम कुरसठ के विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है क्योंकि वहां के निवासियों द्वारा वांछित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामवासियों द्वारा वांछित मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् चोरी गये 11 के0 वी0 लाइन का जीर्णोद्धार करके तथा संसाधनों के उपलब्ध होने के उपरान्त ही किये जाने के पूर्ण प्रयास किये जा सकेंगे ।

**अप्ट्रान द्वारा प्रदर्शन के नाम पर बड़े पैमाने पर टी0 वी0 सैटों का दुरुपयोग**

82---**श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी**---क्या सरकार को जानकारी है कि "अपट्रान" द्वारा लखनऊ में बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोगों को मुफ्त टी0 वी0 सेट दिये गये हैं ? यदि हां, तो 31--3--89 तथा 30--4--89 की तिथियों में प्रदर्शन में दिए गये टी0 वी0 सेट्स का विवरण क्या है और क्या यह सही है कि आज भी वे सेट्स उन्हीं लोगों के पास हैं ? इस बारे में "अपट्रान" के सामान्य नियम क्या हैं ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---अपट्रान द्वारा लखनऊ में कुछ लोगों को प्रदर्शन हेतु टी0वी0 सेट्स उपलब्ध कराये गये हैं ।

दिनांक 31--3--89 से 30--4--89 की अवधि में अपट्रान द्वारा प्रदर्शन हेतु दिये गये टी0 वी0 सेटों का विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रदर्शन हेतु दिये जाने वाले टी0 वी0 सेटों के सम्बन्ध में अपट्रान के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं :---

(1) कभी-कभी अपट्रान द्वारा उत्पादित सेट्स जो अपट्रान की कार्यशाला में मरम्मत हेतु आते हैं, मरम्मत में विलम्ब होने की सम्भावना को देखते हुए ग्राहक के अनुरोध पर दूसरा सेट्स दे दिया जाता है । ग्राहक के सेट की मरम्मत होने के उपरान्त प्रदर्शन में दिये गये सेट को वापस ले लिया जाता है ।

(2) जब किसी नये माडल का उत्पादन होता है तो प्रदर्शन के लिए कुछ लोगों के यहां टी0 वी0 सेट लगा दिये जाते हैं और उनके विचार प्राप्त होने के उपरान्त उत्पाद के विकास के प्रयास किये जाते हैं । यह सेट्स अल्प अवधि के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं ।

(देखिय नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 200 पर)

**तत्कालीन अपर निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग द्वारा अल्पकालिक व्यवस्था में की गयी नियुक्ति को समाप्त करके नियंत्रित नियुक्ति करने संबंधी आदेश ।**

83---**श्री मुक्ति नाथ** ---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 आर0 पी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अपर निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग, उ0 प्र0 द्वारा निर्गत आदेश संख्या--डी0 एच0-4774/स्था0--3/दिनांक 18--1--88 एवं संख्या 8511--13/स्था0--3

दि0 18--11--88 को अवैधानिक करार करते हुए तत्क लीन निदेशक उद्यान श्री जंग बहादुर सिंह ने क्रमशः आदेश संख्य -डी0एच0-3079/स्था0-3/दिनांक 25--6--88 एवं संख्या डी0 एच0 3078/स्था0--3 दिनांक 25--6--88 द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। प्रश्नगत नियुक्तियों की अल्पक लीन व्यवस्था को समाप्त करके नियमित नियुक्ति हेतु तत्कालीन निदेशक द्वारा आदेश जारी किये गये थे। इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई। प्रश्नगत दिनांक 18-11-88 को कोई नियुक्ति नहीं की गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद लखीमपुर खीरी, श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव तत्कालीन संयुक्त निदेशक (उद्यान) द्वारा माली के पद पर श्री आदर्श कुमार की नियुक्ति को चुनौती**

84--**श्री मुक्ति नाथ**--क्या कृषि मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग में उद्यान विभाग चतुर्थ श्रेणी नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा0 राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन संयुक्त दिदेशक (उद्यान) आदेश संख्या एस0 टी0-15/सा0/दिनांक 17 फरवरी, 1987 द्वारा श्री आदर्श कुमार पुत्र स्व0 श्री श्याम बिहारी लाल, लखीमपुर खीरी की नियुक्ति माली के पद पर अधीक्षक राजकीय उद्यान, रामपुर के अधीन करने हेतु सक्षम अधिकारी थे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस अनियमित नियुक्ति के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। उत्तर प्रदेश उद्यान और फलोपयोग समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली 1986 के प्रस्तर--3 के अनुसार तत्कालीन संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग प्रश्नगत नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी नहीं थे।

जी हां, तत्कालीन सयुक्त निदेशक डा0 राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज जनपद सिदार्थनगर के विद्युतीकरण रहित गांवों में विद्युतीकरण न किये जाने की मांग**

85--**श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी**--क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के अनेक गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर इनके विद्युतीकरण हेतु धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। विद्युतीकरण हेतु धन का आवंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

86--**श्री हरद्वार दुबे**--

[5वें गुरु में अता0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

**श्री हरीश्चन्द्र ग्राम महासोन थाना तुर्क पट्टी जिला देवरिया की हत्या के संबंध में लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट ।**

87--श्री स्वामी नाथ--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरिश्चन्द्र ग्राम महासोन थाना तुर्कपट्टी जिला देवरिया की हत्या के संबंध में थाना तुर्कपट्टी में दिनांक 17 फरवरी, 89 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी ? यदि हां, तो नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजमंगल कुशवाहा ने दिनांक 17-02-89 को लिखित तहरीर द्वारा अपने भतीजे हरिश्चन्द्र के गुम हो जाने के संबंध में गुमसुदगी थाना तुर्कपट्टी, जनपद देवरिया पर अंकित करायी। दिनांक 04/04/89 को श्री राजमंगल कुशवाहा के प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश पर दिनांक 04-/04/89 को रपट नं0 21 समय 15-35 बजे मु0अ0सं0 15/89 धारा 394 भा0 दं0 वि0 थाना तुर्कपट्टी पर अंकित किया गया। हरिश्चन्द्र का कहीं कुछ पता नहीं चला और न ही उसके हत्या के संबंध में कोई प्रमाण ही प्राप्त हो सका। विवेचना साक्ष्य के अभाव में जरिये अन्तिम रिपोर्ट नं0-7 दिनांक 16/09/89 द्वारा समाप्त की गई।

**जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन अतरौली में विद्युत उपकेन्द्र की शीघ्र निर्माण की मांग ।**

88--श्री राम पाल वर्मा--क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई अन्तर्गत विकास खण्ड भरावन-अतरौली में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण काफी समय से लम्बित है जबकि भवन आदि का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब का कारण क्या है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**-- जी हां। यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक धन एवं सामग्री न उपलब्ध होने के कारण विलम्ब हुआ है।

**जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां भरावन में विगत वर्ष में विद्युतीकरण किये गये हरिजन बस्तियों का विवरण ।**

89--श्री राम पाल वर्मा--क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के वि0 खं0 कोथावां भरावन में वर्ष 1989-90 में किन-किन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ? विद्युतीकरण चयन प्रकिया का मानक क्या है ?

**श्री मुलायम सिंह**--जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां एवं भरावन में वर्ष 1989-90 में किसी भी ग्राम एवं हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया गया क्योंकि जिला विद्युत उपभोक्ता समिति द्वारा उक्त विकास खण्डों के किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण हेतु चयन नहीं किया गया।

जनपद के ग्रामीण विद्युतीकरण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित होने पर अधिशासी अभियंता द्वारा निश्चित तिथि देकर ग्रामों के चयन हेतु सम्मानित सांसदों/विधायकों को जिला विद्युत उपभोक्ता समिति की बैठक में आमन्त्रित किया जाता है। जिलाधिकारी की उपस्थिति में सभी उपस्थित सम्मानित सांसदों/विधायकों द्वारा लक्ष्य के अनुसार विभिन्न विकास खण्डों के ग्रामों का चयन किया जाता है। तदनुसार उस वित्तीय वर्ष में ग्रामों एवं उनकी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की कार्यवाही की जाती है।

**बाराबंकी जनपद में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र पलरी के बीज विधायन केन्द्र पर बने टिन शेड में व्यय धनराशि का विवरण ।**

90—श्री मुस्तमन्द अली खां—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र पलरी पर बीज विधायन केन्द्र पर जो एक टीन शेड बना है, उसमें कितना धन खर्च हुआ है और क्या उसकी स्वीकृति एवं आगणन कृषि निदेशक के द्वारा स्वीकृति है ? यदि नहीं, तो बिना स्वीकृति के टीन शेड बनवाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस टीन शेड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसके फर्श के निर्माण के लिए धन आहरण हुआ है और फर्श बनी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—बाराबंकी जनपद के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र पल्हरी पर बीज विधायन केन्द्र पर जो एक टीन शेड बना हुआ है उसके लिए कुल रुपया 01,33,374.70 व्यय हुआ है ।

शासन द्वारा वर्ष 84-85 में रु0 74400/-- की स्वीकृति दी गई थी। शेष रुपया 58,974--70 की स्वीकृति कृषि निदेशक अथवा शासन से नहीं ली गई है ।

प्रश्नगत मामले की जानकारी की जा रही है। तदोपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

टीन शेड का इस्तेमाल वर्षा ऋतु के अतिरिक्त बीज रखने में अस्थाई रूप से हो रहा है। ईंट से फर्श बनाने के लिए धन का आहरण हुआ है परन्तु वर्तमान समय में फर्श पूर्णतः कच्ची है।

**जनपद बुलन्दशहर के ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग थाना खुर्जा में असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचार को रोकने की मांग ।**

91—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-3-90 को ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर में हरिजन लोगों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया था ? क्या थानाध्यक्ष ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से इन्कार कर दिया था ? यदि नहीं, तो मंत्री जी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए हरिजन वर्ग को सुरक्षा प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—दिनांक 13-4-90 को वादी श्री अमीचन्द्र पुत्र श्री लीलाधर निवासी फतेहपुर बुजुर्ग द्वारा थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर पर यह सूचना अंकित करायी गयी कि दिनांक 17--3-90 की रात्रि में कुछ व्यक्तियो द्वारा उसकी मां तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट किया गया। इस सूचना पर अपराध संख्या--62/90 अन्तर्गत धारा 147/452/323/504/506/427 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर अभियोग की विवेचना की जा रही है। हरिजनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा स्थिति पर दृष्टि रखी जा रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

**ग्राम बदोसराय विकास खण्ड रामनगर जिला बाराबंकी की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण की मांग ।**

92---**श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)**---क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम बदोसराय की हरिजन बस्ती म विद्युतीकरण की सन् 1988 से लम्बित कार्यवाही के संबंध में दिनांक 2-2-90 को भूत-पूर्व विधायक श्री अशर्फीलाल यादव ने अपने कवरिंग लेटर के साथ मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक प्रार्थन-पत्र पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया था? यदि हां, तो संदर्भित मामले में क्या कार्यवाही हुई ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---जी हां । प्रश्नगत हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण यथाशीघ्र करने का प्रयास किया जायेगा ।

**श्री राम शिरोमणि सिंह उप-निरीक्षक पुलिस थाना टिकैतनगर जिला बाराबंकी के विरुद्ध शिकायत तथा कार्यवाही की मांग ।**

93---**श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम डेरे राजा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी निवासी श्री भगौती प्रसाद यादव ने थाना टिकैतनगर के उप निरीक्षक श्री राम शिरोमणि सिंह द्वारा श्री टीकाराम यादव को नाजायज उत्पीड़ित किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को दिनांक 24 जनवरी, 90 को तार द्वारा सूचना देकर तथा दिनांक 29 जनवरी, 90 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थना-पत्र देकर न्यायोचित कार्यवाही की मांग की थी ? यदि हां, तो सन्दर्भित तार में उल्लिखित भेजा क्या है और क्या उन बातों की त्वरित जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 24 जनवरी, 90 को तार द्वारा कोई सूचना पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को प्राप्त हुयी लेकिन पंजीकृत डाक द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

तार में निम्न बातें थी :---

"थाना टिकतनगर के दरोगा राम शिरोमणि सिंह ने 23-1-90 छः बजे शाम डेरा राजा के टीकाराम यादव उर्फ हुसनू को पकड़ा आज तक चालान नहीं भेजा जेल में बन्द किए हुए नाजायज उत्पीड़ित कर रहें हैं ।"

'थाना टिकतनगर जनपद बाराबंकी में पंजीकृत अपराध संख्या 3/90 में नामजद अभियुक्तों द्वारा दिया गया तार पेश बन्दी में पाया गया । मुकदमें में विवेचना के अतिरिक्त अन्य जांच की आवश्यकता नहीं पाई गयी ।

**श्री सुखराम निवासी ग्राम ओड़ार मजरे सराय शाह आलम थाना दरियाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी ।**

94---**श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 9-4-90 को श्री सुखराम निवासी ग्राम ओड़ार मजरे सराय शाह आलम थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी नें पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को अपनी पत्नी श्रीमती जनपता के अपहरण के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र दस्ती तथा उसी की एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा दिया था, जिसमें रिपोर्ट अंकित कर जांच किए जाने की मांग की थी ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप क्या और किन व्यक्तियों के विरुद्ध है तथा क्या रिपोर्ट अंकित करके जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**-- जी हां। उक्त प्रार्थना-पत्र में 1--लल्लू यादव, 2-बहादुर यादव, 3-सुन्दर यादव, 4--हरि प्रसाद यादव तथा इनके पिता 5--हरिद्वार यादव निवासी ग्राम पेगवापुर, थाना उमरी बेगम गंज जिला गोण्डा तथा 6--मोहन सिंह निवासी ग्राम महदीपुर मजरे श्यामनगर, थाना दरियाबाद 7--सेमऊ यादव, 8--सुरेश यादव, 9--फल्ली यादव, 10--गुरसरन यादव, 11--उ0 नि0 वंशराज भारती, 12--का0 नागेश्वर यादव तथा 13--का0 बलराम के विरुद्ध प्रार्थी की पत्नी धनपता को उक्त लोगों द्वारा ग्राम ओड़ार से निकाल कर जबरन लेकर चले जाने का आरोप लगाया गया है तथा यह भी आरोप है कि पुलिस ने इसमें मदद की और ग्रामीणों को धमकाया। प्रश्नगत प्रकरण की जांच की जा रही है। शेष का प्रश्न नहीं।

**ग्राम सठियांव (पूर्व टोला) प0 बैकुंठपुर जिला देवरिया में विद्युतीकरण हेतु सचिव, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मुख्य अभियंता विद्युत वितरण मण्डल (पूर्वी क्षेत्र) को भेजे गये पत्र की जानकारी।**

95--**श्री हरवंश सहाय**-- क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सठियावें (पूर्व टोला) प0 वैकुन्टपुर, जिला देवरिया में विद्युतीकरण करने विषयक सचिव, उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद्, लखनऊ का पत्र दिनांक 28-3-90 मुख्य अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल (पूर्वी क्षेत्र) गोरखपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त गांव में बिजली करण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां।

जी नहीं। जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने के पश्चात विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही संभव हो सकेगी।

**यू0 पी0 स्टेट एग्रो की शाखा विकास खण्ड जसपुरा जनपद बांदा के कर्मचारी मो0 नसीम खां द्वारा गबन।**

96--**श्री रामचन्द्र बख्श सिंह**--क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि यू0पी0 स्टेट एग्रो के अधीन विकास खण्ड जसपुरा जनपद बांदा में कार्यरत मो0 नजीम खान को गबन के आरोप में निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो क्या पूर्व प्रकरण की जांच हो गई? यदि हां, तो क्या श्री खान जांच में दोषी सिद्ध हो गए हैं? यदि हां, तो क्या श्री खान की सेवाएं समाप्त की जायेंगी व धनराशि की वसूली उनसे की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। जी हां। श्री खान को सेवा पदच्युत किया जा चुका है गबन की धनराशि की वसूली उनसे की जायेगी।

97--**श्री ऊदल**--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

**जनपद वाराणसी, ग्राम लखनपुर फीडर परसीपुर विद्युत वितरण खण्ड भदोही के एक फस के टूट जाने की शिकायत तथा जोड़वाने की मांग।**

98--**श्री ऊदल**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत कनेक्शन नं0 3281/253610 बुक संख्या 10744/37-2721-20 गांव लखनपुर फीडर परसीपुर विद्युत वितरण खण्ड भदोही, वाराणसी जो राम सनेही के नाम है, का एक फेस 10-4-90 के

एक दिन पहले आंधी से टूट गया है, जिसे जोड़ने के संबंध में उप खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड तृतीय भदोही वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 502 वि0 वि0 उ0 ख0 भदोही ने प्रभारी निरीक्षक अधिकारी पुलिस स्टेशन चौरी वाराणसी को 21--4-90 को पत्र लिखा है कि मेहीलाल, पारसनाथ, विश्वनाथ लाइन जोड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं पुलिस फोर्स भेजकर लाइन जोड़वाने की व्यवस्था करें ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? कनेक्शन कब तक जोड़ा जायेगा और अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**-- जी हां । जी हां । लाइन जोड़ने हेतु कई बार प्रयास किये गये और अन्त में दिनांक 15-6-90 को सशस्त्र पुलिस बल के हस्तक्षेप से लाइन जुड़वा दी गई ।

यह प्रश्न पुलिस विभाग से संबंधित है ।

**जनपद ललितपुर में विद्युत लोड अधिक होने के कारण वोल्टेज की कमी को देखते हुए सब स्टेशन बनाये जाने की मांग ।**

99-**श्री देवेन्द्र कुमार सिंह**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में विद्युत लोड वर्तमान में बहुत अधिक है जिसके कारण विद्युत का वोल्टेज बहुत कम रहता है ? क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिए जनपद के महरौनी मडावरा तथा तालबेहट में अतिरिक्त विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद ललितपुर में विद्युत का वोल्टेज कम रहने का मुख्य कारण पूरे जनपद की विद्युत आपूर्ति हेतु केवल एक 2×5 एम0 वी0 ए0, 66/11 के0 वी0 उपकेन्द्र का होना तथा 11 के0 वी0 फीडरों की लम्बाई अधिक होना है ।

जी हां । महरौनी में 3 एम0 वी0 ए0 तथा तालबेहट में 1.5 एम0वी0ए0 क्षमता के 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

मडावरा में 1.5 एम0 वी0 ए0 क्षमता का 33 के0 वी0 उपकेन्द्र भी स्वीकृत हो गया है । जिसके निर्माण का कार्य-क्रम अभी निश्चित नहीं है ।

**जनपद ललितपुर विकास खण्ड बार के ग्राम खैरा का फर्जी विद्युतीकरण दिखाकर लाखों रुपये हड़प लिया जाना ।**

100-**श्री देवेन्द्र कुमार सिंह**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विकास खण्ड बार के ग्राम खैरा का विद्युतीकरण 14-3-83 को दिखाकर विद्युत वितरण विभाग द्वारा लाखों रुपया हड़प लिया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस ग्राम का तुरन्त विद्युतीकरण किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--मामले की विस्तृत जांच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा की जा रही है । जांच पूर्ण होने के उपरान्त दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी

के विरूद्ध परिषद् द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच पूर्ण होने के उपरान्त ग्राम को विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा घोषित योजना के तहत सम्मिलित किया जायेगा और योजना स्वीकृत होने के पश्चात् ग्राम के विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**ग्रीष्म काल में अलीगढ में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग।**

101---**श्री कृष्ण कुमार नवमान**---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई जून में जब विद्युत की आवश्यकता अपनी चरम सीमा पर होती है, सरकार ने विद्युत आपूर्ति की क्या व्यवस्था की है? क्या सरकार अलीगढ़ के छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों का विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---माह मई व जून 90 में परिषद् द्वारा तापीय विद्युत गृहों में अधिकतम विद्युत उत्पादन करने के प्रयास किये गये। मई के महीने में कोयले की समुचित आपूर्ति न किये जाने के कारण तापीय उत्पादन लक्षानुसार न हो सका। बृहद तापीय इकाइयों के प्लांट लोड फैक्टर इन माहों में निम्नवत् रहे--

| | |
|---|---|
| मई 1990 | 48.5 |
| जून 1990 | 51.08 |

अलीगढ़ नगर एक विशेष श्रेणी का नगर है जिसे 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। वहां लगे हुए छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को विद्युत आपूर्ति अलीगढ़ नगर के समकक्ष की जाती है। परन्तु प्रणाली में विद्युत उपलब्धता तथा मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए कभी-कभी निर्धारित विद्युत आपूर्ति में आपातकालीन कटौती करनी पड़ती है।

**उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की कासिमपुर इकाई में स्वीपर के स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्ति करने की मांग।**

102---**श्री कृष्ण कुमार नवमान**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की कासिमपुर इकाई में स्वीपर्स के कितने पद कितने-कितने समय से रिक्त पड़े हैं? क्या 21 अगस्त, 1989 में कुछ पदों की पूर्ति के लिए साक्षात्कार लिए गए थे? यदि हां, तो उनको अभी तक क्यों नहीं भरा गया? इकाई में खाली सभी पदों को कब तक भर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---मार्च 1990 से स्वीपर के तीन पद रिक्त हैं।

जी हां। साक्षात्कार के पश्चात् ऐसे पद चयन कर नियुक्ति द्वारा भरे जा चुके हैं।

चूंकि नव नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है अतः उपर्युक्त 3 रिक्त पदों को भरना सम्भव नहीं है।

**सेवा निवृत्त मुख्य लिपिक श्री रमाशंकर त्रिपाठी राज्य विद्युत परिषद के देयों के भुगतान की मांग ।**

103--डा0 **दिनेश जौहरी**--क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्री रमा शंकर त्रिपाठी मुख्य लिपिक के पद से 31-12-86 को विद्युत जनपद निर्माण खण्ड रामपुर बाग से रिटायर हुए थे ? क्या उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी तथा जमानत राशि का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह अभी भुगतान यथाशीघ्र करावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां । श्री रमाशंकर त्रिपाठी, मुख्य लिपिक को 12 माह के अन्तिम पेंशन तथा 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी के रूप में रु0 31990.50 धनराशि का भुगतान चेक दिनांक 1-8-87 द्वारा किया जा चुका है ।

श्री त्रिपाठी को पेंशन तथा ग्रेच्युटी के पूर्ण भुगतान हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं । सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अभिलेखों में जमानत की राशि जमा किये जाने का कोई उसमें उल्लेख उपलब्ध नहीं है ।

**जनपद गाजीपुर के दुल्लहपुर डिहिया, जखनियां सादात के विद्युत उपकेन्द्रों का खपत में होने वाली वृद्धि के अनुरुप उच्चीकृत किये जाने की मांग ।**

104--**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**--क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में दुल्लहपुर डिहिया, जखनियां सादात में कम क्षमता वाले विद्युत उपकेन्द्रों को बढ़ती खपत के कारण उच्चीकृत क्षमता में बदलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो इन्हें उच्चीकृत करने में कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता । दुल्लहपुर डिहिया पउ-केन्द्र की वर्तमान क्षमता 15×3 एम0 वी0 ए0 है और इसके भार को बांटने हेतु जखनियां मे उपकेन्द्र का निर्माण कराया गया है ।

सादात उपकेन्द्र की वर्तमान क्षमता 2×5 एम0 वी0 ए0 है और इस पर बढ़ते हुये भार को कम करने हेतु एक नया उपकेन्द्र बहरियाबाद में 1990-91 में प्रस्तावित है ।

जमानिया उपकेन्द्र का भार कम करने के लिये वर्ष 1989-90 में टढ़ूनी में एक नया उपकेन्द्र 1×3 एम0 वी0 ए0 क्षमता का बनाया जा चुका है ।

**जनपद देहरादून की मसूरी विधान सभा क्षेत्र में अपूर्ण विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये जाने की मांग ।**

105--**श्री रणजीत सिंह**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून की मसूरी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां तीन वर्ष से अधिक समय से विद्युतीकरण हेतु बिजली के खम्भे खड़े किए गए हैं, परन्तु अभी तक शेष कार्य पूर्ण कर

उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधा नहीं दी जा रही है ? क्या मंत्री जी उक्त संदर्भ में विभाग को निश्चित अवधि में शेष कार्य पूर्ण करने के निर्देश देंगे एवं उक्त लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद देहरादून के मंसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत केवल निम्न दो ग्राम ऐसे हैं जहां पर 3 वर्ष से अधिक समय से विद्युतीकरण हेतु खम्भे खड़े कर दिये गये थे :--

1--ग्राम--कयारा, विकास खण्ड--रायपुर।

2--ग्राम--लढ़वाकोट विकास खण्ड डोईवाला।

परन्तु उपरोक्त दोनों ग्रामों में किसी भी ग्रामवासी द्वारा विद्युत संयोजन हेतु प्रार्थना-पत्र न दिये जाने के कारण विद्युतीकरण का शेष कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

प्रश्नगत ग्रामों में ग्रामवासियों के द्वारा विद्युत संयोजन हेतु प्रार्थना-पत्र देने के उपरान्त ही विद्युतीकरण का शेष कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। इस विलम्ब के लिये कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

**कोतवाली फर्रुखाबाद में कायम मुकदमा अपराध संख्या 150/89 धारा 420/406/323/504 के नियम की जानकारी।**

106--**श्री विमल प्रसाद तिवारी**--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाली फर्रुखाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 150/89 धारा 420/406/323/504 कायम हुआ था ? यदि हां, तो क्या इसमें चालान किया गया ? यदि , नहीं तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। वादी के ही पक्षद्रोही हो जाने एवं साक्ष्य के अभाव के कारण अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

**वर्तमान सरकार के बनने के बाद अपराधों में वृद्धि की शिकायत।**

107--**श्री मस्तराम**--क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में जनता दल सरकार बनने के बाद हत्याओं व डकैतियों में वृद्धि हुई है ? यदि नहीं, तो क्या जनता दल सरकार बनने के बाद माह दिसम्बर, 89 से अप्रैल, 90 के 5 माह में उन्नाव जिले में हुई डकैतियों हत्याओं का विवरण इसी अवधि के माह दिसम्बर, 88 से अप्रैल, 89 के पूर्ववर्ती सरकार के समय में हुई डकैतियों एवं हत्याओं के आंकड़े सहित सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। उपान्तिक वृद्धि हुई है।

प्राप्त सूचना के अनुसार उन्नाव जिले में माह दिसम्बर, 89 से अप्रैल, 90 तक 12 डकैतियां तथा 56 हत्यायें हुयी हैं। दिसम्बर, 1988 से अप्रैल, 1989 तक 7 डकैतियां तथा 47 हत्यायें हुयी थी ?

**उन्नाव जिले में अपराधों के मुकदमें दर्ज न किये जाने की शिकायत ।**

108--**श्री मस्तराम**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में डकैतियों की रपटें नहीं लिखी जाती है ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि थाना हसनगंज के हरिजन ग्राम पश्चिम खेड़ा मजरे असौली में माह जनवरी, 90 मे थाना मौरांवा के ग्राम चन्दी बक्स खेड़ा मजरा लड़वा में मार्च-अप्रैल, 90 में बिक्रमादित्य यादव के यहां पड़ी डकैतियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी ? क्या यह सच है कि थाना हसनगंज की डकैती की वारदात वाद में धारा 380 आई0 पी0 सी0 में तथा थाना मौरांवा की 379 आई0 पी0 सी0 में लिखी गई थी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--उन्नाव जनपद में डकैती की रपटें लिखी जाती हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाबूलाल, निवासी बाल गोविन्द खेड़ा मजरा रामपुर असौली थाना, हसनगज के यहां दिनांक 24/25-1-90 की रात में चोरी हुई थी इस घटना की सूचना वादी श्री बाबूलाल ने दिनांक 28-1-90 को उक्त थाने पर दी जिस पर मुकदमा अपराध सख्या-21/90 धारा 380 भा0 द0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना से 3 अभियुक्त बन्दी बनाये गये तथा कपड़े व चोरी का माल भी बरामद किया गया ।

थाना मौरावां के ग्राम चन्दी खेड़ा मजरा लड़वा में श्री महेश कुमार जिनके साथ श्री बिक्रमादित्य पुत्र श्री जोधा यादव व श्री बाला पुत्र गजराज आदि भी थे कि लिखित सूचना पर 20-2-90 को अभियुक्त राम अधार निवासी उक्त व 5/6 व्यक्ति अन्य, नाम पता अज्ञात के विरूद्ध मु0 अ0 स0 42/90 धारा 147/452/323/506/307 भा0द0 वि0 पंजीकृत किया गया। इस संबंध में विवेचना के दौरान जांच से मामला डकैती पाया गया जिसे 26-3-90 को अन्तर्गत धारा--395/397 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया गया। विवेचना से अब तक 5 अभियुक्त बन्दी बनाये गये और लूट का माल भी बरामद किया गया ।

जी हां । बल्कि वादी की लिखित सूचना के आधार पर थाना हसनगंज में अभियोग धारा 380 भा0 द0 वि0 दर्ज किया गया एव थाना मौरावां में धारा 147/452/323/506/307 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ जो विवेचना से धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया ।

**जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हसनगंज के कतिपय गांवों में फर्जी विद्युतीकरण ।**

109--**श्री मस्तराम**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र हसनगंज जनपद उन्नाव के ग्रामों चम्कुशहरी, सेमरा, भटरिया ब्लाक हसनगंज मुस्तफाबाद ब्लाक मियांगंज तथा औरास ब्लाक में अदमापुर और शीमऊ में विद्युतीकरण किस वर्ष हुआ है ? क्या यह सच है कि विद्युतीकरण का कार्य कागज पर फर्जी दिखाया गया है जबकि उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद उन्नाव के प्रश्नगत गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नलिखित है :---

| ब्लाक | गांव का नाम | कोड सं0 | विद्युतीकरण की स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1--हसनगंज | 1. चक्कु सेहरी | 233 | विद्युतीकरण नहीं हुआ है। |
| | 2. सिमरा | 320 | तदैव |
| | 3. मटरिया | 302 | 1984 में एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया गया। |
| 2--मियांगंज | मुस्तफाबाद | 205 | 1985 में एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया गया। |
| 3--औरास | 1. अदमापुर (फैजुल्लानगर) | 83 | 1981 में एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया गया। |
| | 2. सीमऊ | 10 | तदैव |

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मुरादाबाद के कुख्यात असलम उर्फ भौंदा गिरोह के पकड़ने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी।**

110--**श्री मो0 रिजवानूल हक**--क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि कुख्यात असलम उर्फ भौंदा का गिरोह जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर में अनेकों वर्षों से अन्तर्राज्य गिरोह के रूप में सूचीबद्ध है और इस गिरोह के सरगना भौंदा एवं नौ सक्रिय सदस्यों पर राज्य सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त कुख्यात सरगना को पकड़ने के लिये क्या कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नोल्लिखित गिरोह थाना भगतपुर पर गैंग नं0 अ.ई0 आर0-2 (एम) दर्ज है। वर्ष 1983 से सक्रिय इस गैंग में 45 सदस्य अब भी सक्रिय हैं। इस गैंग के सभी सदस्यों पर पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र द्वारा गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। बाद में इसके 8 सदस्यों पर इनाम की धनराशि में वृद्धि कर दी गयी थी। असलम उर्फ भौंदा कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जनपद व स्थानीय पुलिस निरन्तर प्रयासरत है। थाना भगतपुर की पुलिस द्वारा 18, थाना--भोजपुर की पुलिस द्वारा 5 तथा थाना मूंडापाण्डे की पुलिस द्वारा 5 दबिशे दि0 26--6--90 तक दी गई हैं। वर्ष 1989 से इसकी गिरफ्तारी के संबंध में जनपद में स्पेशल स्क्वाड की स्थापना की गई है।

**विगत वर्ष 1989-90 में जनपद बलिया के उर्जीकृत गांवों का विवरण।**

111--**श्री राजधारी**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में वर्ष 1989--90 में ग्रामीण ऊर्जीकृत (विद्युतीकरण) योजना के अन्तर्गत कितने गांव को ऊर्जीकृत हुये ? क्या सरकार लक्ष्य पूरा न होने के कारणों को बतलाने और उन पर विचार करने की कृपा करेगी।

**श्री मुलायम सिंह यादव**-- जनपद बलिया में वर्ष 1989-90 में एल0 टी0 मेंस बिछाकर कुल 23 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था । निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कुल 23 ग्राम ऊर्जीकृत हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में पशु-महाविद्यालय खोले जाने की योजना ।**

112--**श्री जय शंकर पाण्डेय**--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में पशु महाविद्यालय खोले जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब तक पशु महाविद्यालय की योजना को कार्यान्वित कर देगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--सूचना एकत्र की जा रही है ।

**विद्युत परिषद् के स्थानान्तरण नीति के अनुसार गोरखपुर में कार्यरत सहायक अभियंता श्री पी0 सी0 चौधरी के स्थानान्तरण की मांग ।**

113--**श्री शिव प्रताप शुक्ला**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् की स्थानान्तरण नीति के अनुसार विद्युत विभाग में सहायक अभियन्ता किसी सब डिवीजन में कितने वर्ष तक रह सकता है ? क्या गोरखपुर में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री पी0 सी0 चौधरी एक ही सब डिवीजन में विगत 8 वर्षों से एक ही स्थान पर है ? यदि हां, तो सरकार उन्हें उस सब डिवीजन से हटाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक सहायक अभियन्ता किसी सब डिवीजन में सामान्यतः 3 से 4 वर्ष तक रह सकता है ।

जी हां ।

इस वर्ष 1990 के वार्षिक स्थानान्तरण में श्री चौधरी को गोरखपुर क्षेत्र से लखनऊ क्षेत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

**जिला कृषि अधिकारी देवरिया के कार्यालय का कोषाध्यक्ष को पिछले अठारह वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत रहने की शिकायत ।**

114--**श्री श्रीराम चौहान**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी देवरिया के कार्यालय का कैशियर विगत 18 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण नीति के अनुसार उसका स्थानान्तरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--श्री रमाकान्त सिंह कैशियर दिनांक 1-8-73 से एक ही पद पर कार्यरत थे ।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार श्री सिंह का पटल दिनांक 5-5-90 को बदल दिया गया है ।

**एग्रो में अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के ही पद स्वीकृत होने के बाद भी प्रबन्ध निदेशक द्वारा चार अन्य महा प्रबन्धकों के पद सृजित करने का औचित्य ।**

115--**श्री श्रीराम चौहान**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डिस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के संचालन हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद स्वीकृत थे ? क्या यह सही है कि प्रबन्ध निदेशक ने संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (आई0 ए0 एस0), महाप्रबन्धक कम्प्यूटर, महाप्रबन्धक सर्विसेज, महाप्रबन्धक उत्पादन एवं महाप्रबन्धक बित्त के नये पदों का सृजन किया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा नये पद के सृजन (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) पर लगी रोक के बावजूद नये पदों के सृजन का क्या औचित्य है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**-- जी हां । जी हां । निगम के निदेशक मंडल ने बिना वेतनमान बदले पूर्व सृजित पदों को महाप्रबन्धक कम्प्यूटर, महा प्रबन्धक सर्विसेज, महा प्रबन्धक उत्पादन एवं महा प्रबन्धक उत्पादन महाप्रबन्धक वित्त के नये नाम दिए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री ज्ञानेन्द्र सिन्हा एडवोकेट वाराणसी द्वारा उप-पुलिस महा निरीक्षक वाराणसी के अत्याचार के संबंध में गृह मंत्री को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी ।**

116--**श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)**--गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी के एडवोकेट श्री ज्ञानेन्द्र सिन्हा का पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1990 जो कि संगीर हत्याकाण्ड के सही अपराधी का पता लगाने के लिए गुप्तचर और श्री सिन्हा के घर की गयी कुर्की में स्थानीय पुलिस की ज्यादती से संबंधित है, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--श्री ज्ञानेन्द्र सिन्हा, एडवोकेट वाराणसी का दिनांक 10-1-1990 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनका दिनांक 4-1-90 का पत्र श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी) भू0 पू0 विधायक के पत्र दिनांक 9-1-90 पुलिस उप-महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र के पत्र दिनांक 3-2-90 के माध्यम से ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को प्राप्त हुआ । आवेदन-पत्र में अंकित आरोपों की जांच की गई । जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

**फैजाबाद परिक्षेत्र के उप निरीक्षकों का थानाध्यक्ष के पदों पर प्रोन्नति का मामला ।**

117--**श्री ऊदल**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद परिक्षेत्र में कितने उप निरीक्षकों का थानाध्यक्ष पद पर प्रोन्नति हेतु प्रकरण डी0आई0जी0 कार्यालय में लम्बित है ? उनका अनुमोदन कब किया जायेगा ? क्या यह सच है कि थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी में वर्ष 87-88 से अभी तक कार्यरत उप निरीक्षक का प्रोन्नति संबंधी प्रत्यावेदन भी लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? इसमें बिलम्ब का कारण क्या है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना नुसार फैजाबाद परिक्षेत्र से सम्बन्धित किसी भी उप निरीक्षक का प्रकरण थानाध्यक्ष पद पर प्रोन्नति हेतु डी0 आई0 जी0 कार्यालय में लम्बित नहीं है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज में विधान परिषद मतदान केन्द्र पर हुए मतदान के संबंध में परगना मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस फतेहपुर की रिपोर्ट का प्रतिफल।**

118—**श्री ऊदल** : क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड सुरतगंज जनपद बाराबकी के पोलिंग स्टेशन पर विधान परिषद् मतदान तिथि दिनांक 15-5-90 के सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस फतेहपुर बाराबकी ने कोई अपनी जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाराबकी को दी थी ? यदि हां, तो उसमें किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्र के लोगों को दोषी बताया गया है ? दोषी लोगों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—जी हां । रिपोर्ट में थाना मोहम्मदपुर खाला के थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह यादव तथा कानस्टेबिल वीरेन्द्र सिंह को दोषी बतलाया गया दोनों को उक्त थाने से स्थानान्तरित कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट बाराबकी ने अपर जिला मजिस्ट्रेट बाराबकी से पुनः तथ्यात्मक आख्या मांगी है।

**बदायूं से कछला मार्ग के बीच हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण ।**

119—**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य** : क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं जनपद में बदायूं से कछला के बीच 1 मार्च 90 से 20 मई 90 तक कितनी सड़क दुर्घटनायें हुयीं एवं उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? सरकार ने मृत व्यक्तियों के परिवारों को कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बदायूं में बदायूं से कछला के बीच दिनांक 1 मार्च, 90 से 20 मई, 90 तक की अवधि में कुल 8 सड़क दुर्घटनायें हुयी जिनमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । अभी तक मृतकों के आश्रितों को कोई धनराशि वितरित नहीं की गयी है ।

**वाराणसी के वरुणा संगम राजघाट फोर्ट पर पंचकोसी यात्रा मार्ग के तीन मंदिरों की सुरक्षा की मांग ।**

120—**श्री शिवकरन सिंह** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के वरुणा संगम राजघाट फोर्ट पर पचकोशी यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले तीन मन्दिरों क्रमशः श्री आदि केशव, पचकोशी न0 93, श्री संगमेश्वर पंचकोशी न0 94 तथा सर्व विनायक पंचकोशी न0-95 को अनाधिकृत कब्जों से मुक्त करायेंगी ? क्या सरकार द्वारा मन्दिरों को तोड़कर अवैध निर्माण करने वाले दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—प्राप्त सूचनानुसार तीनों मंदिर एवं थाने जाने के मार्ग सुरक्षित है एवं किसी प्रकार तोड़ फोड़ अथवा अवैध निर्माण मंदिरों में नहीं पाया गया। शेष प्रश्न नहीं उठते ।

**उन्नाव में सहकारी कोल्ड स्टोरेज में विद्युत चोरी की शिकायत ।**

121—**श्री शिव प्रताप शुक्ला**—क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में स्थित निजी कोल्ड स्टोरेज में बिजली की खपत सहकारी कोल्ड स्टोरेज से कम है ? क्या यह सही है कि माह मार्च 1989 में सहकारी कोल्ड स्टोरेज जिसकी भण्डारण क्षमता 2244 टन तथा भण्डारित मात्रा 2483 टन थी उसमें बिजली की खपत 35520 यूनिट रही जबकि इसी समय में मेसर्स अमीन सन्स कोल्ड स्टोरेज जिसकी भण्डारण क्षमता 4219 टन तथा भण्डारित मात्रा 4900 टन थी जिसमें बिजली की खपत केवल 29446 यूनिट । मेसर्स उन्नाव आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज जिसकी भण्डारण क्षमता 3152 टन तथा भण्डारित मात्रा 3610 टन थी में बिजली की खपत 34000 यूनिट हुई ? क्या यह स्पष्ट है कि सहकारी कोल्ड स्टोरेज के अलावा अन्य कोल्ड स्टोरेजों में बिजली की चोरी की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सहकारी कोल्ड स्टोरेज में बिजली की चोरी की जाती है ? यदि हां, तो विभागीय अधिकारियों (अधिशासी अभियन्ता एवं उप खण्ड अधिकारी नगर क्षेत्र) के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी तथा जो सरकारी राजस्व की हानि हुई है क्या उसकी वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—सहकारी कोल्ड स्टोरेज उन्नाव की वर्ष 1988-89 मे भण्डारण क्षमता 2244.8 टन तथा भण्डारित मात्रा 2488.4 टन एवं माह मार्च, 89 में विद्युत की खपत (32 दिन का उपभोग) 35520 यूनिट रहा । मेसर्स अमीन सन्स कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता 4219.2 टन तथा भण्डारित मात्रा 4900 टन एवं माह मार्च, 89 में मीटर द्वारा नापी गयी विद्युत की खपत (केवल 28 दिन का उपभोग) 29446 यूनिट आया था अतः इसी माह का 14555 यूनिट का अतिरिक्त निर्धारण का बिल माह दिसम्बर 1989 में प्रेषित किया गया एवं वसूली भी कर ली गयी अर्थात् माह मार्च 89 में 44001 यूनिट का बिल किया गया जो वसूल भी हो गया । मेसर्स उन्नाव आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता 3153.92 टन तथा भण्डारित मात्रा 3610.16 टन थी एवं माह मार्च 89 में विद्युत खपत (31 दिन का उपभोग) 34046 यूनिट रहा । अतः कुछ निजी कोल्ड स्टोरेजों की खपत सहकारी कोल्ड स्टोरेज की विद्युत खपत से ज्यादा है जबकि कुछ की कम है । कोल्ड स्टोरेजों की विद्युत खपत मुख्यतः उनके परिकल्प, भण्डारण विधि, भण्डारित मात्रा तथा उनके रख-रखाव पर बहुत कुछ निर्भर करती है । विद्युत की खपत में अप्रत्याशित कमी पाने पर उसकी जांचोपरान्त अतिरिक्त निर्धारण किया जाता है । समय-समय पर जांच भी की जाती है तथा त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित उपभोक्ता से वसूल की जाती है तथा विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है ।

**उन्नाव जनपद में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता श्री ए0 एन0 सिंह तथा अधिशासी अभियंता श्री शिव पूजन राम मौर्य का अनियमित स्थानान्तरण ।**

122—**श्री शिव प्रताप शुक्ला**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा घोषित स्थानान्तरण नीति में यह प्राविधान है कि जिन अधिकारियों/अभियन्ताओं की विजीलेन्स जांच लम्बित हो उनको गैर वित्तीय व असंवेदनशील पदों पर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उन्नाव जिले के सहायक अभियन्ता श्री ए0 एन0 सिंह और अधिशासी अभियन्ता श्री शिवपूजन राम मौर्य के विरूद्ध गम्भीर अनियमितताओं के सिलसिले में विजिलेन्स जांचें लम्बित हैं, के बावजूद उन्हें गैर वित्तीय और असंवेदनशील पदों पर स्थानान्तरित नहीं किया गया ? क्या इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं । अधिकारियों एवं अभियन्ताओं के संबंध में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में परिषद् द्वारा किये गये स्थानान्तरणों में यह प्रयास किया गया है कि जिन अधिकारियों/अभियन्ताओं के विरूद्ध सर्तकता जांच चल रही है हो, जिसमें अधिकारी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया गम्भीर अनियमितताओं के आरोप पाये जायें तथा जिन्हें कई बार/गम्भीर दंड दिया जा चुका हो, उन्हें यथा संभव संवेदनशील पदों पर न रखा जाय ।

श्री शिव पूजन मौर्य, अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध कतिपय आरोपों के संबंध में परिषद् की सतर्कता शाखा के माध्यम से जांच कराये जाने के आदेश दिनांक 12-6-90 को निर्गत किये गये हैं । जांच रिपोर्ट अभी परिषद् में प्राप्त नहीं हुई है । चूंकि जांच के आदेश निर्गत होने के पूर्व ही श्री मौर्य को स्थानान्तरित किया जा चुका था एवं उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई गम्भीर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है अतएव श्री मौर्य का स्थानान्तरण उपरोक्त से आवृत्त नहीं होता है ।

श्री ए0 एन0 सिंह, सहायक अभियन्ता जिला उन्नाव के विरूद्ध परिषद् की सर्तकता शाखा में जांच लम्बित है । श्री सिंह को उपखंड अधिकारी चतुर्थ (टाऊन) उन्नाव के पद से सहायक अभियन्ता (राजस्व) सीतापुर के पद पर स्थानान्तरित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् नियमावली वर्ष 1984 में निदेशक को दिये गये कार्य अधिकार ।**

123--**श्री रमाकान्त यादव**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 में सेवा नियमावली वर्ष 1984 में बनायी गयी जिसमें मण्डी परिषद् के निदेशक को श्रेणी दो के अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति पर आये तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का श्रेणी दो में संविलियन का अधिकार (पदोन्नति करते हुये) दिया गया ? यदि हां, तो क्या सेवा नियमावली लागू होने के 2 वर्ष पूर्व नवम्बर 82 में मण्डी परिषद् में सा0नि0 वि0 से वर्ष 1977 में प्रतिनियुक्ति पर आये तदर्थ अवर अभियन्ता (वि0/या0) जिन्होंने सा0 नि0 वि0 में अपना त्याग-पत्र दिनांक 24-5-82 को दिया था उनका सहायक अभियन्ता (वि0/या0) के पद पर पदोन्नति करते हुये संविलियन प्रस्तावित सेवा नियमावली के आधार पर मण्डी परिषद् के निदेशक द्वारा किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था और क्या अवर अभियन्ताओं को अनियमित रूप से पदोन्नति देते हुये संविलियन किये जाने के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां । इस प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है ।

**मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश में उपनिदेशक (विद्युत/यांत्रिक) पर नियुक्त पद धारक के विरूद्ध शिकायत ।**

124-- **श्री रमाकान्त यादव**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मण्डी परिषद् उ0 प्र0, के वर्तमान उप निदेशक (वि0/या0) की मण्डी परिषद् में दिनांक 20-11-82 को मण्डी परिषद् के निदेशक द्वारा सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) पद पर नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि उनका संविलियन किया गया ? यदि हां, तो क्या उनके मूल विभाग सा0 नि0 वि0 से अनुमति प्राप्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्या उनके द्वारा त्याग पत्र दिया गया ? क्या त्याग-पत्र देने वाले कर्मचारी का संविलियन किया जाना शासनादेश के विरूद्ध है ? यदि हां, तो क्या मण्डी परिषद् से इनकी सेवायें समाप्त की जायेंगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--नियुक्ति नहीं वरन् संविलियन किया गया।

जी हां। आमेलन के नियमों के अनुसार उनके द्वारा त्याग पत्र दिया गया था।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपनिदेशक विद्युत/यांत्रिक मण्डी परिषद् लखनऊ की व्यक्तिगत पत्रावली आदि का मूल विभाग सा0 नि0 वि0 से मण्डी परिषद् का स्थानान्तरित किया जाना।**

125--**श्री रमाकान्त यादव**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उप निदेशक (वि0मा0) मण्डी परिषद् लखनऊ की व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका इनके मूल विभाग स0 नि0 वि0 से मण्डी परिषद् में प्राप्त करा दी गयी है तथा इनकी सामान्य भविष्य निधि तथा कटौतियों की समस्त धनराशि स0 नि0 वि0 से मण्डी परिषद् में स्थानान्तरित कर दी गयी है? यदि नहीं तो क्या यह धनराशि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा निकाल ली गयी है? यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया संविलियन के नियमों के अनुरुप है? यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--केवल सेवा पुस्तिका प्राप्त हुई है।

जी दहीं

जी नहीं। इसका परीक्षण किया जा रहा है।

**उत्तर प्रदेश राज्य मंडी परिषद् में प्रति नियुक्ति पर वर्ष 1977 के आये कतिपय अपर अभियन्ताओं द्वारा निर्धारित समय के बाद प्रार्थना-पत्र देने पर मंडी अधिकारियों द्वारा संविलियन किये जाने की शिकायत।**

126--**श्री शिव कुमार बोरिया**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977 में प्रतिनियुक्ति पर आये किन-किन अवर अभियन्ताओं द्वारा अपने योगदान तिथि के 3 वर्ष की अवधि के भीतर मण्डी परिषद् में संविलियन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए गए? क्या यह सच है कि कुछ अवर अभियन्ताओं का तीन वर्ष के बाद आवेदन पत्र दिये जाने के बावजूद संविलियन/पदोन्नति देते हुये कर लिया गया? यदि हां, तो क्यों और इस शासनादेश के विरूद्ध किये गये नये संविलियन को क्या निरस्त किया जायेगा?

**श्री मुलायम सिंह यादव** - केवल एक अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) द्वारा संविलियन का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

परीक्षण किया जा रहा है।

**वर्ष 1977 में मण्डी परिषद में प्रति नियुक्ति पर बुलाये गये अपर अभियन्ताओं का नाम एवं विवरण।**

127--**श्री सुरेश यादव तथा श्री रवीन्द्र कुमार सिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मण्डी परिषद् में वर्ष 1977 में कितने अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) प्रतिनियुक्ति पर किन-किन विभागों से कितनी अवधि के लिए बुलाये गये और क्या उन्हें अपने मूल विभागों में अवधि पूर्ण होने पर वापस भेज दिया गया? यदि नहीं, तो किन-किन अवर अभियन्ताओं को किन परिस्थितियों में वापस नहीं भेजा गया और जिन्हें वापस भेजा गया उन को वापस भेजने का आधार क्या था? क्या यह सच है कि प्रतिनियुक्ति पर आय अवर

अभियन्ताओं एवं तदर्थ अवर अभियन्ताओं को उनके मूल विभाग की संस्तुति लिए बिना मण्डी परिषद् में सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी ? यदि हां, तो पदोन्नति करने का आधार क्या था ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--वर्ष 1977 में केवल एक अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के अनुरुप बुलाया गया।

जी नहीं। पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

**राज्य मण्डी परिषद् के उपनिदेशक (वि0/यां0) की प्रति नियुक्ति का एवं उसकी शर्तों का मामला।**

128--**श्री सुरेश यादव तथा श्री रवीन्द्र कुमार सिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 8-7-77 को सा0 नि0 वि0 के कुछ तदर्थ अवर अभियन्ताओं (विद्युत/यांत्रिक) को राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश में अवर अभियन्ता (वि0/या0) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर योगदान कराया गया जिन्हें वर्ष 1981 में उनके मूल विभाग सा0 नि0 वि0 की संस्तुति के बिना मण्डी परिषद् में सहायक अभियन्ता (विद्युत/या0) बना दिया गया जबकि उन्हें सा0 नि0 वि0 के पत्रांक सं0 17-7-32 ई0डी0/24 ए0 डी0 ए0/80 दिनांक 27-11-80 के अनुसार दिनांक 7-7-82 को मूल विभाग में वापस जाना था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त अवर अभियन्ता लोक सेवा आयोग उ0प्र0 से अनुमोदित एवं स्थायी कर दिये गये थे ? यदि नहीं, तो इनकी पदोन्नति किस आधार पर की गयी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--पत्र एक अवर अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति पर योगदान कराया गया उन्हें वर्ष 1981 में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करने के लिये तैनात कर दिया गया था। मूल "विभाग ने इसके लिये कुछ आपत्ति नहीं" प्रमाण पत्र शर्तों के अधीन दिया था।

जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

**जनपद जालौन के विकास खण्ड माधौगढ में आलू उत्पादन को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग।**

129--**श्री शिवराम सिंह कुशवाहा**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधोगढ विकास खण्ड में जो आलू उत्पादक बाहुल्य क्षेत्र हैं, कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--विकास खण्ड माधोगढ जनपद जालौन में आलू के उत्पादन के आधार पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना व्यवहारिक नहीं है। इस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज खोलने हेतु किसी व्यक्ति/सहकारी समिति का कोई आवेदन पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

**मऊ जनपद के घोसी विधान सभा क्षेत्र में चली रही कच्ची शराब की भट्टियों को समाप्त करने की योजना**

130--**श्री सुभाष**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से सम्बन्धित घोसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी थानों में बढ़ते हुये अपराधों के कारणों में से एक कारण वहां भारी मात्रा में चल रही अवैध शराब की भट्टियां भी हैं ? क्या उन अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को समाप्त करने की कोई योजना सरकार के पास है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**-- जी नहीं । कोई विशिष्ट योजना केवल इसी कार्य के लिए नहीं है । परन्तु सभी प्रकार के आबकारी अपराधों जिसमें अवैध मद्यनिष्कर्षण प्रमुख है, को नियन्त्रित करने हेतु आबकारी विभाग ने मण्डल स्तर पर प्रवर्तन दल गठित किये हैं जो अवैध मद्य निष्कर्षण पर कड़ी निगाह रखते हैं एवं प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाहियां समय-समय करते रहते हैं। कच्ची शराब की भट्टियों की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्यवाही की जाती है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री जय शंकर लाल श्रीवास्तव फिजियोलोजी शाखा कृषि सेवा वर्ग-1 का अनियमित विनियमितीकरण**

131--**श्री राम बचन धुसिया**-- क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनस्पति शाखा में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 (बनस्पति) से उत्तर प्रदेश शाखा से तथा कितनी प्रोन्नतियां फिजियोलाजी शाखा से दिनांक 27-10-87 को हुयी हैं ? क्या यह सही है कि फिजियालाजी शाखा में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के पद पर अनुमोदित श्री जयशंकर लाल श्रीवास्तव का अनियमित विनियमितीकरण वर्ग-1 में करके वरिष्ठता बनस्पति शाखा में देकर प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत इनका विनियमितीकरण किया गया तथा क्या ये विनियमितीकरण के पात्र थे ? यदि नहीं, तो तथ्यों को छिपाकर नियमों के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध तथा गलत प्रोन्नति के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--सूचना एकत्रित की जा रही है।

**औरास पुलिस उन्नाव द्वारा जनता दल के नेताओं पर किये गये उत्पीड़न की शिकायत**

132--**श्री हृदय नारायण**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना औरास जनपद उन्नाव की पुलिस द्वारा जनता दल के नेताओं पर किये गये उत्पीड़न के विषय में प्रश्नकर्ता की टिप्पणी सहित पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 को प्रेषित जनता दल के नेता श्री ओंकार सिंह के दिनांक 26-4-90 के पत्र के जांच की निष्कर्ष क्या है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, हसनगज, उन्नाव द्वारा की जा रही है। जांच प्रचलित है।

**ऊर्जा विभाग के एक सहायक अभियंता के स्थानान्तरण के संबंध में भर्ती के आदेशों का पालन न होने की शिकायत**

133--**श्री हृदयनारायण** --क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में कार्यरत एक सहायक अभियन्ता के खिलाफ प्राप्त तमाम शिकायतों के लिय ऊर्जा

मंत्री ने अपने आदेश संख्या 2541 दिनांक 4-8-89 द्वारा उक्त सहायक अभियन्ता को वाराणसी से हटाकर उसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ तथा क्या सरकार अब तक उस पर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में प्राप्त तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी के कार्यालय के पत्र संख्या-2541, दिनांक 4-8-89 में किसी सहायक अभियन्ता का उल्लेख नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सूखा राहत कार्य हेतु हैचरियो के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की शिकायत एवं जांच की मांग**

134--**श्री मोहम्मद रिजवानूल हक**--विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुपालन एवं मत्स्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूखाराहत योजना के अन्तर्गत काशीपुर नैनीताल में बनायी गयी हैचरियों में लाखों रुपया हड़प लिया गया था जिसकी जांच करायी जा रही थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हुयी और क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मोहम्मद आजम खां**--सूखाराहत योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल स्थित काशीपुर हैचरी के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि में अनियमितता की शिकायतों की जांच की गयी है। प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 मत्स्य विकास निगम द्वारा सम्प्रेषित जांच आख्या शासन के परीक्षणाधीन है।

**जनपद बांदा की तहसील सदर बांदा में ग्राम खपटिहा कलां के गाटा संख्या 356 पर जाकर खनन का अवैध पट्टा जारी करके काबिज नियमों एवं अनुबन्धों का उल्लंघन**

135--**श्री राम प्रसाद सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के अन्तर्गत तहसील बांदा ग्राम खपटिहा कलां के गाटा सख्या 356 रकबा 5 एकड़ का बालू खनन पट्टा जारी करके उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियमों व अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार ठेकेदार जगतराज सिंह को कार्य की अनुमति दी गयी थी परन्तु दिनांक 8 फरवरी, 90 की रात्रि में उप निरीक्षक आनन्द प्रकाश सोनकर एवं क्षेत्राधिकारी नगर, बांदा डा0 तहसीलदार सिंह द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के समय नियमों एवं अनुबन्धों का उल्लंघन करते पाया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या नियम एवं अनुबन्धों के उल्लंघन से पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है ? यदि हां, तो पट्टे निरस्त न किये जाने का क्या औचित्य है ? यह कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां । जी हां । पट्टेदार तथा मुन्शी के विरूद्ध थाना तिन्दुवारी में मुकदमा अपराध सख्या शून्य/90 धारा 379/420 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली के नियम 60 के आधार पर श्री जगत राज सिंह पट्टेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस

में वांछित उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण करके यदि पट्टेदार द्वारा पट्टे के नियमों एव अनुबन्धों का उल्लेघन किया जाना सिद्ध होता है तो तद्नुसार पट्टा निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

**संदर्भित मामले की जांच अधिकारी द्वारा जांच किये जाने की जानकारी**

136—**श्री सुन्दर लाल**--विधान सभा के द्वितीय सत्र 90 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या--42 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित मामले में अब तक जांच अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंच कर जांच की कार्यवाही सम्पन्न की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के जांच अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करके मानचित्र तैयार किया गया एवं अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही की गई । सम्प्रति मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच प्रचलित है ।

**जौनपुर सीमेन्ट प्रोडक्ट मानी कलां के उत्पादन बिक्री का सत्यापन का मामला**

137--**श्री अमर नाथ यादव**--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के जौनपुर सीमेन्ट प्रोडक्ट मानीकला ने जिला उद्योग केन्द्र के पत्रांक 13437 दिनांक 9--3--83 के द्वारा नोटिस पाने के बाद उत्पादन बिक्री किया है ? यदि हां, तो इकाई द्वारा उत्पादन बिक्री का सत्यापन क्या प्रतिदिन कराया गया है ? क्या सत्यापन के समय इकाई के विरूद्ध सत्यापन करने वाले कर्मचारी ने अनियमितता की कोई शिकायत की थी ? यदि हां, तो वह तिथि और कर्मचारी का नाम क्या है ? प्रश्नगत इकाई का पंजीयन निरस्त करने के लिए डी0 जी0 सी0 सिविल की वैधानिक राय किस दिनांक को ली गई उसका पूरा विवरण क्या है ? डी0 जी0 सी0 सिविल की वैधानिक राय लेने के पश्चात क्या इकाई को 30 दिन पूर्व की कारण बताओ नोटिस दी गयी ? यदि हां, तो उसका दिनांक पत्रांक क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। उत्पादन का सत्यापन नियमित रूप से कराया गया है परन्तु बिक्री का सत्यापन नियमित कराया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

जी नहीं। दिनांक 17- 2--84 को डी0 सी0 जी0 की राय ली गयी थी। राय में इंगित किया गया था कि स्थगन आदेश समाप्त होने के कारण कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया का पालन किया जाय।

जी नहीं । विवरण उपलब्ध नहीं है ।

**परगना मजिस्ट्रेट सोराव इलाहाबाद के आदेश का थानाध्यक्ष होलागढ़ उन्नाव द्वारा पालन न किये जाने की शिकायत तथा कार्यवाही की मांग**

138--**श्री रामचन्द्र बख्श सिंह**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 एन0 दूबे, परगना मजिस्ट्रेट , सोरांव, इलाहाबाद ने दिनांक 11--4--89, 1-9-89

तथा दिनांक 5-10-89 को श्री राज नारायण पुत्र श्री रामलाल निवासी हसनपुर सोरांव के अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में कोई आदेश थानाध्यक्ष, होलागढ़ को दिया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया ? क्या मुख्य मंत्री जी उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां । परगना मजिस्ट्रेट सोरांव जनपद इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष होलागढ़ द्वारा दिनांक 22-10-89 को श्री राजनारायण पुत्र राम पाल के अवैध कब्जा को हटाकर प्रधान गांव सभा हसनपुर को कब्जा दिलवा दिया गया है, अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**माम्ब ऊलेन प्राइवेट लिमि0 जमुनीपुर भदोही वाराणसी को भदोई विद्युत डिवीजन द्वारा अवैध मात्रा में विद्युत दिये जाने की शिकायत**

139--**श्री ऊदल**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माम्ब ऊलेन प्राइवेट लिमिटेड, जमुनीपुर, भदोही की भदोही विद्युत डिवीजन ने कितने हार्स पावर का कनेक्शन दिया है ? क्या यह सही है कि यह ऊलेन मिल 80 हार्स पावर का मोटर चलाती है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से करायेगी और जांच में दोषी पाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, भदोही के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--माम्ब ऊलेन प्राइवेट लिमिटेड जमुनीपुर को 100 हार्स पावर का कनेक्शन दिया गया है । ऊलेन मिल में कुल छोटी बड़ी मोटरों की चलाने की सम्मिलित क्षमता 92 हार्स पावर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सेवा निवृत्त एकाउन्टेन्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय गाजीपुर के देयों के भुगतान में विलम्ब की शिकायत**

140--**श्री ऊदल**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गया प्रसाद श्रीवास्तव एकाउन्टेन्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गाजीपुर 1-12-88 को रिटायर हो गये और इनका पेंशन राशि धन सताइस हजार दो सौ सैंतिस रु0 पचासी पैसे तथा पांच हजार नौ सौ बयासी रु0 पचीस पैसे शेष उपादान का धन तथा अन्य भुगतान अभी नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों धनों का प्राधिकार पत्र पुलिस मुख्यालय के क्रमशः पत्र सं0 पुलिस-6-820/सी-5459/89 एवं पत्र सं0 पुलिस-6-820/पी-7804/89, दिनांक 22-4-89 के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गाजीपुर में माह मई, 89 में प्राप्त हो गया है और उस पर गया प्रसाद के हस्ताक्षर भी करा लिये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार तुरन्त उपरोक्त पावनों तथा अन्य पावनों का भुगतान करने का आदेश देगी और विलम्ब के कारणों की जांच करायेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां, । सेवा निवृत्त आंकिक श्री गया प्रसाद श्रीवास्तव के पेंशन राशिकरण एवं शेष उपादान धनराशि के प्राधिकार पत्र दिनांक 2-6-89 को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को प्राप्त हुए जिसे दिनांक 9-3-90 को भुगतान हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को भेजा गया ।

विलम्ब से भुगतान का यह कारण रहा है कि तत्कालीन आंकिक श्री गया प्रसाद श्रीवास्तव के अवधि के कई रेकार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे जिसकी तलाश करने हेतु उनसे कहा गया तो उन्होंने स्वयं कहा था कि जब मैं भुगतान प्राप्त करने हेतु आऊंगा उसी समय सम्बन्धित रिकार्ड तलाश करके दूंगा। जब वे अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् भी नहीं आये तो उनके उपरोक्त दोनों भुगतान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के कार्यालय द्वारा दिनांक 24-6-90 को कर दिये गये।

**सोनभद्र, धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की चोपन शाखा के खदानों को बन्द किये जाने का विवरण**

141---**श्री विजय सिंह**--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम के चोपन शाखा के खदानों को धनाभाव के कारण बन्द किया गया है? यदि हां, तो बन्द खदानों के लिए 3 लाख 75 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हेतु बारूद क्रय करने का क्या औचित्य है?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सोनभद्र राज्य खनिज विकास निगम चोपन इकाई में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता की शिकायत**

142---**श्री विजय सिंह**--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के राज्य खनिज विकास निगम लि0 की चोपन इकाई में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1990 प्रमुख सचिव, उद्योग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। शिकायतों की जांच के आदेश दिये गये हैं।

**भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का शासन स्तर पर लम्बित मामलों का विवरण**

143---**श्री गोपाल राम दास**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी कितने मामले विगत तीन वर्षों से शासन स्तर पर लम्बित हैं तथा इनसे संबंधित कितने मामलों पर प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है? इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--विगत 3 वर्षों से इस प्रकार के कुल 32 मामले शासन स्तर पर लम्बित हैं तथा इनसे सम्बन्धित सभी मामलों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**बांदा जनपद के अतर्रा पशु चिकित्सालय के प्रभारी के विरुद्ध प्रश्न कर्ता की शिकायत**

144--**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा पशु चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र संलग्नक सहित दिनांक 19-1-90 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो शिकायती पत्रों में आरोप क्या है तथा इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी? संलग्न पत्र में लिखित लोगों के अलग-अलग ब्यान लिए गये हैं और उन पर कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मोहम्मद आजम खां**--जी हां । उक्त पत्र में मुख्य रूप से पशु चिकित्साधिकारी के विरूद्ध आई0आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट देने हेतु रिश्वत लेने के आरोप लगाये गये हैं जिनकी जांच उप निदेशक, पशुपालन झांसी द्वारा की जा रही है ।

जांच अधिकारी द्वारा उक्त पत्र में अंकित शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क कर बयान लेने की कार्यवाही की जा रही है। जांच प्रचलित है ।

**145--श्री रणजीत सिंह तथा श्री बलबीर सिंह नेगी--**

[5वें गुरु में अता0 प्र0 सं0 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष भत्ता देने पर आपत्ति**

**146--श्री शिवराम सिंह कुशवाहा**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दस्यु ग्रस्त क्षेत्र भत्ता किसी संवर्ग विशेष के अधिकारी/कर्मचारी को दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**-- जी नहीं । दस्यु पीड़ित क्षेत्रों के बीहड़ों में स्थित थानों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा दस्यु विरोधी अभियान के सिलसिले में नियुक्त किये गये पी0ए0सी0, पुलिस, पुलिस मोटर परिवहन एवं रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को केवल विशेष प्रतिकर भत्ता अनुमन्य है, जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में कार्य करने, आवश्यकता से अधिक समय तक डियुटी देने एवं अतिरिक्त व्यय का सामना करने के कारण दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद वाराणसी भदोही विद्युत खण्ड अधिशाषी अभियंता श्री एस0 आर0 शर्मा एस0डी0 ओ0 श्री अमरेश राय आदि के विरूद्ध प्रश्न कर्ता की शिकायत ।**

**147--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भदोही, जनपद वाराणसी के विद्युत अधिशासी अभियन्ता श्री एस0 आर0 शर्मा, एस0 डी0 ओ0 श्री अमरेश राय आदि के विरूद्ध प्रश्नकर्ता के संलग्नक सहित शिकायती पत्र दिनांक 8-1-90 जिसकी प्राप्ति उनके द्वारा पत्र सं0 सी0 एम0 वि0 को /एम-2/20-70/घ/90, दिनांक 22-1-90 में स्वीकार की गई है, पर किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गई है ? जांच में क्या पाया गया ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी से जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी

**थाना असोहा जिला उन्नाव की पुलिस द्वारा ग्राम तेजीखेड़ा निवासी पुत्ती व राम शंकर पासी को परेशान करने की शिकायत ।**

**148--श्री हृदय नारायण**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना असोहा जिला उन्नाव के ग्राम तेजीखेड़ा निवासी पुत्ती, राम शंकर पासी नामक रिक्शाचालकों को लखनऊ शहर से 7 अप्रैल, 90 को असोहा पुलिस ने पकड़कर 14 अप्रैल, 90 तक बिना

किसी वारण्ट के थाना में रखा ? क्या श्रीमती सुर्जकला ने डी0 आई0 जी0 लखनऊ को 12-4-90 को व एस0 पी0 उन्नाव को 13-4-90 को उक्त शिकायतें की हैं ? क्या यह सच है कि शिकायतों की खबर पाकर असोहा पुलिस ने 14-4-90 को उक्त लोगों को सरोजनी नगर (लखनऊ) थाने को दे दिया ? यदि हां, तो पूरे प्रकरण पर श्रीमती सुर्जकला व मा0 सांसद सरजू प्रसाद के डी0 आई0 जी0 को प्रेषित अलग-अलग पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**----जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं। दिनांक 15-4-90 की रात्रि में पुत्ती लाल पुत्र नन्हा पासी, निवासी तेजीखेड़ा थाना असोहा उन्नाव को थाना सरोजनीनगर की पुलिस ने एक देशी तमंचा 303 बोर के साथ गिरफ्तार किया । उसके विरूद्ध मु0 अ0 सं0-68/80 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। राम शंकर को उसी दिन उक्त थाने की पुलिस द्वारा दो बोतल देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर अपराध संख्या 69/90 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

आवेदिका के प्रार्थना-पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा की गयी । प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुयी। मा0 सांसद का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिस पर उपर्युक्त दोनों अभियोग की विवेचना निष्पक्ष एजेन्सी जनपद लखनऊ के एस0 आई0 एस0 द्वारा करायी जा रही है।

## निलंबित सहायक कृषि निरीक्षक बक्शा बीज भण्डार जौनपुर को निलंबन के उपरान्त निर्वाह भत्ता दिया जाना

149-- **श्री ऊदल**--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, जौनपुर ने अपने पत्रांक 1629 दिनांक 13-12-85 द्वारा रामरतन सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक बक्सा बीज भण्डार, जिला जौनपुर को निलम्बित कर दिया था ? क्या यह सही है कि रामरतन सिंह को शासनादेश संख्या जी-2-2687/दस-182-71, दि0 16-12-79 के प्रस्तर-2 एवं उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 के नियम 53 (1) (2) (1) के अनुसार देय 2/3 निर्वाह भत्ता के स्थान पर विभाग 1/4 भाग ही निर्वाह भत्ते के रूप में दे रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां । जी हां । श्री सिंह द्वारा आरोप गत साक्ष्यों एवं अभिलेखों को देखने के उपरान्त भी समय से उत्तर नहीं दिया गया जिसके कारण शासनादेश संख्या--जी02-2687/दस/ 182-71 दिनांक 16-12-79 के प्रस्तर-2 एवं उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (प्रथम संशोधन) नियमावली 1981 के नियम 53 (1) (2) के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि को घटा कर 1/4 कर दिया गया है ।

## बांदा जनपद के बागे नदी के पार के क्षेत्र में राष्ट्रीय जलागम योजना के कार्य क्षेत्र को बढ़ाये जाने की मांग

150--**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**--क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक के बागे नदी पार के क्षेत्र में राष्ट्रीय जलागम योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह योजना किसानों तथा क्षेत्र वासियों के हित

को देखते हुये पूरे बागे नदी पार के नीचे क्षेत्र तथा रंज और ग्रो नदी के मध्य असिंचित क्षेत्र में चलाई जायगी ? इस असिंचित क्षेत्र में अनाज का उत्पादन अच्छा हो सके ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—जी हां । आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जलागम योजना का विस्तार होने पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**कृषि अभियंत्रण स्नातकों की पदोन्नति का मामला**

151—**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या-1187/12-1403/81, दिनांक 22 जून, 84 के क्रम में कितने कृषि अभियंत्रण स्नातकों को प्रतिनिधित्व के रूप में पदोन्नति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—किसी को पदोन्नति देने का औचित्य नहीं है । क्योंकि सेवा नियमावली के अनुसार अधीनस्थ सेवा वर्ग-1 से कृषि सेवा श्रेणी-2 में प्रोन्नति वर्ग-1 की ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर दिये जाने का प्राविधान है न कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर ।

**बांदा जनपद में कर्वी मुख्यालय में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्सों के नवीनीकरण संबंधित मामले**

152—**श्री राम प्रसाद सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के कर्वी मुख्यालय में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्सों के नवीकरण सम्बन्धी कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ? क्या उनका निस्तारण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—प्राप्त सूचना के अनुसार आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु 231 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ।

जी हां ।

आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार लाइसेंस नवीनीकरण के पूर्व पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है । पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त लाइसेंस नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र का निस्तारण यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।

**श्री दर्शन राय भू0पू0 विधायक एवं उनके पुत्र द्वारा लिये गये आग्नेय अस्त्र लाइसेन्स का मामला**

153—**श्री राम प्रसाद सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के कर्वी तहसील के ग्राम मरवुवा के भूतपूर्व विधायक श्री दर्शनराम के घर को जलाकर सन 88 में उनकी हत्या का प्रयास किया गया था जिसकी रपट राजापुर थाना में दर्ज की गई है ? यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या दर्शन राम भू0पू0 विधायक एवं उनके लड़के शिवदयानन्द आदि ने सुरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंसों की मांग की थी ? यदि हां, तो लाइसेंस न दिए जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त शिव दयानन्द की हत्या अपराधियों द्वारा 18-3-90 को कर दी गई ? यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इनके परिवार को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कितनी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। प्रश्नगत घटना घटित नहीं हुयी है और न ही इस संबंध में थाना राजापुर पर कोई अभियोग पंजीकृत किया गया है।

भू0 पू0 विधायक श्री दर्शन राम ने शस्त्र लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था जो विचाराधीन है। उनके पुत्र शिवदयानन्द का शस्त्र लाइसेंस हेतु कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ। श्री दर्शनराम के अन्य दो पुत्रों द्वारा श्री शिवदयानन्द की हत्या के उपरान्त शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र दिये गये हैं जो विचाराधीन हैं।

दिनांक 18-3-90 को श्री शिवदयानन्द की हत्या चुनुवा गैंग द्वारा की गयी है जिसके संबंध में थाना राजापुर जनपद बांदा पर मु0 अ0 सं0 32/90 धारा 302 भा0 द0 वि0 तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कुर्की के पश्चात मफसरी में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ग्राम सरधुवा में पी0 ए0 सी0 लगा दी गयी है। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

**प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिए उ0 प्र0 कृषि सेवा श्रेणी दो तक के पदों हेतु उप संवर्ग बनाने की मांग**

154--**श्री कुंवर सिंह नेगी**--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए उ0 प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 स्तर तक के पदों हेतु उप संवर्ग बनाने का शासनादेश संख्या: 8141/12 (1) 2232 कृषि अनुभाग-1 दिनांक 23 मार्च, 1982 निर्गत हुआ है? यदि हां, तो क्या इस शासनादेश का परिपालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। जी हां। शासनादेश का परिपालन चरण-बद्ध तरीके से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**वाराणसी के विकास खण्ड क्षेत्र भदोही के ग्राम फत्तूपुर में सब स्टेशन (विद्युत) बनाये जाने की मांग**

155--**श्री राज किशोर सिंह**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के खण्ड विकास क्षेत्र भदोही के ग्राम फत्तूपुर स्थित विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के लिए वर्ष 1981-82 में वाराणसी जनपद के परगना भदोही अन्तर्गत ग्राम समाज की 16 बीघा जमीन लीज पर ली गयी थी जिसके लिये सब डिवीजन अफसर इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन डिवीजन यू0 पी0 के पत्र संख्या 212 बी दिनांक 20-2-82 के अनुसार तीन लाख बीस हजार रुपये की धनराशि का चैक सं0 04/50-2764470 दिनांक 24-3-82 जिला अधिकारी वाराणसी के माध्यम से उ0 प्र0 सरकार के खाते में एस0 डी0 ओ0 इलेक्ट्रीसिटी भदोही, वाराणसी के पत्र सं0 620 आर0 टी0 डी0 दि0 26-2-82 द्वारा ग्राम गंगापुर भदोही वाराणसी को दी गयी सूचना के अनुसार जमा किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि ग्राम समाज फत्तूपुर दरगाह ग्राम सभा बंगला, भदोही वाराणसी के खाते में स्थानान्तरित की गयी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। [illegible] के निर्माण हेतु ग्राम समाज फत्तूपुर भदोही वाराणसी की [illegible] ली गयी।

जी हां, रु0 3,20,000/– की धनराशि स्टेट बैंक आफ इंडिया वाराणसी में जिलाधिकारी वाराणसी के पक्ष में, चेक सं0 ओ0 जी0/50276470 दिनांक 20–2–82 एवं चालान संख्या 16 दिनांक 23-2-82 द्वारा लेखा शीर्षक 229 भू राजस्व-5-अन्य प्राप्तियां–8–मालिकाना राजस्व–च प्रकीर्ण प्राप्तियां के अन्तर्गत जमा करा दी गयी थी।

जी नहीं।

जिलाधिकारी, वाराणसी ने सूचित किया है कि उक्त धनराशि राजकीय कोष के खाते में नियमानुसार जमा है एवं ग्राम जमा के खाते में इसका स्थानान्तरण नहीं होना है।

**वर्ष 1990 के प्रारंभिक चार महीनों में प्रदेश भर में हुए बम विस्फोट की जानकारी**

156–**श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह**––क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 90 से 30 अप्रैल, 90 तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कितने बम काण्ड हुये तथा कितने लोग जख्मी हुये तथा मरे ? इन बम काण्डों की जांच तथा भविष्य में सुरक्षा हेतु मुख्य मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**––दिनांक 1 जनवरी से 30 अप्रैल 1990 तक प्रदेश में चार बम काण्ड हुए जिनमें 96 व्यक्ति घायल हुए तथा 22 व्यक्ति मारे गये।

इन बम काण्डों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से की जा रही है। मुख्य-मुख्य स्थानों पर पुलिस पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों। इनकी रोकथाम के लिए विशेष रूप से गश्त की व्यवस्था की गई है।

**ग्राम मटुआफाला, थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में फतेहगंज गढिया मार्ग पर हुई जीप दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी**

157–**श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह**––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 28-4-90 को ग्राम मटुआफाला थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में 12 बजे दिन में फतेहगंज पूर्वी गढ़िया मार्ग पर एक जीप से दबकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने तत्काल क्या कार्यवाही की? उक्त जीप किसकी थी और उसका नम्बर क्या है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**––प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-4-90 को 5.45 बजे ग्राम चौकीदार, मटुआफाला, ने थाना जैतीपुर पर, आकर सूचना अंकित कराई कि लगभग 2.30 बजे दिन एक नीले रंग की जीप खेड़ा बझेड़ा की तरफ से तेजी से आई और फतेहगंज पूर्वी से सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार कर चली गयी आदि। इस सूचना के आधार पर थाना जैतीपुर पर म0 अ0 सं0 82/90 अन्तर्गत धारा 279/304 एभा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर, एक उप निरीक्षक को तुरन्त घटना स्थल पर भेजा गया जहां लाश का पंचायतनामा भरा गया और लाश पोस्टमार्टम हेतु भेजी गयी। दि0 29-4-90 को जिला अस्पताल शाहजहांपुर में लाश का पोस्टमार्टम किया गया।

घटना के तुरन्त बाद ही थाना जैतीपुर से समस्त थानों पर व सरहदी थानों पर आर0 टी0 सेट पर सूचना दी गयी। अथक प्रयासों के बाद भी उस जीप का पता, नम्बर ज्ञात न हो सकने के कारण नहीं लग पाया और अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट दि0 26-5-90 को प्रेषित कर दी गयी।

**पन्तनगर विश्वविद्यालय नैनीताल में सेवारत बी0एस0सी0 कृषि को अनुसंधान सहायक घोषित किये जाने की मांग ।**

158—**डा0 दिनेश जोहरी**—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पन्तनगर विश्वविद्यालय नैनीताल में सेवारत बी0 एस0 सी0 कृषि को अनुसंधान सहायक घोषित किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र 21-2-90 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था जिसे पत्रांक सी0एम0वि0 को एम-4/66-85/ब/90 के तहत कृषि सचिव को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—जी हां, लेकिन पत्र का दिनांक 12-2-90 है, 21-2-90 नहीं ।

माननीय सदस्य के पत्र के साथ कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, नैनीताल से आख्या मांगी गयी है ।

**बरेली जिले की तहसील बहेड़ी के ग्राम भगतपुर में अधूरी विद्युतीकरण को पूर्ण करने की मांग**

159—**डा0 दिनेश जौहरी**—क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम भगतपुर, पोस्ट रिछा, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली वर्ष 1976 में केवल आधे गांव में बिजली लगी थी किन्तु प्रधान ने कनफर्म कर दिया कि सारे गांव में बिजली लग गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बाकी गांव में भी बिजली लगवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—जी नहीं । प्रश्नगत ग्राम प्रधान का कोई सत्यापन उपलब्ध नहीं है । विभागीय नियमानुसार एल0टी0 लाइन के 23 खम्भे और एच0 टी0 के 3 खम्भे लगाकर ग्राम का विद्युतीकरण नवम्बर, 1976 में किया गया था शेष गांव का विद्युतीकरण पर्याप्त मात्रा में विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ के आधार पर किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**नोएडा की भांति गोरखपुर में रीडा नामक योजना चालू किये जाने पर विचार ।**

160—**श्री शिव प्रताप शुक्ल**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास गोरखपुर में नोएडा की तरह की कोई योजना रीडा नाम से शुरू करने का विचार है ? यदि हां, तो इसे कब तक से शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—रीडा के नाम से नहीं वरन् नोएडा की भांति "गीडा" (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) का गठन अधिसूचना संख्या 8425 (1) भाउ/18-11-223 भा/88, दिनांक 30-11-89 द्वारा किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री क्यू0 एम0 एम0 हक निरीक्षक प्रवर्तन दल, राज्य विद्युत परिषद गोरखपुर के द्वारा स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने की शिकायत ।**

161—**श्री शिव प्रताप शुक्ल**—क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में पुलिस निरीक्षक प्रवर्तन दल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् गोरखपुर में श्री के0 एम0 हक की नियुक्ति कब की गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि हक का स्थानान्तरण वर्ष 1989-90 में किसी अन्य स्थान के लिए किया गया था ? क्या उसका पालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—श्री क्यू0 एम0 एम0 हक, निरीक्षक की नियुक्ति निरीक्षक, प्रवर्तन दल, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, गोरखपुर जोन के पद पर दिनांक 13-8-84 को हुई थी। वर्ष 1989-90 में श्री हक का स्थानान्तरण किसी अन्य स्थान के लिये नहीं किया गया था। श्री हक का स्थानान्तरण दिनांक 15-6-90 को सतर्कता निरीक्षक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, गोरखपुर के पद पर कर दिया गया है जिसका अनुपालन हो चुका है।

**श्री अमरजीत सिंह निवासी ग्राम राजेपुर थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर के घर पर लूट-पाट एवं मारपीट की घटना का विवरण ।**

162—**श्री अमर नाथ यादव**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के थाना-सरायख्वाजा के ग्राम-राजेपुर के निवासी अमरजीत सिंह के घर 6 दिसम्बर, 1989 रात्रि में लूटपाट एवं मारपीट हुई थी ? यदि हां, तो क्या सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अमरजीत सिंह के घर गई ? यदि हां, तो कब और किस समय ? क्या पुलिस ने अमरजीत सिंह को घायल देखा, बयान लिया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या घायल अमरजीत सिंह की मेडिकल जांच पुलिस ने अपने संरक्षण में करायी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—जनपद जौनपुर के सरायख्वाजा थानान्तर्गत ग्राम राजेपुर के निवासी श्री अमरजीत सिंह द्वारा 7-12-89 को पुलिस अधीक्षक जौनपुर के यहां एक आवेदन-पत्र दिया गया जिसमें दिनांक 6-12-89 को उनके घर पर कुछ लोगों द्वारा धावा बोलकर लुटपाट एवं मारपीट करने का आरोप लगाया गया ।

पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये गये इस आवेदन-पत्र पर जांच कराये जाने से उनके दरवाजे के सामने पेड़ के नीचे गांव के ही दो पक्षों के बीच मामूली मारपीट की घटना होना पाया गया जिसके संबंध में जांचोपरान्त थाना सरायख्वाजा पर एन0 सी0 आर0 नं0 24/90 धारा 323 पंजीकृत की गई। उपर्युक्त प्रकरण अहस्तक्षेपीय अपराध है जिसमें पुलिस को गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। चैकित्सक जांच का औचित्य नहीं पाया गया।

दोनों पक्षों के बीच शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए धारा 107/116 तथा धारा 116 (3) द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

**जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना के विस्थापितों की समस्याओं के संबंध में प्रश्न कर्ता के पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी ।**

163—**श्री विजय सिंह**—क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना के विस्थापितों की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-12-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---जी हां। भूमि विस्थापितों को समुचित ढंग से बसाने के लिए 400 विस्थापितों (जिनके भवन अधिगृहीत किये गये हैं) को प्लाटों का आवंटन होना है जिनमें से 100 प्लाटों के आवंटन हेतु परगनाधिकारी दुद्धी को सूची एवं मानचित्र भेजा जा चुका है। शेष प्लाटों हेतु कार्यवाही चल रही है। बिजली की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। चिकित्सा हेतु विस्थापित क्षेत्र में 100 शैय्या वाले चिकित्सालय का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हेतु पुनर्वास क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल का निर्माण किया गया है तथा दो प्राइमरी स्कूल भी निर्मित किये गये हैं। परियोजना क्षेत्र में जो स्कूल, कालेज हैं उसमें भी विस्थापितों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। विस्थापित क्षेत्र में पानी के लिए 7 कुंए, 4 पानी की टंकियां, 9 हैण्ड पम्प का निर्माण कर दिया गया है तथा पाइप द्वारा 19 स्थानों पर पानी की व्यवस्था की गयी है। परिषदीय नियमानुसार ग्राम पिपरी एवं बेलवादह के भू-विस्थापितों में से क्रमशः 10 एवं 16 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर संवायोजित किया जा चुका है। बाहरी व्यक्तियों को नौकरी तभी दी जाती है जबकि विस्थापितों में से उपयुक्त भूमि-विस्थापित उपलब्ध नहीं होते हैं। परियोजना में ठेकेदारी के कार्य में विस्थापितों को वरीयता दी जाती है। परियोजना स्थित 'शॉपिंग सेंटर' में विस्थापितों को भी दुकानें आवंटित की गयी हैं परन्तु वर्तमान में कोई दुकान खाली नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री गोपाल निवासी दिल्ली माकुन्डी ओबरा द्वारा खनन अभियंता उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम चोपन शाखा सोनभद्र के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी**

164---**श्री विजय सिंह**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सोनभद्र के ओबरा थाने में दिनांक 17-7-89 को खनन अभियन्ता उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 शाखा चोपन द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल पुत्र नान्दे नि0 ग्राम बिल्ली, माकुन्डी ओबरा के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

**निदेशक उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पद पर कनिष्ठ अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति पर आपत्ति।**

165---**श्री यदुनाथ सिंह**---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पद पर नियुक्ति हेतु क्या शर्तें निर्धारित हैं? क्या वर्तमान समय में उक्त पद पर एक कनिष्ठ अतिरिक्त कृषि निदेशक को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---कृषि निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं :---

यू0पी0 एग्रीकल्चर सर्विस क्लास-1 के स्थायी और ऐसे स्थानापन्न अधिकारियों में से, जो निदेशक के ठीक नीचे के पद पर हों और जिन्होंने ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो पदोन्नति द्वारा।

वर्तमान में अपर कृषि निदेशक (चावल) श्री विजय प्रकाश को अपने कार्यभार के अतिरिक्त स्थानापन्न (अफिसियेटिंग) व्यवस्था में कृषि निदेशक का चार्ज दिया गया है। वे विभाग में कार्यरत अपर कृषि निदेशकों में श्रेणी 1 में विरिष्ठतम हैं। निदेशक के चयन में सम्भावित विलम्ब के कारण यह व्यवस्था की गयी है।

**कृषि निदेशालय के अधिकारी द्वारा दो करोड़ रुपये मूल्य के रसायन आदि की खरीद में घपला**

166—**श्री यदुनाथ सिंह**—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989-90 में कृषि भवन के जिस अधिकारी द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपये के मूल्यों के कृषि रक्षा रसायन का क्रय, बफर भण्डारण हेतु गुणात्मक आहरण करके किया गया है, क्या वह इस हेतु सक्षम थे? शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना उक्त सामान क्रय करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—इस पूरे प्रकरण की छानबीन की जा रही है।

**विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम को अग्रिम के रूप में दी गई धनराशि का विवरण**

167—**श्री यदुनाथ सिंह**—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 5 वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप में वर्षवार उत्तर प्रदेश तराई विकास निगम को कृषि विभाग की योजनाओं की उस अनुदान धनराशि में से दिया गया है। जोकि भारत सरकार के निर्देश से कृषकों के लिए अनुमोदित थी? क्या उक्त अनुदान धनराशि बढ़े हुए बीज दर के रूप में टी0 डी0 सी0 द्वारा अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ही उपयोग में लाई गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**—उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम को गुणात्मक बीजों के उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि देने हेतु योजनावार गत वर्षों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धन उपलब्ध कराया गया है:—

(अ) राष्ट्रीय दलहन विकास योजना के अधीन बीज ग्राम योजना एवं खंड प्रदर्शन में

वर्ष 1987-88 रु0 31,66,400/-

वर्ष 1988-89 रु0 63,00,000/-

जून 1990 में रु0 10,00,000/-

(ब) राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना के अधीन बीज ग्राम योजना एवं खंड प्रदर्शन में।

वर्ष 1988-89 रु0 5,44,250/-

वर्ष 1989-90 रु0 36,77,483/-50/

टी0 डी0 सी0 के अनुसार इस धनराशि का कृषकों का भुगतान कर दिया गया है। किन्तु रु0 25 प्रति क्विंटल की कटौती प्रजनक, प्रशेष निरीक्षण बीज परीक्षण आदि पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए की गयी है।

**कृषि विभाग में ऋणात्मक आहरण करने वाले अधिकारियों की सूची एवं अन्य विवरण**

168--- **श्री यदुनाथ सिंह**---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान कृषि रक्षा रसायन व्यय करने में तथा कृषि यन्त्रों के निर्माण सम्बन्धी कार्यों में प्रत्येक महीने में ऋणात्मक आहरण किया है और कितना-कितना ? उनके विरुद्ध क्या-क्या दण्डात्मक कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**---कृषि रक्षा रसायनों के क्रय करने एवं कृषि यंत्रों के निर्माण में वर्ष 1989-90 में कोई ऋणात्मक आहरण नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

**बांदा जनपद के ग्राम देवरार थाना गिरवा में बिजली के करन्ट से मृत्यु एवं घायलों का विवरण**

169---**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**--- क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना गिरवां अन्तर्गत ग्राम देवरार में 24/25 जून, 1989 की रात्रि में विद्युत करेन्ट लगने से एक हरिजन (मेहतर) की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गये जिसकी थाने में लिखित सूचना ग्राम प्रधान श्री चिरौंजी लाल तथा ग्राम के ही निवासी श्री महेश वकील ने दी थी ? यदि हां, तो यह विद्युत अवैध कनेक्शन किसकी हलर (चावल) मशीन से लगा था उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि मृतक हरिजन का पोस्टमार्टम हुआ था ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--- प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24/25 जून, 1989 की रात्रि में ग्राम देवरार थाना गिरवां के श्री राजा भइया की पूजा करने के लिये जाते समय गांव के बाहर बिजली के टूटे तार से विद्युत करेन्ट लगने के कारण मृत्यु हुई।

प्रकरण की जांच से विदित हुआ कि गांव के बाहर से श्री रमेश चन्द्र ने अपने कारखाने में बिजली का वैध कनेक्शन ले रखा है जिसका केबिल जुड़ा था जो रात्रि में हवा चलने के कारण टूट कर गिर गया था। रात्रि में राजा भइया का पैर उस केबिल के एक सिरे पर पड़ गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ। प्रश्नगत घटना आकस्मिक घटित हुयी। जांच से किसी अपराध का होना नहीं पाया गया अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मृतक हरिजन का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल बांदा में 25-6-90 को किया गया। पोस्टमार्टम में आ[illegible] तथा इलेक्ट्रिक करेन्ट के फलस्वरूप मृत्यु होना पाया गया।

**थाना गिरवां जनपद बांदा में दर्ज रिपोर्ट अपराध संख्या 29/89 धारा 384 वि0 ज0 ता0 हि0 का विवरण एवं कार्यवाही**

170---**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चुन्नी लाल पुत्र कालुराम हरिजन नि0 छिलरी का पुरवा मगर पुरवा थाना गिरवां जनपद बांदा ने कोतवाली नरैनी में अपराध संख्या-29/89 धारा-384 वि0ज0ता0हि0 दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। प्रश्नगत अभियोग अपराध संख्या 29/89 धारा 304 बी थाना नरैनी जनपद बांदा की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी थी। जो, अब, महिला प्रकोष्ठ अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गयी है।

**पिंडरा बाजार वाराणसी में विद्युत के जर्जर तारों को बदलने की मांग**

171—**श्री ऊदल**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पिंडरा बाजार जिला वाराणसी के जर्जर विद्युत तारों को जल्द से जल्द बदलने तथा उक्त कस्बे में आवश्यकतानुसार कनेक्शन देने का आदेश देगी ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--पिंडरा बाजार जनपद वाराणसी में लगे जर्जर विद्युत तारों को बदलने के लिए प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। उक्त कस्बे में आवश्यकतानुसार कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

**जनपद ललितपुर की नदियों के किनारे सिंचाई हेतु विद्युत लाइन बिछाने की योजना**

172—**श्री देवेन्द्र कुमार सिंह**--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में सिंचाई हेतु जामनी, धसान, सजनाथ, शहजादनारायण एवं रोहणी नदी के किनारे-किनारे विद्युत लाईन डालने का शासन का कोई विचार है ? यदि हां, तो उक्त लाइनें कब तक स्थापित की जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। प्रश्नगत नदियों में से शजनम, धसानाव रोहणी तथा अन्य दो नदियों बेतव एवं वन्डई के किनारे-किनारे विद्युत लाइन डालने हेतु रु0 175.00 लाख का प्रस्ताव जिला विकास अधिकरण, ललितपुर के माध्यम से शासन की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। शासन की स्वीकृति एवं आवश्यक धन उपलब्ध होने के पश्चात् विद्युत लाइन डालने का कार्य शुरू करना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**तापीय विद्युत गृह ओबरा जनपद सोनभद्र में वर्ष 1987 से आज तक सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का विवरण तथा उनके देयों का भुगतान करने की मांग**

173—**श्री तीरथ राज**--क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तापीय विद्युत गृह ओबरा जनपद सोनभद्र में 1987 से लेकर अब तक कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं ? उनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका जी0पी0एफ0 अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? ऐसे कर्मचारियों का जी0पी0एफ0 शासन कब तक भुगतान करा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--ओबरा तापीय विद्युत गृह जनपद सोनभद्र में 1987 से अब तक कुल 52 कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

उनमें से 33 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके जी0पी0एफ0 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

इन 33 कर्मचारियों में से 7 कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 भुगतान हेतु कार्यवाही चल रही है तथा शेष 26 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने जी0पी0एफ0 भुगतान हेतु अभी तक प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत नहीं किया है।

**पशु धन विकास अधिकारी राम सनेही घाट जनपद बाराबंकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं स्थानान्तरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र**

174—**श्री तीरथ राज**---क्या पशुधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन विकास अधिकारी रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी के स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 24-4-90 से 1-5-90 के मध्य प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें पशुधन विकास अधिकारी रामसनेही घाट के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप लगाये गये हैं ? जांच के दौरान कौन-कौन से आरोप सत्य पाये गये एवं जांच के उपरान्त पशुधन विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मोहम्मद आजम खां**---जी हां। उक्त पत्र में पशुधन विकास अधिकारी के विरुद्ध मुख्य रूप से कीमती दवाओं को फर्जी व्यक्तियों के नाम आवंटित दिखाकर बाजार में बेचना, आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट देने हेतु रिश्वत लेना, टीकाकरण में विलम्ब व मनमानी करना तथा फर्जी आकड़े दिखाकर वैक्सीन को बाजार में बेचना आदि आरोप लगाये गये हैं तथा एक ही स्थान पर 5 वर्षों से लगातार तैनात रहने के कारण पशुधन विकास अधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की भी मांग की गई है।

पशुधन विकास अधिकारी का स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच अभी जारी है।

**नौतनवां जनपद महराजगंज के पशु चिकित्सालय के प्रांगण के आवास में अनाधिकृत कब्जा की शिकायत**

175---**श्री अमरमणि तथा श्री अनिल कुमार भारद्वाज**---क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज नौतनवां स्थित वर्तमान पशु चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो उसमें गत वर्ष से कौन कौन सरकारी चिकित्सक रह रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त आवास में 20 वर्ष पूर्व तैनात एक पशु चिकित्सक के परिवार ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या उनसे बाजार दर से पूरी अवधि का किराया वसूला जायेगा तथा उसका कब्जा वर्तमान समय में तैनात पशु चिकित्साधिकारी सरकारी पशु चिकित्सक को दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मोहम्मद आजम खां**---नौतनवां जनपद महराजगंज में इस समय कोई पशु चिकित्सालय स्थापित नहीं है अतः शेष प्रश्न नहीं उठते।

**ग्राम सोनगढ़ा जनपद गोण्डा का विद्युतीकरण एवं विद्युत आपूर्ति की मांग**

176---**श्री अमर मणि**---क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सोनगढ़ा जनपद गोण्डा जो विद्युती कृत ग्राम है, में बिजली की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम में विद्युत आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

**श्री भुलाराम सिंह यादव**---जी नहीं। ग्राम सोनगढा को विद्युत आपूर्ति करने वाली 11 के0 वी0 लाइन का तार तथा 5 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर चोरी चला गया है। लाइन के कुछ सीमेंट के खम्भ भी गिरकर टूट गये हैं।

उक्त ग्राम के मार्च, 1986 में विद्युतीकरण के पश्चात् किसी भी ग्रामवासी ने कनेक्शन नहीं लिया। अब लाइन को ठीक करके तथा ट्रांसफार्मर लगाकर ग्राम में विद्युत आपूर्ति देने पर तभी विचार किया जा सकता है जब पर्याप्त मात्रा में ग्रामवासी कनेक्शन लेने हेतु आवेदन-पत्र दे दें और अनुबन्ध कर लें।

**सी0 आई0 डी0 एवं अन्य प्रकोष्ठ में कार्य न करने वाले ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक प्रभारी निरीक्षक क्षेत्राधिकारी का विवरण एवं स्थानान्तरण की मांग**

177--**श्री अमर मणि**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक क्षेत्राधिकारी हैं, जिन्होंने सी0 आई0 डी0 या पुलिस विभाग के किसी अन्य प्रकोष्ठ में कभी कार्य नहीं किया? क्या सरकार ऐसे पुलिस कर्मियों को सी0 आई0 डी0 तथा पुलिस विभाग के अन्य प्रकोष्ठ में स्थानान्तरित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--प्रदेश के समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा समस्त निरीक्षक, नागरिक पुलिस, सी0 आई0 डी0 अथवा पुलिस विभाग के अन्य प्रकोष्ठों में तैनात रह चुके हैं। प्रदेश में केवल एक ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा 129 ऐसे पुलिस उपाधीक्षक हैं जो सी0 आई0 डी0 या पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं में कभी नियुक्त नहीं रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को सी0 आई0 डी0 अथवा पुलिस विभाग के अन्य प्रकोष्ठों में जनहित में आवश्यकता पड़ने पर स्थानान्तरित करने के संबंध में विचार किया जायेगा।

**जनपद रामपुर में विद्युत उप खण्ड का कार्यालय खोले जाने की मांग**

178--**श्री अनिल कुमार भारद्वाज**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर विद्युत उपखण्ड का कार्यालय स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-1-90 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या रामपुर में विद्युत उप-खण्ड स्थापित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। जनपद रामपुर के मिलक तहसील मुख्यालय पर दिनांक 9-6-90 को विद्युत वितरण उपखण्ड स्थापित कर दिया गया है। रामपुर में पहले से ही विद्युत वितरण उपखण्ड स्थापित है।

**थाना मिलक जनपद रामपुर की कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रश्न कर्ता का शिकायती पत्र**

179--**श्री अनिल कुमार भारद्वाज**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-2-90 जो थाना-मिलक, रामपुर के निरीक्षक श्री नरेश पाल व उपनिरीक्षक सर्वश्री सुखनवा सिंह तोमर एवं गोविन्द राम के स्थानान्तरण एवं जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जांच कार्यवाही किस तिथि को आरम्भ हुई तथा जांच अधिकारी कौन है, जांच कब तक पूरी हो जायेगी? क्या शासन उपरोक्त कर्मियों का स्थानान्तरण अन्यत्र करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी हां। जांच की कार्यवाही दिनांक 20-2-90 को प्रारम्भ हुई। जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन की मुरादाबाद इकाई के प्रभारी श्री सत्यपाल सिंह द्वारा की जा रही है, जो सम्प्रति प्रचलित है।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत कर्मियों का स्थानान्तरण किया जा चुका है।

**ग्राम दानूपुर पश्चिम पटटी थाना सुरियांवा जिला वाराणसी में एक स्कूटर एवं एक मोटर साइकिल को पुलिस कर्मियों के समक्ष जला देने की शिकायत**

180--**श्री मूलचन्द्र**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दानूपुर पश्चिम पट्टी थाना सूरियांवा वाराणसी में दि0 18-6-89 ई0 को थानाध्यक्ष सहित 4 नायब दरोगा दर्जनों पुलिस कर्मियों के समक्ष एक नई स्कूटर एवं एक राजदूत मोटर साइकिल को मिट्टी का तेल छिड़क कर फूंक दिया गया और कई व्यक्तियों पर कातिलाना हमला हुआ ? क्या उक्त वारदात की जांच के लिए जून व जुलाई, 1989 प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को दिये गये आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। जी हां। प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर जांच कराई गई, जिसके आधार पर कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया। अतः किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

**पुलिस चौकी दुर्गागंज थाना सुरियांवा जिला वाराणसी के चौकी इन्चार्ज, दीवान आदि द्वारा, दिनांक 28-7-89 को विधायक एवं मजदूर नेता युसुफबेग के साथ अभद्र व्यवहार**

181--**श्री मूल चन्द्र**--क्या सरकार को जानकारी है कि 26 जुलाई, 1989 को चौकी दुर्गागंज थाना सुरियांवा जिला वाराणसी के चौकी इन्चार्ज-दीवान सहित दर्जनों पुलिस कर्मियों द्वारा सभा स्थल पर विधायक व मजदूर नेता युसुफ बेग सहित कई कार्यकर्ताओं की बुरी तरह पिटाई करके हाथ पैर तोड़ दिया गया और लूट पाट की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--दिनांक 26-7-89 को नहीं, बल्कि दिनांक 27-7-89 को, पुलिस चौकी दुर्गागंज के दक्षिण तरफ जनता दल तथा पश्चिम की तरफ कांग्रेस (आई) कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सभाओं में वक्ताओं द्वारा एक दूसरे की आलोचना करते हुए उत्तेजनात्मक भाषण दिये जाने के कारण उपस्थित भीड़ अनियंत्रित हो गई, और एक दूसरे की सभाओं के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों को चोटें आयी। स्थानीय पुलिस द्वारा किसी की पिटाई नहीं की गयी। उपस्थित बल द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के 12-12 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। प्रश्नगत प्रकरण में मैजिस्ट्रीयल जांच प्रचलित है।

**श्री नारायण राम पुत्र श्री मोतीराम ग्राम झिरौली पो0 जमोटी पालडी पटटी खरही तहसील बागेश्वर जिला अल्मोड़ा का मकान अल्मोड़ा मैग्नासाइड लिमिटेड कैम्प खिलौरी द्वारा तोड़े जाने का मामला**

182--**श्री राजधारी तथा श्री अर्जुन सिंह यादव**--क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री नारायण राम पुत्र श्री मोती राम, ग्राम झिरौली, पोस्ट-जनौटी पालड़ी पट्टी खरही, तहसील बागेश्वर, जिला-अल्मोड़ा के खाता खतौनी संख्या-67 के खेत नम्बर-610 के मध्य 2 मुट्ठी भूमि में निर्मित बन्दोबस्ती मकान दिनांक 29-11-1988 को अल्मोड़ा मैग्नीसाइड लिमिटेड कैम्प खिलौरी द्वारा तोड़ा गया है जिसकी क्षतिपूर्ति कम्पनी द्वारा देय रु0 61,000.00 में से केवल 17,988.81 का ही भुगतान किया गया है जबकि परगनाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक-स्मार/एस0टी0/87-88, दिनांक 10-7-1988 सहायक सामान्य प्रबन्ध, अल्मोड़ा

मैग्नीसाइड लिमिटेड लिलौरी कैम्प को शेष धनराशि का भुगतान एक पक्ष के अन्दर करने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। दिनांक 29-11-88 को जिस मकान को तोड़े जाने का उल्लेख प्रश्न में है वह मकान उक्त ख0 खाता सं0 67 के खेत सं0 610 में स्थित न होकर इसी खाते के खेत सं0 608 में स्थित था जो कि नारायण राम पुत्र मोती राम का था। श्री नारायण राम ने उक्त खेत सं0 608 की चार मुट्ठी भूमि में बने दो मंजिले 4 कमरों का मकान व खेत सं0 613 मध्य दो मुट्ठी में स्थित आंगन को दिनांक 29-2-80 के द्वारा रु0 18,175.81 में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कम्पनी लि0 को बिक्री किया था और उसका भुगतान श्री नारायण को उसी समय कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

**मतदान केन्द्रों पर अवैध कब्जा रोकने में मारे जाने वाले राजनैतिक कार्यकर्ताओं को मुआवजा दिये जाने की मांग**

183- **श्री दशरथ सिंह**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि0 28-2-90 को झांसी की जनसभा में उन्होंने घोषणा की है कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा रोकने के दौरान किसी जनता दल के कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उसे सरकार एक लाख रुपया मुआवजा देगी ? यदि हां, तो क्या मतदान केन्द्रों पर कब्जा रोकने के लिए सभी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर मुआवजा देने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

**पर्वतीय क्षेत्र में चाय उद्योग को विकसित करने की मांग**

184- **श्री कुंवर सिंह नेगी**--क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में चाय उद्योग को विकसित करने हेतु शासन कोई ठोस योजना बना रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--पर्वतीय क्षेत्र में पुराने चाय बागानों के पुनर्जीवीकरण तथा नए चाय बागानों के लगाने की सम्भावना हेतु चाय परिषद् के सहयोग से टी0 एम0 एण्ड एम0 सी0 प्रा0 लि0 कलकत्ता द्वारा सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया जा चुका है। सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

**पिछड़े जनपद ललितपुर में लघु उद्योग को पच्चीस प्रतिशत की छूट दिये जाने की मांग**

185- **श्री देवेन्द्र कुमार सिंह**--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में लघु उद्योगों को मिलने वाले ऋण में 25 प्रतिशत की छूट को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या बुन्देलखण्ड के बाकी समस्त जनपदों में उक्त छूट अभी भी लागू है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बुन्देलखण्ड के पिछड़े जनपद ललितपुर में पुनः उक्त छूट दिये जाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं उद्योग मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—भारत सरकार द्वारा संचालित स्व रोजगार योजनान्तर्गत लघु उद्योगों को ऋण पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। यह छूट गत वर्ष तक पूरे प्रदेश में लागू थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**मथुरा में ताज प्रदूषण प्रतिबन्धित सीमा घटाने व प्रदूषण प्रतिबन्धित सीमा में जनरेटर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग।**

186—श्री रामकान्त गर्ग—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ताज प्रदूषण प्रतिबन्धित सीमा घटाने व प्रदूषण प्रतिबन्धित सीमा में जनरेटर सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दो पत्र दिनांक 3 मार्च, 90 के प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उपरोक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—जी हां। जनपद मथुरा में ताज प्रदूषण प्रतिबन्धित सीमा घटाना व प्रदूषण प्रतिबन्धित सीमा में जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराया जाना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उपरोक्त की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।

**आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमार गंज फैजाबाद के निर्माण में भूमि के स्वामियों को सेवा में लिये जाने की मांग**

187—डा० ब्रज भूषण मणि त्रिपाठी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमार गंज जनपद फैजाबाद में जिनकी जमीनें ली गयी हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सेवायोजित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त परिवार के सदस्यों को विश्वविद्यालय में सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—जी नहीं। 894 किसानों में से 52 कृषकों के परिवार के एक-एक सदस्य को विश्वविद्यालय की सेवा में नियमित रूप से तथा 58 लोगों को दैनिक वेतन पर सेवायोजित किया गया है।

क्योंकि जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गयी है उनकी संख्या अधिक है तथा उस संख्या में उनकी अर्हता को देखते हुए पद रिक्त नहीं हैं।

पद रिक्त होने पर उक्त परिवार के सदस्यों के लिए योग्यतानुसार सामान्य प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**ग्राम पोसरा तहसील हसनगंज जनपद मुरादाबाद के सन्निकट गंगा नदी के किनारे बांध के बह जाने की शिकायत तथा पक्का बांध बनाये जाने की मांग**

188—श्री राज किशोर सिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पोसरा तहसील हसनपुर जनपद मुरादाबाद के सन्निकट गंगा नदी के किनारे बाढ़ रोकने के

लिए निर्मित कच्चा बांध भारी वर्षा के कारण वर्ष में पूरी तरह कटकर क्षतिग्रस्त हो गया था ? क्या प्रश्नगत बांध की मरम्मत ठेकेदारी के अन्तर्गत की गयी और मस्टर रोल के आधार पर मजदूरों को एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत अनाज न देकर नकद भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--जनपद मुरादाबाद, तहसील हसनपुर के ग्राम पोसरा में कृषि विभाग द्वारा कोई बांध नहीं बनाया गया था किन्तु ग्राम पोसरा में गंगा नदी के किनारे सीमान्त बांध बनाया गया था, मूल कार्य का कुछ भाग क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत का कार्य कराया गया।

जी नहीं। मजदूरी का भुगतान आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना से नकद एवं अनाज दोनों देकर किया गया।

जांच के आदेश कर दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ( 12 बजकर 20 मिनट )**

***श्री विजय सिंह राणा**---मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यगण तारांकित, अतारांकित और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न देते हैं। फिर यह भी व्यवस्था है कि तारांकित प्रश्न दिया जाता है और जब वह तारांकित के रूप में नहीं स्वीकार होता है तो अतारांकित के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब एक व्यवधान आता है कि माननीय सदस्य जो वांछित तथ्य जानना चाहते हैं वह नहीं जान पाते हैं। मेरे साथी सदस्य मूल चन्द्र जी का अतारांकित प्रश्न है 181 मान्यवर, इसमें उनके साथ स्वयं मारपीट हुई, उसमें पुलिस का हाथ था और जो प्रश्न का उत्तर है उसमें पुलिस के लोगों का हाथ आया नहीं। मान्यवर, सस्पेन्ड भी किये गये और एफ0 आई0 आर0 भी करायी लेकिन उसका जवाब नहीं आया। इसलिए इसमें जरूरी है कि इसमें नियम 49 के अन्तर्गत आप चर्चा स्वीकार करें।

**श्री अध्यक्ष**--इस पर मैं कल अपना निर्णय दे दूंगा।

**औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं को अगले दिन लिए जाने की सूचना**

**श्री अध्यक्ष**--प्रमोद जी, निर्णय यह हुआ था कि 10 और 11 को नियम 56 और 311 के बारे में सूचनाएं नहीं ली जायेंगी। कारण केवल यह था कि आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन का बजट है, इस पर कम से कम सभी सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं। उसके संबंध में एक विशेष बात यह हुई है कि 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर बहुत सूचनाएं आ गयी हैं और यह सूचनाएं लगभग मेरे देखने से कोई ऐसी महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैंने कई माननीय नेताओं से राय ले लिया है इसीलिए निर्णय लेता हूं कि जो 300 की सूचनाएं आज आई हैं यह अस्वीकार न कर कल ले ली जायेंगी, जिससे लोगों को समय मिल जाय।

**नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें**

**श्री अध्यक्ष**--आज दिनांक 11 जुलाई, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें मैं चाहता हूं कि जिसका नाम लूं वह माननीय सदस्य खड़ा भी हो जाय ।

पहली श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है जनपद सीतापुर में आवास विकास परिषद् की पंचवटी कालोनी की सफाई व्यवस्था एवं पेयजल संकट के सम्बन्ध मे श्री नकली सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर थाना सियाना में दो समुदायों के बीच हुए संघर्ष मे पुलिस द्वारा बर्ती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में, श्री भारत सिंह रावत की गढ़वाल जनपद के कोटद्वार भवर के नलकूपों के निष्क्रिय हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री धर्मज्ञ मिश्रा की जनपद हरदोई की मल्लावां नगरपालिका में पेयजल संकट के संबंध में, (श्री अमर मणि का नाम पुकारे जाने पर वे उपस्थित नहीं थे) श्री अमर मणि उपस्थित नहीं है, श्री हृदय नारायण की जनपद उन्नाव के जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में ऋण वितरण में धांधली के सम्बन्ध में श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय का जनपद मऊ में मधबन--बेल्थरा मार्ग पर अहिरपुर-सोनाडीह के बीच हाहा नाला पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में है । इसके बाद प्रतीक्षा सूची में से एक सूचना ले ली जायगी क्योंकि एक मा0 सदस्य नहीं है । श्री नजुमुद्दीन की सरकारी नौकरियों हेतु ली गयी परीक्षाओं को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

**जनपद सीतापुर में आवास विकास परिषद की पंचवटी कालोनी की सफाई व्यवस्था आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**--[मान्यवर, सीतापुर आवास एवं विकास परिषद् की पंचवटी कालोनी में निवास करने वाले व्यक्तियों के कष्ट पूर्ण जीवन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सभी निर्माण कार्य बड़े ही घटिया स्तर पर हो रहा है । सीवर चोक है । सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है । मुख्य मार्ग को छोड़कर गलियों में समुचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है । न कोई सामुदायिक केन्द्र है और न ही व्यवस्थित पार्क । पूरी कालोनी में गांवों के गलियारों जैसा कीचड़ भरा दृश्य दिखाई देता है । पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है । बड़ी संख्या में फ्लैट्स खाली पड़े है । कालोनी में स्कूल के लिए जगह तो है परन्तु उसका आवंटन अभी तक नहीं हुआ है । बैंक तथा डाकखाने की व्यवस्था नहीं हुई । मजबूरी में आवंटी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

हमारी मांग है कि निर्माण कार्यों की जांच कराई जाए । पानी प्रकाश, सफाई की व्यवस्था हो । सड़कें, पार्क, पानी निकास के लिए नालियों को ठीक की जाएं शीघ्र ही खाली मकान आवंटित हों । बैंक, डाकखाना, स्कूल का प्रबन्ध किया जाय । प्रवेश द्वारों में कालोनी का नक्शा तथा "नाम पट्ट" लगाया जाये ।]

**जनपद मुजफ्फर नगर में थाना झिझाना में दो समुदायों के बीच हुए संघर्ष में पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री नकली सिंह**-- [मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जनपद मुजफर नगर में थाना झिझाना के गांव गुज्जरपुर में दो समुदायों के बीच किसी जमीन को लेकर तनाव हो गया था । एक ओर हरिजन जमीन को अपनी बता रहा था दूसरी ओर अल्पसंख्यक अपनी ।

इसी तनाव के बीच 21-22 दिसम्बर की रात को रिसाल नामक हरिजन की हत्या कर दी गयी । हरिजनों ने हत्या की सूचना झिझाना थाने में दी और बताया कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने हत्या की है ।

---

नोट :--, ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पुलिस ने हरिजनों की रिपोर्ट न लिख कर हत्यारों की ओर से डकैती की रिपोर्ट लिखा तथा हरिजनों को थानाध्यक्ष ने भगा दिया। पुलिस के उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से कई दिन पश्चात् हरिजन सीताराम की ओर से हत्या की नामजद रिपोर्ट लिखी गयी ।

परन्तु आज तक न तो तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी, न ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अभियुक्तों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।]

**जनपद गढ़वाल के कोटद्वार भावर में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री भारत सिंह रावत**--[मान्यवर, गढ़वाल जनपद के कोटद्वार भावर में इण्डीचौड़ स्थान पर जनता की मांग पर सिंचाई एवं पेयजल संकट को दूर करने के लिए नलकूप 5 बनाया गया था, किन्तु वह तकनीकी खराबी के कारण निष्क्रिय हो गया है। जिसके फलस्वरूप इण्डीचौड़ के किसानों को सिंचाई व पेयजल का घोर संकट हो गया है। जनता बिना पानी के बहुत संकट में है । जनता मांग कर रही है कि नलकूप 5 के स्थान पर उसी क्षेत्र में कुछ दूर पर इस नलकूप के विकल्प के रूप में दूसरा नलकूप बनाया जाय ।

अतः अविलम्बीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से बिकल्प के रूप में दूसरा नलकूप बनवाने की मांग करता हू ।]

**जनपद हरदोई की मल्लावा नगरपालिका में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री धर्मज्ञ मिश्र**--[मान्यवर, जनपद हरदोई के 91 मल्लावां क्षेत्र में भयंकर पेयजल का संकट उत्पन्न है। मल्लावां नगर पालिका में एक पानी की छोटी टंकी है। जबकि मल्लावां नगर पालिका की आबादी 50 हजार के लगभग है । जनता को पूरी मात्रा में जल प्राप्त नहीं हो रहा है। एक टंकी निर्माण कराने की और आवश्यकता है। इस नगरपालिका में 16 वार्ड हैं हर वार्ड में कम से कम पांच पांच हैंड पम्प जल निगम विभाग द्वारा लगवाना अति आवश्यक है। इस संकट को दूर करना सरकार का परम कर्त्तव्य है। इस प्रकार माधोगंज नगर क्षेत्र में पानी की समस्या है जहां पर भी एक पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार हमारे क्षेत्र में टाऊन कुरसठ में व माधोगंज 4 वार्ड हैं, हर वार्ड में पांच इण्डिया टाइप हैंड पम्प लगने से जल की पूर्ति हो सकती है। हमारा 91 मल्लावां क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग नदियों तालाबों का पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र के ग्रामों में 10-10 हैंड पम्प लगाने अथवा 10-10 कूप निर्माण कराने की आवश्यकता है। जिससे पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आप व सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में तत्काल पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करे।]

---

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद उन्नाव के जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में ऋण वितरण में धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री हृदय नारायण**--[मान्यवर, एक ओर तो उ0 प्र0 को लोक प्रिय सरकार सहकारी ऋण माफ कर रही है। किसानों को राहत दी जा रही है। तो दूसरी ओर उन्नाव जनपद को जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं में भारी अनियमितताएं हो रही है। हिलौली शाखा में तो आई0आर0डी0 ऋणों में लूट करते हुए एक फर्जी दुकानदार कृष्णपाल से सारी वस्तुओं की खरीद वर्ष 89-90 व इसके पूर्व दिखाई गयी है जब कि एक ही व्यक्ति सभी वस्तुओं का विक्रेता नहीं हो सकता। इसी दुकानदार को दो फर्जी नामों से कृष्णपाल पुत्र रूधन निवासी रामनगर, लउवा व कृष्णपाल पुत्र अधीन निवासी हिलौली नाम से आई0 आर0 डी0 कर्ज दिये गये हैं। हरिजनों को तो ऋण वसूली की रसीदें ही नहीं दी गयी। सुखदीन पासी, रघुराज पासी आदि निवासी जनवारन खेड़ा में एक साल पूर्व कर्ज जमा किया था रसीद के लिए आज भी टाल-मटोल हो रहा है। जमील अहमद निवासी सन्जर खेड़ा से 10 प्रतिशत पहले हीं ले लिया गया है।

सहकारी बैंकों की ऐसी ही अनियमितताएं हसनगंज, असोहा, पुरवा सहित जिले को बैंक शाखाओं में व्याप्त है। जनता में त्राहि-त्राहि है। जनता का सहकारिता आन्दोलन विश्वास उठ रहा है जनरोष है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**जनपद मऊ में मधुबन बेल्थरा मार्ग अहिरपुर सोलाडीह के बीच हाहा नाला पर पुल निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय**--[मान्यवर, मैं शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराते हुए यह अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों की जनता का मुख्य रास्ता मधुवन बेल्थरा वाया दुबारी है जो रेलवे स्टेशन बेल्थरा रोड को जाता है तथा बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र का भी यही मुख्य मार्ग है। जनपद मऊ एवं बलिया का बटवारा हाहानाला से होता है। जिसके दोनों तरफ दोनों जनपदों से सड़क बनकर दोनों किनारों पर लग चुकी है। परन्तु पुल का निर्माण अब तक नहीं हो सका है। जिससे हजारों जनता का आवागमन एवं विकास अवरूद्ध है।

मैं कई बार अपने पत्र के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री महोदय उ0 प्र0 शासन लखनऊ को अवगत कराया परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उक्त दोनों जनपदों की हजारों गांवों की समस्त जनता की मुख्य समस्या यह पुल है यह क्षेत्र आजादी की लड़ाई का एक मुख्य अंग रहा है। यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित होना पड़ता है तथा कष्ट का अनुभव होता है। जब बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन जाने के लिए 15 कि0मी0 दूरी को 55 कि0मी0 दूरी के रूप में तय करते है। सोयर विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री शारदा नन्द आंचल जी हैं। जो जनता दल से विधायक है।

अतः मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि उक्त दोनों जनपदों की हजारों जनता की इस विषम समस्या को अबिलम्ब हल करने हेतु लोक निर्माण विभाग उ0 प्र0 शासन को निर्देश दें कि मधुबन बेल्थरा मार्ग वाया दुबारी पर अहिरपुर--सोनाडीह के बीच हाहा नाला में पुल के निर्माण के लिए प्रभावी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।]

---

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**सरकारी नौकरियों हेतु ली गई परीक्षाओं को निरस्त किये जाने से उत्पन्न जन असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री नजमुद्दीन**--[मान्यवर, अभी हाल मे ही राज्य सरकार अपने आदेश सं0 20/24/1989 (का0-2) दिनांक 25 मई, 1990 की राज्यधीन सेवाओं में सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जिससे बेकार युवकों में असंतोष एवं भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गयी है। बेकार नवयुवक परीक्षाओं हेतु फीस देकर परीक्षा में सम्मिलित हुए। परन्तु उक्त शासनादेश की तरह सभी परीक्षाओं के रिजल्ट रोक दिये गये। अभी हाल में ही वन विभाग के दक्षिणी वृत्त (वाराणसी) में वन दरोगा हेतु प्रतियोगात्मक परीक्षा ली गयी परन्तु बाद में परीक्षा निरस्त कर दी गयी।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर अविलम्ब इस पर चर्चा करायें तथा निरस्तीकरण आदेश को वापस कराने की कृपा करें।]

***श्री प्रमोद कुमार**--मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न लिखकर दिया है। इसके लिये तय नहीं हुआ है कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा।

**श्री अध्यक्ष**--नियम 300 के लिये भी नहीं तय हुआ था।

***श्री प्रमोद कुमार**-- [***](व्यवधान)।

**श्री अध्यक्ष**--यह जो कह रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं माना जायगा।

***श्री प्रमोद कुमार**--[***](व्यवधान)।

**श्री अध्यक्ष**--मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

***श्री प्रमोद कुमार**--मान्यवर, आप नहीं चाहते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन यह प्रस्ताव उचित था।

**श्री मुईद अहमद**--मान्यवर, मैंने एक अवमानना का प्रश्न दिया था।

**श्री अध्यक्ष**--मैं एक बात बता दूं, उसके बाद आप कह सकते हैं। आज तीन बजे मुख्य मंत्री जी बोलना आरम्भ कर देंगे तो और मा0 सदस्य रह जाएंगे।

**वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 88-सामान्य प्रशासन (क्रमागत)†**

**श्री जगदीश लाल**--मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता सदन, मा0 उपनेता विपक्ष मा0 नेता सदन ने कल जो बजट गृह और सामान्य प्रशासन विभाग का पेश किया है, मैं उसके समर्थन में आपके और इस सदन के मा0 सदस्यों के समक्ष बीच में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर कल की बहस में काफी मा0 सदस्यों ने हिस्सा लिया, मैं कहना चाहता हूं कि लार्ड कार्नवालिस ने 1793 में जिस पुलिस प्रशासन की

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
† दिनांक 10 जुलाई 1990 की कार्यवाही से।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था को लागू किया था और बाद में चलकर ब्रिटिश राज में ब्रिटिश हुक्मरानों ने पुलिस व्यवस्था स्वच्छ प्रशासन के लिये नहीं, बल्कि रूल करने के लिये शासन करने के लिये, भारत पर शासन करने के लिये पुलिस का इंतजाम किया था। आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं भारत वर्ष में, दक्षिण भारत के अनेक प्रान्त हैं जहां पुलिस की वह व्यवस्था नहीं है, वह आचरण नहीं है जो लड़ाई में हिस्सा लेने वाले प्रान्तों में है। खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कह सकता हूं, जहां आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि के नेतृत्व में लड़ी गयी और लोगों ने हिस्सा लिया। ब्रिटिश काल में उनके उस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये तमाम अत्याचार और जुल्म ढ़ाया गया, 1947 में देश आजाद हुआ, मैं जब मास्को गया था। 1978 में रूस के दौर पर गया था वहां मैंने देखा भारत का प्रतिनिधि मण्डल का नेता होंगे।

(शोर होने पर)

**श्री अध्यक्ष**--माननीय सदस्य कृपया शांति बनायें रखें।

**श्री जगदीश लाल**--जिस तरह व्यवस्था परिवर्तन के बाद वहां प्रशासनिक ढांचे पर, जो उनकी व्यवस्था थी, उसको देखा गया। खासतौर से पुलिस की व्यवस्था। जिस तरह से वह आम नागरिकों के साथ व्यवहार करते थे, उसको देखा गया। आजादी के बाद पं0 नेहरू जो देश के प्रधान मंत्री थे, उनको यह करना था कि ढांचे में परिवर्तन लाते। ब्रिटिश काल के समय जो पुलिस की व्यवस्था बनी थी वह रूल करने के लिये थी उन्होने उसको बदस्तूर रखा। आज उसका हमको परिणाम तथा उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। मुझे खुशी है कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन की बात को दोहराया है। लेकिन मुझे खेद है कि जब कभी हमारे उप नेता विपक्ष खड़े हों तो बजट की बहस पर वह इस बात का जिक्र करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जातिवादी हैं। बजट पर चाहे सामान्य प्रशासन हो या चाहे कोई और बजट हो, जब खड़े होते हैं, विभागीय बजट के बारे में न बोलकर, मा0 मुख्य मंत्री जी को अनर्गल आरोप लगाते हैं, क्योंकि आरोप तो कोई लगा नहीं सकते, सरकार के इस व्यवस्था परिवर्तन के जो बढ़ते हुए कदम हैं, उससे आप इंकार नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के जो घटिया आरोप लगाकर आप अपने मुखौटे को बचाना चाहते हैं, वह कहां तक ठीक है। व्यवस्था परिवर्तन के जो बढते हुए कदम हैं, तथा लोकप्रिय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के उस दिशा में जो बढते हुए चरण हैं, उसमें सबको सहयोगी होना चाहिये। वे बार-बार हर वक्त इस तरह के आरोप लगाये हैं, उसमें उन्होंने साबित किया है कि विपक्ष जो है आज सकारात्मक बहस न करके नकारात्मक बहस में लगना चाहता है।

**श्री अध्यक्ष**--अब आप बैठ।

**श्री जगदीश लाल**--सामान्य प्रशासन के बजट पर बहस में मा0 उपनेता विरोधीदल बार-बार चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया। हम सब चौधरी चरण सिंह जी का बहुत आदर करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेने वाले उप नेता भी जान लें।

**श्री अध्यक्ष**--माननीय जगदीश लाल जी आप इधर तो देखें मैं आपसे बैठने के लिये कह रहा हूं, आप बोलते चले जा रहे हैं।

**श्री जगदीश लाल**--माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा देश के लाखों लाखों लोगों की भलाई के लिये काम किया। वैसा ही माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के लोगों की भलाई के लिये काम कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**--अब आप बैठें।

**श्री जगदीश लाल**--यह माया त्यागी कांड में क्या था, किसकी भूमिका थी, यह मैं कहना चाहता हूं। इमरजेंसी काल में[***]ने मौलिक अधिकारों का हनन किया तथा लाखों लोगों को जेलों में डाला गया, लोगों पर तमाम अत्याचार हुए। आज कम से कम हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी की निगाह में कोई बात आती है तो वह पूरा ख्याल रखते हैं, उन पर कार्यवाही करते हैं।

**श्री अध्यक्ष**--अब आप बैठें। आप आसन ग्रहण करें।

**श्री जगदीश लाल**--मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो गृह और सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**--मैं निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की सूची नहीं आयी है, माननीय निर्दलीय सदस्य जो बोलना चाहें वह भी अपनी सूची भेज दें। यह जो नाम भेज रहे हैं, नाम लिख दें और यह लिख दें कि नये सदस्य हैं तो बड़ी सुविधा हो जायेगी।

**श्री कल्यान सिंह**--माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन और गृह जैसे संवेदनशील विषय पर आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। कल मुख्य मंत्री जी के 1 घंटे 10 मिनट का भाषण सुना और 1 घंटा 40 मिनट विपक्ष का भाषण सुना। मैं दोनों के बीच में निष्पक्ष बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। निष्पक्ष बात खरी होती है, इसलिये यह कभी कभी खुरखुरी भी लग जाती है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी को ढाई बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहली बधाई कि उन्होंने घोषणा की है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा की स्थापना की जायेगी, पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी सारे वायदों पर उठकर के, मानववाद और चिंतन के लिये काम किया। आपने उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया, इसके लिये मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। दूसरी बधाई देता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था की बावत अपनी स्पष्ट नीति रखी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जरूर इतना कहना चाहूंगा कि आरक्षण नीति के बारे में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल की सरकार का पूरा समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की प्रबल पक्षधर है। मैं ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, आरक्षण के बारे में मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा मैं उसका समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं। अब आधी बधाई देना चाहता हूं, भाषा नीति के बारे में। आधी बधाई इसलिये कि उन्होंने पूरी बात कही होती, तो मैं भी पूरी बधाई देता। माननीय मुख्य मंत्री की इस बात से मैं सहमत हूं कि राजकाज में अंग्रेजी भाषा नहीं होनी चाहिये। विदेशी भाषा में राजकाज चलाना हमारी परतंत्रता की निशानी है, यह हमारे देश के विकास के लिये बाधक है, विशेष रूप से गांव, गरीब किसान, अतः उनके बच्चों के विकास के लिये बाधक है। उन्होंने नारा दिया अंग्रेजी हटाओ का। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि अंग्रेजी मिटाओ।

नोटः--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश द्वारा कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने वोटों की खातिर उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया, अगर मुख्य मन्त्री जी अपने भाषण में यह कह देते कि उसको निरस्त किया जाता है, तो मैं उनको पूरी बधाई देता। जैसे उन्होंने अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया, अग्रेजी मिटाओ का नहीं, उसी तरह हमारा भी कहना यही है कि उर्दू हटाओ, उर्दू मिटाओ नहीं। आप उर्दू का प्रयोग राष्ट्रीय साहित्य के विकास के लिये करे, मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन उर्दू दूसरी राजभाषा बनाई जाय, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। इसके पीछे हमारे पास तर्क है, माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि किसी राज्य के अन्दर दूसरी भाषा को लिखने वाले, पढ़न वाले, बोलने वाले यदि 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हों, तो उस राज्य के अन्दर उस भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाने पर राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में उर्दू समझने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले लिखने वाले जितने भी हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, वह मात्र 9.4 फीसदी हैं। इस तर्क की कसौटी पर उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया जाना उचित नहीं है।

अगर मुख्य मंत्री जी इस बात का ऐलान कर देते कि जो काला कानून पिछली सरकार द्वारा पास किया गया है, उसको हम यह सरकार निरस्तीकरण कर रहे हैं, तो मैं उनको पूरी बधाई अवश्य देता। मान्यवर, कुछ बातें मुख्यमंत्री जी की तरफ से कल और कही गयीं, जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं और अपनी बात को तर्क सहित रखना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि मेरे तर्कों का उत्तर मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर में तर्कों के साथ ही दें, तो बहुत अच्छी बात होगी।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि हिन्दी अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या भारत में नहीं चलेगी, तो क्या लन्दन में चलेगी, वास्तव में बहुत अच्छी बात कही। मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं कि राम का मन्दिर राम की जन्म भूमि अयोध्या में नहीं बनेगा, तो क्या रूस, पाकिस्तान, चीन में बनेगा? मान्यवर भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में पालमपुर में प्रस्ताव पारित करके अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिये और अगर बातचीत से समाधान न हो सकता हो, तो कोई आधुनिक कानून बनाकर राम जन्म भूमि हिन्दुओं को सौंप देनी चाहिये और हमेशा-हमेशा के लिये इस विवाद को समाप्त कर देना चाहिये, ताकि हमारा जो धन, समय, शक्ति इस झगड़े में नष्ट हुआ जा रहा है, वह अच्छे कामों में लग सके।

मान्यवर, अयोध्या का मन्दिर केवल मन्दिर-मस्जिद का मामला नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय पहचान का मामला है। हम ऐसा क्यों चाहते हैं, इसके लिये हम थोड़ा इतिहास के पन्ने उलटना चाहते हैं और सोमनाथ के मन्दिर के साथ राम के मन्दिर की तुलना करना चाहता हूं। सोमनाथ मन्दिर पर 700–800 वर्षों तक हमला होता रहा। वहां 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और उसको ध्वस्त किया, उसके बाद 1297 में अलाउद्दीन खिजली के सेनापति अलफ खां ने आक्रमण करके मन्दिर को तोड़ा और वहां मस्जिद बनाई, इसके बाद जूनागढ़ के राजा महिपाल ने फिर से मन्दिर का निर्माण कराया, उसके बाद 1393 में जफर खां ने आक्रमण किया और फिर मन्दिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। इसके बाद 1701 में औरंगजेब ने गुजरात के अपने सूबेदार मोहम्मद आजम खां को आदेश दिया कि मन्दिर को इस सीमा तक ध्वस्त कर दिया जाय कि आगे इसकी निशानी ही देखने को न मिलें, सन् 1706 में मोहम्मद आजम खां ने औरंगजेब के इस आदेश का पालन किया और मन्दिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, इसके बाद 1783 में इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई ने मूल मन्दिर के स्थान से हटकर एक छोटा सा मन्दिर का निर्माण कराया, इस प्रकार सोमनाथ के विध्वंश और निर्माण का क्रम चलता रहा।

सौभाग्य से 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ और 12 नवम्बर, 1947 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री सरदार पटेल ने गुजरात के प्रभासपाटन नामक स्थान पर समुद्र के किनारे लाखों की संख्या की सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि अब भारत आजाद हो गया है। मैं बहैसियत गृह मंत्री के घोषणा करता हूं कि यहां पर सोमनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया जायेगा। मामला कैबनेट में आया। उस कैबनेट के प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी नहीं थे, कोई लाल कृष्ण आडवानी नहीं थे, उस कैबनेट के प्रधान मंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। कैबनेट ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उस प्रस्ताव को लेकर सरदार बल्लभ भाई पटेल पूज्य महात्मा गांधी जी के पास गये तो उन्होंने उस प्रस्ताव को आशीर्वाद दिया और साथ ही उन्होंने यह कहा कि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए, इस पर सरकारी पैसे को खर्च नहीं किया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने उक्त सुझाव को स्वीकारा और जनता का पैसा इस पर खर्च किया गया। इसका शिलान्यास सरदार पटेल जी को करना था, किन्तु दुर्भाग्यवश 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। 1951 में श्री के0 एम0 मुंशी तत्कालीन राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद के पास गये तो उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के लिए अपनी अनुमति दे दी। बड़े ठाट-बाट के साथ और बड़े उल्लास के साथ 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक बहुत ही बड़े उल्लासपूर्ण समारोह के बीच की। इसका प्रथम चरण 1964 में पूरा हो गया और दूसरा चरण 1988–89, अभी हाल में ही पूरा हुआ।

मान्यवर, मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। उस समय औरंगजेब की मस्जिद बनाने की बात नहीं उठाई गई थी तो फिर आज यह बाबर की मस्जिद बनाने का सवाल कहां से पैदा हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उस समय किस न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण होगा। आज कुछ लोग राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी गुलामी के किसी प्रतीक को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बना दिया जायेगा तो क्या उसे कोई सच्चा राष्ट्रभक्त स्वीकार करेगा। इण्डिया गेट पर लग हुई महात्मा गांधी की मूर्ति को हटाकर आज आजाद हिन्दुस्तान में जार्ज पंचम की मूर्ति को लगा दिया जायेगा तो उसे कोई सच्चा राष्ट्रभक्त स्वीकार करेगा? गुलाम भारत में प्रत्येक प्रमुख चौराहे पर विक्टोरिया की मूर्ति लगी होती थी, आजाद हिन्दुस्तान में उन मूर्तियों को अजायबघर में रख दिया, तो क्या फिर इस आजाद हिन्दुस्तान में पुनः उन मूर्तियों को प्रमुख चौराहों पर स्थापित किया जायेगा? क्या इसे कोई सच्चा राष्ट्रभक्त स्वीकार करेगा? इसलिए जो लोग राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कहते हैं, उनसे हम सहमत नहीं है।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज राम का मन्दिर बनाना हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए परम आवश्यक है, हिन्दू-मुस्लिम लोगों के बीच सौहार्द का वातावरण रहे, उसके लिए भी परम आवश्यक है। आप इसे गहराई से क्यों नहीं देखते हैं? आपके सामने एक वोटर लिस्ट होती है, और उसे देखकर आप फैसला कर लेते हैं। यह कह दिया जाता है कि राम के मन्दिर का निर्माण नहीं होने दिया जायेगा। अब तो मान्यवर, यह संघर्ष लोक शक्ति और राज्य शक्ति के बीच में छिड़ने जा रहा है। अन्ततोगत्वा लोक शक्ति की ही विजय होगी। इतिहास के जो कड़वे सत्य हैं कुछ कड़वे तथ्य हैं, उन्हें भली-भांति सोच समझकर चलना चाहिए। इतिहास यह बताता है कि राम का विरोध करने वाले, रावण जैसे शक्तिशाली की सत्ता भी समाप्त हो गई थी। उसके सामने तो आज हर सत्ता बहुत बौनी है, बहुत बौनी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 4 माह का समय

लिया था वह भी बीत गया। फिर 30 अक्टूबर, 1990 तक का समय दिया गया है, हमें खुशी होगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी इस बीच इसका कोई उचित समाधान निकालकर इस समस्या को हल कर दें।

मान्यवर, राम का मन्दिर हमारा राष्ट्र की पहचान है और हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का भी इसमें प्रश्न है। आज हमें फैसला करना होगा कि हम अपने को राम से जोड़ें या भारत पर हमला करने वाले बाबर से जोड़ें, हमें आज यह भी फैसला करना होगा कि हम राम का सम्मान करें या इस देश पर हमला करने वाले बाबर का सम्मान करें। मैं सशक्त शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम राम के समकक्ष बाबर को नहीं रख सकते हैं, कदापि नहीं रख सकते हैं। राम एक इतिहास पुरुष थे। मैंने पहले भी कहा कि यह कोई छोटे-मोटे मन्दिर व मस्जिद निर्माण का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न तो है हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही है--शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी की। विधान सभा में तो उन्होंने कुछ शालीनता के साथ अपनी बात कही, लेकिन पब्लिक मीटिंगों में उन्होंने जो भाषण दिया है, उसमें उनकी ट्यूनिंग व तेवर कुछ दूसरा ही है।

शंकराचार्य की गिरफ्तारी, ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत बहादुरी का काम कर दिया। वह शिलान्यास करने के लिये आये थे, हम सहमत नहीं हैं, एक बार शिलान्यास हो गया था, दोबारा नहीं जाना चाहिए था, इससे विवाद खड़ा होता है लेकिन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, निन्दनीय है। 200–250 कि0 मी0 के फासले पर गिरफ्तारी की गयी। बात सच है सरकार कहती है राजनेता हो, धर्म नेता हो, देश से कोई बड़ा नहीं होता है। मैं भी इस बात की प्रशंसा करता हूं।

शंकराचार्य देश से बड़े नहीं हो सकते, यह बात सही है लेकिन 26 जनवरी, 1989 को गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करने वाले शहाबुद्दीन क्या देश से बड़े हैं? अब्दुल्ला बुखारी क्या देश से बड़े हैं? सुलेमान क्या देश से बड़े हैं? भारतमाता को कानपुर में जिन्होंने डायन कहा, ऐसे शब्द का प्रयोग किया, जिनका स्थान जेल में होना चाहिये था, वह आज मंत्रिमंडल में है। जब तक दोहरे मापदण्ड रहेंगे, देश से साम्प्रदायिकता को नहीं मिटा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि न्याय सबको लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, इसी में से देश की एकता और अखण्डता का बीज प्रस्फुटित होता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये विशेष पुलिस फोर्स का गठन किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

क्या यह मान लिया गया कि इससे सारे साम्प्रदायिक दंगे रुक जायेंगे? साम्प्रदायिक दंग अगर कानून व्यवस्था का सवाल होता तो रुक जाते। इसको रोकने के लिये इसकी तह में जाना होगा। जब तक कारण पता नहीं लग जायगा कि साम्प्रदायिक दंगे क्यों होते हैं तब तक उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। पुलिस फोर्स बनता रहे, ईश्वर करे कि वह कामयाब हो जायं। किन्तु जब तक साम्प्रदायिकता की जड़ में नहीं जाते, उसके कारणों को नहीं खोजा जाता तब तक इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है।

साम्प्रदायिकता पैदा होती है वोट की खातिर अनुचित तुष्टीकरण की नीति से; अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा से, राष्ट्र की मुख्य धारा में से अल्पसंख्यक को अलग-अलग डालने से मजहब के आधार पर कानून बनाकर अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देने से। मेरी पार्टी का कहना है कि किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सबके लिय समान आचार

संहिता का निर्माण किया जाना चाहिये। यह जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है, इसके स्थान पर मानवतावादी आयोग होना चाहिये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

जो बकरी के पांव की बात करते हैं, अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं, वह अपने को राष्ट्रवादी कह रहे हैं और हम जो हाथी के पांव की बात करते हैं जिसमें बकरी का पांव भी समा जायेगा, हमें साम्प्रदायिक कहा जा रहा है। जब तक मृतकों में भेदभाव किया जायगा कि कौन हिन्दू है और कौन मुसलमान है तब तक साम्प्रदायिकता दूर नहीं होगी। कानपुर के मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रु0 दिया गया तो दूसरी जगहों पर क्यों नहीं दिया गया? क्या यह देखा जायगा कि कौन हिन्दू है कौन मुसलमान है?

***मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव**--मान्यवर, इसका उत्तर भी देना होगा इसलिये ऐसी जगहें कौन सी हैं, जहां पक्षपात हुआ है, नाम बता दें।

**श्री कल्यान सिंह**--कानपुर में एक-एक लाख रु0 दिया गया।

बनारस में भा0 ज0 पा0 के महामंत्री बाला जी पाठक की मृत्यु हुई थी जिसे बाद 50 हजार रु0 दिया गया।

**श्री मुलायम सिंह यादव**--यह कब हुई थी?

**श्री कल्यान सिंह**--आप फाईल देख कर पता कर लीजियेगा।

(व्यवधान)

**श्री कल्यान सिंह**--चलिये बाला जी पाठक की हत्या आपके शासन काल में न हुई होगी, परन्तु इलाहाबाद में अशोक गुप्ता नाम का जो हमारी पार्टी का नौजवान मारा गया वह आपके शासन काल में ही मारा गया है। साम्प्रदायिक तत्व जिनके आगे आपकी सरकार घुटने टेक रही है उन्होंने ही उसकी हत्या की। वहां 5 तारीख को मो0 आजम खां का जहरीला भाषण हुआ था और 9 जून, 1990 को अशोक की हत्या हो गयी।

आपके शासन काल में बड़ा खतरा साम्प्रदायिक तत्वों का है और इसमें अपराधियों का वर्चस्व है। साम्प्रदायिकता के बीज के अवमूल्यन के लिये यह सरकार जो भी कदम उठायेगी या उठाना चाह रही है हमारी भा0 ज0 पा0 उसका स्वागत करेगी और सराहना करेगी। लेकिन साम्प्रदायिकता के कारण क्या हैं यह जानना और उसका निवारण करने पर विचार करना होगा, इसमें हम आपके साथ हैं। अब आप साम्प्रदायिकता की परिभाषा पूछेंगे जो कि मैं पहले ही बतला चुका हूं कि दल की सोच से पहले देश की बात है। जो दल की पहली सोचे और देश की बाद में, जो जाति की पहले सोचे और देश की बाद में, जो स्वार्थ की पहले सोचे और देश की बाद में, जो मजहब की पहले सोचे और देश की बाद में, जो टुकड़ों की पहले सोचे और देश का बाद में, जो वोटर लिस्ट की पहले सोचे और देश की बाद में, यह सब कारण साम्प्रदायिकता पैदा करने वाले होते हैं। अब इस पर और प्रकाश न डालने के लिये कहियेगा नहीं तो बहुत से लोग बेनकाब हो जायेंगे। यद्यपि मैं इसके लिये भी तैयार हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल माननीय मुख्य मंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही और इसके संबंध में दो-तीन चीजें भी सामने रखीं। मैं उनकी इन बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ क्या है, इस पर जायें तो आपको जो अनुभूति हो रही है सात महीने के बाद भी तो यही कहा जायगा कि शासन बदला है, लोक बदला है लेकिन तंत्र नहीं। शासन बदला है, सत्ता बदली है लेकिन व्यवस्थायें नहीं, नेता बदले हैं लेकिन मौलिक नीतियां नहीं बदली हैं। जैसे पहले चलता था उसमें केवल 19–20 का ही फर्क आया है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा मेंजों की थपथपाहट)

**श्रीमैत्री प्रसाद नैथानी**––मान्यवर, उधर एक–एक तबला और रखवा दीजिये।

**श्री कल्याण सिंह**––मान्यवर, तबला तो इधर रखवा दूं, लेकिन तबलची तो उधर ही बैठे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की कसौटी क्या है? मैं गिनाना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन की कसौटी क्या होती है :––

पहली कसौटी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दलाली पर रोक लगाना है। यदि इस पर रोक लगाने में आप कामयाब हुए हैं तब तो जानिये कि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है अन्यथा नहीं।

दूसरी कसौटी लालफीताशाही है। यदि इस पर रोक लगाने में आप सफल हुए हैं तब तो समझिये कि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, नहीं तो कुछ नहीं हुआ है।

तीसरी कसौटी गरीबों के शोषण की समाप्ति है। यदि इनके शोषण को रोकने में आप कामयाब हुए हैं, इनकी सामाजिक, आर्थिक विषमता में कमी आयी है तो समझिये कि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है अन्यथा नहीं।

चौथी कसौटी है देश के नागरिकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की विषमता, यदि इसमें कमी आयी है तो समझना चाहिये कि व्यवस्था में परिवर्तन आया है, नहीं तो भ्रम ही है।

पांचवीं कसौटी है मंहगाई पर रोक, यह तो आपके शासन काल में बहुत बढ़ी है और पहले से ज्यादा बढ़ रही है।

छठवीं कसौटी है बेरोजगारी की समस्या में समाधान, बेरोजगारों को रोजगार की उपलब्धता होती, तो मैं मान लेता कि व्यवस्था में परिवर्तन आया है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपने किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कही है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो आधा कह पाया हूं। मैं संक्षेप में कहूंगा। किसानों के कर्जे की माफी की बात कही जा रही है, लेकिन हाल ही में जनता दल की सरकार ने उर्वरकों के दाम बढ़ा दिये हैं। इस प्रकार से सरकार ने किसानों की जेब पर डाका डाला है। कर्ज की माफी से कोई 35 लाख लोगों को लाभ मिला है, लेकिन खाद की कीमतों में बढ़ोत्तरी से करोड़ों किसानों पर प्रभाव पड़ा है।

मान्यवर, सरकार की मशीनरी की मानसिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिये व्यवस्था परिवर्तन का कोई संकेत नहीं है। जनता में निर्भीकता की भावना नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। किन्तु विधान परिषद् के चुनावों में जनता दल की सरकार ने सत्ता का खुला दुरुपयोग किया है। इस सरकार ने कोई स्वस्थ परम्परा नहीं डाली है। तो मैं कैसे मान लूं कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ है ?

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने अपराध बढ़े हैं और कितने कम हुये हैं। आंकड़ों का प्रश्न नहीं है। कभी अपराध घटेगें और कभी अपराध बढ़ेगें, लेकिन जनता में जरा भी निर्भीकता का वायुमंडल नहीं आया है। मैं कहना चाहता हूं कि आम जनता के मन में सुरक्षा की भावना नहीं है। जनता को सुरक्षित महसूस करना चाहिये। डकैतियां बढ़ रही हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, कत्ल बढ़ रहे हैं, महिला अपहरण बढ़ रहे हैं। आप सर्वेक्षण करा कर देख लें, जितने भी अपहरण हुये हैं, शायद एक भी मामले को पुलिस पकड़ न पायी हो, जो उनके प्रिय जन हैं वह फिरौती देकर छुड़ा कर लाते हैं अगर फिरौती नहीं मिलती है तो उनका कत्ल कर दिया जाता है और जहां पर एक आध मामला पकड़ा जाता है, तो उस पूरे इलाके में, पूरी तहसील में आतंक फैल जाता है और तनाव का राज्य स्थापित हो जाता है। इसलिये जो निडरता का वातावरण पैदा होना चाहिये, वह पैदा नहीं हुआ है। हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, निर्बलों पर अत्याचार हो रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। पुलिस का ढांचा वही पुराना है। मैं मांग करता हूं कि एक नये पुलिस कमीशन की स्थापना की जाये। सरकार के ध्यान में यह नहीं आया है, जब तक पुलिस में दो ब्रान्चे नहीं होंगी, उसमें सुधार नहीं होगा। एक ब्रान्च इनवेस्टीगेशन करे और दूसरी ब्रान्च प्राजीक्यूशन करे। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, पुलिस में सुधार नहीं हो सकता है और न पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ेगी। और न अपराधों पर नियंत्रण ही लगाया जा सकता है। एक और बात की ओर कहना चाहता हूं कि पुलिस में हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इसे हटना चाहिये। अनेक अधिकारी मिलते हैं, कहते हैं कि हमारी गर्दन पर हाथ पड़ा है, हमें सजा मिल जायेगी। हम निर्भीकता से कैसे काम करें। जो आपके निकम्मे अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।

मान्यवर, पुलिस भर्ती के बारे में कहना चाहता हूं। पुलिस को भर्ती के लिये 65 प्रतिशत शारीरिक क्षमता के लिये अंक दिये जायेंगे, 25 प्रतिशत लिखित परीक्षा के लिये अंक दिये जायेंगे और 10 प्रतिशत साक्षात्कार में दिये जायेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जो साक्षात्कार है, यही बेईमानी की जड़ है। भ्रष्टाचार इसी से पैदा होता है। शारीरिक योग्यता के लिये 65 प्रतिशत कर दिया, ठीक किया, 25 प्रतिशत के बजाय आप लिखित के लिये 35 प्रतिशत कर दें, साक्षात्कार को हटा दें। अन्यथा मान्यवर, उस साक्षात्कार के अन्दर बेइमानी हो रही है।

एक बात सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बारे में कहूंगा। मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की कर्मठता, परिश्रमशीलता, योग्यता में संदेह नहीं है लेकिन जब एक व्यक्ति के पास 45/50 महकमे रहेंगे तो प्रदेश की जनता के साथ वह न्याय नहीं कर पायगा। इसलिये मैं कहूंगा कि उसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

मान्यवर, मैं दो मिनट और लूंगा। स्थानान्तरण नीति के बारे में कहना चाहूंगा। मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी स्थानान्तरण नीति के बारे में श्वेत-पत्र जारी करे कि उनकी क्या नीति है और उसको सदन के पटल पर रखे। हमारा कहना है कि यहां पर स्थानान्तरण के मामलों में पक्षपात हुआ है, लूट हुई है और उसके लिये यहां पर सदन की एक समिति बनाने की बात आयी थी।

(व्यवधान)

***श्री अशोक बाजपेयी**--मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि जिन प्रदेशों में आपके दल की सरकारें हैं क्या वहां पर कोई श्वेत-पत्र जारी हुआ है ?

**श्री कल्यान सिंह**--वहां की बात वहां के लोग पूछ रहे होंगे, यहां मैं पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**--माननीय कल्यान सिंह जी, अब आप बैठ जांय।

**श्री कल्यान सिंह**--मान्यवर, मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं एक लम्बी फैहरिश्त प्रस्तुत कर सकता हूं कि जो लोग अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उनका ट्रांसफर किया गया और जो मर गये हैं उनको पदोन्नति दी जा रही है। समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरी सूची आपको बता देता।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि अक्टूबर 84 में जो लोग दंगों में दोषी पाये जायेंगे, रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट के आधार पर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। हम इन्तजार कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई जो उस रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये गये थे।

मान्यवर, यहां पर भ्रष्ट अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया गया। हम इससे सहमत हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि कानपुर के डी0 एस0 ओ0 मिश्रा जी हैं, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से निवृत्त किया गया था और मेरी जानकारी के अनुसार, यदि मैं गलत हूंगा तो मुख्य मंत्री जी बता दें, उस व्यक्ति को डी0 एस0 ओ0 को जो सेवा निवृत्त हो गये थे, आजमगढ़ का डी0 एम0 बनाकर भेज दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि वे ईमानदार थे तो क्यों उनको सेवा-निवृत्त किया गया और यदि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे तो क्या उनको डी0एम0 बनाकर आजमगढ़ क्यों भेज दिया गया। दोनों बातों के बारे में आप हमें बता दें।

**श्री अध्यक्ष**--आपके दो मिनट समाप्त हो गये।

**श्री कल्यान सिंह**--मान्यवर, मैंने कुछ बुनियादी सवाल उठाये हैं और उनकी ओर मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वे उत्तर देने के लिये खड़े होंगे तो मैंने जिन तर्कों के साथ उन्हें रखा है वे विरोध के लिये उनका विरोध न करें बल्कि तर्कों से उन बातों को काटें तो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे तर्क अकाट्य हैं, शासन के पास उनका कोई उत्तर नहीं होगा।

**श्री शेख मुहम्मद सुलेमान**--माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन और मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1990-91 का गृह और सामान्य प्रशासन का जो बजट पेश किया है, उस के लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। जहां तक बजट पर चर्चा का मामला है और उस चर्चा के दौरान व्यवस्था परिवर्तन की बात की जा रही है तो मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन की बात सरकार की तरफ से की गई है यह एक खुशी की बात है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकती है लेकिन 6 महीने के अन्दर मुझे कोई खास व्यवस्था परिवर्तन नजर नहीं आती। बल्कि व्यवस्था परिवर्तन जरूर हुआ है। इसका उदाहरण मैं अपने आप से देना चाहता हूं कि इस वर्ष होली के मौके पर मेरे गृह जनपद बिजनौर में धामपुर के अन्दर उन लोगों के मारफत प्री-प्लाण्ड तरीके से मस्जिद के उपर रंग डाला और नारे लगाये कि हिन्दी हिन्दुस्तान भाड़ में जाये मुसलमान या पाकिस्तान। तो वहां प्री-प्लाण्ड तरीके से मस्जिद में रंग डाला और लोगों की भावना को भड़काया। मैं और हमारे दल की मेम्बर पार्लियामेंट एडवोकेट मायावती स्थिति का जायजा लेने के लिये धामपुर गयी दोनों संप्रदायों के लोगों से हिन्दू भाइयों से भी और मुसलमान भाइयों से भी मिले और स्थिति का जायजा लेने के बाद जो बात आई लोगों ने वहां के सी0ओ0, डी0एस0पी0 महावीर सिंह की शिकायत की और इस पर सारा प्रकरण शुरू हुआ तो हमने डाक बंगले के अन्दर सी0ओ0 महावीर सिंह को बुलाया और उससे स्थिति जाननी चाही तो उसने हमारे साथ बदअखलाकी की और हमारी सांसद को अपशब्द कहे। एडवोकेट मायावती से कहा कि [× ×] मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। इस घटना को लेकर मैं और हमारी सांसद एडवोकेट मायावती माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गये और हमने लिखित रिपोर्ट की मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं उनका ट्रांस्फर ही नहीं इनक्वायरी कराके उसको सस्पेंड कराऊंगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के डी0जी0 को कहने के बाद भी वह सी0 ओ0 आज तक वहां से नहीं हटा है और न उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी तो यह स्थिति है आज सरकार की।

यह सरकार फतेहपुर में हरिजनों का उत्पीड़न नहीं रोक पाई, आगरा में हरिजनों पर अत्याचार और अन्याय नहीं रोक पाई। उनकी औरतों के साथ पुलिस और पी0ए0सी0 ने ज्यादतियां की।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह तय हुआ था कि किसी दल का नेता बोल रहा हो तो बीच में दूसरे लोग नहीं बोलेंगें। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने दल के लोगों से कहे कि खामोश होकर सुनने की आदत डालें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका भी यही हश्र होगा और उधर से इधर आजायेंगे। तो मैं कह रहा था कि आगरा के अन्दर पी0ए0सी0 और पुलिस ने औरतों के साथ बलात्कार किया। जिलाधिकारी ने पी0ए0सी0 को आदेश दिया कि आत्मरक्षा में हवा में फायरिंग करें लेकिन पी0ए0सी0 ने हवा में फायर नहीं किया। अगर हवा में फायरिंग किया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि उस पी0ए0सी0 की टुकड़ी को जिसने जिलाधिकारी के आदेशों का पालन नहीं किया उसे सस्पेंड किया जाय जिस पी0ए0सी0 के कारण वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ी है।

(व्यवधान)

**श्री विजय सिंह राणा**—यह गलत है (कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)।

**श्री शेख मुहम्मद सुलेमान**—तो सदन के अन्दर हरिजनों के साथ इस तरह से ज्यादती होगी।

(व्यवधान)

**श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर**

**सभी दलों के नेताओं के भाषणों में व्यवधान उत्पन्न न किये जाने संबंधी बैठक में लिए गये निर्णय की सूचना**

**श्री अध्यक्ष**—राणा जी आप बैठें, माननीय सदस्य आप भी बैठें। मैं पूरे सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि परसों सभी माननीय नेताओं और प्रबुद्ध सदस्यों की एक बैठक हुई थी उसमें निर्णय हो गया कि जब किसी दल का कोई नेता बोलेगा तो उसे शांतिपूर्वक सुना जायगा।

---

नोट:—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

स्पष्टीकरण का अधिकार आपको है लेकिन ऐसा है आप अपने स्थान पर खड़े हो जांय यदि माननीय नेता जो बोल रहे हैं बैठ जांय तो आप जरूर कहें लेकिन अगर नहीं बैठते हैं तो आप नहीं बोलें और उनको सुनने के बाद आप खड़े हों।

**वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 88 सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)**

**श्री शेख मुहम्मद सुलेमान**—मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं हरिजनों के ऊपर अत्याचार, अन्याय के ऊपर बोल रहा हूं और जब यहां मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है तो क्षेत्रों में क्या हालत होगी इसको आप जान सकते हैं।

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि गाजियाबाद के अन्दर विधायक श्री डा0 अख्तर साहेब के ऊपर पुलिस ने फायरिंग किया और कातिलाना हमला किया लेकिन खुश किस्मती से वह बच गये। इसी तरह एटा के अन्दर इसी सदन के मा0 सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह यादव पर फायरिंग की गयी जिससे साबित होता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को वह सुधारें।

मान्यवर, मैं अपने ही जनपद बिजनौर के बारे में बताना चाहता हूं कि जनता दल जिला अध्यक्ष चौधरी राम सिंह दिनांक 6-7-90 को अपने घर लौटते समय दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी। मुल्जिम खुले आम घूम रहे हैं और उनको गिरफ्तार तक नहीं किया गया, इसलिये मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाये।

जहां तक आजमगढ़ का मामला है तो वहां बकराईद के मौके पर प्रशासन ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों की सुरक्षा नहीं किया और उस मौके पर जगह जगह पर पुलिस ने प्रताड़ित किया और झगड़ा कराया और उसके बाद पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने अल्पसंख्यकों को लूटा।

मान्यवर, यह मैं सरकार की आलोचना करके स्थिति को बताया किन्तु अब मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं और जब जब होते हैं तो मुसलमान समाज के लोगों की ऐसी सोच है कि जब पी0 ए0 सी0 तैनात की जाती है तो वह न्याय नहीं करती है बल्कि अन्याय करती है। इसलिये मेरा मुख्य मंत्री जी को सुझाव है कि पी0 ए0 सी0 को तोड़कर समाप्त कर दिया जाये और इसे पुलिस विभाग में बदल दिया जाये और एक नया दंगा विरोधी दल बनाया जाये जिसमें सभी सम्प्रदाय के लोगों को भर्ती किया जाये ताकि न्याय मिल सके।

मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि प्रदेश के अन्दर आबादी के हिसाब से थानों और चौकियों की संख्या बढ़ाई जाये।

मान्यवर, आज भी सत्ता परिवर्तन के बाद हरिजनों और गरीब लोगों की थानों में एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जाती है, और लिखी जाती है तो पैसा लिया जाता है। इसलिये एफ0 आई0 आर0 लिखाने के लिये ऐसी व्यवस्था बनायी जाये ताकि एफ0 आई0 आर0 लिखने पर रोक न हो।

मान्यवर, चुनाव के अन्दर धन, बल और माफिया के बल पर बूथ कैप्चरिंग की बात मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस तरह जो बूथ कैप्चरिंग होती है जिससे आम गरीबों के वोटों की लुटाई होती है उसको आप बंद करें ।

मान्यवर, आपने बाबरी–मस्जिद और राम जन्म-भूमि का जिक्र किया है तो इसके बारे में मैं और मेरा दल आपकी प्रसंशा करता है कि पूरे प्रदेश को आपने तबाह होने से बचाया है और इसको लेकर कानून व्यवस्था को सुधारने में आपका बड़ा अच्छा काम रहा है । इसके लिए मैं और मेरा दल आपकी सराहना करता है। आपने अनुसूचित जाति के लोगों को कोटा देने की बात कही है। मैं आपकी इस बात का भी समर्थन करता हूं ।

**श्री अध्यक्ष**–आप कृपया बैठें ।

**श्री शेख मुहम्मद सुलेमान**––मैं एक सुझाव प्रशासन के बारे में देना चाहता हूं, एस0 डी0 एम0 मुकदमा भी सुनते हैं और यदि उन्हें डी0 एम0 वायरलेस करके बुला लें तो वहां भी उठकर चले जाते हैं। इस तरह से अगर उनके सामने 200 लोगों के मुकदमें लगे हैं, उनकी तारीख लगी है, तो उनकी फिर तारीख लग जाती है। इस प्रकार उनका बड़ा हर्जा–खर्चा होता है। यह सिलसिला एक जमाने से चला आ रहा है । इसलिए एस0डी0 एम0 मुकदमें – सुनने के लिए अलग हों और प्रशासन चलाने के लिए अलग हों । मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। खुदा हाफिज ।

**श्री राज किशोर सिंह**––माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल गृह और सामान्य प्रशासन पर बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातों का ऐलान किया है, मैं उनका समर्थन करता हूं । पुलिस प्रशासन का जो गठन है, यह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और पुलिस का कानून भी अंग्रेजों के जमाने का है । उसमें अमूल चूल परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है। इसलिए जब तक मौलिक रूप से पुलिस ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक प्रदेश में पुलिस के प्रति जो जनता की भावना है, जो पुलिस को लेकर भय है, आतंक है, वह दूर नहीं हो सकता है । आज थाने में जनता जाने में डरती है, वहां अपनी फरियाद नहीं कर सकती है, यह स्थिति बनी हुई है, और जब तक नई सरकार इस स्थिति का अन्त नहीं करती है, जनता न अपनी रिपोर्ट लिखाने थाने जा सकती है और न अपनी बात ठीक से वहां कह सकती है। अभी भी थाने दलालों और बदमाशों के अड्डे बने हुए हैं। थाने में कुर्सी उन्हीं को मिलती है जो क्षेत्र के सबसे बड़े बदमाश होंगे या थाने को रुपया दिलाने वाले होंगे। आज हालत यह है कि थानेदार लोग अवैध और भ्रष्ट कमाई से मालोमाल हो रहे हैं । उनका दिन रात यही काम है, जबकि गृह विभाग इन पर मुनस्सिर है और जनता की रक्षा करना इनका महत्वपूर्ण काम है । लेकिन रक्षा की बात कौन कहे, जनता के साथ इनका व्यवहार ही निन्दनीय है। जनता की गाढ़ी कमाई को यह लोग लूट रहे हैं और मालोमाल हो रहे हैं। जिस दिन थाने में यह बात पैदा हो जाए कि थाने में लोग निर्भयतापूर्वक जा सकें और अपनी बात थानेदार से कह सकें तभी सुधार इसमें हुआ जानिये। इस स्थिति का आना बहुत जरूरी है। आज थाने में बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है । किसान को दरोगा आदर के साथ नहीं बैठाता है, वहां बैठने के लिए न कुर्सी है न बैंच है। वह खड़ा रहेगा। जो सम्भ्रान्त आदमी है, वह भी दरोगा के सामने खड़ा रहता है और उसके बैठने के लिए कोई व्यवस्था वहां नहीं है । इसलिए आवश्यक है कि जो साम्राज्यवादियों ने इस देश में अपना राज्य कायम करने और चलाने के लिए पुलिस व्यवस्था का निर्माण किया, और जो जनता के साथ दुर्व्यवहार करती है, मारती पीटती है, उसको

बन्द किया जाए। उनका वैसा ही प्रशिक्षण भी चलता रहा है। इस तरह से जनता की भलाई नहीं हो सकती है। प्रशिक्षण का आज उलटा असर पड़ता है। आज थानों में लूट, हत्या और डकैती की घटनाएं व्यापक पैमाने पर हो रही हैं।

(1 बजकर 20 मिनट)

इसको रोकने के लिये बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। मैंने अखबार में पढ़ा कि जौनपुर में कोई विधायक हैं जो मिनी मुख्य मंत्री कहलाते हैं। यह सवाल कहां से उठ रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अपने दल को इस तरह से संगठित करें और अनुशासित करें कि सरकार की छवि बिगड़ने न पाये। प्रदेश के हर थाने में जाकर तबादला करने और मामूली बात पर उनके प्रति गुस्सा करके उनसे बदला लेने की भावना यदि शुरू होगी तो पूरा प्रदेश डूब जायेगा, सरकार की छवि खराब हो जायेगी। मैंने प्रारम्भ में ही जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो साफ कहा कि जिस तरह से कांग्रेस-आई की सरकार को मंत्री, कार्यकर्ता, नेता, पुलिस और माफिया, जिनके बल पर सरकार चलती साजिश रही थी, ले डूबा और उसकी छवि को भ्रष्ट कर दिया। हम आप इससे बचे रहें नहीं तो सरकार की छवि खराब हो जायेगी इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, आदिवासियों, हरिजनों या कमजोर वर्गों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें कमी नहीं आयी है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। पिछले चार-छह महीनों की स्थिति यह रही है कि हरिजनों पर, आदिवासियों पर, कमजोर वर्गों पर बहुत हमले हुए हैं और इन हमलों की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के थाने के थानाध्यक्ष की है। जिस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई हैं वहां के थानाध्यक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मान्यवर, पिछले राज्य में (कांग्रेस-आई) में बहुत साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं जिसमें, मेरठ का दंगा सबसे शर्मनाक घटनाओं का संग्रह है। जब माननीय कल्यान सिह जी बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी पार्टी और यह खुद साम्प्रदायिकता का मूर्त स्वरूप हैं।

आप देश की बात नहीं करना चाहते हैं, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। अंग्रेज चले गये, मुसलमानों पर हमले किये गये लेकिन आज भी करोड़ों मुसलमान हिन्दुस्तान में हैं। भारत माता के दो पुत्र हैं। वैसे तो ईसाई और सिख भी हैं लेकिन सबसे बड़े दो पुत्र हैं--हिन्दू, मुसलमान। भारतमाता की यदि एक आंख फूटती है तो दूसरी आंख भी फूट जायेगी। आप मन्दिर के लिए चिन्तित हैं, लेकिन देश के लिए चिन्तित नहीं हैं। देश की और जो परेशानियां हैं, लोगों को काम नहीं मिलता है, मंहगाई बढ़ती जा रही है, अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनाना चाहिए। आपको कैसे पता चला कि राम वहीं पर जन्मे थे। किस ग्रन्थ में यह लिखा है, किस इतिहास में लिखा है? रामचन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। इसलिए आपका यह कहना कि रामचन्द्र ने वहां जन्म लिया था तो आप न तो राम की पूजा करते हैं, न कौशल्या माता की पूजा करते हैं। यह रामचन्द्र का अपमान है, यह कौशल्या माता का अपमान है।

चक्रवर्ती महाराजा दशरथ की महारानी कौशल्या ने क्या उस वीराने जंगल में जाकर रामचन्द्र को जन्म दिया। आपको यह कहते शर्म नहीं आती कि वह राम जन्म भूमि है इसलिए वहां पर मन्दिर बनना चाहिए। रामचन्द्र ने वहां पर कतई जन्म नहीं लिया था। हिन्दू मुसलमान भाई-भाई की तरह रह रहे थे। आप इन भाईयों में झगड़ा कराना चाहते हैं। बहुत सही कदम उठाया है माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है।

हमने इसी 15 जुलाई को साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलन रखा है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी पार्टी सी0 पी0 आई0 सी0 पी0 एम0 की तरफ से उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है और आप साम्प्रदायिकता की परिभाषा कर रहे हैं, साम्प्रदायिकता की परिभाषा तो आपके बयान से हो गई कि साम्प्रदायिकता किसका नाम है और साम्प्रदायिकता किसको कहते हैं ।

(व्यवधान)

साम्प्रदायिकता के खिलाफ, जो साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए, साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए पुलिस के विशेष दल की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही है उसका मैं स्वागत करता हूं आज उस विशेष दल की आवश्यकता है जो निष्पक्ष हो, जिसके अन्दर जातिवाद न हो। मान्यवर आज भी जो अधिकारी हैं जिलों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दस बजे निलम्बीत को आता है, तो कोई दस बजे नहीं आता है। एस0 डी0 एम0 बारह एक बजे से पहले नहीं आते हैं, तो इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

एक सदस्य——जिले का नाम बता दें ।

**श्री राज किशोर सिंह**——सभी जिलों की यही स्थिति है लोग विलम्ब से आते हैं और वादी प्रतिवादी परेशान होते हैं। अधिकारियों में भी जातिवाद और सम्प्रदाय की भावना बसी हुई है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि ज्ञानपुर के एस0 डी0 एम0 के खिलाफ रिपोर्ट की थी कि वह आर0 एस0 एस0 में जाकर भाषण देते हैं, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो ऐसे भी अधिकारी हैं कि जो आर0 एस0 एस0 के निर्माता थे उनकी नई बरसी मनाई गई तो उसमें वह अधिकारी भाषण दिए, तो ऐसे अधिकारी भी हैं जो कल्याण सिंह के चेले हैं, जो मन्दिर का निर्माण चाहते हैं। मान्यवर, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कोई भी कोर-कसर नहीं रखनी चाहिए। मान्यवर, स्थानान्तरण की नीति बनाई गई लेकिन वह नीति लागू नहीं है, मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं यूनानी और आयुर्वेदिक डा0 के बारे में डायरेक्टरेट के अधिकारियों को मंत्री लोग लिखकर दे रहे हैं लेकिन मंत्रियों की बात को नहीं माना जाता है उसको फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। 6–6 महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं एक-एक जगह दो-दो डाक्टर और दो–दो कम्पाउन्डर रहते हैं, लेकिन कहीं सी आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरियां ऐसी हैं कि वहां एक भी डाक्टर एक भी कम्पाउन्डर नहीं है। ऐसे स्थानान्तरण करने में कौन दोषी है? यह मैं नहीं कह सकता हूं। नाना प्रकार के स्थानान्तरण के मामले हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो स्थानान्तरण की स्थिति हो रही है इस पर ध्यान दिया जाए ।

**श्री अध्यक्ष**——अब आप बैठें ।

*__चौधरी शंकर सिंह__——मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। परम्परा यह रही है कि एक माननीय सदस्य सत्तापक्ष से और एक मा0 सदस्य विरोधी दल से बोलेंगे, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि तीन विरोधी दल के नेता बोल चुके हैं और सत्तापक्ष का कोई भी सदस्य नहीं बोला है। आप विरोधी दल के नेताओं को अवसर दें, हम यह नहीं कहते हैं कि आप उनको अवसर न दें, लेकिन सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य को भी बोलने का अवसर दें और उसके बाद दूसरे विरोधी दल के नेता को बोलने का अवसर दें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वही व्यवस्था चालू करता हूं लेकिन माननीय दलों के नेताओं को थोड़ा सा सम्मान दे दें ।

*श्री रामचन्द्र बरन सिंह---माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन तथा गृह विभाग के संबंध में बहुत अच्छी घोषणायें की हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं और उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । लेकिन एक मामले में बधाई देने में मैं कंजूसी कर रहा हूं । जैसा कि माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा, मान्यवर, उर्दू को मात्र दूसरी भाषा का दर्जा दे देने से उसको उसका दर्जा नहीं मिला है । उर्दू को अंग्रेजी के समकक्ष रखना भी गलत है । मा0 कल्याण सिंह जी ने कहा कि इस काले कानून को निरस्त करना चाहिये तो मैं उसका विरोध करता हूं और इस सरकार से उम्मीद करता हूं कि उर्दू का जो वाजिब सम्मान है वह उसको मिलेगा । मेरा विश्वास है कि उर्दू के बारे में सोचा जायेगा । उर्दू भाषा कहीं ईरान या अरब से नहीं आयी है यह भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, अपने देश की भाषा है । यह खाली मुसलमानों की भाषा नहीं है बल्कि यह अपने देश के हजारों व्यक्तियों की भाषा है । उर्दू भाषा को मुसलमानों की भाषा कहना उर्दू भाषा का अपमान है और देश की संस्कृति का अपमान है ।

मान्यवर यह बात किसी से छिपी नहीं है, आजादी के आंदोलन के दौरान उर्दू शायरों ने इस भाषा के माध्यम से पूरे देश की जनता के मनोबल को ऊंचा उठाया । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उर्दू भाषा को अभी उचित सम्मान नहीं मिला है, वह सम्मान दिया जाय तब मैं आपको पूरी बधाई दूंगा । दूसरा प्रश्न जो एक विवाद का मुद्दा बन गया है जिसके बारे में भा0ज0पा0 के नेता ने कहा, राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है । जैसा कि अभी माननीय राज किशोर सिंह जी ने कहा, किस इतिहास में लिखा है कि भगवान राम उसी जगह पर पैदा हुये थे । आज तक किसी इतिहासविद ने या किसी भी व्यक्ति ने उस निशानदेही को पक्का नहीं करार दिया है कि राम का जन्म स्थान वहीं है । राम मंदिर के निर्माण में किसी को विरोध नहीं है ।

मान्यवर, पूरे सदन के सदस्यों को राम मंदिर के निर्माण पर विरोध नहीं है और मुख्य मंत्री जी से कोई विरोध नहीं है लेकिन किसी दूसरे धर्म के स्थान को गिराकर किसी अन्य धर्म का मंदिर, मस्जिद बनाया जाना न केवल गलत है बल्कि इस देश की एकता और अखण्डता को खंड-खंड करना है । मैं अपने दल की ओर से मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो एक बड़ा खतरा साम्प्रदायिकता का इस देश के सामने था और एक चुनौती के रूप में खड़ा हो गया था और जो साम्प्रदायिक शक्तियां बेनकेल हो गयी थीं उन पर मुख्य मंत्री जी ने काबू पाया । इसका असर इस प्रदेश पर ही नहीं पड़ा है बल्कि सारे देश पर पड़ा है और सरकार द्वारा उठाये गये कदम की सराहना की जा रही है । मान्यवर, सोमनाथ के मंदिर का उदाहरण दिया गया ।

( इस समय , बजकर 3 मिनट अधिष्ठता श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी पीठासीन हुए)

सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया लेकिन मस्जिद नहीं बनी और वह सोमनाथ का मंदिर ही रहा । इसलिये बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर का उस जगह पर निर्माण करना यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा अपमान है । मान्यवर, हम लोग भी धर्म को मानते हैं, किसी भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संत महात्मा ने या किसी भी विद्वान ने किसी दूसरे के धर्म स्थल को गिरा कर किसी दूसरे के धर्म स्थल के निर्माण की बात नहीं की है। दूसरी बात इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर चन्दा मांग कर मंदिर का निर्माण करना भी हिन्दुस्तान का अपमान है। किसी भी मंदिर का निर्माण इस तरह से नहीं किया गया है।

तीसरी बात मान्यवर, इस सवाल को लेकर हिन्दू मुसलमान को लेकर झगड़ा किया जाता है। संकेत से माननीय कल्याण सिंह जी कह रहे थे कि कुछ लोग राष्ट्रीय स्मारक की बात करते हैं, यह हमारी मांग थी। वह जानते होंगे कि फतेहपुर सीकरी में जो किला है, उसमें मंदिर और मस्जिद दोनों हैं और यह किसी हिन्दू का नहीं, बल्कि मुगल शासक का बनवाया हुआ है। इसी तरीके से मैसूर में हैदर अली के किले के अन्दर एक विशाल हिन्दू मंदिर बना है जो उन्होंने बनवाया था और उसकी पूजा के लिए अपनी जागीर लिख दी थी इसको मैंने स्वयं देखा है और ये दोनों राष्ट्रीय स्मारक हैं। देश में मात्र सीमाएं ही नहीं होती हैं, न रेखाएं खींचने से देश बन जाता है। देश में धरती भी है, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, लेकिन सबसे मूल्यवान चीज मानव है और मानव में हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिक्ख भी हैं, ईसाई भी हैं। सभी जातियां, सभी राष्ट्रीयताएं हैं। किसी एक को अलग करके हम देश को खंडित करने की बात करते हैं, एकता की बात नहीं। किसी एक वर्ग को काट करके या अपमानित करके देश की एकता की बात करना तर्क संगत नहीं है। मान्यवर, आज हमारे देश में बहुत राम भक्त पैदा हुए हैं, लेकिन जाने माने राम भक्त महात्मा तुलसी दास जो अकबर के जमाने में पैदा हुए थे और मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, यदि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गयी होती, तो महात्मा तुलसी दास जी अपने विरोध को प्रकट करते हुए अपने राम चरित मानस में अनेकों दोहावलियों और काव्यों में कहीं न कहीं इसका वर्णन अवश्य करते वह इतने बड़े राम भक्त थे कि उन्होंने भगवान कृष्ण को वह सम्मान नहीं दिये! उनकी मूर्ति के समीप जाकर उन्होंने यह कहा था कि तुलसी मस्तक जब नवै जब धनुष बाण लेव हाथ, हिन्दू धर्म के लोगों के ऊपर किसी की ठेकेदारी नहीं है और न वह किसी दल विशेष के वश में है। करोड़ों-करोड़ हिन्दू सरकार की इस मजबूत नीति का समर्थन करते हैं और साम्प्रदायिक शक्तियों को बरदाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को अंग्रेजी हटाने के लिए बधाई देता हूं, लेकिन इस संबंध में हमारा कुछ निश्चित सुझाव है। मान्यवर, अंग्रेजी तो हट गयी लेकिन अंग्रेजों द्वारा कायम किया गया प्रशासनतंत्र जिसकी ओर मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इशारा किया था, चाहे वह पूरा प्रशासन तंत्र हो, चाहे आई0 ए0 एस0 या आई0 पी0 एस0 का मामला हो, पूरा ढांचा पुराना ही है, बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी की गयी है, किन्हीं कारणों से बदलाव नहीं ला पाये हैं, बल्कि उसको अपनाया गया है। हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी अरुण कुमार जी वर्तमान प्रशासन तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं सोच पाये हैं, बल्कि उल्टा हुआ, पुलिस विभाग में एक आई0 जी0 होता था, तो 35 आई0जी0 और चार-6 डी0 जी0 कर दिये गये। इसी तरह से सिंचाई और विद्युत में जहां एक चीफ इंजीनियर से काम चलता था, वहां अनेकों चीफ इंजीनियर और उनके ऊपर कई प्रमुख अभियंता बना दिये गये। इन सब पर सरकार का भारी धन खर्च होता है। आई0 ए0 एस0 के बारे में मान लिया जाता है कि वह सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, कला, विज्ञान, व्यापार, कृषि, विद्युत हर चीजें के माहिर माने जाते हैं। मेरा सुझाव है कि विभागों के सचिव इन विषयों के विशेषज्ञ बनाये जायं और कुछ समय के लिए आई0 ए0 एस0 की ट्रेनिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और पी0 सी0 एस0 कैडर को प्रोमोट किया जाय।

अगर विद्युत का मामला है तो कोई इंजीनियर जिसको विद्युत का ज्ञान हो, वह सचिव होना चाहिए। लेकिन यह सारा अधिकार आई0 ए0 एस0 को दे दिया गया है इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आई0ए0एस0 की

भर्ती पर पाबन्दी लगाइये और अपने यहां पी0सी0एस0 कैडर को प्रोमोट कीजिए इस पर आपका अधिकार रहेगा क्योंकि पी0सी0एस0 को जब चाहें मुख्य मंत्री दरखास्त कर सकते हैं और माननीय मुख्य मंत्री सरकार को केन्द्र सरकार राज्यपाल के द्वारा चाहे तो भंग कर सकती है लकिन आई0 ए0 एस0 को माननीय मुख्य मंत्री जी दरखास्त नहीं कर सकते हैं, यह कौन सा प्रशासन तंत्र है। मान्यवर एक माननीय सदस्य शिकायत कर रहे थे, यह सबका कहना है और सब लोग जानते हैं कि आई0 ए0 एस0 लोग विधायकों के पत्र का उत्तर नहीं देते हैं यह उनकी पुरानी आदत है। मंत्री जी हमारे पत्र का उत्तर देंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे लकिन आई0 ए0 एस0 की कुर्सी पर बैठे हुए लोग चाहे वह जिलाधिकारी हों चाहे सचिव हों, ये हमारे पत्रों का उत्तर नहीं देते हैं, यही सम्मान है माननीय जनप्रतिनिधियों का जो जनता द्वारा चुने गये हैं।

यही नहीं मान्यवर, सब लोग ऐसे नहीं हैं, यह सही बात है कि बहुत से सही लोग हैं, भले लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे लोग भी हैं जो उठते हैं, बैठाते हैं और भेजने के लिए आते हैं। मैं इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य सचिव का जिक्र करना चाहता हूं जो बहुत ही भले आदमी हैं लेकिन अधिकांश लोग और खासकर जूनियर आई0 ए0 एस0 को देखकर लगता है कि कुंठित हो गये हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, खड़े होने की बात तो छोड़िये, सीधे बात नहीं कर सकते हैं, जवाब नहीं देते हैं, इस पर भी आपको कुछ करना पड़ेगा।

मान्यवर, इसी तरह से इंजीनियर हैं, इतने चीफ इंजीनियर हैं, प्रमुख अभियन्ता हैं कि पूछिये मत। मान्यवर, एक चीफ इंजीनियर पूरा सिंचाई विभाग चलाता था, पूरा पी0 डब्लू0 डी0 चलाता था, अब इन तमाम चीफ इंजीनियर और प्रमुख अभियन्ता के बढ़ जाने से खर्च बढ़ा है। मान्यवर, चीफ इंजीनियर का एक पद रखिये और नीचे के पद बढ़ाइये। तमाम जूनियर इंजीनियर बेकार पड़े हैं, तमाम इंजीनियर डिप्लोमा, डिग्रीधारी बेकार पड़े हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि ऊंचे लोगों के पद कम कर दिये जांय और नीचे के लोगों के पद बढ़ाये जायं, इससे बेकारी दूर हो सकती है।

मान्यवर, पुलिस के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ठीक ही कह रहे थे, कि थाने हमारे रक्षक नहीं हैं। पुलिस की जनता में भावना है कि ये हमारे दुश्मन हैं उनको देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, थानों में लोग नहीं जाते हैं। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अगर पुलिस कप्तान को दिया जाता है तो मुकदमा कायम होता है। यह अधिकांशतः कमजोर लोगों के साथ हो रहा है। ये आपके आदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं। इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें इनको भद्दी गालियां देना सिखाया जाता है। गालियां देना, डराना धमकाना यहीं से इनकी बात शुरूआत होती है। इसलिये आपके जो ट्रेनिंग स्कूल हैं इनका नया स्लैबस बनाना पड़ेगा क्योंकि इनमें अंग्रेजों का स्लैबस ही चलाया जा रहा है। इनका नया स्लैबस बनायेंगे तब जाकर अगले 10–20 सालों में आप पुलिस को ठीक कर पायेंगे, वर्तमान पुलिस को ठीक करना बहुत में मुश्किल है। मान्यवर, जहां आलोचना है, वहीं इनकी कुछ कठिनाइयां भी हैं। कोई भी आदमी 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता है। इनकी 24 घंटे ड्यूटी रहती है चाहे रात हो, दिन हो, भोर हो सबेरा हो।

मान्यवर, किसी भी आदमी का मन मस्तिष्क तभी स्वस्थ्य रह सकता है जब वह 12 घंटे आराम करे। इसलिए आप जैसे सब लोगों से ड्यूटी 8 घंटे लेते हैं वैसे इनसे भी लें अगर काम न चले तो उसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जाय। लेकिन इनको आराम करने का समय अवश्य दिया जाय ताकि यह स्वस्थ रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री अशोक बाजपेई--मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैंने पुलिस और सामान्य प्रशासन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण को सुना और पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को भी सुना। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के जुझारू, गतिशील और कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने इस प्रदेश की जनता में एक नया विश्वास जगाने का काम किया है। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यह होता है कि वहां की जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना को पैदा करें। आज तक के थोड़े से कार्यकाल में मा0 मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता में यह विश्वास जगाने का काम किया है। सारे प्रदेश में जो साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बना है, उसके लिये मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मेरे सामने बैठे सदस्य मा0 उपनेता प्रतिपक्ष की तकरीर को मैंने गम्भीरता से सुना। उन्हें व्यवस्था परिवर्तन की झलक इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद भी नहीं आ रही है। अभी तक समाज की पंगु शहरी संस्कृति में पलने वाले लोगों की सत्ता रही है। पहली बार प्रदेश के सामान्य वर्ग के लोगों के हाथ में प्रशासन का नेतृत्व आया है, ऐसे में इनको कष्ट होना स्वाभाविक है। इनको निश्चित रूप से खामियां नजर आ रही होंगी क्योंकि इन्होंने सत्ता पर अपना अधिकार समझ रखा था। आज प्रदेश के सामान्य जन-जीवन में देखा जाय, गांव के लोगों में देखा जाय तो व्यवस्था परिवर्तन दिखाई पड़ता है गांव के गरीब परिवारों में आज विश्वास जगा है कि उनके कष्टों में प्रशासन भागीदार है। आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन उनकी संवेदनशीलता बढ़ी है और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। छः महीने में इतना बड़ा परिवर्तन आना बहुत कठिन है। राज्यों का इतिहास बनने में समय लगता है। 6 महीने का समय इस जर्जर और टूटी व्यवस्था को सुधारने में बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार बनी और मुख्य मंत्री जी के हाथों में नेतृत्व आया, उस समय प्रशासन पंगु हो गया था। कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी।

इस माहौल को परिवर्तित करने के लिये इतने कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाय तो एक सुन्दर इतिहास सामने है। मान्यवर, जैसा कि मैंने मा0 नेता वी0 जे0 पी0 को सुना, उनका जोर स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में श्वेत पत्र जारी करने पर था। हिन्दुस्तान में क्या कभी स्थानान्तरण के संबंध में श्वेत-पत्र जारी हुए हैं। उन प्रदेशों में, जहां इनकी सरकार हैं क्या कभी श्वेत पत्र जारी हुए हैं। मैं सोचता था कि विद्वान सदस्य हैं, प्रतिपक्ष में बैठ कर सच्चाई को नकारने का काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में शासन की गतिशीलता को तो स्वीकार किया है, लेकिन औपचारिकता को निभाते हुए आलोचना जरूर की है। जो सचिव वातानुकूलित कक्ष में बैठते थे वे अब गांव की टूटी झोंपड़ी में जा रहे हैं, यह परिवर्तन हुआ है। यह मुख्य मंत्री जी के दृढ़ संकल्प से सम्भव हुआ है कि जो अधिकारी गांव नहीं जाते थे, जिनको गांव का कभी कोई अनुभव नहीं था, वे गांव जाते हैं। निश्चित रूप से इससे प्रशासन में एक जिम्मेदारी बढ़ी है। जहां तक पुलिस प्रशासन में सुधार और परिवर्तन की बात है, वह सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, लेकिन 60 प्रतिशत सुधार नेतृत्व परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के बाद स्वयं हो जाता है। आज छोटी-मोटी शिकायतों पर प्रशासन द्वारा अधिक कठोरता से कार्यवाही की जा रही है। इससे सामान्य प्रशासन में परिवर्तन आया है। ऐसा मुख्य मंत्री जी के दृढ़ और मजबूत इच्छा शक्ति से प्रशासन चलाने से हुआ है। इससे आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि व्यवस्था में कितना परिवर्तन आया है। आज प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ा है, जबकि इनका कहना है कि कोई प्रगति नहीं हुई है। आज निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन बढ़ा है। पिछले 6 महीने में बढ़ा है। इतना ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं, भले ही और कहीं 14 घंटे बिजली न पहुंच रही हो लेकिन गांव में पहुंच रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद मंत्री जी के कठोर निर्णय से विद्युत आपूर्ति बढ़ी है। आपके गांव के लोगों ने आपको बताया होगा कि आज पहले की अपेक्षा अधिक बिजली आ रही है। इसी प्रकार से विधान परिषद् के चुनाव पूरे प्रदेश में हुए, लेकिन एक भी घटना पूरे प्रदेश में नहीं हुई और आज यह एक मजबूत प्रशासन का उदाहरण बना है। प्रदेश में 39 विधान परिषद सदस्यों के चुनाव हुए और कहीं भी एक भी दुर्घटना सुनाई नहीं पड़ी। कहीं एक भी दंगा नहीं होने पाया यह सब नमूना है प्रदेश के चुस्त दुरुस्त और कुशल प्रशासन का। पूरे प्रदेश में आज साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ा है। अल्पसंख्यकों और दूसरे लोगों में सुरक्षा की भावना बढी है, जनता का शासन में विश्वास बढ़ा है, यह सराहनीय बात है। इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाये रखने में एक सराहनीय कदम उठा है।

मैं माननीय सदस्यों से, सामने बैठे, निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपना आत्मालोचन करें स्वयं का चिंतन करें बहुत दिनों तक सत्ता में रहे हैं, शासन के ढांचे को देखा है। आज प्रशासन की दूरदृष्टि, स्पष्ट निर्णय और निष्पक्षता के कारण यह प्रशासन जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बना है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश प्रशासन को एक नयी दिशा, एक नयी दृष्टि देने का काम किया है। उनके कुशल नेतृत्व में युगान्तकारी और क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, कानून व्यवस्था सुधरेगी मुझे विश्वास है कि अब बीते दिन वापस नहीं आयेंगे, जहां भाई–भाई का खून का प्यासा बना रहता था, साम्प्रदायिकता की होली नहीं खेली जायेगी इस प्रदेश में। एक नया विश्वास जागेगा इस प्रदेश में, हर नागरिक को सुरक्षा की भावना मिलेगी। इस उत्तर प्रदेश के इस बगीचे के हर फूल को बराबर से खिलने की इजाजत मिलेगी। चाहे हिन्दू हो मुस्लिम हो सिक्ख हो या ईसाई हो--यहां साम्प्रदायिक आधार पर कोई काम नहीं होगा, सबको बराबरी का अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**-- आप सब लोग बैठें। मैं डा0 अख्तर को बुलवा रहा हूं।

**श्री साहब सिंह** -- मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है सुन लें।

(घोर व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**--- आप सब लोग बैठें, आप लोग अपने नेता से व्यवस्था लें। माननीय नेता गण बोल चुके हैं, अब एक इधर से और एक उधर से बोलेगा।

**श्री साहब सिंह** --मान्यवर, माननीय अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था कि नये सदस्यों को सामान्य प्रशासन पर बोलने का मौका दिया जायेगा। मान्यवर, उस निर्णय की उपेक्षा हो रही है।

(व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**--डा0 अख्तर नये सदस्य हैं बोल रहे हैं।

मैं माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुसार ही बुलवा रहा हूं। अब अगर आप व्यवस्था करा देंगे कि एक ही तरफ के लोगों को बोलने दिया जाय, तो बुलवा लूंगा। अभी एक इधर से बोलेंगे और एक उधर से बोलेंगे। आप सब लोग बैठें।

**श्री साहब सिंह** ---मान्यवर, आप दोनों तरफ से बुलवायें लेकिन नये सदस्यों को ज्यादा मौका मिले यह मेरा निवेदन है।

**श्री सत्तर**---माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय उप नेता जी विरोधी दल और सदन के मेरे साथी---सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि इस सदन के अन्दर आपने पहली बार मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि जब मैं अपने दुख दर्द को कहने के लिये खड़ा हुआ हूं तो माननीय मुख्य मंत्री जी सदन से उठकर चले गये।

(कांग्रेस दल की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

आज जब मैं पहली बार सदन में बोल रहा हूं, मैं अपने साथियों के सामने, मान्यवर, आपके सामने सबसे पहले यह हलफ उठाता हूं कि मैं इस सदन के अन्दर कोई गलतबयानी नहीं करूंगा। मेरे साथ जो घटना घटित हुयी है, वह आजादी के बाद इस उत्तर प्रदेश के अन्दर पहला मौका है कि किसी पुलिस के आदमी ने, किसी थाने के अध्यक्ष ने किसी विधायक को गोली मारी हो। किन हालात में गोली मारी, इसकी आप इन्क्वायरी करा लें। मान्यवर, यह देखें कि किसी भी आदमी के, किसी भी पुलिस के आदमी के, बीच के किसी आदमी के कोई भी खरोंच तक नहीं आई। यह एक सोची समझी साजिश थी और जिस अन्दाज में गोली मारी गयी, उससे आपको सुनकर ताज्जुब होगा। वहां प्रशासन के लोग मौजूद थे वहां ए0 डी0एम0 (एम) मौजूद थे, दो-दो एस0 डी0 एम0 मौजूद थे, सी0 ओ0 पुलिस थे, मौजूद लेकिन कोई भी आदमी मुझे उठाने तक नहीं आया यही सबसे अफसोस का मुकाम है।

इसके बाद मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वह आल इन्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में देखने गये। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने जो आर्डर किये, उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि उन लोगों को सस्पेंड किया गया, लेकिन जिस अन्दाज में उन लोगों ने अपनी जमानत कराई, वह कितनी गलत बात है। उन लोगों को मेडिकल बेस पर, जबकि वह लोग जवान थे, किसी को हार्ट का मरीज दिखलाया गया, किसी की किडनी फेल दिखाई गयी और हास्पिटल में भर्ती दिखाकर उनकी जमानत कर दी गयी। मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि वह अधिकारी, जो गोली कांड में शामिल थे, उसमें से किसी का भी आज तक ट्रांसफर नहीं किया गया है सभी अधिकारी आज भी वहां मौजूद हैं। इसके अलावा मुझ पर ही 307 का केस कायम किया गया। मान्यवर, वहां पर कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, जब तक वह आफीसर्स, वह पुलिस कर्मी मौजूद हैं, वह लोगों पर दबाव डाल रहे हैं और लोगों पर दबाव डालने के बाद पुलिस की हिमायत में एफीडेविट दाखिल करवाये जा रहे हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि इन आफीसर्स का फौरन तबादला किया जाय और जो पुलिस कर्मी इस घटना में शामिल थ, उनका भी ट्रांसफर किया जाय, साथ ही उस डाक्टर का भी फौरन तबादला किया जाय, जिसने झूठी और जाली मेडिकल रिपार्ट बनाकर दी है। मान्यवर, यह जो गोली कांड हुआ है, वह आजादी के बाद इस उत्तर प्रदेश के अन्दर एक अजीब घटना है। मेरे जिले के अन्दर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, ताबड़तोड़ डकैतियां पड़ रही हैं, अभी हापुड़ के अन्दर एक महीने में 4 अपहरण हुये हैं, बहुत से लोगों को गोलियां मारी गयी हैं, लगातार हत्यायें हो रही हैं। आज वहां प्रशासन नाम की कोई चीज न होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री इस तरफ नहीं देख रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि यहां पर जो बजट महकमें पर जो विचार हो रहा है, उसमें हम किस चीज की चर्चा करें।

अगर आप लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, इस सदन के एक साथी को इन्साफ दिलाना चाहते हैं, तो आज ही इस गोलीकांड की सी0बी0आई0 से जांच कराइये। यह अफसोस की बात है कि जो लोग गोली मारें, वही लोग उसका इनवेस्टीगेशन करें, वही लोग जांच करें, आप समझ सकते हैं कि किस तरह आदमी को इन्साफ मिलेगा

"वही कातिल, वही शाहिद, वही मुन्सिफ ठहरे,
अकरबा मेरे, करें खून का दावा किस पर"

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस घटना की सी0बी0आई0 से जांच कराइये और उसके बाद जो अधिकारी, कर्मचारी वहां मौजूद हैं, उनका ट्रांसफर किया जाय। एक विधायक होने के नाते मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर आप अवश्य ध्यान देंगे, क्योंकि जिस हालत में मैं यहां सामने आया हूं, अभी भी गोली मेरे सिर के अन्दर मौजूद है, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूं। मेरा पुनः अनुरोध है कि आप इस पर अवश्य ध्यान देंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नरेश चन्द्र उत्तम (---)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नौजवान विधायकों को बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मुख्य मंत्री जिन्होंने यहां पर जो जनपद प्रशासन व गृह विभाग का बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं कि देश की आजादी के 40 वर्षों के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश को साम्प्रदायिक ज्वाला से बचाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साम्प्रदायिक विरोधी ताकतों को बे-नकाब करने का काम किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। देश में पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिन्दी भाषा को देश के पैमाने पर एक चर्चा के माध्यम से पेश किया है। उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी भाषा के रूप में इसे लागू करना तथा अपनी सरकार में भी इसे लागू करने का प्रयास किया है, इसके लिए भी मैं उनकी सराहना करता हूं।

मान्यवर, पुलिस कर्मियों के लिए सद्व्यवहार प्रशिक्षण केन्द्र बनाने की जो बात कही गई है, उसकी मैं सराहना करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आरक्षण के संबंध में अपनी जो नीति स्पष्ट की है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। आज ही सदन में विपक्ष के और हमारे एक साथी बी0एस0पी0 ने कहा कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार बराबर हो रहे हैं। मैं जहानाबाद क्षेत्र से चुनकर आया हूं। 40 साल के इतिहास में जनपद फतेहपुर के हरिजन अपने को जितना सुरक्षित इस सरकार में महसूस कर रहे हैं, उतना उन्होंने 40 साल के इतिहास में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं किया। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में जनपद फतेहपुर में हरिजनों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। जो भी उनके खिलाफ अत्याचार करने जा रहा है, उसके खिलाफ वहां का सदन प्रशासन कड़ी कार्यवाही त्वरित गति से कर रहा है। आज यह कह कर पूरे सदन को गुमराह किया जा रहा है कि फतेहपुर में हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है। यह सरासर झूठ है। अखबार के जरिये कांग्रेस के लोग भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस बात की मैं निन्दा करता हूं। जनपद फतेहपुर में आज जो नौजवान बेरोजगार हैं, उन्हें पुलिस में बड़े तादाद में भर्ती करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, उसकी सराहना करते हुए मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्रीमती रामेश्वरी**--मान्यवर, आपने सामान्य प्रशासन के बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। माननीय श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करती हूं। मान्यवर, अब तक चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो या चाहे जनता दल की सरकार हो। हरिजन महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों पर लगातार उत्पीड़न व अत्याचार बढ़े हैं।

प्रदेश में जहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरिजन महिलाओ के साथ बलात्कार की वर्ष 1987 में 208 घटनायें पंजीकृत हुई वहीं वर्ष 1988 में 228 तथा वर्ष 1989 में 252 बलात्कार की घटनायें पंजीकृत हुई। यह तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। इसी कई गुना हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें हुई हैं जो लोक लज्जा के कारण लोगों ने पुलिस में दर्ज नहीं कराया। यह आंकड़ा मैंने जो बताया है वह गैर हरिजनों द्वारा हरिजन महिलाओं पर किये गये जुल्म के हैं। जनता दल सरकार में हरिजन महिलाओं पर जुल्म और बढ़े हैं।

मान्यवर, सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में गैर हरिजनों द्वारा हरिजनों की हत्यायें हर वर्ष लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 1987 में जहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार 235 हरिजनों की हत्यायें हुई वहीं वर्ष 1988 में 267 हरिजन मारे गये। वर्ष 1989 में 270 हरिजनों की प्रदेश में हत्यायें हुई। जनता दल राज्य में सात महीने में प्रदेश में 300 हरिजन मारे गये। इस वर्ष इसी तरह यदि सरकारी आंकड़े देखे जायें तो हरिजनों के घर जला देने व उनकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की घटनायें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

**श्री अधिष्ठाता**----अब आप समाप्त करें।

**श्रीमती रामेश्वरी**---मान्यवर, दहेज समाज के लिये अभिशाप है। दहेज दानव प्रति वर्ष प्रदेश में करीब तीन हजार से अधिक बहुओं को लील रहा है। यह किसी भी समाज के लिये अत्यन्त लज्जाजनक बात है। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार हैं लेकिन महिलाओं का उत्पीड़न बराबर बढ़ता जा रहा है।

"ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी" जिस पुस्तक में लिखा है, वह पुस्तक इस समय पूज्य मानी जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि जिस पुस्तक में महिलाओं व हरिजनों के लिए ऐसी बात लिखी है, ऐसी भेदभाव फैलाने वाली पुस्तकें जब्त की जायं। मेरी यह भी मांग है कि महिलाओं पर अत्याचार रोकने तथा उनका शोषण रोकने हेतु कानूनों में परिवर्तन किया जाय।

मेरा आरोप है कि महिला पुलिस कर्मियों का शोषण किया जा रहा है। मेरी मांग है कि अलग महिला पुलिस विंग की स्थापना की जाय और इसकी पुलिस महानिरीक्षक भी महिला ही हों।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा "श्रीमती विजय लक्ष्मी" का नाम पुकारे जाने तथा श्रीमती रामेश्वरी के बोलते रहने पर)

**श्री अधिष्ठाता**----अब आप जो भी बोल रही हैं कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा, मैंने श्रीमती विजय लक्ष्मी का नाम बुला लिया है।

(श्रीमती रामेश्वरी तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी के एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---श्री[illegible] रामेश्वरी। अब आप बैठें।

(श्रीमती रामेश्वरी द्वारा स्थान ग्रहण कर लेने के बाद)

श्रीमती विजय लक्ष्मी---मान्यवर, मैं आपकी बहुत ही आभारी हूं कि माननीय नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी के [illegible] प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर पुरजोर बधाई देती हूं कि उन्होंने उत्सव हित कार्यक्रम के [illegible] को पारितोषिक देने की बात कही है। इस संबंध में मैं एक बात यह कहना चाहती हूं कि कुछ यादें पिछली सरकार की कथनी और करनी के बारे में याद दिला रही हूं। [illegible] काल में भी सुन रही थी, मा0 उप नेता, विरोधी दल के भाषण में कुछ ऐसे शब्द आये थे जिनको दोहराना चाहूंगी। 1977 के बाद जब से कांग्रेस सरकार का शासन रहा है, इस उत्तर प्रदेश में कितनी हत्यायें हुई हैं और कैसे अपराधिक तत्वों का संरक्षण मिला है, इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगी।

मैं बलिया जनपद से बांसडीह विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वहां सन् 1980 से लेकर 1989 के बीच में 9 हत्यायें हुई हैं और वह भी वरिष्ठ जनता पार्टी तथा जनता दल के कार्यकर्ताओं की तथा अनुयायियों की जो जनता दल के सक्रिय सदस्य रहे हैं। यह जितनी हत्यायें हुई हैं यह राजनीति से जुड़ी हुई हैं और हत्यारों को जनपद के अराजकतत्वों का संरक्षण प्राप्त है वह इन सब षड्यन्त्रों में लिप्त रहते हैं और लोगों की हत्यायें कराते हैं। सन् 1980-87 में बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में संभ्रान्त लोगों की हत्यायें हुई और सब हत्याओं का ढंग एक ही था। सारी हत्यायें गला काट कर की गयी हैं।

जिनकी हत्यायें की गयी हैं उनके नाम हैं मधुवनी के श्री बूढा सिंह, गायघाट के श्री भगवत सिंह तथा श्री [illegible], खरौनी के श्री सियाराम सिंह तथा श्री हरि माधव सिंह छोटकी सेरिया के श्री [illegible] सिंह, [illegible] के श्री विन्ध्याचल सिंह। मान्यवर, 6 अप्रैल, 1987 को मैंने इसी सदन में मांग की थी जिसके बारे में जानकारी आयी थी, उस समय के सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि 50-55 की बीच के थे बाबू बैजनाथ सिंह, इनकी हत्या शाम के समय बाजार से घर आते समय पीछे से धारदार हथियार से गला काट कर की गयी। मैंने इस हत्या के संबंध में इस सदन में सवाल भी उठाया था तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने काफी परिश्रम के बाद सी0आई0डी0 की जांच की आज्ञा दी थी परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उस जांच के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है।

आज हमारी नई सरकार है जो कि क्रान्तिकारी कदम उठा कर व्यवस्था परिवर्तन की पुरजोर कोशिश कर रही है। मेरी इस सरकार से प्रार्थना है कि उस सी0आई0डी0 जांच की क्या रिपोर्ट आयी उसको बतलाने का कष्ट करें और संबंधित अपराधियों को उचित दण्ड दिलाने की व्यवस्था की जाय।

इसी सन्दर्भ में, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि 20 मई, 1990 को इसी बांसडीह टाऊन एरिया के छोटकी सेरिया गांव में श्री [illegible] सिंह उर्फ विरेन्दर सिंह की हत्या हो गयी, वह रात में सो रहे थे, उनकी [illegible] से मार कर हत्या की गयी मान्यवर, इसके साथ ही मैं यह भी

कहना चाहती हूं कि छुटकी सेरियां में पूर्व प्रधान श्री बरमेश्वर पाठक की लड़की की शादी थी उसमें भू0पू0 कांग्रेस के विधायक और उनके सहयोगी [× ×] भी गये थे। उपरोक्त हत्या 2-3 बजे रात को हुई थी अब उसे आप रात कहें या भोर कहें। हत्या के बाद भी वे शादी के दरवाजे पर गये। वहां पर जनमानस का कहना है कि जितनी भी हत्यायें हुई हैं उसमें वे शामिल हैं बशर्ते साक्ष्य प्रस्तुत न होने की वजह से वे अपनी स्वच्छ छवि लिये घूम रहे हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि इन हत्याओं के कारण एक विधान सभा क्षेत्र में पूरा एक दल साफ कर दिया गया है। मेरी मांग है कि इसकी सही जांच करायी जाय और जो पुलिस का अधिकारी/कर्मचारी सही अपराधी का पता लगा दे उसे पारितोषिक भी दिया जाय। मैं यह भी कहती हूं कि उस अधिकारी/कर्मचारी के उत्साहवर्धन के लिये अपने क्षेत्र की ओर से मैं भी उस पारितोषिक के वितरण में सहयोग करूंगी।

इसके अतिरिक्त मेरी मांग है कि बलिया में एक महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की जाय।

**श्री अधिष्ठाता**---अब आप बैठें।

**श्रीमती विजय लक्ष्मी**---मेरा क्षेत्र दियरे का है वहां बुड़सवार पुलिस बल या सैनिक बल की स्थापना की जाय, इसकी मैं बहुत पहले से मांग कर रही हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर पुरजोर समर्थन करती हूं।

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य द्वारा बोलने का समय मांगने पर)

**श्री अधिष्ठाता**---आप का नाम पुकारा गया, लेकिन आप खड़े नहीं हुये। आपको फिर समय मिल जायेगा।

(व्यवधान)

***श्री भोला पान्डेय**---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, सामान्य प्रशासन के बारे में जानकारी उसी दिन हो गयी थी, जब वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने शपथ लिया था। पूरे सचिवालय में और राजधानी में अलहों की छावनी बन गयी थी। उसी समय लगा कि कितना स्वच्छ प्रशासन यह सरकार दे पायेगी और कितना अच्छा प्रशासन यह सरकार चलायेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाने की बात कही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता का अर्थ केवल मजहब से नहीं होता है बल्कि क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता से होता है, दलगत साम्प्रदायिकता से होता है, जातिवाद की साम्प्रदायिकता से होता है, बिरादरी वाद की साम्प्रदायिकता से होता है और मानसिक संकीर्णता से होता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यही सब साम्प्रदायिकता की जड़ हैं। चाहे राम जन्म भूमि का मामला हो और चाहे अन्य कोई मामला हो, भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की [× ×] तरह काम कर रही है। जो साम्प्रदायिकता की बात है, उसको इस सरकार को महसूस करना चाहिये। मुख्य मंत्री जी की जबान से संकीर्णता की भावना दिखाई पड़ती है और वह चाहे स्थानान्तरण के सम्बन्ध में हो, नियुक्तियों के संबंध में हो, पदोन्नतियों के संबंध में हो, सभी जगह पर उनकी मानसिक संकीर्णता दिखाई

---

[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ती है। यह तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप बिरादरी वाद के आधार पर काम करते रहेगें। आपको कथनी और करनी में भेद नहीं करना होगा, जब तक कथनी और करनी में भेद करेंगे, तब तक कुछ आप नहीं कर पायेंगे। आप इस बारे में सोचें। मैं कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि आप मजहबी जुबान को छोड़कर मोहब्बत की जुबान दें जिससे साम्प्रदायिक वातावरण तैयार हो सके। आप की स्थानान्तरण की जो नीति है, वह सही नहीं है, उसमें संकीर्णता है। जातिवाद और बिरादरीवाद के आधार पर स्थानान्तरण किये जा रहे हैं। आप कहीं पर भी चले जायें, भ्रष्टाचार का बोलबाला आप को नजर आयेगा। सरकारी आदमी अपराध कर रहे हैं।

आप की कहीं पर भी स्वच्छ परम्परा नहीं दिखायी पड़ती है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटायेंगे, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि 9 लाख रुपया टी0 ए0 और डी0 ए0 पर खर्च हुआ है और आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं और मितव्ययिता की बात करते हैं। आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है और आप हेलीकाप्टर पर चलते हैं, जहाज का दुरुपयोग किया जा रहा है। अखबारों में निकला है कि 9 लाख रुपया खर्च किया गया है।

[2 बजकर 20 मिनट]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा समय तो टोका-टोकी में चला गया। मैं अपनी बात नहीं कह पाया। मुख्य मंत्री जी भाषा की बात कहते हैं कि हम यहां पर अंग्रेजी को खत्म कर देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि उनका लड़का दिल्ली के एक हिन्दू कालेज में पढ़ता है। जहां अंग्रेजी सिस्टम से पढ़ाया जाता है। जब वह लड़का वहां पर भर्ती होने के लिये गया तो वहां के प्रिन्सिपल ने कहा कि यहां पर तो अंग्रेजी माध्यम है तो उनसे कहा गया कि जिस भाषा में भी पढ़ाई होती हो, इसे रख लें। मान्यवर, इस तरह से प्रदेश के अन्दर और प्रशासन में गैर बिरादरी का सिस्टम नहीं मिटा है। जब तक यह नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस के अन्दर गुण्डागर्दी की बात कही जाती है। मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद में कोई भी अधिकारी काम करने के लिये तैयार नहीं है। यही स्थिति पूरे सूबे में है। मैं सुझाव देना चाहूंगा।

(व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**-- अब आप बैठ जांय।

**श्री भोला पाण्डेय**-- मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप स्वच्छ प्रशासन लाना चाहते हैं तो अपने दिमाग से संकीर्ण भावनायें जो भरी हुई हैं, उनको निकाल दें। इटावा के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने कहा है, नव भारत टाइम्स में लिखा हुआ है कि विरोधी पक्ष के लोगों के मुंह में कालिख पोत दो.... (व्यवधान)। अगर इस तरफ के शब्दों के माध्यम से विरोधी पक्ष के लोगों को दबाने की बात कहेंगे तो सड़कों पर उनके साथ भी निपटा जा सकता है। इस तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश हर जगह की जा रही है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसी बातों से बाज आयें और लोकतंत्र की मान्यताओं को सही तरीके से चलने दें।

(कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये और श्री रामतेज का नाम पुकारे जाने पर सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

***श्री शारदा नन्द अंचल**-- मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश की जनता को पहली बार यह अहसास हुआ है कि यह उनकी अपनी सरकार है... (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**एक सदस्य**--- इनको अनुमति नहीं मिली, ये बोल रहे हैं. . . (**व्यवधान**)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

**श्री राम तेज**---मान्यवर, मेरा नाम पुकारा गया है ।

(कई सदस्य बोलने के लिये समय की मांग करने लगे ।)

**श्री अधिष्ठाता**---आप सब लोग बैठ जांय ।

**श्री राम तेज**---माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है. . . . . (व्यवधान) जो व्यवस्था उसमें की गई है. . . उससे ये लोग बौखला गये हैं ।

**श्री अधिष्ठाता**---दो-दो मिनट सबको बुलवाया जायेगा । मैं नये सदस्यों को बुलवा रहा हूं । सिर्फ आप सुझाव दें ।

**श्री राम तेज**---मान्यवर, मेरा सुझाव यह है जब से माननीय मुलायम सिह जी ने और उनकी सरकार ने काम सम्भाला है तब से पुलिस में और सामान्य प्रशासन में सुधार हुआ है । मेरी आपसे गुजारिश है कि उनकी जो वेतन से सम्बन्धित विसंगतियां हैं . . . . (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलते रहे, सदन में व्यवधान होता रहा ।)

**श्री अधिष्ठाता**---माननीय मंत्री जी, आप अपने दल के सदस्यों को नियंत्रित करें । मैं नये सदस्यों को बुलवा रहा हूं । उनको बिठा दें ।

**एक सदस्य**---व्यवस्था का सवाल है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

**श्री अधिष्ठाता**---माननीय मंत्री जी आप अपने दल के माननीय सदस्यों को शांत करें मैं नये सदस्यों को बुलवा रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि नये सदस्यों को अवसर दें तो मैं उसके अनुसार बुलवा रहा हूं अगर आप कुछ और चाहते हैं तो अपने दल के सदस्यों की सूची भेज दें उस हिसाब से हम बुलवा लेंगे । (व्यवधान) आपको भी अवसर मिलेगा । आप लोग शांत रहें मैंने राम तेज जी को बुलवाया है ।

**श्री राम तेज**---पुलिस प्रशासन में हैडमोहरिर और सिपाही के वेतन में विसंगतियां हैं जिससे इन लोगों में असंतोष है मेरा सुझाव है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाय । थानों पर जो भोजन बनाने वाले कर्मचारी है उनका वेतन कम है उसको बढ़ाया जाय ।

पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था थाना क्षेत्र में ही की जाय प्राइवेट निवास पर उनको न रहना पड़े इसके लिये आवश्यक है कि थाना क्षेत्र में मकान बनाये जांय ।

हमारे नेता जी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वह जातिवादी हैं यह गलत है । इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सीतापुर में जब कांग्रेस हुकूमत थी उस समय 4 यादव थाना इंचार्ज थे लेकिन मुलायम सिह यादव जी की सरकार आने के बाद दो यादव रह गये हैं और उनकी जगह पर ठाकुर थाना इंचार्ज हैं । इस समय सीतापुर में 11 ठाकुर हैं, 9 ब्राहमण हैं और यादव सिर्फ दो रह गये हैं तो वह कैसे जातिवादी हो गये ? मैं

एक बात कहना चाहता हूं कि एक श्रीपाल राठौर एस0 ओ0 तम्बौर है उनको लखनऊ रेंज में रहते हुये 15 साल हो गये हैं जब कि नियमानुसार एक रेंज में 12 साल से अधिक कोई नहीं रह सकता है। अगर जातिवादी होते तो यह कैसे वहां इतने साल तक रह सकते थे और उस पर एक्शन होता। मैं मांग करता हूं कि कानून का पालन होना चाहिये इसको 12 साल से ऊपर हो गये हैं इसलिये वहां से हटाया जाय।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारे बहराइच में बकरीद के मौके पर बड़ा अच्छा माहौल रहा जो माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व और वहां के जिलाधिकारी तथा अन्य पुलिस अधिकारियों की तत्परता से शांतिपूर्वक बीता। वहां के डी0 एम0 और एस0पी0 बधाई के पात्र हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक सख्त कानून है कि कोई भी व्यक्ति इन्टेलिजेंस में, सी0आई0डी0 में तीन साल तक अवश्य रहेगा और उसके बाद पुलिस में आयेगा लेकिन मौजूदा एस0 एच0 ओ0 सीतापुर श्री पवन कुमार सिंह केवल दो वर्ष ही सी0 आई0 डी0 में रहे और फिर वह एस0एच0ओ0 सीतापुर बनाकर तैनात कर दिये गये। यह मेरे जनपद बहराइच में भी रह चुके हैं जिन पर डकैती आदि के गंभीर आरोप हैं जिसकी जांच भी चल रही है। मेरा सुझाव है कि इसकी जांच अविलम्ब कराई जाय और उन्हें वहां से हटाया जाय और सस्पेंड किया जाय। क्योंकि पवन कुमार सिंह सीतापुर में रह कर काफी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं उनकी डकैतों, असामाजिक तत्वों से सांठगांठ है। वहां पर एस0पी0 मि0 राय उनकी जाति बिरादरी के हैं जो उनको संरक्षण दे रहे हैं इसलिये इसकी जांच कराई जाय।

कल लखनऊ में इस्लामियां कालेज में बकरीद के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य मंत्री जी को साढ़े आठ बजे आमंत्रित किया गया था उसमें उप नेता अरूण कुमार सिंह जी तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त जी तथा अन्य कई विधायक गये हुये थे। इस बकरीद के मिलन में प्रदेश के कई जिलों से सीतापुर, कानपुर, लखनऊ आदि से काफी संख्या में मुसलमान भाई आये थे। वहां पर माननीय मुख्य मंत्री को मुसलमान भाईयों ने कहा कि मौजूदा माननीय मुलायम सिंह जी के शासन काल में हिन्दू और मुसलमानों में जितना प्रेम बढ़ा है उतना पिछले 40 वर्षों में नहीं रहा। इसके लिये माननीय मुलायम सिंह जी को श्रेय जाता है।

मेरे जनपद बहराइच में बकरीद के मौके पर सारे संप्रदायों का बहुत सहयोग रहा लेकिन वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के लोगों ने मेरे विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में इस बकरीद के पावन पर्व पर दंगा करवाने का प्रयास किया लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी के कुशल निर्देशन के कारण यह असामाजिक तत्व यह घृणित काम नहीं कर सके और उनको सफलता नहीं मिली।

मेरे जनपद बहराइच में इस समय बाढ़ आ गई है खासकर मेरे कैसरगंज में लोग तबाह हो गये हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां के डी0एम0 और एस0पी0 को माननीय मुख्य मंत्री जी निर्देशित करें कि वहां के लोगों को भूखों मरने से बचाया जाय।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उनके द्वारा जो गृह और सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके लिये बधाई देता हूं और इसका समर्थन करता हूं। इस बजट से प्रदेश तरक्की करेगा और सामान्य प्रशासन चुस्त होगा लोगों में काम करने की भावना जगेगी।

**श्री हनुमन्त सिंह**---मान्यवर, मुझे आपने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैंने मुख्य मंत्री जी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है वह बिल्कुल गलत है। मान्यवर, वह व्यवस्था परिवर्तन की बात सोचते हैं तो वह पहले अधिकारियों की मानसिकता में परिवर्तन करें। मैं गोंडा जनपद से चुनकर आया हूं इसलिये मैं वहां के संबंध में कहना चाहता हूं कि वहां का पुलिस प्रशासन राजनीतिक इशारे पर काम कर रहा है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से गोंडा जनपद के विधायकों का एक शिफ्ट मंडल मिला था और वहां की स्थिति के संबंध में उनको अवगत कराया लेकिन उनके एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां के सांसद हैं उनके कार्य से गोंडा का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक तरफ काम कर रहा है, इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोंडा जिला जो सेंसिटिव जिला है जिसको मुख्य मंत्री जी जानते हैं और वहां की समस्याओं के बारे में भी वह जानते हैं, इसलिये यदि मुख्य मंत्री जी वहां की समस्या का निराकरण नहीं करेंगे तो किसी दिन कोई वहां घटना घट सकती है जिसकी जानकारी मुख्य मंत्री जी को है, इसलिये वहां की समस्या का वह निराकरण करने की ओर ध्यान दें।

मान्यवर, ट्रान्सफर नीति के संबंध में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुलसीपुर के उप पुलिस अधीक्षक जिनका रिटायरमेंट 30 अप्रैल को होना था लेकिन उसके पहले ही 4 अप्रैल, 1990 को उनका ट्रान्सफर मुरादाबाद करके उनके साथ अन्याय किया गया है, इस से लगता है कि पूरे प्रदेश में ट्रान्सफर की आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है।

मान्यवर, जहां तक हरिजन उत्पीड़न की बात है मैं बलरामपुर क्षेत्र में ग्राम कलवारी के अन्दर एक हरिजन को जबरदस्ती बन्दूक की नोक पर पुलिस और दरोगा ने उसको घर से निकाल दिया और जब इस मामले को पुलिस अधीक्षक से कहा गया तो उन्होंने कहा कि श्री मुलायम सिंह मुख्य मंत्री के एक मंत्री हैं उनके कहने से यह हो रहा है। इसलिये मेरे जनपद गोंडा की स्थिति को मुख्य मंत्री जी स्वयं देखें। गोंडा का पुलिस प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गया है।

(व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**---आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जांय। आप बैठ नहीं रहे हैं, इसलिये अब आपका नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

**श्री हनुमन्त सिंह**--- [× × ×]

(व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**---विधायक जी, अब आप बैठें।

**श्री हनुमन्त सिंह**--- [× × ×]

(घोर व्यवधान)

**श्री दया शंकर**---आपकी पीठ के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए, आदर प्रदर्शित करते हुए कहना चाहता हूं कि जो सदन में बहस चल रही है (व्यवधान) मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। मेरी बात सुन लें। एक मिनट में पूरे प्रदेश की जनता के दुख दर्द की बात कैसे कही जा सकती है। अगर नेता सदन में कोई बात कहते हैं तो माना जा सकता है

---

नोट---[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कि उनके लिए समय की सीमा नहीं है, नेता विरोधी दल कोई बात कहते हैं तो माना जा सकता है कि उनके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अन्य आदरणीय दल के नेताओं के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है. यह बात समझ में नहीं आती है। यह निश्चय किया जाना चाहिए कि उनके लिए भी समय की कोई सीमा नहीं रहेगी। लेकिन इस तरह नहीं, जिस तरह समय सीमा का कोई ध्यान रखे बिना अभी नेता भाजपा इतनी देर तक अपना भाषण देते रहे। जो सामान्य लोग बोलते हैं, तो उनके लिए कितने मिनट का समय चर्चा में भाग लेने के लिए आपने दिया है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, वह इसलिए चाहता हूं

(व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**---एक मिनट है, कुछ लोग दो मिनट बोल जाते हैं।

**श्री दया शंकर**---जब इस सूबे के सामान्य और गृह विभाग पर चर्चा चल रही हो, उस समय जो-जो चीजें उभर कर सामने आएंगी, उन पर दो मिनट में कैसे कहा जा सकता है। दो मिनट में बात नहीं हो सकती है। जो साम्प्रदायिकता और मंहगाई की ज्वलन्त समस्याएं हैं, उन पर दो मिनट में कौन बातें होंगी ?

(व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**---मान्यवर, आप अपने विचार रखें।

**श्री दया शंकर**---यह मामूली सवाल नहीं है, मैं एक मुद्दे को लेकर चलता हूं और वह साम्प्रदायिकता का मुद्दा है तथा बाबरी मस्जिद व राम जन्म भूमि से भी जुड़ा हुआ है। जब नेता भाजपा बोल रहे थे तो उन्होंने हवाला दिया सोमनाथ मन्दिर का और इतिहास का। तो क्या हिन्दुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें रसखान नहीं होंगे, रहीम नहीं होंगे ? जब-जब हिन्दुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, आजादी का इतिहास लिखा जाएगा, तो क्या उसमें अशफाक उल्लाह नहीं होंगे ! (व्यवधान) जो भावना का सवाल है, उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। उन सवालों पर पहुंचने के लिए आप काम करना शुरू कीजिए, तब आपका काम चलेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

**श्री हरि शंकर तिवारी**---माननीय अधिष्ठाता जी, गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर हमारे उपनेता श्री अरुण कुमार मुन्ना जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी की कथनी और करनी में इतना फर्क है कि एक तरफ तो यह कहते हैं कि अपराधों में कमी आ रही है दूसरी तरफ नये-नये पदों का सृजन कर रहे हैं। तो यह नये पदों को सृजित करने का क्या औचित्य है। एक तरफ तो कहते हैं कि संसाधनों की कमी है दूसरी तरफ पुलिस प्रशिक्षण कालेज, मेरठ में खोला जा रहा है। वहां पर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए मैदानों की व्यवस्था है, प्रशिक्षकों की व्यवस्था है। तो फिर यह संसाधनों की कमी का रोना क्यों रोते हैं। यह इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। इसका क्या औचित्य है ?

माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि स्थानान्तरण की नीति पर बल दिया गया है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सब इंसपेक्टर्स की प्रोन्नति की नीति का क्या कोई शासनादेश है ? जिनकी प्रोन्नति की जायेगी उन्हें सी0आई0 डी0 इन्टेलिजेन्स विजिलेन्स में सेवा करना अनिवार्य है। ऐसे कई इन्सपेक्टर्स हैं जो एक

महीना क्या एक दिन भी सी0आई0डी0 इन्टेलिजेन्स विजिलेन्स में सेवा नहीं कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन में तैनात हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस विभाग के द्वारा यह (बजट भाषण की पुस्तिका दिखाते हुए) पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है । इस पुस्तिका में कहा गया है कि राजनीतिक चरित्र के व्यक्तियों की रक्षा की जायेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी खुले भाषणों में कहते हैं कि मेरे ऊपर 32 केस चल रहे हैं । तो जिसके ऊपर 32 केस चल रहे हैं उस गैंग की चर्चा इस पुस्तिका में नहीं दिखाई दी तो मुझे आश्चर्य हुआ । (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मुलायम सिंह जी की उपलब्धियों की चर्चा इस पुस्तिका में अवश्य होनी चाहिए थी । प्रदेश के जितने भी गैंग हैं हमारे मुख्य मंत्री जी उनको संचालित करते हैं और उन्हें संरक्षण देते हैं । पब्लिक मीटिंग में भी मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मेरे ऊपर 32 केस चल रहे हैं । इस तरह इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है । मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश के अधिकारियों के सम्मान की रक्षा की जायेगी दूसरी तरफ कहते हैं कि राजनीतिक चरित्र के व्यक्तियों के सम्मान की रक्षा की जायेगी । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी, उसकी सी0आई0डी0 जांच हुई है लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है ।

इसी तरह से हमारे जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तैनात हैं वह चालीस-चालीस हजार रुपये लेकर थाने को बोली लगाते हैं और नीलाम करते हैं । इसमें आपके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जांच कराई जाए ।

(व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**--अब आप समाप्त करें ।

**श्री हरि शंकर तिवारी**--इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

**श्री रविदास मेहरोत्रा**--मान्यवर आपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा प्रस्तुत गृह सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं जो पूर्व कांग्रेस की सरकार थी उसकी गलत नीतियों और अपराधियों को सह देने के कारण

(व्यवधान)

पूरे प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो गई थी । विमान अपहरणकर्ता और अपराधी इस सरकार से पहले प्रदेश में अपनी सरकार को चला रहे थे यही कारण था कि पूरे प्रदेश में पुलिस निरंकुश हो गई थी और पुलिस जुर्म बढ़ गया था सन 88 में 29 फरवरी को विधान सभा के सामने शहीद अक्षयवर मल्ल की पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में हत्या कर दी गई, हत्या के बाद पूरे प्रदेश में आन्दोलन चलाया गया कि इसकी जांच की जाए, तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई । उसमें अब फिर नये सिरे से जांच की कार्यवाही शुरू की गई है ।

(व्यवधान)

**श्री भोला पाण्डेय**--विमान अपहरणकर्ता सरकार चला रहे थे इन्होने यह कहा, लेकिन जिन पर सैकड़ों मुकदमें चल रहे हैं वह लोग आज सरकार चला रहे हैं ।

(शोर व्यवधान)

जो विमान अपहरण हुआ था वह अहिंसक तरीके से हुआ था, लेकिन यह जो इनकी सरकार है यह [× × ×] की सरकार है मुख्य मंत्री जी के ऊपर इतने मुकदमें चल रहे हैं। और यह जो विमान अपहरण की बात कह रहे हैं यह [× × ×] रहे हैं :—

(घोर व्यवधान)

**श्री रविदास मेहरोत्रा**—मान्यवर, चोर की दाढ़ी में तिनका, की जो कहावत है उसको इन्होंने चरितार्थ कर दिया है।

(व्यवधान)

मैं 208 बार जेल गया जो जेल जाने का विश्व रिकार्ड है और मुझ पर मुकदमें भी चले लेकिन यह जो हिस्ट्रीशीटर कह रहे हैं, तो हिस्ट्री शीट इनके खिलाफ ही होगी मेरे खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा कायम नहीं है।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, आप लाल बत्ती बुझा दें।

मान्यवर, इसी तरह से पूर्व की सरकार में [× × ×] और अपराधियों को संरक्षण दिया गया उसी का कारण है कि आज अपराध बढ़े हैं और उसी का परिणाम है कि जनता ने इन लोगों को कुर्सियों से उखाड़ कर फेंक दिया है और सत्ता में परिवर्तन हुआ है। मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

**श्री अधिष्ठाता**—अब आप समाप्त करें। (शोर)

**श्री रविदास मेहरोत्रा**—मान्यवर, मैं सुझाव यह देना चाहता हूं कि जैसे जेलों में जेल के गेट पर एक रजिस्टर होता है और जो जेल में मिलने जाते हैं उनका विवरण उसमें रखा जाता है उसी प्रकार हर थानों में एक रजिस्टर रखा जाय और जो लोग थाने जाते हैं उनके दस्तखत आदि उसमें हो और उनका विवरण रखा जाय। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि 5 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की जायगी। मेरा सुझाव है कि इस भर्ती में अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाय ताकि पुलिस में इन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। मान्यवर, एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि जिलों जिलों में कमेटियां बनायी जायं जिसमें विधायक हों और प्रशासनिक अधिकारी हों और इन समितियों की हर महीने मीटिंग करायी जाय जिससे पुलिस व्यवस्था में सुधार हो सके और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री रवीन्द्र सिंह चौहान**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको माननीय अरुण कुमार सिंह मुन्ना द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जबसे यह सरकार सत्ता में आयी है तब से कांग्रेस के लोगों पर अत्याचार बढ़े हैं और सचमुच में प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आयी है। मान्यवर, इटावा जनपद में हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। मान्यवर, कबोली और धावलपुरा गांवों के हरिजन अत्याचार के कारण आज गांव छोड़ कर पलायन कर रहे हैं। 30 जून को माननीय मुख्य मंत्री जी इटावा जनपद के

---

नोट [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दौरे पर गये थे। "नव भारत टाइम्स" में छपा है, उनका कहना है कि कांग्रेस नेताओं का मुंह काला कर दो, जो दरोगा कांग्रेस के लोगों के इशारे पर काम करते हैं उनको बख्शा नहीं जायगा। तो मान्यवर, जो अधिकारी सही काम करना चाहते हैं, जनता के दुख दर्द दूर करना चाहते हैं उनको कांग्रेसी करार दे दिया जाता है। इटावा के फतेहगढ़ थाने के पिलखना गांव में हरिमोहन दुबे के यहां 14/15 की रात को डकैती पड़ी जिसमें एक डकैत राज कुमार यादव घटना स्थल पर मारा गया। यह मामला धारा 150 अपराध में फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ। लेकिन जनता दल के विधायक के दबाव के कारण यह मामला धारा 150-ए, 302 में बदला गया और हरिमोहन दुबे को जेल भेजा गया। डकैती के मामले को 302 में बदल दिया गया। जिस व्यक्ति पर दर्जनों अपराध करने के आरोप हैं जो अनेक मामलों में वांछित था उसके मरने पर जिसके यहां डकैती पड़ी थी उसी को जेल भेज दिया गया तो इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है।

प्रदेश में हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है, कांग्रेस के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। अब मान्यवर, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम सुरक्षा समितियां एक लम्बे अर्से से निष्क्रिय पड़ी हुयी हैं जिनको मजबूत किया जाय। दरोगा को 500 रुपये 5 साल में वर्दी तथा जूतों के लिये मिलते हैं। यह राशि बहुत कम है मैं कहना चाहता हूं कि इसको बढ़ाकर 1 हजार कर दिया जाय। मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र औरैय्या की ओर दिलाना चाहता हूं। औरैय्या में पिछले एक हफ्ते से दर्जनों डकैतियां पड़ी हैं। इटावा में पुलिस का मनोबल टूटा है। वहां के इंसपेक्टर, सी0 ओ0 और दूसरे अधिकारी जनता दल के नेताओं से भयभीत हैं और अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं तो जनभावना का आदर करें। ये लोग चौधरी चरण सिंह की वकालत करते हैं और उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा विरोध पक्ष को सम्मान दिया था मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग उनके अनुयायी हैं तो विरोध पक्ष को सम्मान दें। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

***श्री राम छबीला**——मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पुलिस और सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया है, उसके प्रति अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के पहले अंग्रेजों ने जो पुलिस की व्यवस्था कायम की थी, आजादी के बाद भी पिछली सरकार ने अंग्रेजों की पद्धति के अनुसार ही पुलिस की व्यवस्था की, जब कि अंग्रेजों की मंशा थी कि यहीं के लोगों पर डंडा चलवायें और इसी लिए पुलिस की व्यवस्था की गयी थी कि जिससे जनता और पुलिस का आपस का संबंध न बना सके और आपस में पुलिस और जनता में नफरत की भावना बनी रहे। मान्यवर आज पुलिस की जो स्थिति है, वह जेल में बन्दियों की तरफ से बैरकों में पड़े रहते हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों से मिलने का मौका तक नहीं मिलता है। मान्यवर, इनके लिए हर जिला हैड-क्वार्टर पर एक होस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसमें उनके बच्चे रहें और उनकी शिक्षा वहां पर हो सके। उन्हें क्वार्टर की सुविधा मिलनी चाहिए, जिसमें वे अपने परिवार के साथ रह सके।

मान्यवर, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, तो उनकी जिन्दगी तनाव में रहेगी और तनाव में रहने वाले व्यक्ति उचित निर्णय नहीं ले सकते। मान्यवर, बाबरी मस्जिद और मंदिर की जो लड़ाई चल रही है, यदि यह लड़ाई चलती रही तो यह देश टूट जायगा। मान्यवर, इस चमन में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं और कोई भी एक फूल मुरझा जाय, तो इस चमन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रौनक खत्म हो जायगी। चमन में हर फूलों को खिलने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। मान्यवर, मेरी राय में मन्दिर और मस्जिद की लड़ाई को खत्म करके राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाय और आजादी की लड़ाई में शहीद जो लोग हुए हैं, उनकी मूर्ति राष्ट्रीय स्मारक के रूप में लगाई जाय, जैसे चन्द्र शेखर आज़ाद, असफाक उल्ल, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिसमिल। क्या देश इनकी कुर्बानी को भूल जायगा ऐसे महान पुरुषों की मूर्ति लगाकर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई को समाप्त किया जाय। मान्यवर, इतिहास रहा है कि जब-जब धर्म और जाति की लड़ाई हुई है, देश टूटा है और गुलाम हुआ है। मैं मान्यवर, अपनी एक बात कह कर बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। यदि भूल जाने की एक उम्र कम है, पर एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को सजाने को लाख फूल कम हैं, पर एक फूल काफी है अंखियां सजाने को। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री शिव करन सिंह**——मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आलोचनाओं के समन्दर को कच्चे घड़े में भरकर सदन में नहीं छिड़कना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। मैं मात्र कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं फौज की पुलिस में रहा हूं इसलिए उसके अनुशासन को भलीभांति जानता हूं। मान्यवर, मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि जो पुलिस का अनुशासन है और उनकी ट्रेनिंग है वह सही नहीं है उनको सही ट्रेनिंग देनी होगी क्योंकि जब तक सही वर्दी पहनने की ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक वह अनुशासित नहीं रह सकता है और न ही किसी भी हालत में सही ड्यूटी कर सकता है। मेरा सीधा आरोप है कि जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं इसमें से 10 प्रतिशत से अधिक अधिकारी ऐसे हैं जो गलत वर्दी पहनते हैं, गलत रैंक लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं जो कंधों पर रैंक लगाते हैं इसका शासनादेश अभी तक नहीं हुआ है बिना शासनादेश के ये अपने रैंक को अपने आप बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से जो सब इंसपेक्टर रैंक हैं इनको 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद ही 2 स्टार लगाने का अधिकार होता है लेकिन ट्रेनिंग में ही मान्यवर, सभी लोग 2–2 स्टार लगाकर भेज दिये जाते हैं।

मान्यवर, जब ट्रेनिंग ही उनकी गलत दी जायेगी और गलत रैंक पहनने की, गलत काम करने की आदत होगी तो समाज में ये कैसे अनुशासन के तहत सही काम करेंगे। जब सही वर्दी नहीं पहनेगें उनको सही जानकारी नहीं होगी तो वह सही ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम रैंक हैं जिसकी प्रशासन ने आजकल भरमार शुरू कर दी है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब तक उस पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक उसकी सही पहचान नहीं होगी। जैसे सीनियर डिप्टी एस0पी0 लिखते हैं मैं जानना चाहता हूं कि इसका रैंक क्या है इसी तरह से एडीशनल एस0 पी0 और एस0पी0 दोनों में फर्क है तो इसका शासनादेश कहां है।

इसी तरह से तमाम कमियां हैं। मान्यवर, जो कंधे पर रैंक लगाया जाता है इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आगरा में एक फौज मेजर से और एक पुलिस अधीक्षक का झगड़ा हो गया और मारपीट हुई। उसके बाद हाईकोर्ट के जजों और आर्मी अफसरों की बेंच ने पाया कि पुलिस अधीक्षक के कंधे पर लगा रैंक गलत है लेकिन आज तक रैंक सुधार में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर पुलिस अधीक्षक को वहीं रैंक लगाना है, सब इंसपेक्टर को वही रैंक लगाना है तो उसका शासनादेश करा दें या तो फिर इस पर नियंत्रण करें। इसी तरह से जो ड्यूटी लगाई जाती है उसमें परमानेन्ट हल्के बांट दिये जाते हैं और जो बड़े-बड़े दलाल हैं उनके यहां हल्का सिपाही और दरोगा जाकर बैठते हैं और उनकी सांठ-गांठ से काम करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए परमानेन्ट हल्का न रखकर 24-24 घंटे की ड्यूटी हल्का बदल बदलकर एस0ओ0 द्वारा लगायी जाय ताकि वह दलालों के साथ परमानेन्ट हिस्सेदारी न कर सकें । अगर रोज-रोज पुलिस का सिपाही एक हल्के में जायेगा तो वह दलाल पैदा करेगा इसलिए उचित होगा कि 24 घंटे पहले ही उनकी ड्यूटी लगायी जाय और पहले यह न बताया जाय कि कल किसे कहां जाना है । दूसरे सिपाही को चुस्त दुरूस्त ड्यूटी पर खड़ा होना चाहिए क्योंकि अगर वह चुस्त दुरुस्त खड़ा है तो कोई भी दलाल उसको पान की दुकान पर नहीं ले जा सकता है । अगर वह पान की दुकान पर चला जायेगा तो उसके काम में शिथिलता आयेगी और वह सही काम नहीं कर पायेगा इसलिए ड्यूटी के लिए दूरी आवश्यक है । इसके साथ ही मैजिस्ट्रेट के नियंत्रण में दल बल के साथ गाड़ियों की चैकिंग एक साथ कराई जाय जिससे संतरी से मंत्री तक सबकी गाड़ी चेक हो तथा सही तरीके से लाल बत्ती और कागजों का रखरखाव जांचा जा सके । इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि गृह विभाग की एक समिति बना दी जाय जिसके माध्यम से रैंक तथा अनुशासन से संबंधित बिन्दूओं पर विचार करके उनकी घोषणा कर दी जाय जिससे कोई विवाद न हो और उसके बाद इन बिन्दुओं पर चर्चा करादी जाय । इसके साथ ही अपने उप नेता द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी---मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । श्रीमन , कल माननीय उप नेता जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा था । भाषण तो उनका पहले से कुछ अच्छा लगा लेकिन जो पुराना रोग है इन लोगों में उस रोग को यह निकाल नहीं सकते हैं । श्रीमन्, हर बात में कांग्रेस के चाहे जो भी सदस्य हो, खड़े हुए हैं तो केवल जातिवाद का नाम लिये हैं । मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री की कुर्सी पर गोविन्द बल्लभ पन्त बैठे हैं, सम्पूर्णानन्द जी बैठे हैं, नारायण दत्त तिवारी बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह और चन्द्रभानु गुप्त बैठे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्रीपति मिश्र बैठे हैं, जो भी व्यक्ति इस प्रदेश में मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा है, किसी भी व्यक्ति ने जातिवाद का नारा नहीं दिया है, फरमान जारी नहीं किया है । तो क्या कारण है कि समाज की मानसिकता इतनी क्रूर हो गयी है कि उसी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर जब राम नरेश यादव बैठे तो जातिवाद का नारा पैदा कर दिया गया । लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि वे कुर्सी पर बैठें । आज धरती पुत्र, किसानों के मसीहा मुलायम सिंह जी कुर्सी पर बैठे हैं, जो सवर्ण जाति के नेता हैं, पिछड़ी जाति के लोगों के कुर्सी पर बैठने से उनकी आंख की किरकिरी बन गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जातिवाद क्या है ।

क्या मुलायम सिंह यादव जी ने किसी पिछड़ी जाति या किसी सजातीय व्यक्ति को डायरेक्टर या एस0 पी0 नियुक्त कर दिया है । क्या जातिवाद यही है कि मुख्य मंत्री ने एक भी यादव मंत्री नहीं बनाया है । इससे बढ़कर जातिविहीन समाज और क्या होगा । कल मुन्ना जी नें कहा कि क्या कारण है कि जब हम लोग सत्ता में आते हैं तो शिया सुन्नी दंगे हो जाते हैं । इसका जबाब आपके पास है । आपके राज में न रहने पर आपके कांग्रेसी राजनीति करते हैं और शिया सुन्नी दंगे को भड़काने का काम करते हैं । तीसरे मैं कल्याण सिंह जी का बड़ा सम्मान करता हूं । जनता पार्टी की सरकार में ये हमारे मंत्री रहे हैं । ये एक ओजस्वी वक्ता और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । उन्होने कहा कि मैं न पक्ष में हूं न

---

*वास्तव में वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पक्ष में, मैं निष्पक्ष हूं, यानी बीच में हूं । बीच वाले व्यक्ति की स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाती है । आपको याद होगा कि जब श्री राजा राम चन्द्र जी बनवास को जा रहे थे और गांव के बाहर जनता छोड़ने गयी तो राम चन्द्र जी ने कहा कि हे नर नारी आप लोग वापस जाइये, मैं वन जा रहा हूं और वे वन में चले गये । लेकिन 14 वर्ष के बाद लौटे तो उनको वहां कुछ लोग मौजूद मिले । राम चन्द्र जी ने कहा कि मैंने वन जाते समय सभी लोगों से घर वापस जाने को कहा था, तो आप लोग यहां क्यों मौजूद हैं ।

उन्होंने कहा कि आपने नर और नारी को कहा था, हम लोग तो बीच के हैं । हम लोग कहां जायं । हमारे लिये कोई आज्ञा नहीं हुई, तो श्रीमन् ऐसे संकट की स्थिति में डालने की और अपने को ऐसे असमंजस की स्थिति में रखने की कोई अहमियत नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और साथी बीच में न रहे और जो सत्ता में सहयोग करने की नीति बनायी है, उसका समर्थन करें । यह जरूर है कि कोई नीति पसन्द नहीं है तो उसका विरोध करें । जहां तक राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की बात कही गयी, अभी उन्होंने कहा कि राम जन्म भूमि, हमारे नेता चन्द्र शेखर जी ने इस बात को कहा था, आप भी जानते हैं कि जो राम सबका कल्याण करते हैं, दुनिया का कल्याण करते हैं, मानव जाति का कल्याण करते हैं, उनके जहन में न हिन्दू, मुसलमान, हरिजन या यादव जाति है, जो राम सबका कल्याण करते हैं सारी मानव जाति का कल्याण करते हैं, क्या मुट्ठी भर लोग उनका कल्याण करेंगे । क्या हम राम से ऊंचे हैं । हम उनकी महिमा खंडित कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई, आपस में सब भाई-भाई हैं । कोई इसके धार्मिक विवाद में जाता है तो यह निन्दा की बात है । जो राम कल्याण के लिये संघर्ष करते रहे, ऐसे राम के मन्दिर के नाम पर उसके आस पास लोग खून करते हैं, वे वहां खून नहीं करने पाएंगे । वहां पर राष्ट्रीय स्मारक बनाकर सभी धर्मों के लोगों को वहां जाने की अनुमति दी जाय । इसके साथ ही आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

**श्री अधिष्ठाता**---आप सब लोग बैठें ।

(व्यवधान)

***श्री अनिल कुमार भारद्वाज**---मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस गृह व सामान्य प्रशासन के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस पर विरोधी दल के उप नेता माननीय अरुण कुमार सिंह मुन्ना ने कटौती का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है । कटौती के प्रस्ताव को जब विरोधी दल के उप नेता प्रस्तुत कर रहे थे तो कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, गांव में एक शोर सुना था,

"खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ? "

एक साहब ने इस शेर का मतलब जानना चाहा, दूसरे साहब ने उत्तर दिया, उन्होंने उसका मतलब इस तरह से बताना शुरू किया---खुद को कर बुलंद इतना कि पर्वत पर जाकर बैठ, पर्वत पर जब ठंड लगे तो बता दे कि तेरी रजाई कहां है ? विरोधी दल के नेता जब कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे तो उन्हें यही नहीं पता था कि मैं किस सदन में बैठा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हिन्दुस्तान की संसद में हूं या उत्तर प्रदेश विधान सभा में बैठा हूं । वे बोफोर्स का जिक्र कर रहे थे । आज भी कांग्रेस के सिर से बोफोर्स का भूत नहीं उतरा है, रात को भी यह सपने में बोफोर्स का भूत देखते हैं, बोफोर्स के भूत से इन्हें खतरा पैदा हो जाता है ।

(शोर होने पर)

**श्री अधिष्ठाता**——आप लोग बैठें । माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें ।

* **श्री अनिल कुमार भारद्वाज**——सदन में भी उनके ऊपर बोफोर्स का भूत सवार था और बोफोर्स-बोफोर्स चिल्लाना शुरू किया । बोफोर्स इस सदन की कार्यवाही का कोई हिस्सा नहीं है, बोफोर्स का यहां से कोई संबंध नहीं है । विरोधी दल के जो नेता हैं उन्हें सदन में यह देखना चाहिये था, एक तरफ तो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जगह-जगह दंगें भड़क रहे हैं, एक तरफ तो वे कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है दूसरी तरफ वे सामान्य प्रशासन के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखते हैं । यह कहते हैं कि बजट की कटौती की जाय इसे घटाया जाय । उनकी बातों के हिसाब से उन्हें प्रस्ताव कटौती का नहीं करना चाहिये । बढ़ोत्तरी का करना चाहिये ।

**श्री अधिष्ठाता**——अब आप समाप्त करें ।

***श्री अनिल कुमार भारद्वाज**——माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में हिन्दी भाषा को ऊंचा उठाने का काम किया है । उन्होंने यह घोषित किया है कि अंग्रेजी को समाप्त करेंगें, हिन्दी को यहां पर विशेष दर्जा दिया जायेगा, इस पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

**श्री अधिष्ठाता**——आप सब लोग बैठें । मैं माननीय अकबर अली जी को बुला रहा हूं ।

***श्री अकबर अली**——माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो साम्प्रदायिकता को कुचलने का बीड़ा उठाया है उसके लिये उनका बहुत शुक्रगुजार हूं । मान्यवर, प्रशासन में जो सुरक्षा की गारन्टी दे दी गयी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि 70 फीसदी गांव हिन्दुस्तान के अन्दर हैं, प्रदेश के अन्दर हैं । जो लाइसेंस बंदूक आदि के दिये गये हैं वह 15 फीसदी लोगों को दिये गये हैं पूर्व हुकूमत के द्वारा । जो अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग और कमजोर तबके के लोग हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं, उसके संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि सरकार जन सुरक्षा चाहती है, तो पूर्व में दिये गये लाइसेंसों को निरस्त कर दिया जाना चाहिये और समीक्षा की जानी चाहिये कि कमजोर वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो दबाये जाते हैं, जिनके पास शस्त्र नहीं है, अगर उनको शस्त्र के लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे, तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी ? मान्यवर, जहां तक मन्दिर और मस्जिद का सवाल है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि यह कैसा तंत्र है, जिसके एक आदमी ने कानपुर में भारत माता को डायन कहा । मैं सदन में बताना चाहता हूं कि मंत्री जी ने डायन किसको कहा, उस माता को कहा, जिसके दो पुत्र हैं और वह माता एक पुत्र को चाहे दूसरे को न चाहे । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि भारत माता के दो पुत्र हैं, जो दूसरे पुत्र के लिये कहते हैं कि यह नेस्तनाबूत हो जाये, तो मैं सही मायने में कहना चाहता हूं कि वह पुत्र, पुत्र नहीं है, वह दूसरे भाईयों को खाने वाला भेड़िया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**श्री अधिष्ठाता**---माननीय सदस्य समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया ।

**श्री अकबर अली**---मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता उनके अन्दर है, जो चोरबाजारी करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, वह साम्प्रदायिक हैं।

(कई सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने के कारण व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**---माननीय अली साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका समय समाप्त हो गया, आप समाप्त करें।

**श्री अकबर अली**---मान्यवर, जहां तक प्रशासन का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जानबूझकर मुख्य मंत्री जी को, तथा सरकार को बदनाम करने के लिये राम जन्म भूमि-मस्जिद विवाद को उठा रहे हैं । मेरे जनपद जालौन में एक संपादक के0 पी0 सिंह हैं, उनको लोगों ने भड़काया । मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी वहां निर्देशित करें कि वहां अराजक तत्वों के साथ कड़ाई के साथ कार्यवाही की जाय । इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

***श्री गया प्रसाद वर्मा**---मान्यवर, आज आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत, गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का जो कार्य चल रहा है, वह हमारे कुछ साथी कांग्रेस बंधुओं को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यह अभी तक दलाली करते रहे हैं और अब दलाली नहीं कर पा रहे हैं, इसलिये उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी सदस्य ने इटावा जिले की बात कह दी, उनका एक अखबार निकलता है, एक पर्चा निकलता है, उसमें वह अपनी मनचाही खबरें छपवा लेते हैं और वही यहां कहने का प्रयास करते हैं ! अभी वहां एक थाने के अन्दर कांग्रेस के लोगों ने एक निरीह व्यक्ति को जो अपना काम करने के लिये पिलखना गांव में गया था, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में उसे डकैती के षडयंत्र में फंसाने का प्रयास किया ।

(3 बजकर 20 मिनट)

तो पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ और ईमानदारी से उसके ऊपर सही मुकदमा कायम किया तो इनको बुरा लग गया। इतना ही नहीं मान्यवर, इटावा की पुलिस ने एक बहुत बड़े सरगने के 4 आदमियों को मार दिया, जिसमें पुलिस का एक सब इंसपेक्टर श्री ओम प्रकाश यादव शहीद हो गया, इनको बहुत बुरा लगा। ऐसा मालूम पड़ता है कि इनकी पार्टियों का उन गिरोहों को संरक्षण था। वहां की पुलिस ने बहुत बहादुरी से इस गिरोह का खात्मा किया। यहां पर कबूला गांव का प्रकरण रख दिया गया । पता नहीं इनको कहां से मालूम हो जाता है। वहां पर मान्यवर, अमन चैन है । पता नहीं अखबारों में ये क्या-क्या छपवा देते हैं कि वहां से हरिजनों का पलायन हो रहा है। वहां पर किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा प्रदेश में बसने वाली जनता के अमन चैन की बात कही है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**श्री शैलेन्द्र कुमार**--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय उप नेता, विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि अब अधिकारियों को गांवों में जाना होगा। अधिकारी गांवों में तो जा रहे हैं, परन्तु उन्हें जहां विशेष सुविधायें मिल रही हैं, वहीं पर वह जा रहते हैं, जिससे सरकार का व्यय बढ़ रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सामान्य प्रशासन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा जो जन प्रतिनिधि पत्र लिखते हैं, उनका जवाब अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता है, माननीय मंत्री जी को इसका अनुपालन करवाना चाहिए। दूसरा, जिले में जो नियुक्तियां की जाती है, उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए और जो चयन समितियां बनाई जाती हैं। उनमें जन प्रतिनिधि को रखा जाना चाहिये। जिलाधिकारी के कार्यालय पर कानून-व्यवस्था के संबंध में जन प्रतिनिधियों की एक बैठक एक महीने में बुलाई जानी चाहिए ताकि वहां की जो स्थानीय समस्यायें हैं, जन प्रतिनिधि उन पर अपनी राय दे सकें। जिससे कानून व्यवस्था में सुधार आयेगा।

मान्यवर, पुलिस विभाग की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ज्यादातर थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। डकैती व मर्डर की रिपोर्ट इसलिए भी नहीं लिखी जाती है कि एक महीने के अन्दर उसके परीक्षण होते हैं। वह लोग समझते हैं कि अगर हमारे यहां इस तरह की ज्यादा रिपोर्टें दर्ज हो जायेंगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और सही रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। समय से इस पर कार्यवाही हो।

मान्यवर, अब मैं थाने और चौकियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद इलाहाबाद में थानों व चौकियों पर जो स्टाफ है, वह पर्याप्त नहीं है और बहुत सी ऐसी चौकियां है, जहां पर चौकी इंचार्ज नहीं है इसलिए वहां पर इन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय से जो लोग स्टे ले आते हैं तो दूसरी पार्टी से थानाध्यक्ष मिलकर उसे कब्जा दिलवा देते हैं, निर्माण करा लेते हैं। इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे न्यायिक कार्यवाही हो।

मान्यवर, सुरक्षा-व्यवस्था के नाम पर काफी चर्चा हुई। यहां पर क्वेश्चन भी हुआ था। श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा था कि प्रदेश में शासनादेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 6 श्रेणी के लोगों की सुरक्षा की जा रही है। हमारे यहां मकसूद अहमद जो जिला परिषद् के सदस्य हैं, पहले उनके भाई की हत्या कर दी गई और उनके ऊपर भी फायर हुआ है, किन्तु उनका सुरक्षा गार्ड वापस कर लिया गया है। मैंने इसकी लिखित सूचना भी आपको दी। इसी प्रकार से चुनाव में आपने विकास गोष्ठी के नाम पर चुनाव गोष्ठी की। इसमें आपने ब्लाक प्रमुखों, जिला परिषद् के सदस्यों, टाऊन एरिया के चेयरमैनों तथा प्रधानों के ऊपर दबाव डाला कि चुनाव में अगर वह जनता दल का समर्थन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ इन्क्वायरी की जायेगी और उन्हें जेल भेजा जायेगा। जहां तक थाने चौकीदारों का संबंध है, उन्हें 40–50 रुपये मानदेय महीने में दिया जाता है, बहुत पहले से ही यह निर्धारित है, जो बहुत ही कम है। मेरा सुझाव है कि इसमें बढ़ोत्तरी की जाय।

साथ ही साथ मरवारा जनपद इलाहाबाद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दिनांक 27–4–90 को वहां पर एक घटना हुई पुलिस कर्मियों ने हवाई फायर किया। वहां पर भय व्याप्त है, जनता में आक्रोष है। वहीं चौकी इन्चार्ज वहां पर आज भी बना हुआ है।

इस घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे चैयरमैन टाऊन सीमा की बराबर धमकी दी जा रही है। मैंने विधान सभा में भी लिखकर दिया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। फर्जी मुठभेड़ के नाम पर इलाहाबाद में 14–15 हरिजनों को सोते समय उठाकर ले जाकर उनका इनकाउण्टर कर दिया गया। कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। हरिजनों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। जनपद में कानून व्यवस्था के संबंध में जो बैठक होती है उसमें जो भी सुझाव दिये जाते हैं, उनका अनुपालन नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि सुझावों का अनुपालन हो। हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों को लाइसेंस दिये जायं ताकि वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का मुकाबल कर सकें। पुलिस के छोटे-छोटे कर्मचारियों को आवास और वर्दी की सुविधा दी जाय। उनके टी0ए0/डी0ए0 में बढ़ोत्तरी की जाय। फतेहपुर, आगरा और इटावा में हरिजन गांव छोड़ कर भागे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। फतेहपुर प्रधान मंत्री जी गये थे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, वहां पर उन्होंने एक लड़के को लड़की बताया, प्रधान मंत्री होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये था। इसके साथ ही मैं मा0 उप नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं।

**श्रीमती बिमला राकेश**––मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि मुझे गृह एवं सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया। तो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और मा0 उप नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं।

मान्यवर, बधाई के पात्र हैं देश के प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, बधाई के पात्र हैं प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जिनके नेतृत्व में वंशागत शासन सामंतवादी कांग्रेस सरकार का अंत हुआ और एक सच्चे प्रजातंत्र का जन्म हुआ। मान्यवर, कांग्रेस सरकार के 42 वर्षों के शासनकाल में देश की जनता, प्रदेश की जनता चीखती रही चिल्लाती रही, निरीह जनता पर प्रशासन के अधिकारी और प्रशासन के कर्मचारी जुल्म ढाते रहे, महिलाओं की अस्मत लूटती रही, हरिजनों का कत्लेआम होता रहा। और नेतागण साम्प्रदायिक दंगे कराते रहे! बेरोजगारी, मंहगाई, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी और कांग्रेस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।

मान्यवर, मैं आज विरोध पक्ष में बैठने वाले लोगों से ही जानना चाहती हूं कि :—

"ये चोरी ये डकैती यह कत्लो गारत ये चोर बाजारी,
यह सब बयालिस साल से जारी हैं।
अब तक आफतें जानी, ये आजादी की बर्बादी,
बता दो क्या कहूं इसको?
मेरा नगमा तो है हिन्दी, मगर लै है मुसलमानी।"

मान्यवर, कांग्रेस की इन्हीं गलत नीतियों के कारण बदलाव आया है और अब जनता दल की सरकार आ गयी है। चालीस वर्षों के शासन काल में जो कोढ़ हमको विरासत में मिला है, मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी 42 वर्षों के इस कोढ़ को बयालिस 42 महीनों में निकाल कर विरोधी पक्ष के लोगों की थाली में परस देंगे।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में चोरियां हों, डकैतियां हों, राहजनी हों, कत्ल हों उन क्षेत्रों के तमाम लाइसेंस धारियों को निर्धारित समय पर जो थाना इससे संबंधित है जिम्मेदार ठहराते हुए सामूहिक जुर्माने किये जाय। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि इन

समस्याओं से निपटने के लिये वर्तमान साधनों का सही उपयोग किया जाना चाहिये । आयात नीति पर अंकुश लगायें और निर्यात नीति को बढ़ाया जाय और जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे है उनको भी बढ़ावा दिया जाय । बड़ी-बड़ी योजनाओं के खर्चे पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तब ही हमारी सरकार अवश्य सफलता प्राप्त कर सकेगी ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और विरोधी पक्ष के उप नेता द्वारा रखे गये कटौती का प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं ।

**श्री बाल चन्द्र मिश्र**--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सामान्य प्रशासन पर बजट रखा है, अगर वे अपनी कुछ घोषणाओं का कार्यान्वयन करते तो बात प्रशंसनीय होती, लेकिन भ्रष्टाचार के बल पर व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करना नियमानुकूल नहीं है । मैं आपके माध्यम से इस सन्दर्भ में कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

जब माननीय मुख्य मंत्री नेता विरोध दल थे, माननीय रेवती रमण सिंह की और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी इस तरफ बैठते थे तब जिस अधिकारी के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और उसके लिये जांच की मांग की थी, मैं नाम भी बतलाये देता हूं वे हैं श्रीमती सुनन्दा प्रसाद इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप मा0 मुख्य मंत्री, मुलायम सिंह यादव जब वे नेता विरोधी दल थे, लगाये थे, और तब जांच की मांग की थी । ये अधिकारी आज भी हथकरघा निगम में प्रबन्ध निदेशक के रूप में भ्रष्टाचार के कारण, ढाई महीने पहले जब मैंने इनके विरुद्ध स्व0 मुख्य मंत्री जी का आरोप-पत्र देकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की थी, परन्तु जांच नहीं हुई । मैंने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि यदि जांच न हुई तो मैं आमरण अनशन की घोषणा करता हूं । इसलिये अधिकारी के विरुद्ध जांच करायें और सारे मामले को सामने लाया जाय, लेकिन उनके खिलाफ जांच नहीं हुई और उनका संरक्षण कर रहे हैं । दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल निगम के प्रबन्ध निदेशक का चयन हुआ । चयन समिति ने राम सूरत सिंह का चयन किया, लेकिन उनके बाद भी दबाव डाल कर उनका नाम काट दिया गया और हरीशंकर चोरसिया, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया । उनसे इस नियुक्ति के लिये लाखों घूस ली गयी । यह एक भ्रष्टाचार का नमूना आपके सामने है ।

(व्यवधान)

इतिहास साक्षी है कि कम्युनिस्टों की भूमिका पटरानी की रही है । जो भी राजा रहा है, उसी के साथ रहे हैं । अब इनकी भूमिका [× × ×]की भूमिका हो गयी है । चीन का कम्युनिस्ट पहले चीनी है और बाद में कम्युनिस्ट और यहां भारत के कम्युनिस्ट पहले कम्युनिस्ट हैं और उसके बाद भारतीय ।

(व्यवधान)

**श्री ऊदल**--महात्मा गांधी की हत्या इन्हीं लोगों ने करवायी थी ।

**श्री बाल चन्द्र मिश्र**--यह लोग हमारे लिये कहते है कि हम लोग हिन्दुओं की ठेकेदारी करते हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है कि भगवान राम का विषय राष्ट्रीय अस्मिता का विषय रहा है । यह हिन्दू और मुसलमानों का विषय नहीं है । इन्डोनेशिया का मुसलमान भगवान राम की पूजा करता है । उसका विचार है कि उसने धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन अपने पूर्वजों का परिवर्तन नहीं किया है ।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, बाबर हमलावर था, उसने इस देश के मंदिरों को ध्वस्त किया और इसी क्रम में अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वा कर मस्जिद बनाने का प्रयास किया, जिस पर अनवरत पूजा चलती आ रही है और मस्जिद बनाने का स्वप्न पूरा नहीं हुआ है। मुस्लिम धर्म में है कि जबरदस्ती कब्जा करके किसी स्थान पर अगर मस्जिद बनायी जाती है और उस पर नमाज अदा की जाती है, तो उसे खुदा स्वीकार नहीं करता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। कानपुर नगर के चकेरी थाने में 6 महीने में 69 लावारिश शव पाये गये, जिनमें से अधिकांश युवतियों के हैं। इन पर कोई रोक नहीं लग पा रही है और थाने में रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की जाती है। अभी 30-6-90 को वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक कानपुर में एक साउथ इंडियन महिला जो कानपुर में कार्यरत है, श्रीमती सुधा कुमारी आर्य के प्रार्थना-पत्र पर एस0 ओ0 चकेरी को आदेश किया। लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और जब यह मामला मेरे पास तक आया तो मैंने पहली तारीख को एस0 पी0 सिटी और आई0 जी0 से बात किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट लिखी जायेगी, लेकिन जब मैं 9 तारीख को लखनऊ के लिये चला तो उस समय तक रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी।

**श्री अधिष्ठाता**--आप समाप्त करें। अगर बोलते रहेंगे तो कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

**श्री बाल चन्द्र मिश्र**-- [× × ×] इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(कई सस्दयों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

**श्री अधिष्ठाता**--किसी का कुछ नहीं लिखा जायेगा। (व्यवधान)

**श्री फौजदार प्रसाद**--आपने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया है।

**श्री बहादुर सिंह**--माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है। उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस सिपाहियों की भरती के लिये आपने अपने बजट भाषण मै जो प्राविधान रखने की बात कही है, वह सराहनीय है। (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**--आप सब लोग बैठ जायं।

**श्री फौजदार प्रसाद**--आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। (व्यवधान)

---

**नोट**--[× × ×]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

**श्री अधिष्ठाता**--माननीय उप नेता विरोधी दल, आप कृपया अपने सदस्यों को बिठा दें। आप लोग व्यवस्था बनाये रखें। व्यवस्था सीखें ।

**श्री बहादुर सिंह**--मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे क्षेत्र..

**श्री विजय सिंह राणा**--मान्यवर, इस तरह से कैसे कुछ सुनाई देगा । किसी की बात नहीं सुनाई देती है । आप माननीय सदस्य फौजदार को बिठा दें। उन पर अंकुश लगायें।

(व्यवधान)

**श्री फौजदार प्रसाद**--मैंने आपको लिखकर दिया है। मैं कई बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आप मौका नहीं दे रहे हैं ।

**श्री अधिष्ठाता**--संख्या के हिसाब से बुलाया जा रहा है। माननीय सुलेमान जी, आप माननीय सदस्यों को बिठा दें। मैंने बहादुर सिंह जी को बुलाया है । फौजदार जी, आप अपने दल के नेता से बात करें।

(कई सदस्य एक साथ बोल रहे थे और इससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

**श्री बहादुर सिंह**--मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में यह प्राविधान रखा है कि जिलाधिकारी और परगनाधिकारी तहसील मुख्यालयों पर जाकर लोगों की शिकायत सुनें। यह बहुत अच्छी बात है । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जिन मुख्यालयों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के भवनों का निर्माण हो चुका है वे वहां पर अपने कार्यालय लगावें और वहां पर निस्तारण करें। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में प्राविधान रखा है कि जो अधिकारी और कर्मचारी अच्छा काम करेगा उनको हम केन्द्र सरकार की तरह इस सरकार द्वारा भी सम्मानित करेंगे । जो अधिकारी और कर्मचारी कर्तव्यहीनता करेंगे उनको आप दंडित करेंगे, यह भी आपने व्यवस्था की है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अभी हाल ही में 21 तथा 25 तारीख में आगरे में जो दंगे हुये थे उसमें वहां के जिलाधिकारी और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिस ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और निष्पक्षता का परिचय दिया है, दंगों को दबाया है, अपनी जान को जोखिम में डाल कर शीघ्रातिशीघ्र वहां पर जो शांति व्यवस्था उन्होंने कायम की है उसके लिये आने वाले 15 अगस्त को, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उनको वे सम्मानित करें ।

मान्यवर, जिन थानों में वहां की जनता अपनी जान माल की रक्षा के लिये दौड़ कर गयी और उन थाना इंचार्जों ने उनकी सुरक्षा नहीं की और औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । मेरा अनुरोध है कि आगामी 15 अगस्त को इस अवसर पर अच्छा काम करने वाले जिलाधिकारी और एस0पी0 को सम्मानित करें । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को गृह और सामान्य प्रशासन के बजट के लिये धन्यवाद देता हूं और इसका सबल समर्थन करता हूं ।

**श्री राम प्रसाद देशमुख**--मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया (व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता**--माननीय सदस्य बैठे मैंने देशमुख जी को बुलाया है ।

**श्री राम प्रसाद देशमुख**——सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तरप्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल है जो किसी देश के बराबर है। आप चौधरी साहब का नाम लेते हैं मैं भी चौधरी साहब का हमदर्द रहा हूं लेकिन उनका कहना था कि इसका विभाजन हो जब तक इसका बटवारा नहीं होगा तब तक चाहे कोई इसका मुख्य मंत्री हो वह सफल नहीं हो सकता है और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है और अब एक छोटा मुख्य मंत्री इसको कैसे सुधार लेगा। मैंने बहुत से मुख्य मंत्री देखे हैं, चौधरी साहब हमेशा यह कहते रहे कि इस प्रदेश का जब तक बंटवारा नहीं होगा इसमें सुधार नहीं हो सकता है। आप देखे हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र ने कैसे तरक्की की। कोई भी मुख्य मंत्री हो वह इतने बड़े प्रदेश का 5 साल में दौरा तक नहीं कर सकता है केवल वह अपने क्षेत्र का ही दौरा कर सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी चौधरी साहब की प्रसंशा पूरी करें और इस प्रदेश का बटवारा करें तभी प्रदेश की तरक्की होगी।

(इस समय 3 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

क्राईम्स के बारे में यहां पर बात आई मैं इसके लिये एक राय देना चाहता हूं कि क्राइम रोकने के लिये आप उन अधिकारियों को जितने जिले में क्राइम होते है वहां के एस0 पी0 को, वहां के थानेदार को जिम्मेदार ठहराईये और कहिये कि अगर उसके इलाके में डकैती होती है तो वहां का दरोगा और एस0पी0 जिम्मेदार होगा क्योंकि मेरा अनुभव है मैं मैजिस्ट्रेट रहा हूं मैं जानता हूं कि किस प्रकार वह केसेज को बनाते हैं उनको पूरी जानकारी रहती है। इसलिये मुख्य मंत्री जी कह दें कि जिस इलाके में क्राइम होंगे वहां के थानेदार को निकाल दिया जायेगा और जिनके यहां क्राइम नहीं होंगे वहां के इंचार्ज को शाबाशी दी जायेगी।

सस्ता न्याय देने की बात मुख्य मंत्री जी ने कही है तो वह कैसे हो सकता है इसके लिये आपको प्रोम्ट एक्शन लेना होगा कोर्टस में केसेज सालों तक पड़े रहते हैं। जब मामलों की सुनवाई 6–6 और 7–7 साल तक नहीं होगी तो भ्रष्टाचार अपने आप पनपेगा इसलिये अदालतें और खोली जायें और हाईकोर्ट की एक बैंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोली जाय।

नौकरियों में भर्ती के लिये आपने कहा कि हरिजनों की सीट खाली रखी जायेगी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो जगहें इस समय खाली हैं उन पर दूसरों को न आने दिया जाय और जब तक हरिजनों का कोटा पूरा नहीं होता है दूसरे लोगों को भर्ती न किया जाय। मेरा 25 साल का अनुभव रहा है कि यह 18 प्रतिशत का कोटा आप पूरा इस तरह से नहीं कर पायेंगे जब तक दूसरे लोगों की भर्ती पर रोक नहीं लगायेंगे। इस मामले में एक चीज आड़े आ रही है वह है "सूटेबल लफ्ज" तो उनको हटा दिया जाय। क्योंकि अधिकारी इस सूटेबल शब्द का दुरुपयोग करते हैं और कह देते हैं कि सूटेबल आदमी नहीं मिला।

हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके संबंध में कहना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री ने कहा था कि देश बड़ा होता है व्यक्ति नहीं, जब रुबिया को आतंकवादी अपहरण करके गये थे तो आतंकवादियों को रुबिया को बचाने के लिए छोड़ा तो रुबिया बड़ी थी?

मान्यवर, आपस में जब झगड़े होते हैं तो पुलिस में जाते हैं और पुलिस दोनों को बन्द कर देती है। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों बन्द होते हैं, इसको नहीं देखा जाता है कि पिटने वाले ने क्या गुनाह किया है? वह दफा 151 में बन्द होते हैं। अच्छा आदमी थाने में नहीं जाता और पीटने वाला कहता है कि मैं भी बन्द होउंगा और तूझे भी बन्द करा दूंगा, इसलिये वह पिटकर रह जाता है और थाने में नहीं जाता, इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाये।

मान्यवर, मैं चौधरी साहब की बातों को कहता हूं कि हरिजनों के साथ में न्याय किया जाये। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश का विभाजन कराया जाये, जब तक विभाजन नहीं होगा तब तक प्रदेश में उन्नति नहीं हो सकती है चाहे यहां कोई भी मुख्य मंत्री बन जाये।

अंत में मेरी प्रार्थना है कि आप क्राइम को रोकें और हरिजनों के साथ न्याय करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

**श्री साहब सिंह**--अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुलिस और सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट पेश करने के बाद मा0 उपनेता, कांग्रेस, नेता बी0 जे0 पी0, श्री कल्यान सिंह, मा0 राजकिशोर सिंह, मा0 रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री सुलेमान और बहुत से मा0 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखें। मा0 उपनेता ने मुख्य मंत्री जी के गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर कई आरोप लगाये। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट, एवं अन्य पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन जब कांग्रेस के लोग जब आरोप लगाते है तो आश्चर्य होता है। इस देश की आजादी के चालीस वर्षों में 38 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा है और इसमें इन लोगों ने देश की जो व्यवस्था खराब की है उससे आज प्रदेश बर्बाद होने की स्थिति में है। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि 6 महीनों में सरकार के प्रयास से प्रशासन मे जो सुधार आया है वह बेमिसाल है। आज कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि स्थानान्तरण मैं पैसा लिया जा रहा है, यह लोग उस स्थिति का जिक्र करते हैं जो 6 महीन पहले यह लोग करते थे। मान्यवर, कांग्रेस के समय में बिना पैसा लिये ट्रान्सफर नहीं होते थे और आज वही चीज उन्हें नजर आ रही है और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।

मान्यवर, राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, यह देश किसी भी एक धर्म और जाति के जरिये नहीं चल सकता है। यह देश जाति और धर्म की वकालत से नहीं चल सकता है। मैं एक साफ तौर पर कहना चाहता हू कि आज हमारे 6 माह के प्रशासन के चलते जनता और प्रदेश खुशहाल हुआ है और उसने एक स्पष्ट परिवर्तन जनता ने महसूस किया है।

**श्री अध्यक्ष**--साहब सिंह जी आप बैठ जाएं, अब आपका समय नहीं है ।

**श्री साहब सिंह**--तो फिर मान्यवर, आपका आदेश मानकर मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

***श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी**--माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गृह बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, समय कम है, गृह और सामान्य प्रशासन पर जो मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा है, उसमें राम जन्म भूमि जैसी चुनौतियां का सफलतापूर्वक सामना करने के रूप में प्रगति को प्रस्तुत किया गया है। मुख्य मंत्री जी से और उनके जनता दल से हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इनके शासन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खासकर मुख्य मंत्री जी की मानसिकता को देखते हुए दलित समाज को और हरिजनों को ज्यादा सहारा मिलेगा। इन दबे पिसे और शोषित समाज के लोगों को इनकी सरकार आने से गर्व अनुभव हुआ था। बजट पर जो भी पुस्तिका तैयार की गई है, हो सकता है माननीय मुख्य मंत्री का मन और उनकी मानसिकता रही हो, पर इसके तैयार करने वालों की कुछ अलग विचारधारा हो सकती है। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं मुख्य मंत्री जी पर या उनके शासन पर आरोप लगाने की बात नहीं करता हूं। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, उसमें विचार धारा या शक्तियां ऐसी हैं जो उसका विरोध करती हैं और आपके तथा हमारे अच्छे विचारों में तमाम व्यवधान उत्पन्न करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 6 महीने में हरिजनों के साथ जितना उत्पीड़न, अत्याचार, जुल्म और बलात्कार हुए हैं, वह आपसे छिपा नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि इसके पूरे दोषी आप हैं, लेकिन इन शक्तियों के कारण इनके प्रति जो दुषित विचारधारा है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे त्रिपाठी जी इलाहाबाद की ओर इशारा कर रहे हैं, मैं इलाहाबाद की बात कहना चाहता हूं ..... (व्यवधान) वहां पर प्रधानाचार्यों पर प्राणघातक हमले किये गये हैं कई प्रधानाचार्य मारे गये हैं। साथ ही फतेहपुर काण्ड भी आपसे छिपा नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**---आप समाप्त करें। माननीय उप नेता अरूण कुमार सिंह जी अब बोलें। (व्यवधान)

**श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी**---आप अपनी विशेष जांच को और मजबूत करें। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, इस बात का मुझे दुख: है। इनके दल की जो शक्तियां हरिजनों की आवाज को दबाना चाहती हैं, वही हमारी बात को उन्हें सुनने नहीं दे रहे हैं। इसलिए कम से कम वह मेरे और मुख्य मंत्री जी के बीच व्यवधान न पैदा करें ..... (व्यवधान) मैं आपको यह बताना चाहता हूं हमारे अरूण कुमार सिंह जी मुन्ना ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है..... (व्यवधान) मंजनपुर के प्रधानाचार्य पर प्राण घातक हमला किया गया।

**श्री अध्यक्ष**---उप नेता आप खड़े हों। मैं आपका नाम बराबर पुकार रहा हूं' लेकिन आप बोलने खड़े नहीं हो रहे हैं। इनको आप रोकिये। मैंने भी इनको बैठने के लिए कह दिया है। आप तो अधिष्ठाता रहे हैं, आप तो मानों बहुत कह लिया हैं, अब आप बैठें।

**श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना**---मान्यवर, मैं सबसे पहले सदन के सारे सम्मानित साथियों के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सभी सदस्य जो कि पक्ष और विपक्ष में बैठकर भी उन्होंने कटौती के प्रस्ताव का स्वागत किया है। मान्यवर, इस विधान सभा मण्डप में जो भी साथी बैठें हैं वह प्रदेश की समस्याओं के बारे में चिन्तित हैं, क्षेत्र की समस्याओं के बारें में चितिन्त हैं, प्रदेश के शासन व्यवस्था के बारे में चिन्तित हैं, प्रदेश की पुलिस और सामान्य व्यवस्था के बारे में चिन्तित हैं। दलीय मान्यताओं के अन्दर अपने आपको रखते हुए भी कहीं न कहीं सरकार की जो आलोचना की है वह इस आधार पर की है कि सरकार अपने कार्य-कलाप में परिवर्तन लाये। माननीय नेता सदन जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी हैं उसका मूल्यांकन करें। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इन विचारों को ध्यान में रखते हुए वह प्रदेश को स्वच्छ और सशक्त प्रशासन देने में सक्षम होंगे। हमारे सदस्य उनकी साधुवाद देंगे।

मान्यवर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कल्याण सिंह जी ने बहुत सी बातें कही है उनके विरोध में। उन्होंने कहा कि ट्रान्सफर के बारे में श्वेत पत्र आया कि नहीं। अगर कोई चीज परिधि से बाहर हो जाती है जिसको सिद्ध करने के लिय प्रदेश के शासन पर दबाव

आता है तो प्रदेश के जनसेवक होने के नाते यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके बारे में गंभीरता से विचार करें। आज प्रदेश का शासन चरमरा रहा है, शासन व्यवस्था टूट रही है। प्रदेश में सजग शासन की यदि आप कल्पना कर रहे हैं तो अपनी नीतियों का मूल्यांकन करना होगा। यह सारी चीजें जो यहां पर कही गयी हैं उसके पीछे लोगों की मंशा है, स्वच्छ प्रशासन की।

**श्री राकेश्वर त्रिपाठी**——राम जन्म भूमि के बारे में आपका क्या कहना है ?

**श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना**——इस बारे में कहा गया है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। वार्ता हो रही है इसलिए यह विषय विवाद के अन्दर है। उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रयास कर रहे हैं कि समझौता वार्ता से हल हो जाय। यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसलिए इसे चुनावी तवे पर मत तौलिये। इसकी गम्भीरता को सदन के सदस्यों को स्वीकार करना चाहिए। यहां पर जो लोग बैठे हैं, पक्ष और विपक्ष से अलग हटकर, यह सदन प्रदेश की परिभाषा में आते हैं। लेकिन सदन की परिभाषा से बड़ा यह प्रदेश है। यह मामला न्यायालय में विवादित है, इस पर समझौता वार्ता हो रही है, ठीक है हो जानी चाहिए। जो भी दोनों घटक हैं उनको बैठकर तय कर दीजिये। दोनों ही प्रधान मंत्री के पास हैं चाहे बाबरी एक्शन कमेटी के लोग हों, चाहे वी0एच0पी0 के लोग हों उनसे बातचीत करके हल निकाला जाय। यह विवाद नहीं चलना चाहिए। लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है इसको स्वीकार करना चाहिए। इस मामले में न्यायालय का फैसला शिरोधार्य है।

***श्री ऊदल**——आपने कहा कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और पूर्व मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने जो उसका शिलान्यास कराया, यह क्या चुनाव की दृष्टि से था या किस दृष्टि से था ?

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**—मान्यवर, हमारा कोई कार्यक्रम चुनाव की दृष्टि से नहीं था और न हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री का कोई कार्यक्रम चुनाव की दृष्टि से था। हमने न्यायालय के बारे में कहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा वह शिरोधार्य होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, जब वह इधर बैठते थे तो इन्काउन्टर के बारे में कहते थे, हत्याओं के बारे में कहते थे कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अपराध हो सकते हैं, तो इसके लिए कानून के दरवाजे खुले हैं। रामचन्द्र बख्श सिंह जी ने भी अपराध के बारे में कहा, अगर कोई अपराध करता है तो यह क्या कि आप उसको मरवा दें, या उसके भाई को मरवा दें——

**श्री शिव प्रसाद शुक्ल**——हमारे पश्चिम में भी कई फैसले हुए हैं जिनका आपने आदर नहीं किया।

**श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना**——आपने कहा कि पी0सी0एस0 संवर्ग को 50 प्रतिशत प्रमोशन, आई0ए0एस0 में 20 लेने की बात आई है। प्रमोशन देने की जो-जो बातें कही गई है उन बातों पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय नेता सदन घोषणायें कर रहे हैं प्रेस से मिलिए उसके बारे में यथार्थता को स्वीकार करिए। नयी अदालतों के गठन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात महिलाओं के संरक्षण के लिए कही गई। उसका प्राविधान कहीं नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो लाख रुपये कोल महिलाओं के लिए दिए हैं। प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र विन्ध से मांडा, बांदा फतेहपुर तक कोल महिलायें रहती हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। दस्यु और सामन्त लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं इसमें क्या किया जा रहा है? अदालतें गठन करने की बात कही, लेकिन उसका प्राविधान बजट में नहीं है। मान्यवर पनवारी आगरा से लौटने के बाद मुख्य मंत्री जी इतने नाराज थे उस समय इन्होनें कहा था कि जजिया कर की तरह सब पर कर लगा दिया जाएगा, तो यह सब नहीं होना चाहिए। जैसा नेता भा0ज0पा0 ने भी कहा कि हमें उन बिन्दुओं को देखना चाहिए कि अपराध कहां से बढ़ रहे हैं वह कहां से शुरू हो रहे हैं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए उनको देखना चाहिए कि कौन सी बुराईयां हैं उन पर अंकुश होना चाहिए। साम्प्रदायिकता कहां से जन्म ले रही है उस पर अंकुश होना चाहिए। साम्प्रदायिक नीतियों पर आपकी क्या मंशा है उसको स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी कोई भी साम्प्रदायिकता जो जन-जीवन को दुर्लभ करे जन मानस को उद्देलित करे उसको देखना चाहिए। हर चीज पर नियंत्रण होना चाहिए। जो-जो घोषणायें आपने की है आपने 14 घंटे बिजली देने की बात कही, मैं माननीय नेता सदन से पूछना चाहता हूं बिजली उत्पादन आपके पास कितना हो रहा है--

**एक सदस्य**--यह आप कई दिन से कह रहे हैं।

**श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना**--मान्यवर, यह तो बार-बार कहा जाएगा जब-जब जबाव नहीं आएगा तो कहा ही जाएगा। गांव में लोग कहते हैं कि बिजली नहीं आ रही है। आपके पास बिजली का कितना उत्पादन है आज आप प्रदेश को कितनी बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी बिजली सब स्टेशन तक जाती है गांव तक नहीं जाती है।

(4 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, हमने कुटीर ज्योति जलाने का संकल्प लिया था और हमने प्रयास किया था और बड़े-बड़े उर्जाघरों को सुसज्जित किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज नयी मशीनों की जरूरत है। आज नयी टेक्नालोजी की जरूरत है जो भी विद्युत सब स्टेशन आपके निर्माणाधीन हैं, जो भी योजनायें आपकी निर्माणाधीन हैं चाहे वे आनपारा हों, या ऊंचाहार रायबरेली हों, जो भी इकाइयां हैं उनको समय से पूरा करायें तभी आप जनता को बिजली मुहैय्या करा पायेंगे। केवल नारों से सरकार नहीं चलती है। आपने जो नारों से सरकार चलाने का संकल्प लिया है इसको छोड़िये और वास्तविकता के धरातल पर आकर कार्य कीजिये। आपके शासन में डकैतियां बढ़ी हैं, चोरियां बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है। हत्या एवं अपराध बढ़े हैं। मैं आपको आपके 4 महीने के और अपने 4 महीने के कार्यकाल के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहुंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि 4 महीनों के अन्दर हरिजन उत्पीड़न की जो हस्तक्षेपीय अपराध है तथा अन्य घटनायें बढ़ी हैं। आपके 4 महीनों के कार्यकाल में हरिजन उत्पीड़न के 1662 मामले हुये हैं और हमारे 4 महीनों के कार्यकाल में 153 हुये थे।

इसी तरह से रोड हेल्ड आपके इन 4 महीनों में 57 मामले हुये और हमारे समय में 46 हुये थे। आज दहेज के नाम पर हत्यायें हो रही हैं। आपके 4 महीनों में 336 दहेज हत्यायें हुयीं हैं और हमारे शासन के 4 महीनों में 252 हुयीं थीं। तो यह आंकड़े बताते हैं कि अपराधों तथा अन्य घटनाओं में आपके शासन काल में वृद्धि हुयी है। अगर मैं आंकड़ों का सिलसिला रखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जायगा। मेरे पास आंकड़ों का अंबार है, जखीरा

है। आंकड़ों में ज्यादा न जाकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह जो अपराध बढ़ रहे हैं इन पर नियंत्रण होना चाहिये यह आंकड़े कोई आपकी प्रशस्ति नहीं है । मेरी नीयत है कि प्रदेश के अन्दर शांति और व्यवस्था कायम हो, विकास के कार्य हों, निर्माण जन्म लें लेकिन आपका जो रवैया है उससे लगता है कि प्रदेश के विकास का लक्ष्य पूरा नहीं होगा । आपने पुलिस बल के अन्दर व्यवस्था करने की बात कही है, उसका मैं स्वागत करता हूं । यह जो आप के पी0ए0सी0 के जवान हैं, पर विशेष ध्यान दीजिए सी0आई0डी0 है, विजीलेंस हैं इसके अन्दर लोग जाना नहीं चाहते हैं । इसकी तरफ आप देखिये कि यह स्थिति क्यों । यह जो पी0ए0सी0 के जवान हैं, उनको विशेष व्यवस्था करे गार्ड हैं उनमें और सिविल पुलिस में अन्तर है । इस अन्तर को कम करिये और इनके वेतन का पुनरीक्षण करिये । आज प्रदेश के अन्दर अपराध बढ़ रहे हैं, लूट बढ़ रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है, बलात्कार बढ़े हैं इन सब पर नियंत्रण करिये। मंहगाई बढ़ती जा रही है इस पर रोक लगायें । प्रदेश को बिजली मुहैया कराइये, जो निर्माणधीन योजनाये हैं उनको समय पर पूरा कराने का संकल्प लीजिये । लेकिन यह तभी होगा जब आप अधिकारियों का विश्वास जीतेंगे । अधिकारियों पर आप नियंत्रण रखिये लेकिन इसके साथ साथ उनकी मर्यादाओं को सुसज्जित रखिये, उनको डिमोरेलाइज्ड मत कीजिये । एक तरफ आप उनके उत्साह को बढ़ाने की बात करते हैं जिसका हम स्वागत करते हैं लेकिन उनको डिमोरेलाइज्ड न करिये ।

माननीय ऊदल जी ने और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता ने कहा, आज प्रदेश के जिलों में मिनी चीफ मिनिस्टर आपकी कृपा से हो गये हैं । आप मंत्री मंडल बढ़ा नहीं रहे हैं। आप मंत्रि मंडल बढ़ाइये और अच्छे लोगों को प्रदेश की सेवा करने का अवसर दीजिये। हमारे तमाम समाजवादी मित्र बैठे हैं जो सक्षम हैं, उनको जानकारी है और उधर प्रदेश के गांवों की ओर जाने का मन भी है लेकिन उनको आप सेवा का अवसर दे नहीं रहे हैं और जिले जिले में लंबरदारी कायम करा रहे हैं । मिनी चीफ मिनिस्टर, शैडो चीफ मिनिस्टर जो बने बैठे हैं तो यह प्रक्रिया या प्रशासन को दूषित करती है । प्रशासनिक अधिकारियों को कलंकित किया जाता है । मैं अपने जिले की एक बात आपको बताना चाहता हूं । हमारे जिले में गोष्ठियां होती हैं लेकिन विधायक वहां किस ढंग से जाते हैं और कौन सी समीक्षा करते हैं और क्या स्वरूप सुनिश्चित करते हैं इसकी आप जानकारी करायें । मेरे जिले से आपके दल के तमाम विधायक हैं लेकिन मैं अकेला विधायक हूं । कांग्रेस का ।

मान्यवर, इस लायक नहीं छोड़ा है कि कोई भी सम्मानित विधायक उन मीटिंगें में बैठें। ऐसी जोर-जबरदस्ती से प्रदेश का विकास नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप समीक्षा कीजिए। शहर और गांवों की दूरी आज कम हो सकती है, क्योंकि हम बढ़ते हुए कदम की ओर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सही मूल्यांकन होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, तो शासन स्वच्छ होगा। इसी पुलिस के बल पर शांति और व्यवस्था आयेगी । जो बजट आप लेकर जा रहे हैं, यह तभी सम्भव हो सकता है, जब प्रदेश के अन्दर शांति और व्यवस्था रहे । जो हमारे प्रदेश के अन्दर कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके अन्दर यह भावना हो ।

आज जे0ई0 जो मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है। आज उसकी हत्या हो गयी और उसके केस दफना दिया जाता है। आज एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती है। आज मुलजिम क्यों छोड़ दिया जाता है, यहीं का एस0एस0पी0 सवरवाल ने बराबर रिपोर्ट दी है। आज हमारे जो अधिकारी हैं सही ढंग से पैरवी नहीं करते हैं । मुझे बड़े दुख: के साथ माननीय नेता सदन से कहना पड़ रहा है । मान्यवर, जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है पुलिस का, उसमें किसी विधायक के बारे में गिरोहबन्द कहा। आप विधायकों का जरा सा मूल्यांकन करा दीजिए। जो सदस्य उधर के हैं और इधर के हैं, सबका मूल्यांकन करा दीजिए।

(व्यवधान)

***श्री बाबूराम यादव**---माननीय उप नेता विरोधीदल की जांच कराने की चुनौती स्वीकार करें। अगर माननीय उप नेता विरोधी दल नेता सदन से सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं भी इस सदन का सदस्य हूं, मैं भी सवाल पूछ सकता हूं।

(व्यवधान)

**श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना**---मान्यवर, एक जो संसदीय मर्यादा है उसका उपहास है आप कह रहे थे कि चरित्र हनन की बात नहीं होनी चाहिए, मान्यवर, उस गिरावान बन्द में अपनी-अपनी शक्ल देखनी चाहिए। आप किसी के ऊपर छींटाकसी कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम कहां है, उसकी भी हमे जानकारी है। आप डा0 लोहिया के पुजारी हैं। व्यक्तिगत आक्षेप की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप चरित्र हनन की बात कह रहे हैं, तो सारे लोगों को अपने चरित्र के बारे में सोचना चाहिए। आपने चरित्र की बात की थी, वह आज प्रधान मंत्री हो गये। इन सब चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। मेरा अनुरोध है कि ये सब चीजें उस लिटरेचर से हटा देना चाहिए। आपके दल के या इस पूरे विधान मण्डल के अन्दर कितने लोग हैं और किन-किन दफाओं में इनका नाम है। आप सबकी समीक्षा करा दीजिए।

(व्यवधान)

मेरे ऊपर कोई दफा नहीं है, आपके नेता के ऊपर होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, आप अपने प्रशासन को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाने के लिए आप जो गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग का बजट लाये हैं, इसमें हमारे साथियों के बहुमूल्य सुझावों का मूल्यांकन कीजिए। किस वजह से प्रशासन के अन्दर वह चुस्ती नहीं आई है, उसका मूल्यांकन कीजिए, तभी आप प्रदेश के साथ न्याय करेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इन सुझावों पर आप गम्भीरता से विचार करें। आपके अधिकारी और कर्मचारी भी सही ढंग से इसका मूल्यांकन करें।

**मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव**---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने 2 दिन से सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के अनुदान पर चर्चा हो रही है, उस पर मुझे उत्तर देने का अवसर दिया। मैं माननीय उप नेता विरोधी दल का आभारी हूं कि उन्होंने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की चर्चा पर अपना भाषण दिया लेकिन मेरी सलाह है और पहले भी मैंने सलाह दिया था कि किसी के कहने सुनने से सदन में मत बोला करें, लाइब्रेरी भी है वहां पर। हां आपने मेरा भाषण पढ़ा और अपने भाषण का आधार हमारे भाषण को ही बनाया इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हमारे दल के विचारों से आप प्रभावित हुए, देर, आये लेकिन दुरुस्त आये और इसी प्रकार आचरण करते रहे, इसी में प्रदेश की जनता का और आपका हित है। मान्यवर, माननीय भा0ज0पा नेता कल्यान सिंह जी, उनका भी बहुत आभारी हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा लेकिन फिर भी हमारा सहयोगी दल है इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपने एक आध सुझाव दिये हैं लेकिन उम्मीद बहुत सुझावों की थी। मान्यवर, माननीय राजकिशोर सिंह जी और माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह, इनको तो मैं धन्यवाद ही नहीं देना चाहता हूं, इनको बधाई देना चाहता हूं ये जब भी चर्चा में हिस्सा लेते हैं तो तैयारी के साथ लेते हैं, प्रदेश की जनता के हित में लते हैं और इन्होंने वास्तव में रचनात्मक सुझाव दिये हैं। इसके साथ ही साथ सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने महत्वपूर्ण अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखा और हिस्सा लिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

जहां तक माननीय उप नेता विरोधी दल माननीय अरूण कुमार सिंह जी का सवाल है, उन्होने अच्छा भाषण दिया लेकिन सौभाग्य से फिर मुझे उनके सुझावों पर प्रतिक्रिया जाहिर करने का मौका नहीं मिला, ऐसा कोई सुझाव आया नहीं और इसीलिए मैंने कहा कि किसी के कहने सुनने में मत बोला करें। मैं अपने व्यक्तिगत बारें में कोई सफाई नहीं देना चाहता हूं लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरे ऊपर कौन धारा कब लगी। मान्यवर, इमरजेंसी में जब काला दिवस था और लोकतंत्र की जब हत्या हुई तो मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि 19–19 महीने आपकी सरकार ने जेल में बन्द रखा, उन धाराओं को लगाकर, जिनके बारे में जेल में रहते हमें पता नहीं चल पाया था, बाद में पता चला कि क्या क्या धाराएं थी। रेल की पटरी उखाड़ने की योजना बना रहे थे, साजिश कर रहे थे। डाक बंगला जलाने की साजिश कर रहे थे। तार काटने के लिये गिरोहबन्द लोगों के साथ तैयारी कर रहे थे, उनका नेतृत्व करने जा रहा था। इसीलिये 19 महीने हम जैसे कई लोग जेल में रहे। हमें यह सौभाग्य प्राप्त है। जैसा कि हमारे साथी शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि लोकतंत्र की, आजादी की लड़ाई थी, जिसमें ये धाराएं लगी।

हमें गर्व है कि वह धाराएं हमारे ऊपर लगीं। उसके पहले धारा 1968 में लगी जब आपकी सरकार और पुलिस अंग्रेजी हुकूमत से भी खूंखार बन गयी थी, जालिम बन गयी थी। एक हरिजन महिला को कमरे में बन्द करके उसी के बेटे से कहा गया कि कुकर्म करो। उस का विरोध करने के लिये मुझे आगे आना पड़ा, जिसमें मेरे 4 साथी शहीद हुए। मेरे ऊपर चोट आयी और मेरे ऊपर दर्जनों धाराएं उस निकम्मी और बेहूदा सरकार ने लगाई। और धारा बताऊं। धारा लगाई गयी, कब जब माया त्यागी को मा0 चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र में नंगा किया, आपकी सरकार ने और पुलिस ने और उसके बाद चौराहे पर नंगा लेजाकर, जब एक दुकानदार ने उस पर चादर डाल दी तो उसको भी पुलिस ने मारा। उसको थाने ले गये और बलात्कार किया। उसके गुप्तांगों में डंडा डाल कर गर्भ गिरा दिया। उस समय उसका विरोध करने के लिये आपकी सरकार और पुलिस ने हमें फतेहगढ़ जेल में भेज दिया। ये धाराएं हैं। इसलिये अखबार पर न जाएं। मैं चाहता हूं कि आप सीखें, कम कहें, तैयारी करके कहें, लेकिन सच बात कहनी चाहिये। मैं कह रहा था कि इस सरकार का एक भी मिनिस्टर कभी गलत जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा। यह हम स्वीकार करते हैं।

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**––मान्यवर, मा0 नेता सदन जवाब दे रहे हैं। मैं अखबारों पर भरोसा करता हूं। जनतंत्र में इन पर भरोसा करना चाहिये। आपको नहीं है तो हम कुछ नहीं कहते। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इतनी धाराएं हैं तो उन्हीं का लिखा है। अगर गलत छपा है तो नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी हैं, उनको अखबारो के खिलाफ नोटिस देना चाहिये।

**श्री मुलायम सिंह यादव**––आप पत्रकारों को ज्यादा सम्मान देते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि पत्रकारों पर आपने इतना जबर्दस्त अंकुश लगाया था, सेंसर लगाया था कि वे कोई बात नहीं लिख सकते थे। उस समय मा0 चौधरी चरण सिंह 5 घंटे सदन के अन्दर बोले। आपने सारे हिन्दुस्तान के पत्रकारों को 19–19 महीने जेल में केवल न लिखने के लिये डाल दिया था। आप पत्रकारों के बहुत हमदर्द बन रहे हैं। पत्रकारों के लिये लड़ाई लड़ी हम लोगों ने और आज भी लड़ रहे हैं। मान्यवर, चौधरी साहब का कहा कि नाम नहीं लिया। इसीलिये कहा कि पढ़कर नहीं आते। अनुदान तो बजट का एक छोटा सा भाग है। अनुदान

तो एक भाग होता है, लेकिन पूरे का पूरा बजट जो पेश किया गया था, वह चौधरी चरण सिंह के विचारों पर आधारित था, लोहिया के विचारों पर आधारित पेश किया गया था और उसी के आधार पर सरकार काम कर रही है। आप तो नेहरू, गांधी का नाम लेते हैं और नाम ले लेकर दोनों का नाम मिटा दिया। दोनों के विचारों को मिटा दिया है।

जिसका नाम ज्यादा लिया जाता है, आप उनके विचारों का सम्मान नहीं करते, आपने नेहरू और गांधी का नाम मिटा दिया है। हम उन्हीं महान नेताओं के विचारों के आधार पर चले, वही रिक्शे वाले से शुरू किया और आप तो बम्बई, कलकत्ता, गाजियाबाद से शुरू करते थे, पूंजीपतियों से शुरू करते थे। हम लोगों ने आते ही गन्ने की कीमत 4 रुपये बढ़ायी। आप मंहगाई की बात करते हैं। पिछले साल सितम्बर में 14 रु0 किलो चीनी की कीमत थी कहीं-कहीं पर 25 रु0 किलो बिकी। 3 दिन बम्बई के कुछ हिस्सों में 50 रु0 किलो कीमत थी। आज गन्ने की कीमत बढ़ायी गयी, चीनी के दाम घटाये गये। यह क्यों हैं। हमारी पार्टी के लोगों ने चीनी मिल मालिकों से पैसा नहीं लिया है। आपके राज्य में गन्ने के दाम घटते थे और चीनी के दाम बढ़ते थे, क्योंकि पूंजीपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़ते थे। हमें हारना मंजूर है, पूंजीपतियों से पैसा लेना मंजूर नहीं है। एक-एक रुपया लेकर लोगों से चुनाव लड़ा और उसी का नतीजा है कि गन्ने की कीमत बढ़ी। आप कहते हैं कि खाद के दाम बढ़ा दिये पता नहीं इनको कैसे पता चल गया कि दाम बढ़ गये। मुझे तो पता नहीं है कि खाद के दाम बढ़ गये। यह सारे कारण क्या हैं, यह क्यों बोल रहे हैं इस तरह से। उप नेता विरोधी दल का दोष नहीं है। अभी आपको विपक्ष का अनुभव है ही नहीं। अगर विपक्ष का अनुभव है तो आप खुद सत्तापक्ष के कार्यों का मूल्यांकन, समीक्षा कर सकते हैं। काफी दिन हम विपक्ष में बैठे हैं। आप अभी काफी दिन विपक्ष में बैठें तब आप जाकर सत्तापक्ष के कार्यों का मूल्यांकन समीक्षा कर पायेंगे।

**श्री राम औतार दीक्षित**——अभी मास्टर साहब की मास्टरी की आदत नहीं गयी है। जो पुरानी आदत है वह अभी भी है।

**श्री अध्यक्ष**——यह तो अच्छी बात है शिक्षा देना।

**श्री मुलायम सिंह यादव**——यही कारण है, मैं माननीय दीक्षित जी की बहुत इज्जत करता हूं, आप लोग क्यों कह रहे हैं ? मान्यवर, मैंने कहीं नहीं कहा कि व्यवस्था परिवर्तन हो गया। कहीं दिखा दें, मैंने यह कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है। अब लम्बे भाषण दोहराना आपकी तरह से तो आदत है नहीं। मान्यवर, आप कार्यवाही को देख लें। अभी मुझे कोई बता रहा था कि माननीय उप नेता ने एक-एक बात को 17 बार दोहराया है।

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**——उन सब चीजों पर बल प्रदान किया है, ताकि आप उसका मूल्यांकन कर सकें।

**श्री मुलायम सिंह यादव**——मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की अभी शुरुआत है, यह व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है कि नयी सरकार के बनने के साथ-साथ हमारे अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों और चाहे किसी विभाग के अधिकारी हों उनको मानसिकता बदलनी पड़ेगी और बदल रही है। आपको उदाहरण दूंगा कि कैसे-कैसे बदल रही है। आपका दृष्टिकोण अभी बदला नहीं है। आपकी

कथनी-करनी में भेद है। अभी बहुत दिन विपक्ष में रह लें अनुभव हो जायगा, सही ढंग से सुझाव दे सकेंगे सत्ता पक्ष का मूल्यांकन भी कर सकेंगे। अभी बहुत जरूरत है आपको विपक्ष में रहने की। व्यवस्था परिवर्तन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं 14 साल से लगातार इस उत्तर प्रदेश के प्रधानों को और अन्य मेम्बरों को चुनाव का अवसर नहीं दिया विधान परिषद् का।

इस सरकार ने चुनाव करा दिय, क्या यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। आपने अपने नेता को बुलवाकर, इस मंच पर बैठा कर धोखा दिया था, जब शताब्दी मनाई गयी थी, तब मैं भी बैठकर यहां सुन रहा था, और मैंने कहा था कि प्रधान मंत्री जी आप शताब्दी तो मनाने आ गये, लेकिन विधान परिषद् में सदस्यों को पूरा हिस्सा तो लेने दें, लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंगीं और तब आपने अपने नेता की उपेक्षा की थी। उन्होंने बयान दिया कि चुनाव कराये जायें, लेकिन आपने चुनाव कराये नहीं। आप अपने नेता की बात तक तो मानते नहीं, क्या यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, जो हमने विधान परिषद् को पूरा भर दिया। ग्राम सभा के प्रधानों को विकास कार्यों में ज्यादा जिम्मेदारी देना क्या व्यवस्था परिवर्तन नहीं है? प्रशासन द्वारा जनसम्पर्क, जनता से अधिकारियों का सम्पर्क, निकटता, व्यवस्था परिवर्तन नहीं है? आप ही कहा करते थे कि अधिकारी ठंडे बैठे रहते हैं, पहाड़ों की हवा ले रहे हैं, आज वही अधिकारी गांवों में जनता के बीच जाकर सम्पर्क करते हैं, क्या यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है? जो एस0 पी0, एस0 डी0 एम0 गांव में नहीं जाते थे, आज मुख्य सचिव स्तर का व्यक्ति गांव में जा रहा है।

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**—निकायों के चुनाव करायें हैं, उसकी प्रक्रिया हमने ही शुरू की थी, जिला परिषद् का चुनाव कराया, उसकी शुरूआत भी हम लोगों ने की थी, आपने तो उसको सम्पूर्ण कराया। हम लोग तो स्वयं प्रधानों को जिला परिषद् या निकायों के कार्यों को संविधान से उसको जोड़ना चाहते थे। जो कमियां रह गयी थीं, उन्हीं कमियों के तहत हमारे नेता ने संविधान की परिधि में उसको जोड़ने का संकल्प किया, ताकि उनके अधिकार सुरक्षित हो सके, तब आपने उसका विरोध किया था। संसद विधेयक पास होने नहीं दिया था।

**श्री मुलायम सिंह यादव**—मान्यवर, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन की शुरूआत की गयी। आज प्रदेश के अन्दर आम जनता की भाषा में सरकारी कामकाज होगा और पी0सी0एस0 जैसी बड़ी नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा दी गयी, इससे किसान, मजदूरों के बच्चों को भी अच्छी नौकरियों में जाने का मौका मिलेगा, यह इनको दिखाई नहीं देता। जाइयेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो पता चलेगा, जब आप ऐसा कहेंगे। आज वहां के छात्रों की तमाम चिठ्ठियां हमारे पास आई हुई हैं। किसानों के लिये, योजना का 51.3 प्रतिशत बजट रखा गया, यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है? समान शिक्षा की पहल, दोहरी शिक्षा की समाप्ति की शुरूआत क्या यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है?

इसी तरह से सार्वजनिक उपक्रमों का पुर्नगठन, उनको सुदृढ बनाने की योजना तथा जो जनता के हित में उपयोगी नहीं है, उनको समाप्त करने की योजना, क्या यह सब व्यवस्था परिवर्तन नहीं है? जैसे आप पैसे की बरबादी कर रहे थे, उस अनावश्यक व्यय पर रोक लगाना, क्या यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है? गोमती होटल में 80 लाख का बकाया है, आप लोगों का, रोडवेज का कितना बकाया है, कई करोड़ का। आज हम आपके किये गये पापों का फल भुगत रहे हैं, मैं बता दूं कि आज किसी भी होटल का एक भी पैसा हम पर नहीं है।

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना** · गोमती होटल में क्या रहे थे, भोपाल सिंह को वहां जगह दे रखी थी ।

**श्री मुलायम सिंह यादव**––यह तो आपकी जिम्मेदारी है, कि कहां रखवाया आज इस सरकार पर एक भी रुपया होटलों का नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि न तो किसी को ठहरने दिया जायगा और न कोई ठहरेगा । अगर कोई नेता बाहर से आयेगा, तो देखा जायेगा ।

इसी तरह से प्रदेश के मुख्य मंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखने की घोषणा की गई है, क्या व्यवस्था परिवर्तन नहीं है । चुंगी समाप्त की गई है, क्या यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है । भ्रष्टाचार के अड्डे समाप्त हुए हैं, क्या यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है । यही नहीं मान्यवर, अभी तक जो सारे अधिकारी सचिवालय के अन्दर ही रहा करते थे, आज वह किसानों/मजदूरों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, क्या यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है । आपको क्या यह नजर नहीं आ रहा है । आज आप जो बजट देख रहे हैं, इसके नतीजे तो 6 महीने बाद आयेंगे । क्या ये वायदे 5 महीने के हैं या 5 साल के हैं । यदि हम इन सबको एक ही साल में पूरा कर देंगे तो 5 साल में क्या करेंगे । ये तो 5 साल के वायदे हैं । इन्होंने कहा कि कहां-कहां आपने क्या-क्या किया है, स्पष्ट बताये । भ्रष्टाचार के संबंध में हमने क्या किया है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं । 200 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन सेवा से निवृत्त किया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसे आपकी सरकार ने छिपाया था ।

आप भी मंत्री रहे हैं। 500 लोगों को निलम्बित किया गया और 800 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई। हजारों लोगों की सेवा वृद्धि बढ़ाई जाती थी, उसे हमने समाप्त कर दिया, जिससे जो फिजूल खर्ची बढ़ गई थी, वह खत्म हो गई । बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर मिल गये, जिन अधिकारियों की तरक्की रुकी पड़ी हुई थी, उन्हें तरक्की मिली और उनका मनोबल बढ़ा । आपकी तरह दोहरा आचरण हमारा नहीं है । एक ओर तो आप आरक्षण का समर्थन करते हैं और कोरे आंसू बहाते हैं हरिजनों के लिए, वहीं दूसरी ओर आरक्षण विरोधी आन्दोलन को चलवाने की साजिश करते हैं । किसने इसकी शुरूआत कराई, इसके मेरे पास प्रमाण हैं । मैं इतना ओछा नहीं हूं कि नाम बता दूं । आप मेरे चैम्बर में आये, मैं आपको बता दूंगा कि कौन पैसा दे रहा था और कैसे काम हो रहा था ।

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**––मान्यवर, जिस आरक्षण की बात मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, वह मेरे समय में नहीं था ।

**श्री मुलायम सिंह यादव**––मैं तो आपके दोहरे चरित्र के बारे में बता रहा हूं । एक तरफ आरक्षण का समर्थन और हरिजनों के लिए कोरे आंसू बहाना, दूसरी तरफ आरक्षण विरोधी आन्दोलन चलाना, रेल और मोटरों को फुकवाना ।

मान्यवर, दूसरी तरफ आप अपने आंकड़े देखें । आप तो तीन-तीन मुख्य मंत्रियों के समय में मंत्री रहे हैं। आप इन 6–7 महीनों के आंकड़े से ही तुलना कर लें कि उस समय कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और 6 महीने में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, इसी से हमें हमारी सफलता व विफलता का पता चल जायेगा । 1985 से 1889 के बीच हरिजनों पर जितने अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ पुलिस ने जो अत्याचार व बलात्कार किए, पत्रकारों की पिटाई हुई, वकीलों की पिटाई हुई, उतना इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई ।

इतना अपमान कभी नहीं हुआ जितना 1985 से 89 के बीच हुआ । विधायक रोए हैं कुर्सी पर बैठकर, जिसमें बनारस के विधायक थे, गोरखपुर के विधायक थे । आम आदमी तो दूर रहा विधायकों के साथ यह सब होता रहा । मैंने पहले ही दिन कह दिया था और आज भी कह रहा हूं माननीय उपनेता, विरोधी दल से और पूरे सदन से हमने कहा कि बदले की भावना से कोई काम नहीं होगा। यह भी कहा था कि जनप्रतिनिधि विधायक, सांसद और जो भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ अगर अधिकारी या पुलिस दुर्व्यवहार करेगी तो कार्यवाही करूंगा लेकिन आपने क्या किया है . . .

(श्री शैलेन्द्र कुमार के खड़े होने से व्यवधान)

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यहां आपने उल्लेख किया कि इलाहाबाद में लाठी चार्ज हुआ. . . .

(श्री भोला पाण्डेय के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**---आप बैठ जायं । अगर मा0 नेता सदन बैठ जायं तभी आप बोलें ।

(श्री भोलापाण्डेय द्वारा पुनः बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा, आप बैठें ।

(श्री गौरी भइया के खड़े होने से व्यवधान)

आपकी भी कोई बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायगी ।

**श्री मुलायम सिंह यादव**---माननीय कल्यान सिंह जी ने भी कहा था कि सत्य कड़ुवा होता है । इसीलिये आपको इसे पीने में दिक्कत हो रही है ।

आपने इलाहाबाद के लाठीचार्ज और काले झंडे का उल्लेख किया । आपकी भूतपूर्व स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी को काले झंडे दिखाने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी और जब भी किसी ने हिम्मत की तो उस पर असंख्य अत्याचार हुए । बनारस मे एक लड़का था सतनाम सिंह, उसने हिम्मत की थी, 6 महीने तक लगातार अस्पताल में उसकी हड्डियां तोड़ दी गयी थीं । आप कहते हैं काले झंडे दिखाने पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है विपक्ष के साथ । हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी पंचायत के सामने अक्षयवर मल्ल शहीद हो गये इस विधान सभा के सामने, हत्या करवा दी गयी । हमारे पीछे घोड़े दौड़ाये गये । खौलता हुआ गर्म पानी भी हमारे ऊपर छिड़का था । अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपाहिज पड़े हैं । आपके लोग तो ऐसे थे जिन्होंने काले झण्डे दिखाने का नाटक किया था । जबर्दस्ती पुलिस की जीप में बैठ गये ।

(हंसी)

अब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । आपके शासन काल में काले झण्डे दिखाने या विरोध करने पर जो यन्त्रणा दी जाती थी अगर उसका इतिहास शुरू कर दूं तो सदन का वातावरण कड़ुवा हो जायगा ।

हम वातावरण को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं कि आपके जमाने में क्या-क्या हुआ । अगर आप पूछना चाहेंगे (अपना अंगूठा दिखाते हुए) इसके लिये डाक्टरों की राय है कि इसका एक्सरसाईज के अलावा और कोई इलाज नहीं है, मैं उस समय विरोधी दल का नेता था जब

यह हुआ। मैं वातावरण को कड़ुवा नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन जिन्होंने यह किया आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? श्री अक्षयवर मल्ल पर पुलिस ने हमला किया तब आपके एस0 पी0 ने मेरा यह अंगूठा मरोड़ा था। आपने उन दोनों थानेदारों को मुअत्तल नहीं किया बल्कि उनको बहादुरी का खिताब दिया।

अभी जो झगड़ा हुआ उसमें आपके कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मारा लेकिन फिर भी मैंने आपके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं होने दिया, आप जांच करा लीजिये। क्या माया त्यागी को कोई भूलेगा ? तो इसलिये मैं कहता हूं कि मैंने कार्यवाही हर जगह की है जहां भी आपने कार्यवाही की मांग की है।

अब स्थानान्तरण की नीति क्या है, यह मा0 उप नेता विरोधी दल ने तथा माननीय कल्यान सिंह ने कहा। स्थानान्तरण की जिम्मेदारी तो मैंने संबंधित विभाग को दे दी है। अगर आपकी समझ में यह बात नहीं आयी है तो मैं आपको अपने चेम्बर में आमंत्रित करता हूं, आप आ जाइये, वहां मुख्य सचिव भी रहेंगे, डी0 जी0 पी0 भी रहेंगे और वह सब आपको समझा देंगे। यह स्थानान्तरण की नीति आप हमको बतायेंगे ? यह सालाना स्थानान्तरण हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव के पहले अक्टूबर और नवम्बर में जो स्थानान्तरण किये गये थे वह नीति क्या थी ? कौन लोगों को हटाया जाय या न हटाया जाय ? मैंने तो स्थानान्तरण नीति के तहत ही किया है। यह दो साल, तीन साल और पांच साल कौन कहां रहेगा यह नीति निर्धारित है। ज्यादा इस पर न कह कर मैं सदन का समय नहीं बरबाद करना चाहता हूं।

मैं मुख्य सचिव के जरिये इससे संबंधित आंकड़े आपको दिखवा दूंगा। ये अधिकारी बड़े होशियार हैं, ये अधिकारी चाहते हैं और वे हमारे पास भी आते हैं, मैं नाम नहीं बतलाऊंगा, ये अपने स्वार्थ और सुविधा के लिये विधायकों और नेताओं से झूठ बुलवाते हैं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार**--जब यह खुली सरकार है तो फिर खोल कर सदन के पटल पर सारी बातें रखें।

**श्री मुलायम सिंह यादव**---हां, यह खुली सरकार है। मान्यवर आपके जमाने में जो प्रमोटेड अधिकारी थे उनकी उपेक्षा होती थी। यह पिछली सरकार है जिन्होंने प्रमोटेड अधिकारियों के जो स्थान हैं, वहां तक भी उनको नहीं पहुंचाया। जब आपके दिमाग में दो ही जिले आये---इटावा और जौनपुर। हमारे लिये इटावा और फतेहपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सारे जिले हैं। हमारी सरकार की दृष्टि इटावा के एस0एस0पी0 पर जब अयी तो उसको हटाया गया ऐसी बात नहीं है बल्कि उसके लिये आई0 जी0 और डी0आई0जी0 की ओर से यह बात आयी थी। उप नेता जी ने कह दिया कि बनारस से एस0 पी0 को हटाया गया। मैंने तो उसे एस0 एस0 पी0 मैनपुरी बना कर भेजा है एस0पी0 से। इसीलिये उसे वहां से हटा कर मैनपुरी भेजा है जो कि हमारा ही जिला कहलाता है। एस0 पी0 की जगह पर एस0 एस0 पी0 बना दिया। मेरी समझ में नहीं आता है, कैसे बोलते हैं ?

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**---आप हटाते हैं, यह तो जिम्मेदारी शासन की है। कहिये तो नाम गिना दूं। 15 दिन पहले बनारस में रखा फिर मैनपुरी कर दिया। यह जो अधिकारी हैं, शतरंज के प्यादे नहीं है, जो आप जहां चाहें जहां पर रख दें। एक नहीं तीनों तबादले किये हैं।

**श्री मुलायम सिंह यादव**--आप कह रहे हैं कि सजा दे रहे हैं। मैंने उस को एस0 एस0 पी0 बना दिया और एस0 एस0 पी0 बनाकर अपने जिले ले गये। मैं कहना चाहता हूं कि अमेठी और सुल्तानपुर में मान्यवर सरकार ने ट्रान्सफर नहीं किया, जब चुनाव आयोग ने मजबूर किया कि उनका ट्रान्सफर किया जाये, डी0 एम0 और एस0 पी0 का ट्रान्सफर किया जाये, तब उनका ट्रान्सफर किया गया। चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर उनको हटाया गया है।

(श्री मुईद अहमद के खड़े होने पर तथा कुछ स्पष्टीकरण मांगने पर घोर व्यवधान)

**श्री मुईद अहमद**---[× × ×]

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**---कोई बात इस कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी।

**सिंचाई मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)**---मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह आग्रह कर रहे हैं, यह नेता विहीन पार्टी है, सभी लोग खड़े हैं और किसी का नियंत्रण नहीं है। बिना नियंत्रण के बोल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**---वह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

**श्री मुलायम सिंह यादव**---बाद में पूछ लेना बतादूंगा। मैं कह रहा था कि पिछली सरकार में वर्ष भर तबादले होते रहे हैं और अब ऐसा नहीं है आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। पिछली सरकार ने 834 स्थानान्तरण किये एक अप्रैल से 30 नवम्बर, 1989 तक और हमारी सरकार ने 743 किये हैं, आप ही बतावें। जो स्थानान्तरण किये गये हैं, सालाना किये गये हैं।

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**---आपको अधिकार है, आप स्थानान्तरण करें।

(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव**---माननीय अध्यक्ष जी, उप नेता जी ने कहा कि अधिकारियों से कैसे कार्य लिया जाय इसका हमें पता नहीं है। यह उनकी सही बात है। हमें इसलिये पता नहीं है क्योंकि हमें यह आदत नहीं है कि बोफोर्स की दलाली कैसे ली जाती है? बोफोर्स की दलाली अधिकारियों के माध्यम से कैसे ली जाती है, इसका हमें पता नहीं है, इसीलिये हम उनसे काम लेना नहीं जानते। इन्होंने इस नौकर शाही को अपने दल और अपने कुछ लोगों के प्रति उत्तरदायी बना रखा था जबकि यह सरकार और उसकी नौकरशाही प्रदेश की 14 करोड़ जनता के प्रति उत्तरदायी है। यह अन्तर है आप में और हम में। इसलिये काम लेना नहीं जानते हैं।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि बोफोर्स का प्रकरण हमने नहीं उठाया था। बोफोर्स का प्रकरण यहां का नहीं है, लोक सभा का है। किन्तु चूंकि आपने उसका उल्लेख किया है इसलिये बता दूं कि बोफोर्स की दलाली के कारण ही आपका सफाया हो गया और जनता ने स्वीकार कर लिया, जनता नें रिपोर्ट दे दी, जनता ने रिपोर्ट समझ ली, आपको सजा दे दी और आपका सफाया कर दिया और अब आप इस इन्तजार में हैं।..... (व्यवधान)

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

किसने दलाली खायी। उप नेता जी, आप पूछेंगे दलाली किसने खायी ? आपको पता है लेकिन आप हमारे द्वारा चाहते हो बुलवाना या दिल्ली की सरकार वी0 पी0 सिंह से चाहते हो, तो धीरज रखिये, आपके सामने नाम आ जायेंगे कि किसने दलाली खायी ?

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**---मैंने इसलिये निवेदन किया था कि आप राजीव गांधी और बोफोर्स का नाम लेते हैं। तो वह कौन सी चिड़िया है, सदन के पटल पर क्यों नहीं रखते ? आप कुर्सी छोड़ दें, सवेरे आपको बता सकता हूं कि यह क्या है कौन उसमें में है। 7/8 महीने हो गये हैं। हमारे दल के नेता ने मांगा है, सदस्यों की मांग है, क्यों नहीं आप रिपोर्ट सदन में रखते हैं। आप बोफोर्स के नाम पर जीना चाहते हैं। आप चुनाव जीतने के तुरन्त बाद ही दाखिल करने की बात कही।

**श्री मुलायम सिंह यादव**---मैंने आपसे कहा कि आप धीरज रखिये अभी नाम आ जाते हैं। आपने विधायकों के बारे में कहा कि उनका यहां पर एक गैंग रख दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि यह गैंग उनके नाम से 87 में रखा गया जिसका नम्बर है 31/87। तो हम क्या करें ? 87 में आपने रखा। रिपोर्ट ले लीजिये। तो फिर हमारे ऊपर क्यों बिगड़ रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो ? तभी तो हम कह रहे हैं कि आपके किये का फल हम भोग रहे हैं।.....(व्यवधान)

***श्री जयराम गौतम**---माननीय सदस्य पहले शिष्टता सीखें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी ने बोफोर्स के मामले में स्पष्ट रूप से क्या कहा है राजीव गांधी और उनके परिवार के सम्बन्ध में, यह बता दें।

**श्री अध्यक्ष**---यह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित मामला है। मुख्य मंत्री कहां इसके जिम्मेदार हैं कि उन्होंने क्या कहा है ?

**श्री मुलायम सिंह यादव**--अध्यक्ष महोदय, माननीय उपनेता ने बिजली के बारे में कहा यह बतायें कि प्लांट क्षमता क्या है तो हमारी क्षमता 51 पी0 एल0 एफ0 हैं और औसतन उपलब्धता 34 सौ मेगावाट है हम नहीं कहते हैं कि हमने ज्यादा उत्पादन किया है लेकिन मामूली उसमें बढ़ा है लेकिन घटा नहीं है उत्पादन थोड़ा बढ़ा है। जहां तक वसूली का सवाल है वह काफी बढ़ी है उसमें 30 सैकड़ा वृद्धि हुई है। आपने कहा 14 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। सब जगह नहीं मिल रही है यह मैंने पहले स्वीकार किया लेकिन कुछ जगहों पर मिल रही है (व्यवधान) कहीं ज्यादा भी मिल रही है। इटावा में नहीं मिल रही है मैं बताता हूं इस्माइलपुर, नवाबगंज बाराबंकी यहां पर हमारे गृह सचिव गये थे रात में वहां रुके तो वहां पर उन्होंने कहा है कि 18, 19 घंटे बिजली मिल रही है वह वहां की जनता से भी मिले थे। (व्यवधान) अब आप सुन लीजिये माननीय अध्यक्ष के कक्ष में तय हो गया था कि यदि नेता बोलेंगे तो आप शांति से सुनेंगे और खड़े होने पर नहीं बैठेंगे तो आप कुछ नहीं कहेंगे हां अगर वह बैठ जांय तो फिर अपनी बात कह सकते हैं। अब मैं नहीं बैठूंगा बाद में कहना। माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह कोई न बोलें इधर से। दूसरा गांव है अहराडमरी, जनपद बस्ती वहां पर गन्ना आयुक्त गये थे और रात को ठहरे भी और गांव वालों से पूछा तो बताया बिजली 18 घंटे मिल रही है। आप गांव के नाम नोट कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लें ताकि वहां जाकर मालूम कर हमें बतायें। ग्राम अलीपुर, तहसील सरधना, मेरठ वहां श्री ए0 बी0 सिंह गये थे लघु उद्योग सचिव उन्होंने कहा कि 18 घंटे बिजली मिल रही है। ग्राम बनिगवां तहसील पुवांया, जनपद शाहजहांपुर यहां पर फारेस्ट सचिव गये उन्होंने बताया कि 12 घंटे से लेकर 13 घंटे तक बिजली मिल रही है तो यहां कम मिल रही है 14 घन्टे नहीं मिल रही है यह हमने स्वीकार किया है। यह खुली सरकार है इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। इसी तरह से ग्राम सरसैना जनपद मऊ, प्रशासक रामगंगा गये थे उन्होंने बताया कि लगभग 18 घंटा बिजली मिल रही है। अधिकारी जिन-जिन गांवों में गये बिजली की उपलब्धता के बारे में लोगों से पता लगाया (व्यवधान) आप कहेंगे तो मैं पढ़ कर सुना दूंगा कि क्या क्या उन्होंनें पूछा आप कहते हैं कि चौपाल लगाते हैं।

**श्री मुईद अहमद**---एक बात जानना चाहता हूं। 13 घंटे बिजली नहीं गयी है।

**श्री अध्यक्ष**---वह नहीं बैठ रहे हैं। आप थोड़ा धैर्य रखें आप मंत्री रहे हैं।

**श्री मुलायम सिंह यादव**---यह नाम मैं इसीलिये बता रहा हूं कि आप जांच करके पता लगायें, जरा गांवों में जाइये। ग्राम गहरी ब्लाक लछमनपुर, प्रतापगढ़ यहां बृहस्पति शर्मा सचिव गये उन्होंने कहा है कि 24 घंटे यहां बिजली मिल रही है। ग्राम बगरौआ, जिला रामपुर यहां भी सचिव, साइंस एवं टैक्नालाजी गये थे यहां पर 10 से 12 घंटे बिजली मिल रही है, ग्राम सल्ला रैतेला, जनपद अल्मोड़ा यहां एम0 डी0 पी0 सी0 एफ0 यहां 24 घंटे बिजली मिल रही है। ग्राम गौना जनपद ललितपुर, यहां रजिस्ट्रार कोआपरेटिव गये थे यहां 15 घंटे बिजली मिल रही है। ग्राम बसईबाबस ब्लाक रसायन जिला अलीगढ़ यहां प्रमुख सचिव उद्योग गये यहां 18 घंटे बिजली मिल रही है। तो इस तरह से 10, 12, 13, 18 और कहीं पर 24 घंटे भी बिजली मिल रही है। आपके समय में तो बिजली आई और बिजली गयी होती थी। आपने कहा कि सचिव गये थे और चौपाल लगायी सरकार ने, लोगों से नहीं मिले, मा0 उपनेता ऐसा नहीं है, बाकायदा लोगों से पूछा है कि आपके गांव में थाने के लोग गश्त लगाने आते हैं कि नहीं ? चीफ सेक्रेटरी गये थे। उसके बाद पूछा कि डा0 आता है कि नहीं, इलाज का क्या प्रबन्ध है, प्राइमरी स्कूल का टीचर आता है कि नहीं, पब्लिक ने जो जवाब दिया है वह लिखा है। इसी तरह से महिला कल्याण में कैसे काम होता है जनता से पूछा। प्रौढ़ शिक्षा चल रही है यह पूछा था। यह सवाल बनाकर मुख्य सचिव ले गये थे। मथुरा में रात के तीन बजे गांव वालों के बीच में रहे और गीत भी सुने।

**श्री पंचानन राय**---सरसैना गांव का नाम लिया है तो वह आजमगढ़ में है। आप अधिकारियों को आदेश दें कि मुख्य मार्ग पर ही नहीं बल्कि कच्ची सड़कों पर भी जायें।

**श्री मुलायम सिंह यादव**---मान्यवर, उपनेता ने एक सवाल उठाया कि हैलीकाप्टर का दुरुपयोग किया गया, मैं बताना चाहता हूं कि साढ़े पांच महीनों के अन्दर मैं स्वयं और हमारे मंत्री 50 से अधिक जिलों में गये और जनता से सीधा सम्पर्क किया है, क्या जनता से सीधा सम्पर्क करना दुरुपयोग है, तो सदुपयोग क्या है उसको बता दें ?

मान्यवर, कहा गया कि अधिकारियों का मनोबल गिरा रहे हैं, जिन अधिकारियों को बताया गया, प्रोमोटेड अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त नहीं किया तो कहा जा रहा है कि मनोबल तोड़ रहे हैं। अपने समय को याद करें कि भ्रष्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को पहाड़ पर भेज दिया था क्या आप वह मनोबल तोड़ रहे थे। उसकी फाइल भ्रष्टाचार के संबंध में

हमारे पास है। आरोप लगा था और उसको सजा देने के बजाय पहाड़ पर भेज दिया था और उसने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था, क्या वह सही था ? मान्यवर, हमने पुलिस के सब-इंसपेक्टर के वेतन में जो विषमतायें थीं उनको दूर करके एक सा किया है क्या यह मनोबल तोड़ा है। 26 अगस्त को उन्हें सम्मानित करेंगे क्या यह मनोबल तोड़ेंगे ? वायरलेस सेट लगायेंगे, आवास की व्यवस्था करेंगे, उन्हें गाड़ियां देंगे, क्या यह मनोबल तोड़ रहे हैं ? इसलिये हमारे समय में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है और वह इमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उनको मुअत्तल कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही भी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

वह तो सहयोगी दल है हमारा। उनसे तो हमारी नूरा-कुश्ती भी हो जाती है। बहुत इच्छा है, तो मैं अपने सहयोगी दल नेता कल्याण सिंह जी से—भापजा नेता से, क्योंकि प्रमोद कुमार जी की बहुत इच्छा है, कहना चाहता हूं, कल्याण सिंह जी ने यह कहा है, कि बड़ी भावना में वह हो गये, भावना में वह बह गए और एक विद्वान सदस्य यहां तक चले गये और कह दिया कि कानूनी तौर पर घोषणा करो कि मन्दिर बने। तो यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह उनको याद ही नहीं रहा, और ऐसी बात कह डाली। सोमनाथ मन्दिर का शिलान्यास करना अलग बात है और सरकार की तरफ से कानून बनाकर मन्दिर बनाना बिल्कुल अलग बात है। यह आपसे उम्मीद नहीं थी कि सरकार घोषणा करे मन्दिर बनाने की। पता नहीं कैसे आपने यह कह दिया। आपने यह भी कह दिया कि लोकशक्ति और सरकार के बीच संघर्ष है। उन्हें नहीं मालूम कि यह सारे लोग लोकशक्ति बल पर ही वहां आकर बैठे हैं, और मैं तो टकराव चाहता नहीं हूं। मेरे बारे में तरह-तरह से छप जाता है। एक बार यहां तक छप गया कि मैं माननीय अटल बिहारी जी को और अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लूंगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह के विचार रखने वाले कौन तत्व हैं और कैसे वह इस चीज की कल्पना कर लेते हैं। कहीं कोई बता दे कि कोई ऐसी बात है। मैं जानता हूं कि अडवाणी जी को और अटलबिहारी जी को मेरे से ज्यादा देश की चिन्ता है। मैं उनका आदर करता हूं। कभी-कभी वह हमको सलाह भी देते हैं। आप पता लगा लो, हम सलाह उनसे लेते हैं और वह सलाह देते हैं। हमारे अन्दर उनके प्रति और उनके सरीखे लोगों के प्रति कोई किसी किस्म की दुर्भावना नहीं है। मैं उस दिन माननीय दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाने की बात कहना भूल गया था। मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी के बाद दो ही महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने अपने विचारों से देश और समाज का बहुत ज्यादा भला किया है और लोग बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए। उसमें एक तो डाक्टर लोहिया हैं और दूसरे दीन दयाल जी रहे हैं। जहां डाक्टर लोहिया की मूर्ति की हमें याद आती है, उनकी मूर्ति की भी याद आनी चाहिए और आई है। मैंने उपाध्यक्ष जी के विचारों को और दर्शन को पहले तो नहीं पढ़ा था, लेकिन इमरजेंसी में आपकी कृपा से जेल में पढ़ लिया था। तो लोकशक्ति की जहां तक बात है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं टकराव की स्थिति नहीं चाहता हूं। विनम्रतापूर्वक नेता भाजपा से कहना चाहता हूं कि यदि लोकहित की लड़ाई है तो लोकहित के पद पर ही आप बैठे हैं। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि लोक हित इनके पास नहीं है, लेकिन मैं टकराव नहीं चाहता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी टकराव की स्थिति पैदा न करो। जहां तक मन्दिर निर्माण का सवाल है, मैंने खुले आम कह दिया है यह अदालत का मामला है, मामला विचाराधीन है, और हमारे वी० पी० सिंह, प्रधान मंत्री प्रयासरत हैं इसके हल के लिए। मुझे उम्मीद है वह अपने ध्येय में सफल होंगे। दो टूक फैसला हो जाएगा—चाहे राम जन्म भूमि बने या बाबरी मस्जिद रहे। जो उसकी स्थिति

इस वक्त है, वैसी ही रहने दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मैं राम का नाम लेने वालों से कहना चाहता हूं, राम कौन थे, आप राम को समझ तो लो। वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। राज किशोर जी ने तो साफ कर दिया है, क्या पता राम जन्म भूमि का वही स्थान है, मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ..... (व्यवधान होने पर)

**राजस्व मंत्री (श्री रामशरण दास)**--इनको खुद तो पता नहीं कि किस कमरे में पैदा हुए हैं ?

[5 बजकर 20 मिनट पर]

**मुलायम सिंह यादव**--मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर उन्हीं की जन्म भूमि है, तो क्या सारी मर्यादाओं को तोड़कर मन्दिर बनेगा। वह जमीन किसकी है, क्या यह पता नहीं चलाना पड़ेगा। क्या नगरपालिका के द्वारा नक्शा पास नहीं किया जायेगा। ये वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं जिन्होंने एक आदमी के उंगली उठाने पर अपनी पत्नी को त्याग दिया, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाओं को तोड़ कर मन्दिर निर्माण नहीं किया जा सकता। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री राज किशोर सिंह और राम चन्द्र बख्श सिंह हिन्दू धर्म के ठेकेदार हैं। एक लाख रुपया हमने दिया है, कानपुर के अन्दर, आगरा में किस को दिया एक-एक लाख रुपया। जौनपुर में किसको दिया। भा0 ज0 पा0 के कार्यकर्ता इलाहाबाद में जो एक पढ़ा लिखा नौजवान था और नौकरी छोड़कर खादी की दुकान पर बैठता था। उसकी हत्या हुई तो उसके परिवार के लोगों को एक लाख रुपया दिया। मेरे पास 50,000 की फाइल आयी थी लेकिन मैंने एक लाख रुपया दिया।

आगरा में और दूसरी जगहों पर हरिजनों को पिछड़े वर्ग के लोगों को एक लाख दे दिया गया, तो आपको एतराज है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म के ठेकेदार छुआ-छूत की भावना को छोड़ दें। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) हरिजनों ने ही हमारे देश में धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। यह हिन्दू धर्म के ठेकेदार, राम और ईश्वर का नाम लेने वाले हरिजनों को खाना खिलाना तो दूर रहा, चारपाई पर बैठाना भी पसन्द नहीं करते हैं। इसी को दूर करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।

**श्री किशोरी राम**--अगर आप हरिजनों को इतना ही मानते हैं तो अपनी बेटी की शादी हरिजनों के यहां कर दें।

(शोर)

**श्री राज किशोर सिंह** मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर रखा है। मैंने अपने भाषण में एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा है कि हरिजनों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हरिजनों की पक्षधर है उनके उत्थान की पक्षधर है। हमने संकल्प लिया है कि जब कभी हरिजनों पर अत्याचार होगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे।

भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो छुआछूत को मानवता के माथे पर कलंक मानती है और छुआछूत मिटे इसके लिए संघर्ष कर रही है।

**श्री मुलायम सिंह यादव**—मैंने नाम किसी का नहीं लिया, आपने किसी का नाम नहीं लिया मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। हिन्दू धर्म के ठेकेदारों के बारे में कहना चाहता हूं। कि 1947 में 83 सैकड़ा और 82 सैकड़ा के आसपास हिन्दू थे। उसके बाद धर्म के ठेकेदारों के कारण 79 सैकड़ा हिन्दू रह गये। तीन सैकड़ा उसमें से घट गये। आज समाज की कुरीतियों को दूर करना है आपने नाम नहीं लिया मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं। आपने अखबारों में पढ़कर यह कहा कि भारत माता को डायन कहा गया। कुछ लोग जो ऊंचे पदों पर बैठते हैं जिन्होने कहा है कि हिन्दू राष्ट्र बनकर रहेगा, हिन्दू राष्ट्र सात जन्म तक नहीं बन सकता है।

(मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

इसलिए मान्यवर, मेरी माननीय सदस्यों से अपील है, नेताओं से अपील है सभी अनुभवी नेता बैठे हैं, सभी माननीय सदस्य बैठे हैं साम्प्रदायिक उन्माद देश के हित में नहीं है, इसलिए सब मिलकर समाधान निकालें, वी0 पी0 सिंह जी निकाल रहे हैं, अदालत के द्वारा निकल रहा है और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में निकालें यह देश के हित में. प्रदेश के हित में रहेगा। वरना अल्पसंख्यकों के मन में आतंक रहेगा भय रहेगा। मान्यवर, महात्मा गांधी जी के शब्द हैं—हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में होंगे भाई, भाई। तो सबको मिलकर चलना है इसमें देश का हित है। भाजपा नेता से कहना चाहूंगा कि लोक शक्ति और सरकार के साथ टकराव न करें। यह सरकार लोकशक्ति के बल पर बनी है।

मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं मेरे पास आपकी सरकार के आंकड़े है कि कितनी जाने गई कितनी लूटपाट हुई सबके आंकड़े हैं।

मान्यवर, जहां तक खाद का मामला है मैंने नहीं बताया था इशारा जरूर कर दिया था खाद के दाम नहीं बढ़ सकते हैं और न ही खाद के दाम बढ़ाने पर सरकार ने विचार किया है। उत्तर प्रदेश के किसान पर, एक बोरी पर एक रुपया भी दाम नहीं बढ़ाए जायेंगे खरीफ की फसल के बाद केन्द्र सरकार हो सकती है दाम बढ़ा दे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को बजट में कहीं से प्राविधान करना पड़े खाद के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे।

अनेक दबावों के बावजूद भी खाद के दाम हम बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हुये हैं। माननीय शेख सुलेमान जी ने कुछ स्थानीय बातों का उल्लेख किया। कुछ बातें उन्होंने ऐसी कहीं हैं कि आप उधर ही बैठ जाएं, भा0 ज0 पा0 नेता के साथ, तो अच्छा रहेगा। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। जाने कैसे भूल में आप यह बातें कह गये। कुछ बातें जो आपने कहीं हैं उसमें सत्यता नहीं है। आप जब मिले थे और माननीय सांसद मिली थीं तो तुरन्त मैंने जांच करायी थी। जो शब्द आपने कहे हैं वैसे शब्द उस अफसर ने नहीं कहे थे। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी जब हमारे विधायक डी0 एम0 और एस0 पी0 के दफ्तर में जाते हैं तो वह खड़े होकर रिसीव नहीं करते हैं।

मैं आज मुख्य सचिव से कहूंगा कि वह आदेश दिलवायें। हमारे माननीय सदस्य जब जायें तो डी0 एम0 और एस0 पी0 को खड़े होकर रिसीव करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो हमारे विधायक यदि शिकायत करेंगे तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मान्यवर, दूसरी तरफ किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को जहां वह ठहरा हुआ है वहां अधिकारी को नहीं बुलाना चाहिये, इतना आचरण जरूर करना चाहिये। जैसा आपने कहा था, माननीय सांसद के बुलाने पर डिप्टी एस0पी0 और एस0 डी0 एम0 वहां गये

और उनके जाने पर वहां उनको कितनी बुरी तरह दोनों अधिकारियो को अपमानित किया गया। एस0 डी0 एम0 काफी बातें सुनकर चले आये लेकिन डिप्टी एस0 पी0 ने जरूर कहा कि इस तरह की बकवास को सुनने के लिये तैयार नहीं हूं, मैं आपके बुलाने पर आया था। तो यह शब्द कहे गये थे, जैसा आपने बताया वह शब्द नहीं कहे गये। मैं इसकी जांच कराने के लिये तैयार हूं।

**शेख मुहम्मद सुलेमान**—आपने अधिकारी की बात मान ली और हमारी बात सही नहीं मानी।

**श्री मुलायम सिंह यादव**—आपके बुलाने पर अधिकारी आये थे जबकि आपको जाना चाहिये था। आपके बुलाने पर वह आये तो आपने अपमानित किया। अगर आप किसी अधिकारी को अपमानित करेंगे और कहेंगे कि उसका ट्रान्सफर कर दिया जाय तो हम ऐसे किसी अधिकारी का ट्रान्सफर नहीं करेंगे। असत्य तथ्यों के आधार पर किसी अधिकारी का ट्रान्सफर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपका आदर करते हुये 6 जुलाई को उसको हटा दिया है। आपका आदर करते हुये ट्रांसफर कर दिया है ताकि आपकी बात रहे, हमारे जनप्रतिनिधि का सम्मान रहे।

**श्री भोपाल सिंह**—आप बधाई दीजिये, खड़े होकर।

**श्री शेख मुहम्मद सुलेमान**—आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

**श्री मुलायम सिंह यादव**—माननीय अध्यक्ष महोदय, उप नेता माननीय अरुण कुमार सिंह जी ने अपराधों की बढ़ती हुयी संख्या पर चिंता प्रकट की है। मैं आपसे सहमत हूं, मैं भी चिंता व्यक्त करता हूं कि अपराध बढ़ने नहीं चाहिये। आपने तमाम आंकड़े दिये हैं। मैं आकड़े देकर तुलना करने में विश्वास नहीं रखता हूं लेकिन थोड़ा सा सदन को जानकारी देने के लिये जरूर कहना चाहता हूं। हम तो चाहते हैं कि हजार, पांच सौ नहीं बल्कि एक भी अपराध नहीं होना चाहिये। जो आपने कहा, तो अभी इस बात की जांच करायी गयी थी कुछ दिन पहले कि ऐसे थाने कितने हैं जहां पर अपराधों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मुझको जहां पर इस तरह की शिकायतें मिली हैं वहां पर थानेदारों को मुअत्तल किया है, उनके ट्रांसफर किये हैं। जो 13 रेंज हैं उनमें अधिकारी भेजकर, प्रत्येक रेंज के कुछ थानों की जांच करायी है। हमारी कोशिश है कि अपराध न छिपाये जायं, अगर छिपाते हैं तो जैसा राम चन्द्र बख्श सिंह जी ने कहा, अगर वह 2-4 के बारे में हमें लिखकर दे देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जांच करके कड़ी कार्यवाही करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि सही रिपोर्ट लिखी जाय। आपने आंकड़ें दिये कि इतनी हत्यायें हुयीं, इतने अपराध हुये हैं।

अगर आंकड़े लेते हो अपराधों का तो 1987 मे 6,569 हत्या के मामले हैं और 1989 और 7,327 हत्या के मामले हैं। इस सरकार की नियत है कि अपराधों को समाप्त करे। अपराधियों को जब सजा मिलेगी, भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिलेगी, तो अपराध कम होंगे। हमने सेवा वृद्धियों पर अंकुश लगा दिया है। इसी तरह से मान्यवर, मार्च 1990 व मई, 1990 में दो अभियान चलाये गये। 13 परिक्षेत्रों, 42 जनपदों के 91 थानों के आकस्मिक निरीक्षण किये गये। दोषी पाये गये 7 उप निरीक्षक तथा 4 आरक्षियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। भ्रष्टाचार एवं अन्य शिकायतों पर पुलिस में जो कार्यवाही की गयी, उसमें 78 को डिसमिस किया, 73 को प्रत्यावर्तन किया, 347 को निलंबन किया, छोटे-

मोटे दण्ड 1022 दिये गये, अर्दली रूम 1884 को किया, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोका 32 का । हमने नारा दिया है कि चलो गांव की ओर, तो यह कथनी और करनी में अन्तर नहीं होगा । हमारे अधिकारियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए । बिना बिजली के हमारे अधिकारी गांवों में जाकर सोये रहे, जहां पर प्राइमरी स्कूल में बिजली नहीं थी, वहां पर हमारे अधिकारी सोये थे । आप कह रहे थे कि कूलर ले गये थे, आपकी प्रशंसा करनी चाहिए ।

आज हम लोग प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रयत्नशील हैं । जहां कहीं पर कोई किसान शिकायत करेगा, तो वहां पर हमारे अधिकारी जायेंगे । आप कह रहे हैं कि अधिकारियों का मनोबल हम तोड़ रहे हैं । हम अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं । मैं माननीय कल्याण सिंह जी को धन्यवाद देता हूं । इसमें बहस की कोई बात नहीं है । सबसे बढ़िया उन्होंने राय दी थी । यह जाति संघर्ष है । इस जाति संघर्ष में मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने लाभ उठाने की कोशिश की । वहां का मनोबल बढ़ा हुआ था, इसलिए डी0एम0 और एस0पी0 ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर शादी कराई इससे ज्यादा और कौन कर सकता है । उसके बाद आपके कुछ लोग मुझे मिले थे, वह नहीं चाहते थे कि जाति संघर्ष बढ़े, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने जम कर लाभ उटाने की कोशिश की ।

अब आपको चिंता है मंत्रीमण्डल का विस्तार हो, मेरा अन्दरूनी मामला है, मेरी पार्टी का मामला है लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली का कोई दबाव मंत्रीमण्डल बढ़ाने या हटाने पर नहीं है । लेकिन अगर बहुत आपको चिंता है तो माननीय प्रमोद जी हैं और आप 2–4 इधर आ जायें तो मैं आज ही मंत्री बना दूंगा ।

**श्री प्रमोद कुमार**––मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं लेकिन हम 5–10 साल रहना चाहते हैं आपके साथ आकर 2–3 महीने मंत्री बनकर क्या करेंगे ?

**श्री राम शरण दास**––कल्याण हो जायेगा, कल्याण ।

**श्री प्रमोद कुमार**––अरे मामा जी बैठो ।

**श्री रामशरण दास**––आपका फूफा बोल रहा हूं ।

(हंसी)

**श्री मुलायम सिंह यादव**––मान्यवर, नेता भा0 ज0 पा0 को चिंता है कि मंत्रिमण्डल का विस्तार क्यों नहीं हुआ ? हमें तो इसलिए परेशानी है कि राजकिशोर सिंह, कल्यान सिंह और राम चन्द्र बख्श सिंह तीनों मिल जायें और इधर आ जायें तो आज ही बना दूंगा । मान्यवर, आपकी सरकार ने तो 58 बार फेरबदल किया था विभागों से लेकर मंत्रिमण्डल तक का, इतिहास तोड़ दिया था लेकिन ऐसा काम हम नही करेंगे । माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह, कल्यान सिंह और राज किशोर सिंह तोनों मिल जायें तो इनको मंत्रिमण्डल में ले लें, आज तैयार हों जायें तो आज ही ले लें ।

**एक सदस्य**––शेख जी को भी ले लें ।

**श्री मुलायम सिंह यादव**--शेख जी को भी ले लेंगे, चारो लोग मिल जायें तो आज ही ले लेंगे ।

**श्री अध्यक्ष**--एन्टी डिफेक्शन ऐक्ट का क्या होगा ?

(हंसी)

**श्री मुलायम सिंह यादव**--मान्यवर, माननीय उप नेता जी ने कहा था कोई घटकवाद नहीं है यह आपको दिखाई दे रहा है, दिखायें, उप चुनाव हुए लोक सभा, विधान सभा के और विधान परिषद् के और उसमें इतनी बड़ी सफलता एकता की प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, घटकवाद का प्रतीक नहीं है। आप विश्वास मत करिये लेकिन पूरे बैठे हुए माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है कि स्थानीय निकायों के चुनावों में मैंने जिसको चाहा टिकट दिया उसके बाद किसी ने मुझ पर जोर नहीं दिया, एक स्वर में सारे साथियों ने डटकर मदद की है और उसी का नतीजा है कि आपका सफाया हो गया है। आप जानते हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी, हमने भी सीखा है 77 से लेकर 80 तक; अब वह गलती नहीं करेंगे। आप यह आस लगाये हैं कि इनमें लड़ाई हो तो हमें सरकार मिल जाय, अब ऐसा नहीं होगा, यही माननीय कल्यान सिंह जी भी चाहते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार के बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव**--हमारे यहां ज्योति वसु, वी0 राजेश्वर राव, नम्बूदरीपाद, देवी लाल, चन्द्र शेखर आदि दर्जनों नेता हैं, हमारे यहां नेताओं की कमी नहीं है देश के स्तर पर और आपके यहां एक ही है।

(हंसी)

**श्री प्रमोद कुमार**--मान्यवर, जंगल में एक ही शेर रहता है।

**श्री मुलायम सिंह यादव**--मान्यवर, आपके यहां प्रधान मंत्री बनने की योग्यता शायद एक ही में है और हमारे यहां दर्जनों लोग हैं जो प्रधान मंत्री की योग्यता रखते हैं। यहां पर बैठे हुए लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात है।

**श्री प्रमोद कुमार**--मान्यवर, यह सारे सदस्यों की राय है कि इस समय जनता दल में प्रधान मंत्री पद के लिये कोई योग्य है तो मुलायम सिंह यादव हैं। हम चाहते हैं कि इनको प्रधान मंत्री बना दिया जाय।

(हंसी)

**श्री मुलायम सिंह यादव**--हम जनता में कह कर गये थे कि वी0पी0 सिंह को बनायेंगे। वी0 पी0 सिंह के नाम पर वोट मांगे थे कि उनको प्रधान मंत्री बनाना है। देवीलाल, अडवानी, अटल जी, सारे सी0 पी0 आई0, सी0 पी0 एम0 के नेता, राजेश्वर राव, नम्बूदरीपाद सबने कहा था कि वी0 पी0 सिंह नेता होंगे, जिनके नेतृत्व में देश आज दुनिया में सम्मान पा रहा है। आज मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, रोजाना दिल्ली के दौरे लगे रहते हैं। अब मुख्य मंत्री पर खर्च हो रहा है एक हजार रुपया महीना दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली हमें जाना ही नहीं है। सुबह जाता हूं, 11 बजे जाता हूं और 4 बजे लौट आता हूं। अभी तक तीन रातें दिल्ली में बिताई हैं। आप कितनी रातें बिताते थे, मैं देखता था। अभी आपने कहा

कि आपने सूचना विभाग का दुरुपयोग किया है। प्रमोद जी सब समझ जाते हैं। आपने कहा कि सूचना विभाग का दुरुपयोग हुआ, आप भूल गये कि 1984 में दो करोड़ का साहित्य छपवाकर सूचना विभाग से भेजा गया। सूचना विभाग का दो करोड़ का साहित्य सीधे कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय में भेजा गया। बिना उदाहरण के कैसे कह देते हैं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं।

इसी तरह से पिछले चुनाव में अनेकों व्यय इस प्रकार के हैं जो पूरी तरह से अनियमित हैं, नियमों के विरुद्ध हैं। वर्ष 1988 में टैक्सी पर व्यय 1.25 लाख, वर्ष 1989 में टैक्सी पर व्यय 5 लाख 6 हजार। कहां चलाई गयी, आप खुद जान लीजिये। चुनाव हो रहा था। 1989 में सरकारी काम से टैक्सी ली जाती थी। इतने से ही समझ जायें। दिल्ली में पांचतारा होटल में ठहरते थे, हमारा अब एक मंत्री भी नहीं ठहरता है। मुझे याद है कि जब मैं 1977 में मिनिस्टर बना तो मैं और राजेन्द्र सिंह जी दोनों गये यू0 पी0 निवास में, जगह नहीं मिली। एक होटल ने जगह दे दी, लेकिन हमने अपना बिस्तर यू0 पी0 निवास के ड्राइंग रूम में बिछा दिया। होटल में नहीं रुके। आपको बिना पांच सितारा होटल के मजा नहीं आता। (हंसी)

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**---जो पांच सितारा होटलों में जाते थे, वे आपके साथ हैं। श्रीमन् यह बात सही है कि जब कभी जाते हैं, बहुत से मंत्री जाते हैं, मैं तो रहा नहीं कभी।

**श्री मुलायम सिंह यादव**---हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं।

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**---सबसे ज्यादा रहने वाले को आपने राज्य सभा में नामांकित किया है। वहां ज्यादातर संजय सिंह रहे हैं। (हंसी)

**श्री मुलायम सिंह यादव**---वह तो दूसरा असर था। तब तो वे उधर बैठते थे। असर दूसरा था। आप इधर आ जाएंगे तो आपका भी असर कम हो जायगा। तब तो वे कांग्रेस के मंत्री थे। मैं कांग्रेस के मंत्रियों की बात कर रहा हूं।

**श्री मुईद अहमद**---मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि 6 महीने के अन्दर श्री बरफिया लाल पर 1.10 लाख रुपये, मोहम्मद असलम खां पर 1.9 लाख रुपये और अन्य 6 मंत्रियों पर एक लाख से ऊपर 6 महीने में खर्च आया है टी0 ए0 और डी0 ए0 पर।

**श्री मुलायम सिंह यादव**---तो मान्यवर, ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं कि आपने जो खर्च किया औसत व्यय था 5 लाख और अब है शून्य, यह अन्तर है। दुरुपयोग हम नहीं कर रहे हैं।

माननीय उप नेता जी ने बार-बार कहा, इनका दोष है नहीं।

**श्री अध्यक्ष**---कृपया शांति बनायें रखें।

**श्री मुलायम सिंह यादव**---अध्यक्ष महोदय, कई बार कह दिया गया जातिवाद, माननीय उप नेता जी से कहना चाहता हूं, मैं बार-बार कहता हूं कि आप नौजवान व्यक्ति हैं,

व्यक्तिगत लांछन जो आप लगा रहे हैं न लगायें, कल आपने जातिवाद की बात कही । जातिवाद के नाम पर आपके पास कोई उदाहरण है नहीं और लगा भी नहीं सकते कोई हम पर। अगर उदाहरण हों तो बतायें, मैं ओपेन सदन में स्वीकार करता हूं । आप पर दूसरी परेशानी है, उस परेशानी का हमारे पास कोई इलाज है नहीं । वह इनकी परेशानी यह है कि उप नेता जी को कि किसानों के हाथ में सत्ता आ गयी, और भी इन्हें परेशानी है, पिछड़ी जाति का मुख्य मंत्री हो गया। और यही है दूसरे बड़ा अफसोस होता है इन्हें कि गाय भैंस चराने वाला कैसे इस कुर्सी में आ गया । यह इनकी परेशानी है इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है । इसी मानसिकता के कारण अल्पसंख्यक और हरिजन मुख्य मंत्री नहीं बन सका । पिछड़ी जाति का बन गया है तो जातिवाद जातिवाद । मैं बहुत से ऐसे काम जानता हूं जो चोरी छिपे किये जाते थे, क्या क्या किये जाते थे, कभी नहीं कहे जाते थे ।

माननीय उप नेता अगर माननीय तिवारी जी का उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं जातिवाद के नारे की बात करते हैं, डा0 लोहिया का नाम लेते हैं, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते हैं, मुलायम सिंह जातिवादी नहीं हो सकते हैं । 1957 में मैंने हरिजन के घर में खाना खाया मेरा समाज से बहिष्कार कर दिया गया । मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अपने जीवन के राजनीतिक लक्ष्य हैं उसके सामने मुख्य मंत्री पद छोटा है । यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूं, माननीय सभी नेताओं और माननीय सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और माननीय उप नेता से निवेदन करता हूं कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना के खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष**--आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**--आपने कहा कि 10,12 जगह सचिव गये । बिजली सचिव की बात कही । एक लाख बारह हजार से ज्यादा गांव हैं प्रदेश में, आप कितनों की बिजली उपलब्ध करा पा रहे हैं ? इसे कैसे वापस ले लें ।

**श्री अध्यक्ष**--आप इतना बतायें कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

**श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना**--जो आपने उत्तर दिया है, जो भी बातें आयी हैं तोड़ मरोड़ कर आयी हैं, उत्तर भी सही नहीं दिया । मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं । बल्कि कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं ।

**श्री अध्यक्ष**--अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27 –गृह विभाग (पुलिस) –सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,37,49,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 88 सामान्य प्रशासन विभाग**

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–सामान्य प्रशासन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुदान संख्या-88-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,33,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)**

***नियोजन मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)**—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 80,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा धनराशि के अतिरिक्त 80,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या –21 कार्मिक विभाग (लोग सेवा आयोग)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)**– मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की शिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,44,000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–39 नियुक्ति विभाग**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**–– मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39––नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39––नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,87,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 45 प्रशासनिक सुधार विभाग**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या– 55 वित्त विभाग ( ऋण सेवा तथा अन्य व्यय )**

**नियोजन मंत्री (श्री शत रूद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,11, 08,56,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,11,08,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या– 56 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें )**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,95,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,95,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या– 57–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन )**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश )**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–57–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,33,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–57–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,33,53,00 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष के 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 58–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,07,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,07,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–59**
**वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,27,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,27,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 60––वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 61–विधान परिषद सचिवालय**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,29,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,29,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 62–विधान सभा सचिवालय**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,96,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,96,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 63–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान**
**अनुदान संख्या 80—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**—मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 81—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**—मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,50,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाल वर्ष में अनुदान संख्या 81–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,50,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 82–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**—मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 83–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,70,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83––संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,70,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 84–सचिवालय प्रशासन विभाग**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,99,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,99,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या 85–सतर्कता विभाग**

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**––मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,09,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,09,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 64–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग**

* **सिंचाई, पर्यावरण मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,28,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर,. . . .

**श्री अध्यक्ष**––आप बाद में कह लीजियेगा ।

**श्री जय सिंह यादव**––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने इस सदन के बहुत पुराने सदस्य एवं मंत्री सम्मानित रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखे गये बजट के विरोध में कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं । साथ ही, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पर्यावरण और विज्ञान दोनों एक ऐसे विषय हैं जिनकी देश और प्रदेश के लिये बड़ी आवश्यकता है, लेकिन ऐसे संध्या की बेला में इसको यहां सदन में रखा गया है, जिससे इस पर चर्चा न हो सके । इसको केवल एक फारमैलिटी मान लिया गया है । पर्यावरण पर तमाम बाते कही गयी हैं । लेकिन पर्यावरण और विज्ञान के विषय में बजट जो रखा गया है, वह बहुत कम है। जो बजट रखा गया है, वह आपके सामने मौजूद है । बजट साहित्य के खण्ड–5 (भाग 8) में अनुदान सं0 64 के अन्तर्गत 8 करोड़ 68 लाख 50 हजार रूपये का प्राविधान किया गया है। खण्ड 2 पृष्ठ 133 पर मुख्य मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ उल्लेख किया है कि 1,86,95,000 रुपये विज्ञान एवं पर्यावरण की मद मे बढ़ा दिया गया है, लेकिन आयोजनागत परिव्यय में पिछली सरकार ने जितना रखा था, उसमें एक करोड़ 10 लाख 76 हजार रुपये कम कर दिया गया है । इससे विज्ञान के प्रति इस सरकार की रुचि का पता चलता है ।

बजट साहित्य में गुमराह किया गया है । बजट में आप ने राशि कम कर दी है जबकि पर्यावरण बढ़ा है और विज्ञान की प्रगति हो रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पर्यावरण की ओर सरकार का ध्यान गया है। पर्यावरण का मतलब है शुद्ध जल और वायु हमको मिले, स्वच्छता हो। आप कहते हैं कि प्रदूषण कम हो गया है, इसको तो सत्ता पक्ष वाले ही महसूस करते होंगे । मान्यवर, सदन में भी प्रदूषण बढ़ा है । टोका-टाकी अच्छी लगती है, लेकिन जब अनर्गल शब्द निकल जाते हैं, तो इसको प्रदूषण ही कहा जायेगा। मंत्री जी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । हमारा भी इन्हीं के शहर में निवास है। गंगा और जमुना का संगम है । रेवती रमण सिंह जी उसी संगम के किनारे वास करते हैं ।

(6 बजकर 20 मिनट)

जो गंगा ऐक्शन प्लान कांग्रेस सरकार ने बनाया था उसकी सराहना हर जगह हुई । विश्व में पर्यावरण और विज्ञान के ऊपर जितनी चर्चायें, सभायें, गोष्ठियां और

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

प्रयोगशालायें चल रही है उसके हिसाब से हमारे देश में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। सरकार चाहे जो भी हो, सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इससे कोई मुकर नहीं सकता। जिस प्रदूषण में हम होंगे, वहां आप भी होंगे, शुद्ध जल और शुद्ध हवा आपको भी मिलेगी और हमको भी मिलेगी।

मान्यवर, विगत सत्र में माननीय ईश्वरशरण विद्यार्थी जी एक शीशी में जल भरकर यहां पर लाये थे। दारुल सफा से लाये थे। वह प्रदूषित जल था। उसे सभी सदस्यों ने देखा था। वह काला दिखाई पड़ रहा था। नल से निकला हुआ था और उसके बारे में सदन में शोर भी हुआ था कि इस तरह से गोमती में प्रदूषण हो रहा है। इस ओर कुछ सरकार ध्यान दे रही है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है लेकिन जिस युद्ध स्तर पर अन्य देशों में इस प्रदूषण और विज्ञान की लड़ाई चल रही है, हमारे देश और प्रदेश में तो कम से कम और प्रारम्भिक स्थिति में इसे समझता हूं। इसके लिये जितना धन चाहे पिछली सरकार ने दिया हो या इस सरकार ने अपने बजट में प्रस्ताव किया हो, हम लोग महसूस करते हैं कि यह धन बहुत कम है। अधिकारी लोग जो यहां पर मंत्रियों को लिखकर दे देते हैं, वे यहां पर उसे पढ़ देते हैं और ऐसा दिखाई पड़ता है कि उसके लिय धन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिये मजबूर होकर हम लोग कटौती का प्रस्ताव रखते हैं। इस काम में हमारा हक नहीं है कि हम विरोध करें।

मान्यवर, मैं गंगा के ऐक्शन प्लान के बारे में कह रहा था। चाहे हरिद्वार में हो, कानपुर में हो या इलाहाबाद में हो, गंगा के पानी को पवित्र माना गया है। मुख्य मंत्री जी समाजवादी दृष्टिकोण के हैं और हो सकता है कि धर्म मे उतनी आस्था न हो, यह उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते है। गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलेगी या नहीं लेकिन जहां करोड़ों लोग हर साल इकठ्ठा होते हों चाहे प्रयाग में हों, बनारस में हों या हरिद्वार में हो या दिल्ली में या मथुरा में हों, हम कहीं भी जांय लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती में और गंगा सरजू, बरुणा में होता है जहां शहरों का मल-मूत्र उनमें आ रहा है। माननीय मंत्री जी जहां पर रहते हैं वहां पर एक गन्दा नाला गिरता है जिससे प्रदूषण फैलता है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मंत्री जी कम से कम अपने शहर के प्रदूषण के बारे में कोई ठोस योजना दें और जो हमारे ग्रामीण भाई गांवों से और दूर-दराज के इलाकों से, दूसरे देशों से आते हैं। स्नान के लिए इलाहाबाद में गंगा का जल शहर के गन्दे नालों से, उद्योगों से, फैक्टरियों से और मिलों द्वारा प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में सोचें। आज चीनी मिलें इतना प्रदूषण फैला रही हैं। माननीय गन्ना मंत्री जी बैठे हुये हैं सबसे ज्यादा चीनी मिलें प्रदेश के अन्दर प्रदूषण फैला रही हैं लेकिन आप इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।

इसलिये जैसाकि मैंने कहा इलाहाबाद में, हरिद्वार में, कानपुर में, गाजियाबाद में, फिरोजाबाद में जहां चूड़ियां बनती हैं, जहां इससे धुंवा निकलता है, नाक दबाकर भी आप आ-जा नहीं सकते हैं। वैज्ञानिकों की राय है कि वायु में कितना प्रदूषण हो सकता और हमारी सहनशक्ति कितनी हो सकती है। इस दृष्टि से देखा जाय तो चार गुना से 10 गुना प्रदूषण हर जगह बढ़ रहा है, वायु और जल में हर जगह प्रदूषण है। बड़े उद्योग वाले अपने पैसे के बल पर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं और मन माने ढंग से काम कर रहे हैं जिससे प्रदूषण रुक नहीं पा रहा है। जो प्रदूषण बोर्ड बना हुआ है उसके बारे में 80 प्रतिशत लोगों को जानकारी नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी जानकारी लोगों को कराये क्योंकि यह जन-जन के जीवन से संबंधित समस्या

है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि गांव-गांव में इसका प्रचार करें। लोग चाहे गांव में रहते हों या शहरों में वह प्रदूषण से प्रभावित हैं उनको प्रदूषण और विज्ञान के बारे में ज्ञान कराया जाना चाहिये।

आज प्रदूषण गांवों में बढ़ रहा है आप गांवों में महिलाओं के लिये शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन उससे भी प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि उनके रख-रखाव व सफाई के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। आप जानते हैं यह गांधी जी का देश है लेकिन गांधी जी अपने हाथ से शौचालय की सफाई करते थे हमारे देश और प्रदेश के वासियों की जो मानसिकता है वह स्वयं शौचालय साफ करने की अभी तक व्यवस्था नहीं है। इसलिये आपने जिस तरह से परिवार कल्याण की योजनायें बनाई और लोगों को पढ़ने के लिये सामग्री उपलब्ध कराई, लोगों का इसके प्रति ज्ञान, बढ़ाया और अस्पताल खोले उसी प्रकार प्रदूषण के संबंध में भी शुद्ध जल शुद्ध वायु के संबंध में भी प्रत्येक जिलास्तर पर लोगों को जानकारी देने के लिये एक अधिकारी को रखिये जो प्रदूषण के बारे में लोगों को जानकारी दे और वह पूरे प्रदूषण से संबंधित जिले की रूपरेखा बनाये। लोगों को बीमार होने से पहले उसकी रोक-थाम व उपचार का ज्ञान कराया जाय तो अच्छा रहेगा।

सरकार इस दिशा में कोई अच्छा कदम उठाकर काम करे और प्रदेश वासियों को वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जानकारी दे। प्रदूषण बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर कुछ ऐसे वैज्ञानिक भर दिये जिनको इसकी जानकारी नहीं है वहां पर भी प्रदूषण फैला हुआ है तो जो इस प्रकार के लोग नियुक्त किये गये हैं उनकी भी छटनी करिये जिनको प्रदूषण का तकनीकी ज्ञान नहीं है। प्रदेश में विज्ञान का कार्य धीमी गति से चल रहा है केवल राष्ट्रीय नीति पर निर्भर है प्रदेश के वैज्ञानिकों की नीति स्पष्ट नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र विज्ञान शून्य है।

आज ईंधन की कमी गांवों में भी आ गयी है केवल छोटे-छोटे बायोगैस प्लांट और गोबर गैस प्लांट लगे हुये हैं जो गांवों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने शहरों में गैस मिट्टी का तेल देकर ईंधन की समस्या कुछ कम कर दी है तो गांवों के लिये भी ईंधन की समस्या को हल करिये। केवल नुमाइश के तौर पर गोबर गैस प्लांट और बायोगैस प्लांट लगाने से इनका समाधान नहीं होगा। यह सब निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो निश्चित रूप से मंहगे पड़ रहे हैं। आपने कृषि सेवा केन्द्र जो इलाहाबाद में और अन्य जगहों पर प्रदेश में था उसको तोड़ दिया है इससे लोगों की सस्ते दर पर टैक्टर से जुताई की जानकारी होती थी जो गांव के लोगों को जानकारी देती थी कि उनके उपकरणों की मरम्मत किस दर पर टैक्टर से जुताई होती है कितना खर्च आयेगा उसको तोड़ दिया है जो एक सरकारी एजेंसी का काम करती थी इससे मूल्य नियंत्रण में सुगमता होती थी क्योंकि कृषि सेवा केन्द्र सस्ते दर पर कृषि औजार भी बनाते थे इसमें प्रदूषण नियंत्रण उपकरण भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाये जा सकते हैं।

आज प्रदूषण का नियंत्रण करने की हर कदम पर जरूरत है और उसके लिये वैज्ञानिक ज्ञान लोगों में होना चाहिये।

आपकी सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुये हैं लेकिन जब आप विरोध पक्ष में थे तो आप की आवाज बुलंद थी, इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी आपकी आवाज ही न बुलंद रहे बल्कि उतनी धनराशि स्वीकृत करें जिससे मानव कल्याण और जीवन के लिये जो उपयोगी है उसको दे सकें। वायु के प्रयोग में धन नहीं दे रहे हैं, न अभी आवश्यकता है यदि

आपकी सरकार वायु पर टैक्स लगा देगी तो सभी का ध्यान प्रदूषण पर जायेगा, इसलिये बिना टैक्स के जो चीज मिल रही है उस पर आपका ध्यान अवश्य होना चाहिये ।

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि वायु मंडल में प्रदूषण कारखानों से हो रहा है और धरती पर जनता दल ने प्रदूषण फैला रखा है ।

**श्री रेवती रमण सिंह**——मान्यवर, उधर बैठे श्री जुदेव जिस पार्टी में है उसने लगभग 40 साल पृथ्वी पर प्रदूषण फैलाया है इसलिये उसकी जिम्मेदारी इनकी भी है और उसी प्रदूषण को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ।

**श्री जय सिंह यादव**——मान्यवर, प्रदूषण की बहुत ही गंभीर समस्या है । शहर में जो रह रहे हैं उनके संबंध में कहना चाहता हूं कि मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उनके काटने से बीमारियां बढ़ रही हैं। गरीबों, मजदूरों और फुटपाथ पर रहने वालों के पास मच्छरदानी नहीं होती है और नालियों में बजबजाते कीड़े और मच्छर उन्हें रात भर सोने नहीं देते हैं, और खून पीते रहते हैं । रात में जागते जागते मजदूरों का शरीर सूखकर कांटा हो जाता है, इसलिये मंत्री जी जैसे पहले डी0डी0टी0 का छिड़काव किया जाता था जिससे मच्छर मर जाते थे, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कार्य करें जिससे आम जनता को मच्छरों से छुटकारा मिल सके ।

मान्यवर, अब मैं 60 जो बड़े औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के संबंध में आपके केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा था उन्हें अभी तक बन्द क्यों नहीं कराया गया ? उन्होंने यह भी कहा था कि पर्यावरण अदालतें बनायी जायेंगी और यह भी कहा कि बनी हैं, अगर वह बनी हैं तो उ0 प्र0 में कहां बनी हैं यह मैं जानना चाहता हूं । अदालतें बन जाती हैं तो बहुत अच्छा होगा । आप उद्योगपतियों के चक्कर में न आयें, चूंकि जहां भी इनकी फैक्टरियां हैं उनका कीचड़ और केमिकल वाटर नदियों में बहाया जाता है जिससे मछलियां तक मर जाती है । गोमती नदी में मछलियां मरी थीं, मोहन-मेकिन्स के खिलाफ मामला आया, इसी तरह कानपुर में चमड़ा फैक्टरी टेनरी के खिलाफ मामला आया, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही किया है ? मान्यवर, जो पुरानी चीज चली आ रही हैं उसके सुधार की ओर सरकार ध्यान दे और इन उद्योगों को बन्द करना बहुत जरूरी हो गया है ।

चमड़े का काम कहीं और किया जा सकता है । आज बताइये उत्तर प्रदेश में एक चीज है ताजमहल, वह भी प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है । आप लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है, अब आप सत्ता में आए हैं, कम से कम उसको बचा लें, जिससे कि कहने को रह जाए कि उत्तर प्रदेश में एक नायाब चीज ताजमहल है और वह प्रदूषण रहित है । यहां बैठे लोग इस विषय को नीरस समझ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में इसमें इतना रस पैदा हो जाए कि लोग रुचि ले जाएं (व्यवधान) प्रदूषण से प्रभावित तो हमारे सब लोग हैं। जो प्रभाव हम पर प्रदूषण का पड़ेगा वही आप पर भी पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप प्रदूषण से प्रभावित हो कर बीमार हो और अस्पताल जाएं ।

**श्री अध्यक्ष**——आपका तो समय हो गया है, 15 मिनट बोलते हुए हो गये हैं ।

**श्री जय सिंह यादव**——मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर है, इसमें चिन्तन प्रश्न है ।

**श्री अध्यक्ष**--इसमें फिर आप कितना और समय लेंगे ?

**श्री जय सिंह यादव**--4 मिनट ।

**श्री अध्यक्ष**--लीजिए 4 मिनट, बोलिये ।

**श्री जय सिंह यादव**--इस सरकार ने ग्रामीण अंचल में जो तमाम कार्यक्रम घोषित किये हैं, जैसे कि चलो गांव की ओर । ऐसी कोई बात इस सरकार ने इसमें नहीं कही है कि गावों में हम क्या मुहय्या कराने जा रहे हैं । जो यह ग्रामों में शौचालय बनाने की बात है, शौचालय बनेंगे, तो जो हमारी उपलब्धि थी, उसके अतिरिक्त क्या किया गया है । इन्होंने इन 6 महीनों में प्रदूषण और विज्ञान की प्रगति के लिए कार्य किया है, उसको प्रदेश की जनता ने अभी नहीं देखा है, जिससे हम जान सकते कि आपने कितना अच्छा काम किया है और कितना नहीं किया है । यह तो हमारे काम की प्रशंसा है । गांव की तरफ जो जाने की बात है, उसको आपने इंगित नहीं किया है । गांवों के लिए प्रदूषण से सम्बन्धित और विज्ञान से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है । हमारे सत्ता के साथी कह रहे हैं कि आप पेड़ पर नहीं बोले , तो उस पर भी बोलूंगा । जो हमारी केन्द्र के वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने वन के ऊपर बहुत जोर दिया है । इस पर सभी सरकारें जोर देती हैं । आपकी सरकार भी वन संरक्षण पर जोर दे रही है, लेकिन हमें बड़े दुख: के साथ कहना पड़ता है कि पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर जो वृक्षारोपण किये गये, उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किये गये । जिससे लगाये गये करोड़ों पेड़ नष्ट हो गये ।

**श्री राजित प्रसाद यादव**--आपकी सरकार ने वृक्षारोपण के तहद केवल दो प्रकार के पेड़ लगवाये थे--बबूल और यूकिलिप्टस । क्या यह पर्यावरण के लिए काफी थे ?

**श्री जय सिंह यादव**--हमारे साथी हो तो बबूल और यूकिलिप्टस ही सब दिखाई देता है, आम कहां से खाते हैं ? वह बनारस के रहने वाले हैं, लंगड़ा और चौसा आम खाते हैं, लेकिन वह भूल गये हैं कि और भी पेड़ होते हैं । इनको बबूल और यूकिलिप्टस ही दिखाई पड़ रहा है । हमारे द्वारा करोड़ों पेड़ जो फलदार भी थे लगाये गये थे आपकी सरकार ने उनकी सुरक्षा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझी जिससे इस वृक्षारोपण पर खर्च हुये करोड़ों रुपये के कार्य हो गये ।

**श्री जय सिंह यादव**--हमने तो जो पेड़ लगवाये हैं उसको आप सुरक्षित कर दीजिये, यही बहुत है । मान्यवर, यह गम्भीर समस्या है, इसको हंसी मजाक में न लें ।

**श्री राजित प्रसाद यादव**--मान्यवर, हम तो खाते हैं यह लोग पीने का काम करते हैं ।

**श्री जय सिंह यादव**--आबकारी विभाग तो आपके पास है, क्या यह आपको याद नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष**--4 मिनट हो गये हैं । अब आप समाप्त करिये ।

**श्री जय सिंह यादव**--मान्यवर, पर्यावरण सुधार के लिए जो प्रयोगशालाएं हैं वह सिर्फ शहरों में न होकर ग्रामीण अंचलों में भी लगायें जिसके ऊपर सुधार और पर्यावरण के सुधार पर जो विचार हो रहा है वह ग्रामीण अंचलों मे भी पहुंचे । मान्यवर दो सुझाव मैं देना चाहता

हूं। शहरों में जो उद्योग लगे हैं उनमें संयंत्र लगाने की बात कही गयी है। उन उद्योगों में संयंत्र लगाये जायें ताकि जो धुआं, कीचड़ निकलता है वह दूर हो सके। प्रत्येक जनपद में प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। एक अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**---आपने कटौती का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया।

**श्री जय सिंह यादव**---मान्यवर, मैंने शुरू में ही कटौती का प्रस्ताव किया था।

**श्री जगदीश लाल**---मान्यवर, पर्यावरण मन्त्री जी ने जो बजट यहां पर रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, यह बहुत ज्वलन्त समस्या है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनको शायद यह ज्ञान नहीं है कि उनकी सरकार ने इस विभाग को कितने सीमित दायरे में बांध रखा था। अब तो पर्यावरण विभाग का अपना अलग अस्तित्व है, पहले तो यह कोई विभाग ही नहीं था उसको वन विभाग में सम्मिलित कर दिया गया था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय पर्यावरण जी मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ज्वलन्त और सामयिक समस्या के बारे में गम्भीरता से विचार करके एक स्वतन्त्र विभाग बनाया, उसमें सचिव की नियुक्ति की और उसका विभाग अलग कर दिया। मैं पर्यावरण मन्त्री को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जागरूक होकर इस मन्त्रालय को सम्भाला है। उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों के साथ अनेक गोष्ठियां कीं और प्रदेश के साथ-साथ गांवों में, इसके उद्देश्य के मुताबिक इसका साहित्य प्रचुर मात्रा में उनको उपलब्ध कराया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य लखनऊ जैसे महानगर में रहते हैं। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और अन्य कई शहरों की याद आती है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। पूर्वांचल में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती है जहां पर अकेले देवरिया में 14 चीनी मिलें हैं।

माननीय सदस्य ने बहुत चिन्ता जताई है वह कटौती का प्रस्ताव अब वापस ले लें वे बहुत भावुक होकर बोल रहे थे। इनकी भावुकता का मैं स्वागत करता हूं। गाजीपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ, गोरखपुर आदि जगहों के लिए माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि वहां की विशेष स्थिति को देखते हुए विशेष ध्यान दिया जाय।

***श्री रामकुमार शुक्ल**---मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रदूषण के बारे में दुनिया जानती है पूरा प्रदेश इससे परेशान है पूरा हाउस परेशान है। मैं लखनऊ से चुना गया हूं। मान्यवर, प्रदेश में छोटी-छोटी नदियां है चाहे वह सीतापुर की नदी हो, चाहे कोई दूसरी नदी हो, काला-काला पानी मिलों तक बहता है जो काला-काला पानी बहता है उससे जो बच्चे नहाते हैं या उस पानी को जो जानवर पियेंगे उसका क्या हश्र होगा। तमाम फैक्ट्रीज में शायद ही कोई ऐसी फैक्ट्री होगी जिसने प्रदूषित पानी निकालने की व्यवस्था कर रखी होगी। मोहन मीकिंग के बारे में आन्दोलन हुआ, तो उन्होंने उस पानी का छोड़ना तो बन्द कर दिया, लेकिन उसी पानी को जलाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से लखनऊ भर में हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। पूरे लखनऊ भर में सोना मुश्किल हो गया है। मान्यवर, जो फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी नदियों में जाता है उससे मछलियां मर जाती है गन्दे नालों का पानी जो गोमती नदी में जाता है, जौनपुर तक वह गन्दा पानी जाता है उसकी वजह से लखनऊ में सारे लोग पेट के रोग से और पीलिया से ग्रसित हैं। जो कार्बनडाई-आक्साईड

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

जो इतनी ज्यादा बन रही है यह चिन्ता का विषय है इस सरकार से मैं चाहूंगा कि वह इस पर विशेष ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री जागेश्वर**——मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया——

**श्री अध्यक्ष**——जागेश्वर जी, यह आदत आपकी ठीक नहीं है आप बैठे।

***श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित**——मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कानपुर महानगर से चुनकर आया हूं संभवतः प्रदेश में पर्यावरण की जो स्थिति है कानपुर उससे ज्यादा ग्रसित है। एक बात अवश्य कहना चाहता हूं मंत्री जी से, जहां तक विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का प्रश्न है इस चालू वित्तीय वर्ष में हमारे पास कन्टेन्जेन्सी का धन उपलब्ध है। जो यह विभाग कार्य कर रहा है। उस हिसाब से धन का आवंटन है यह पर्याप्त नहीं है मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह पहल करें और माननीय मुख्य मंत्री जी से इन मदों पर और पैसा लेने की कृपा करें। मान्यवर, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन और म्यूनिसिपल कारपोरेशन तमाम सरकारी विभाग ऐसे हैं जिनका इस सरकार से छुटकारा नहीं हो पाया है। तमाम उन सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित किया जाए दबाव डाला जाए। औद्योगिक इकाई को हम बन्द करा दें।

तो उससे भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जो संबंधित विभाग हैं उनमें समन्वय रखा जाय तब जाकर प्रदूषण दूर हो सकता है। नगर विकास मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो नाले गंगा में गिरते हैं उनको गंगा में गिरने से रोका जायेगा। जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं और जो प्राइवेट उद्योग हैं उन पर दबाव डालना होगा तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। अब तो सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है कि जब तक पर्यावरण विभाग एन0ओ0सी0 नहीं दे देता है तब तक कोई नयी इकाई नहीं लगेगी।

तो जो यह सरकारी प्रतिष्ठान हैं और प्राइवेट कंपनियां है इन पर अनवरत दबाव डालना पड़ेगा। हमारे मित्र उद्योगों की बात कर रहे थे कि कतिपय उद्योगों को बन्द कराया जाय। ऐसी कुछ समस्या हमारे सामने भी आयी थी। दो इकाइयों में ऐसी समस्या आयी थी और यह इकाइयां बन्द होने जा रही थीं। यह इकाइयां ऐसी थीं जो शत प्रतिशत ऐसा माल पैदा करती थीं जो विदेश भेजा जाता था। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसी इकाइयों को बन्द कर दिया जाता है तो हजारों मजदूर सड़क पर आ जायेंगे तथा ला-एंड-आर्डर की परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। तो ऐसे मामलों में समन्वित तरीके से काम करना पड़ेगा। वन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास मंत्रालय और अन्य विभागों से समन्वय करके शासन हर विभाग पर जोर डाले तभी इस समस्या का समाधान होगा और प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकेगा। स्पेशल फोरेस्ट्री, वृक्षारोपण एक ऐसा विषय है जिसमें दलगत राजनीति, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जैसा कि हमारे मित्र जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखा है उन्होंने कहा है कि यदि पर्यावरण खराब होगा तो सभी को उस दूषित पर्यावरण में रहना होगा।

इसीलिये सरकार को इस बारे में एक समन्वित नीति बनाकर चलना होगा। अन्त में मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि कंटिजेंसी का पैसा उपलब्ध है तो विज्ञान और प्रोद्योगिक विभाग के लिये दबाव डाल कर पैसा और ले लें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

**डा० दिनेश जौहरी**––मान्यवर, बड़े-बड़े महानगर और छोटे-छोटे नगर आज जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त हैं । यह एक बहुत बड़ी समस्या है इसको कैसे दूर किया जाय इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । मान्यवर, बरेली शहर में मामा जी की दो फैक्टरियां हैं ।

(श्री राम शरण के खड़े होने पर )

**श्री अध्यक्ष**––मंत्री जी, तफरी में कहा है ।

**राजस्व मंत्री (श्री राम शरण दास)**––मान्यवर, इन जनसंघियों का मैं बहुत पहले से फूफा हूं । क्योंकि मेरे बहुत सी पत्नियां हैं, एक इन्होंने दे रखी है, एक इन्होंने दे रखी है । मैं इनका फूफा हूं लेकिन यह मामा कह रहे हैं ।

**डा० दिनेश जौहरी**––मान्यवर, मामा जी की एक नेकपुर शुगर फैक्टरी है जिससे इतनी ज्यादा शहर में कालिख गिरती है कि घर से बाहर सो नहीं सकते हैं सारे कपड़े गन्दे हो जाते है । मान्यवर, इसी तरह से मामा जी की एक बहेड़ी शुगर फैक्टरी है । बरेली से यदि नैनीताल जायं तो जहां पर यह फैक्टरी है उसके पांच किलोमीटर क्षेत्र में इतनी बदबू आती है कि नाक पर रूमाल रखना पड़ता है । यह दोनों शुगर फैक्टरियां तमाम प्रदूषण पैदा करती हैं । मान्यवर, इसी तरह से इंडियन टरपेंटाइन फैक्टरी है उसमें जल प्रदूषण है । अभी मैंने उस संबंध में सवाल भी किया था । उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट फैक्टरी में नहीं लगाया गया है । मान्यवर, इसी तरह से नैनीताल की जो झील है उसमें जल प्रदूषण है । नैनीताल में प्रदेश ही नहीं सारे देश के लोग आते हैं । वहां का जल इतना प्रदूषित है कि अगर कोई व्यक्ति नैनीताल में एक हफ्ते रह जाय तो पेट की बीमारी और पीलिया की बीमारी उसे अवश्य हो जाती है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

***श्री अचल सिंह**––मान्यवर, मैं केवल एक ही समस्या रखूंगा । जनपद फतेहपुर बिंदकी रोड औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ । कानपुर की टेनरी जो कानपुर में प्रदूषण फैलाये थीं, उन्हें आपने फतेहपुर भेज दिया, जिसमें एक सिडको लेदर्स फैक्ट्री है, जो बुरी तरह से प्रदूषण फैलाये है, जिसका पानी पाण्डु नदी में जाता है, पिछली विधान सभा में मैंने सवाल किया था, जिसमें सरकार ने जवाब दिया था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिडको लेदर्स, महादेव फर्टिलाइजर्स , आर० ए० सीमेंट और मधु चन्द्रा टेक्नोकेम को उद्योग लगाने की अनुमति भी नहीं दी गयी, फिर भी बराबर उत्पादन जारी है । आर० ए० सीमेंट फैक्ट्री ने तो यहां तक प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया है कि 33 मीट्रिक टन उत्पादन करने की अनुमति बोर्ड ने दी, परन्तु उसने 50 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता का प्लांट लगाया और बराबर उत्पादन कर रहा है । पिछली सरकार ने यह भी जवाब दिया कि आर०ए० सीमेंट फैक्ट्री को 50 टन उत्पादन क्षमता का प्लांट लगाने की अनुमति प्रदूषण बोर्ड ने अस्वीकृत कर दी, फिर भी प्रोडक्शन जारी है । हमारे गांव में महादेव फर्टिलाइजर स्थित है, जिसमें प्रदूषण नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है । उसमें जो तालाब बनाना चाहिए वह नहीं बनाया, उससे प्रदूषित पानी पूरे गांव के तालाब में जाता है, जिससे तालाब की मछलियों एवं जानवरों को नुकसान है। एक बार तो उसके पानी का सैम्पुल जिलाधिकारी की शिकायत पर उद्योग अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर देखा और पानी भर कर लाये, जिसमें मरा हुआ मेढक था

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया है ।

लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई । बराबर प्रदूषण जारी है और उत्पादन भी जारी है । इन शब्दों के साथ मैं प्रदूषण बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से आशा करता हूं कि उपरोक्त शिकायतों पर कार्यवाही करें ।

**श्री गजराज सिंह**--मान्यवर, गाजियाबाद के अन्दर हापुड़ नगर है, जहां से मैं चुनकर आता हूं । वहां पर 29 सरेश मिलें तथा हड्डी की मिलें हैं ।

**श्री राम शरण दास**--मान्यवर, [× × ×] तुम्हारा मैं फूफा हूं । तुम अपनी फूफी को लेकर मेरे पास आना ।

(व्यवधान)

**श्री गजराज सिंह**--मान्यवर, वहां पर एक चमड़े की पैंठ भी है, जिससे भारी प्रदूषण होता है । यहां पर भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री जी श्री भजन लाल जी, पूर्व पर्यावरण राज्य मंत्री श्रीमती दीपा कौल जी, भूतपूर्व पर्यावरण तथा पूर्व पर्यावरण सचिव श्री कमल पाण्डेय ने अलग-अलग दौरा किया था, सभी ने प्रदूषण की इस समस्या को पाया है इसको दूर करने के लिए एक समिति आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में मध्यान्तर 1987 को बनाई, जिसने जिलाधिकारी , गाजियाबाद, एस0एस0पी0 गाजियाबाद, पर्यावरण अधिकारी, गाजियाबाद, प्रशासक, नगर पालिका, हापुड़, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, हापुड़, संयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजक तथा अधीक्षण, अभियन्ता, पी0 डब्लू0 डी0, गाजियाबाद और संयुक्त निदेशक उद्योग, मेरठ आदि की समिति का सदस्य बनाया, उनसे कहा गया कि आप इन फैक्टरियों को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरण करने के लिए स्थान का चयन करें । इस समिति ने 23-7-88 को एक रिपोर्ट सरकार को दी । इस सबकी कार्यवाही मैं बराबर करता रहा । तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने, श्री वी0गणेश, सचिव, पर्यावरण को सख्त आदेश दिये कि आप इस समस्या का समाधान तुरन्त करायें । इस पर पर्यावरण सचिव ने आदेश सं0 3977/45-3(141) प्रनि/86 दिनांक 10 फरवरी, 1989 को प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग को आदेश दिया कि हापुड़ नगर में रामपुर रोड़ के समीप स्थापित चमड़ा एवं हड्डी मिलों से दुर्गन्ध एवं प्रदुषण के कारण उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित किया जाय ।

श्रीमन, वहां एक फगौता नाम की जगह है जहां इसे स्थानान्तरित किया जाना था । उसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है और शासन ने स्वीकार करके यू0पी0एस0आई0 डी0सी0 को निर्देशित कर दिया कि आप इसको डेवलप करा दें जिससे इसको स्थानान्तरित किया जा सके । तथा चमड़ा पैंठ इन्टौरी गांव के निकट मंडी समिति हापुड़ के अधीनस्थ स्थानान्तरित कर दिया जाय । मान्यवर, सरकार बड़ा ढिंढौरा पीटती है प्रदूषण को दूर करने के लिए लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय मंत्री जी हापुड़ की प्रदूषण समस्या पर कहना चाहता हूं कि हापुड़ नर्क बना हुआ है क्योंकि यह सिटी के अन्दर है, इससे तमाम लोग परेशान हैं । आप इसे दूर करने के लिए पूरा प्रयास करें । मैं माननीय सदस्य श्री जय सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय**---मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं । वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के लिए प्रर्याप्त कानून हैं लेकिन ध्वनि प्रदूषण के लिए कानून नहीं है । नोटः—मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ध्वनि प्रदूषण पर कोई रोक

[× × ×] यह अंश श्री के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया है ।

लगावेंगे। क्योंकि 24 घंटे मंदिर पर बजता है, मिलाद होती है उस पर बजता है और रात रात भर शादी ब्याह में बजता है, इस पर कोई रोक लगायेंगे ?

**श्री जयसिंह यादव**--मान्यवर, अभी कानपुर के माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैंने अपने भाषण में कहा कि 60 उद्योगों को बन्द कर दिया जाय लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा है कि राज्य सरकार ने 60 उद्योगों को बन्द करने का निर्णय लिया है यदि वे लोग प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाते हैं। मेरा आशय यह था कि वे 60 बड़े उद्योग जिसके बारे में राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है अगर वे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाते हैं तो उनको बन्द कर दिया जाय। क्या सरकार उनको बन्द करेगी, अगर संयत्र नहीं लगाये हैं ? मैं अब अधिक नहीं कहना चाहता हूं कि जो मैंने कटौती का प्रस्ताव इस विज्ञान और पर्यावरण पर रखा है, मैं उस पर बल देता हूं, मैं इसे वापस नहीं लेता हूं।

**सिंचाई एवं पर्यावरण मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)**--मान्यवर, मुझे उम्मीद थी कि माननीय जय सिंह जी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव को वापस कर लेंगे। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इसमें धन की आवश्यकता है। मान्यवर, आपकी बात में विरोधाभास है। एक तो आप कहते हैं कि धन की आवश्यकता है और दूसरी तरफ आप यह भी कहते हैं एक ही स्वर में कि कटौती कर दी जाय। मान्यवर, मैं तो चाहूंगा जैसा कि माननीय कानपुर के सदस्य दीक्षित जी ने कहा कि इसमें और आवश्यकता है धन की, बजाय इसके यह धन और कम किया जाय। मान्यवर, आप तो बड़े वकील हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, रहने वाले कहीं के भी हों मैंने तो आपको इलाहाबाद का ही जाना, मैं चाहता था कि थोड़े आप और सुझाव दें जो रचनात्मक सुझाव होते।

मान्यवर, आज सबसे बड़ी समस्या न केवल इस प्रदेश के लिए, देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए प्रदूषण एक चिन्ता का विषय है। मान्यवर, यह चिन्ता स्वाभाविक भी है क्योंकि आज समूचे मानव जाति को इससे खतरा पैदा हो गया है। यह खतरा मान्यवर ऐसा है कि मानव जाति को और इस पृथ्वी का अस्तित्व मानव स्वयं समाप्त करने जा रहा है। जो कार्य हो रहा है उसके कारण इतना प्रदूषण है कि इस प्रदेश में 13 करोड़ जनता का मा0 सदन प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रदेश में, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, आबादी के हिसाब से मान्यवर, स्वाभाविक है कि जब विकास होगा, औद्योगीकरण होगा, यातायात बढ़ेगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उसका परिणाम स्वाभाविक रूप से प्रदूषण में ही होगा। मान्यवर, जबसे यह सरकार आयी है, आपने देखा होगा कि आज पूरे देश में एक वातावरण बना काम का और इस प्रदेश में वातावरण बनाने का काम इस सरकार ने किया है।

मान्यवर, जयसिंह जी जानना चाहते हैं कि 6 महीने में कोई कार्यक्रम क्यों नहीं लागू कर दिया। आप वकील हैं, जानते हैं कि जब तक बजट पास नहीं होगा और धन की व्यवस्था नहीं होगी, योजना नहीं बन पाएगी और तब तक कार्यान्वियन भी संभव नहीं है। कंटीजेंसी फण्ड से जो आवश्यक था, उसको पूरा किया गया। इस सम्बन्ध में अब सदन में प्रस्ताव लाए हैं, बजट लाए हैं, इसीलिये लाए हैं कि योजना को चलाना है और प्रदेश को प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है। मान्यवर, आज बीसवीं सदी की अंतिम घड़ी है, मुझे हिचक नहीं है कि अगर इक्कीसवीं सदी के पहले दशक तक व्यापक परिवर्तन नहीं किय गये तो ओजोन लेयर में छेद हो गया है और उससे पूरी दुनिया को खतरा हो गया है। उससे पूरी मानव जाति और देश चिंतित है, उसको भरने के लिये अरबों, खरबों डालर पैसा लगेगा, तब जाकर कहीं

भरा जा सकेगा और दस साल में भरा जा सकेगा। मैं इस सदन के माध्यम से मा0 राज्य मंत्री पर्यावरण भारत सरकार श्रीमती मेनका गांधी को बधाई दूंगा कि उन्होंने लन्दन में जो विश्व पर्यावरण पर चर्चा हुई उसमें चीन और भारत को इस वर्ष के लिये 40 मिलियन डालर प्रत्येक देश चीन और भारत को दिलवाया है। यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है।

इससे पहले बड़े-बड़े देश खास तौर पर पश्चिमी देश अपनी तकनीकी जानकारी को भारत और चीन को नहीं देना चाहते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि वह तकनीक और पहले साल के लिये 40 मिलियन डालर भारत और चीन को दिया गया है और आने वाले पांच सालों में, दस सालों में साढ़े तीन सौ मिलियन डालर पैसा मिलने की उम्मीद है। सारे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम आंख से तो नहीं देख पाते हैं, जो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रीजरेटर्स हैं, उनकी गैसें इतनी खतरनाक हैं कि ओजान लेयर जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों से बचाती है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं गैसों ने किया है और अभी तक दूसरे देशों में जो अपनी व्यवस्था है, जो आधुनिक देश हैं, तरक्की कर चुके हैं, उन लोगों ने इसकी व्यवस्था कर ली, लेकिन जो आज ऐसे मुल्क हैं खास तौर पर भारत और चीन, इनकी आबादी ले ली जाय तो दुनिया की आधी के करीब इन दो देशों में आती है, ये देश उस तकनीक को भारत और चीन को नहीं देना चाहते थे। यह तकनीक हमारे देश को हस्तांतरित हो गयी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम हम इस प्रदूषण को रोकने के लिये इस प्रदेश में कर सकेंगे।

मान्यवर, प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिये राज्य सरकार ने संतुलित औद्योगीकरण के उद्देश्य से 985 उद्योगों की स्थापना हेतु स्थलों के उपयोग एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये हैं। पहले नीति ऐसी थी कि कहीं भी उद्योग लगाने के लिये हमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी उद्योग लगा दिया जाता था और जब वह प्रदूषण करते थे तो बाद में व्यवस्था की जाती थी कि उसको प्रदूषण से कैसे मुक्त किया जाय। लेकिन इस सरकार ने इस बात की व्यवस्था कर दी है कि कोई भी उद्योग बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के इस प्रदेश में स्थापित नहीं किया जा सकेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रदेश में लगभग 12 हजार उद्योग हैं जिसमें से 17 प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योग चयनित किये गये। इसमें से 165 उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की जा सकी है। यह मानता हूं कि अभी भी बहुत कुछ करना है। लेकिन सरकार इस ओर सचेष्ट है। हमने वह कार्यवाहियां की हैं जो कार्यवाही पहले संभव नहीं होती थी। पहले हमें कोर्ट में ले जाना पड़ता था। लखनऊ में न्यायालय में 165 मामले लम्बित हैं अकेले लखनऊ में। यह व्यवस्था करा दी है भारत सरकार का ऐक्ट बना है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अब यह अधिकार दे दिया गया है कि वह फैक्ट्री को बन्द करवा सकते हैं और बन्द ही नहीं करवा सकते हैं उनकी बिजली भी कटवा सकते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार है, और उसका प्रयोग भी किया गया है। कप्तानगंज डिस्टलरी देवरिया को 15 दिन तक बन्द करवा दिया गया। जब तक उन्होंने यह प्रमाण-पत्र नहीं दिया अपनी योजना बनाकर नहीं दी वह अक्तूबर तक में अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगा देगें। यह प्रदेश में पहली मिसाल है। मान्यवर, आप स्वयं कानपुर से आते हैं आप भी स्वयं संभवतः चिंतित हैं। टेनरीज के उद्योग विगत कई वर्षों से प्रदूषण की समस्या कर रहे हैं। मान्यवर, इन टैनरीज को ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था, परन्तु किन्हीं न किन्हीं कारण से ऐसा संभव नहीं हुआ था। पहली बार मान्यवर, इन टैनरीज की बिजली काटने की बावत कार्यवाही हुई। उन्हें समय दिया गया है। भारत सरकार ने 50 फीसदी धन अपनी तरफ से देने की बात कही है साढ़े तैंतीस प्रतिशत उत्तर प्रदेश की सरकार

की तरफ से और साढ़े सत्रह प्रतिशत पैसा टैनरीज वालों को देना है । अगर 15 दिन के अन्दर इस धन को जमा नहीं किया गया तो कानपुर की सभी टैनरीज को बन्द करा दिया जायेगा यह सरकार का निर्णय है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में केवल कानून था पर उन कानूनों का पालन नहीं कराया जाता था। पानी से प्रदूषण में 285 उद्योग में सयंत्र लगवा दिये गये हैं और वायु प्रदूषण में 160 उद्योगों में लगाये गये । माननीय जय सिंह जी यह कह रहे थे कि वायु पर टैक्स लगाया जाय। यह संभव नहीं है। वायु या धूप पर टैक्स लगा दिया जायेगा तो ऐसा कोई क्षेत्र बचेगा नहीं जो टैक्स से मुक्त हो सके । मान्यवर, इस प्रदेश में 104 चीनी मिलें हैं, इनमें से 28 में संयत्र लगा दिया गया है , जो पहले और दूसरे ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वह दोनों ही लगवा दिये गये। 32 में काम चल रहा है और 16 ने अपनी स्कीम बनाकर सब्मिट की है कि कब वह लगवा देंगे। इन 104 में से 28 ने अभी नही लगवाया है, इसमें से 24 के खिलाफ हमने वाद दायर कर दिया है, जिसका निर्णय शीघ्र हो जायेगा इसी तरह से इस प्रदेश में 51 डिस्टलरियां है, इनमें से 8 में संयंत्र लगवा दिया गया है, 20 में काम प्रारम्भ हो गया है तथा 25 के खिलाफ हमने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथा 4 में अभी नहीं लगा है । मान्यवर, इसी तरह से पल्प और पेपर इन्डस्ट्रीज हैं, अभी सुबह की मीटिंग में श्री माता प्रसाद जी, माननीय विधायक , बस्ती संजय पेपर मिल के बारे में कह रहे थे ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि पल्प और पेपर के 98 खाने जो हैं, इनमें से 22 में संयंत्र लगवा दिया गया है , 39 में काम प्रारम्भ हो गया है, 4 में उन्होंने अपनी स्कीम बना कर दी है और 57 ने अभी नहीं लगवाया है, जिसमें से 26 के खिलाफ वाद दायर कर दिय गया है । मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि संजय पेपर मिल के खिलाफ नोटिस दी गयी है, अगर वह तत्काल कार्यवाही नहीं करेंगे, तो मैं उनकी मिल को बन्द करवा दूंगा और बिना संयत्र के हम उस मिल को चलने नहीं देगें । इस तरह से मान्यवर, आप देखें, हमने 7 महीने के शासनकाल में वह काम किया है, जो अभी तक केवल कहा जाता था, लेकिन किया नहीं जाता था। जैसा कि बार-बार हमारे मुख्य-मंत्री जी कहते हैं कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं करेंगे, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित होता हो, वह अगर प्रदूषण को रोकने वाला संयंत्र नहीं लगवाते, तो हम ऐसे उद्योगों को चलने नहीं देंगे ।

(कई सदस्यों द्वारा भाषण समाप्त किये जाने का अनुरोध करने पर)

**श्री रेवती रमण सिंह**——मान्यवर, मैं विस्तार से बताना चाहता था, परन्तु लोगों का आग्रह है, समय का अभाव भी है, इसलिये मैं थोड़े में कहूंगा वैसे मैं अभी विज्ञान और पर्यावरण पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन सदस्यों का अनुरोध है, उनकी आज्ञा है, मैं उसका आदर करूंगा ।

मान्यवर, मैं अपनी आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना केवल सरकार का ही कार्य नहीं है, जन प्रतिनिधि होने के नाते इसका दायित्व हमारे सभी सम्मानित सदस्यों पर भी है और हम देखते यह हैं कि गांव में जहां पहले 50 फीसदी बाग होते थे और 50 फीसदी खेत होते थे, आबादी बढ़ने की वजह से 13 फीसदी बाग रह गये हैं और इसीलिये मैंने अपने विभाग को यह आदेश दिया है कि गांव में बागों के बगल में जो ईंट

के भट्टे खोल दिये गये हैं, जिसकी वजह से भी बागों की कटाई होती है, बाग खराब हो जाते हैं, तो संतुलन स्थापित करने के लिये यह ईंट भट्टे वाले या तो प्रदूषण रोकने के लिये संयंत्र लगायें, वरना बागों के किनारे ईंट के भट्टों को बन्द करा दिया जायगा।

(7 बजकर 20 मिनट)

इसमें आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। एक सहयोग मैं आप लोगों से और चाहता हूं पेड़ लगाने के लिए। जैसा कि माननीय सदस्य शैदपुर ने कहा था कि 20 साल से यह संस्कृति चली आ रही थी कि यूकेलिप्टस, बबूल व पोपलर--इन तीन ही प्रजाति के पेड़ों को लगाया जाता था। न तो आम का लगाया जाता था, न पीपल का पेड़ लगाया जाता था और न नीम का पेड़ लगाया जाता था। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसमें मुझे सहयोग करें। लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में हम इस वर्ष एक-एक लाख पेड़ बरसात में लगाने की योजना बना रहे हैं। हम आपसे भी चाहेंगे कि आप लोग एक मुहल्ला चुन लें और उसमें पेड़ लगायें। मैं तो चाहता हूं कि हजरतगंज में भी पेड़ लगाये जांय ताकि गर्मी में जब आप हजरतगंज जायें तो आपको वहां पेड़ों की छांव मिले।

मान्यवर, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय श्री माता प्रसाद जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, इसको मैं स्वीकार भी करता हूं और आप लोगों का भी सहयोग चाहता हूं। कम से कम लाऊडस्पीकरों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है। सुबह 8.00 बजे के बाद और रात 9 00 बजे के बाद कोई भी आदमी लाऊडस्पीकर नहीं बजायेगा बिना सरकार की अनुमति लिये। यदि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे तो मैं इसे कार्यान्वित करवा दूंगा। प्रदेश में यह समस्या एक महामारी जैसी समस्या है। कीर्तनों में व भजनों में 50-50 व 100-100 लाऊडस्पीकर लगा दिये जाते हैं। मैं कहता हूं कि आप भजन करें, कीर्तन करें, उसे आप लाऊडस्पीकर द्वारा प्रचारित क्यो करते हैं।

**एक सदस्य**--अजान वगैरह में जो लाऊडस्पीकर लगाये जाते हैं, उनका क्या होगा?

**श्री रेवती रमण सिंह**--मान्यवर, यह सबके लिए है। आपको भ्रम क्यों हो जाता है। मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 के माध्यम से जहां एक ओर सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार का दायित्व सौंपा गया है, वहीं अनुच्छेद -51 (एजी) के माध्यम से दूसरी ओर पर्यावरण का संरक्षण नागरिकों का मौलिक अधिकार भी माना गया है। यह भी कहा गया कि अगर पेड़ लगाये जाते हैं तो उन्हें काटने का अधिकार नहीं है। 27 ऐसी उप जातियां हैं, जिन्हें किसान स्वयं काट सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है, उसमें परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अपने इस्तेमाल के लिए वह काटता है तो उसे परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसमें अपेक्षित सुधार किया जायेगा, ये जो 27 उप जातियों के बारे में मैंने आपको बताया। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रदेश में हमारे जो किसान भाई हैं, उन्हें इन 27 उप जातियों की जानकारी नहीं है, पुलिस को भी मालूम नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी यह मालूम नहीं है और वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्हें भी इन 27 उप जातियों के बारे में मालूम नहीं है। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इसे प्रचारित कर दिया जाय और किसान भाईयों को, पुलिस को तथा प्रशासनिक अधिकारियों को बता दिया जाय कि ये 27 उप जातियां हैं, जिन्हें किसान भाई काट सकते हैं। जिससे कि किसानों को जो कष्ट होता है और परेशानी होती है, वह न उठानी पड़े। मैं और भी विस्तार से कहना चाहता था लेकिन माननीय सदन का समादर करके अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय जयसिंह जी से चाहूंगा कि जनहित में अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 64--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,28,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**प्रदेश में खाद्य तेलों, नमक एवं मिट्टी के तेल तथा भवन निर्माण सामग्री जैसे ईंट, लोहा सीमेन्ट आदि के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का स्थगन**

**श्री अध्यक्ष**--मद संख्या --9 के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने यह निवेदन किया है कि इसे स्थगित किया जाय और इसकी तिथि कल निर्धारित कर दी जाय ?

(सदन की अनुमति से मद संख्या--9 स्थगित की गयी)

**नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ।**

**श्री अध्यक्ष**--आज दिनांक 11--7--90 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें, प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की, दूसरी श्री हरीशकुमार गंगवार की, तसरी श्री राम कुमार वर्मा की, चौथी श्री वीरेन्द्रसिंह की, पांचवीं श्री सुन्दरलाल (बाराबंकी) की छठी श्री काशी सिंह ऐरी की, सातवीं श्री किशन गोपाल एवं श्री श्याम देव राय चौधरी दादा की, आठवीं, श्री शारदानन्द अंचल और श्री सुरेश यादव की, नवीं श्री अमर नाथ यादव की, दसवीं श्री शिवकरन सिंह की, ग्याहरवीं श्री रविकान्त गर्ग की, बारहवीं श्री राम कुमार शुक्ल की, तेरहवीं श्री इम्तियाज खां की, चौदहवीं श्री रविदास मेहरोत्रा की, पन्द्रहवीं श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय और श्री राम वचन धूसिया की, सोलहवीं श्री पंचानन राय की, सत्रहवीं डा0 दिनेश जौहरी की, अठारहवीं कुंवर सिंह नेगी की, उन्नीसवीं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, बीसवीं श्री बालचन्द्र मिश्र की है ।

इसमें से पहली सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की, जो जनपद बांदा के सम्बन्ध में है, उसे "वक्तव्य" के लिये स्वीकार करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री हरीश कुमार गंगवार की, जो किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर (पालीभीत) के बन्द होने के सम्बन्ध में है, इसे 'केवल वक्तव्य" के लिये स्वीकृत करता हूं ।

तीसरी सूचना श्री राम कुमार वर्मा की, जो सरस्वती मिल, गोला गोकर्ण नाथ, जनपद खीरी से अमोनिया गैस रिसने के सम्बन्ध में है, "इसे केवल वक्तव्य" के लिये स्वीकार करता हूं ।

**मेरठ महानगर की बीस बस्तियों में पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात में होने वाली असुविधाओं की आशंका के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य**

**श्री अध्यक्ष**--वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

**नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पान्डेय)**---[मेरठ नगर के जिन बीस बस्तियों का उल्लख मा0 विधायक द्वारा किया गया है, ये सभी बस्तियां बिना किसी तलपट मानचित्र अथवा भवन मानचित्र स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से बसी हुई हैं। इनमें से कुछ मोहल्ले निचले भू-स्तर पर बसे हुये हैं, जो भट्टे की खदान की भूमि अथवा नगर के बाहर के जोहड़ जिनमें वर्षा ऋतु में आस-पास के नगर क्षेत्र के वर्षा जल की निकासी होती थी, में बसे हुये हैं। कुछ मोहल्ले नगर भूमि सीमारोपण की घोषित रिक्त भूमि पर बसे हुयें हैं।

सूचना प्रस्तुत पत्र में उल्लिखित मोहल्लों में से जयदेवी नगर, जाकिर कालोनी, जैदी फार्म, भगवतपुरा, लक्ष्मणपुरी, गौतमनगर, गणेशपुरी, इन्द्रानगर भाग-1 व 2, शिव शक्ति नगर, तारापुरी ऐसे मोहल्ले हैं, जिनमें एक बार मलिन वस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत विकास कार्य कराये जा चुके हैं। वर्तमान में मा0 विधायक द्वारा उल्लिखित समस्या इन मोहल्लों के बढ़े हुये क्षेत्रों में हैं, जो मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत इन मोहल्लों की योजना तैयार करने के उपरान्त अनाधिकृत रूप से बढ़ गये हैं और अनाधिकृत रूप से निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार इन मोहल्लों के पुराने क्षेत्रों में नाली, खडंजा, जलापूर्ति, प्रकाश सभी प्रकार की व्यवस्था है। जल भराव की समस्या केवल बढ़े हुये क्षेत्रों में है।

मैंने अपने मेरठ भ्रमण पर उपरोक्त बस्तियों में से फूलबाग कालोनी, नेहरू नगर, चन्द्र लोक, साबुन गोदाम का निरीक्षण किया था और मानवीय आधार पर इन मोहल्लों के भागों पर मिट्टी भराव के आदेश दिये थे। इनमें से नेहरू नगर, फूलबाग कालोनी के कुछ क्षेत्रों में नालों के शिल्ट से भराव का कार्य भी कराया गया है। चन्द्रलोक, साबुन गोदाम, विश्व बैंक पोषित, उ0प्र0 नगर विकास योजना के अन्तर्गत मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम में वर्ष 1990–91 के लिए प्रस्तावित है।

मैं पहले कह चुका हूं ये सभी मोहल्ले अनाधिकृत रूप से बिना तलपट मानचित्र व भवन मानचित्र स्वीकृत कराये अविकसित क्षेत्रों में है। नियमानुसार इस प्रकार के मोहल्लों/अनाधिकृत बस्तियों में विकास कार्य करने का दायित्व सर्वप्रथम भू-खंड बेचने वाले व्यक्ति का है। दूसरे स्थान पर मोहल्ले के भवन वासियों का है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1981 के बाद से किसी भी अनाधिकृत मोहल्ले/बस्तियों को नियमित नहीं किया है। तथा इस प्रकार के निर्माणों के विरूद्ध विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियम एवं विकास अधिनियम, 1973 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की बस्तियों में विकास कार्य कराने की अनुमानित लागत निकाली गई थी, जो लगभग 20 करोड़ रुपये है।

इन बस्तियों में वर्षा ऋतु में जल प्लावन की समस्या उत्पन्न होती है। मा0 विधायक द्वारा दी गई सूचना में उल्लिखित कालोनियों तथा इस प्रकार की समस्याग्रस्त बस्तियों का सर्वेक्षण करा लिया गया है। यदि इन बस्तियों में केवल मिट्टी भराव का कार्य ही कराया जाता है तो उस पर लगभग 68 लाख रु0 का व्यय होगा।

वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि होने पर जल प्लावन की समस्या के समाधान हेतु नगर महापालिका द्वारा पम्पों के माध्यम से जल निकासी का कार्य किया जाता है तथा इन क्षेत्रों के पास ऐसे स्थान भी निर्धारित किये जाते हैं, जहां पर अतिवृष्टि की स्थिति में इन बस्तियों के निवासी आश्रय पा सकें। जहां तक सीवर के साफ करने का प्रश्न है, सीवर प्रणाली उपरोक्त बस्तियों में नहीं है]।

---

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी**--मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ये सभी बस्तियां बिना किसी मानचित्र की स्वीकृति के अनधिकृत रूप से बसी हुई हैं। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि हाउस टैक्स बराबर 10-12 सालों से लिया जा रहा है, फिर इनके विकास का दायित्व नगर महापालिका का है या नहीं ?

दूसरी बात, मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इनमें से कुछ बस्तियों में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत एक बार विकास कार्य कराया जा चुका, है मेरा कहना है कि नेहरूनगर की गली नम्बर 3 और 5 और फूलबाग की मन्दिर वाली गली जो पहले की बनी हुई, तथा पूर्व भाग का हिस्सा उसका विकास कार्य नहीं किया गया है।

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि अनधिकृत रूप से निरन्तर बढ़ने वाले क्षेत्रों के कारण यह समस्या पैदा हुई है, इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं, जिन कर्मचारियों के क्षेत्र में अनधिकृत विकास हुआ और जो भूखंड बेचने वाले हैं, उनके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? जनता को खतरे में क्यों डाला जा रहा है ?

यह बयान लगता है कि माननीय मन्त्री जी के द्वारा तैयार नहीं है। माननीय मन्त्री जी 8-9 मोहल्लों में स्वयं भ्रमण करके आये थे लेकिन वक्तव्य में कहा गया है कि केवल 4 ही मोहल्लों में भ्रमण करके आये थे। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि सर्वेक्षण कराया गया, तो इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। निवेदन करता हूं कि कारण कुछ भी रहा हो 20 बस्तियों के नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ेगा। तात्कालिक आधार पर इसका हल करने के लिये आश्वासन चाहूंगा कि कम से कम इन 20 बस्तियों से तात्कालिक आधार पर पानी की निकासी हो सके इसके लिये कृपा करके इन 20 बस्तियों में 2 लाख रुपये की आवश्यकता है, यदि तात्कालिक आधार पर 20 पम्प फिटिंग सहित खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दें तो कम से कम वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो चुकी है, नागरिकों को कुछ राहत मिल सकेगी और वे संकट से बच सकेगें।

***श्री विक्रमादित्य पाण्डेय**--मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने प्रश्न किया है कि वक्तव्य दिया है, इसका तो निर्णय सदन करेगा लेकिन जैसा कि माननीय बाजपेयी जी ने कहा मैं स्वयं मेरठ गया था और उन बस्तियों को भी देखने का प्रयास किया जिसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है।

मान्यवर, यह वक्तव्य अधिकारियों ने नहीं बल्कि वक्तव्य मैंने दिया है इसमें मेरे हस्ताक्षर हैं। दूसरी बात कि आपने स्वयं माना है कि वहां पर मलिन बस्ती योजना के तहत कुछ काम हुआ है। मैंने बतलाया है कि एक भाग में जल भराव की स्थिति है। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जल भराव की समस्या केवल नई बस्ती में है। आपके साथ इसके लिये हम भी चिन्तित हैं कि जो व्यक्ति जहां कहीं भी रहता हो, अगर उसके सामने कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिये। आपने कहा है कि जल भराव की निकासी के लिये पैसा स्वीकृत किया जाय जिससे कि पम्पिंग सेट खरीद लिया जाय। जल भराव की निकासी के लिये जो भी साधन आवश्यक होंगे, वह मुहैया किये जायेंगे और पानी नहीं रहने दिया जायेगा। इसकी समुचित व्यवस्था की जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

**मानसिक चिकित्सालय आगरा के अधिकारियों द्वारा श्री दौलत लाल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व विधायक के शव के अपमान के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य**

**सिंचाई मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)** --मान्यवर, जिलाधिकारी, आजमगढ़ ।

**श्री अध्यक्ष**---इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया है ।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

**श्री रेवती रमण सिंह**--[जिलाधिकारी, आजमगढ़ के आदेशानुसार पुलिस लाइन, आजमगढ़ के पुलिस कांस्टेबिल श्री राम हरख सिंह का0 नं0 50 ए0 पी0 तथा श्री सूर्यभान सिंह, कांस्टेबिल नं0 151 ए0 पी0 द्वारा दिनांक 30-12-83 को स्व0 श्री दौलत लाल, भू0 पू0 माननीय विधायक, मानसिक चिकित्सालय, आगरा में उपचार हेतु भर्ती किये गये थे । भर्ती के उपरान्त स्व0 श्री दौलत लाल की मानसिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, आगरा द्वारा रोगी को चिकित्सालय से ले जाने हेतु रोगी के अभिभावक को दिनांक 6-12-84 एवं दिनांक 10-1-85 को पत्र भेजा गया था, परन्तु उन्हें कोई लेने नहीं गया था । दिनांक 4-6-90 को सायंकाल 4 बजकर 10 मिनट पर श्री दौलत लाल, भू0 पू0 माननीय विधायक का अचानक मानसिक चिकित्सालय, आगरा में निधन हो गया। तत्पश्चात् ज्येष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, आगरा द्वारा चिकित्सालय अभिलेख मे उपलब्ध पते पर श्री पद्माकर लाल तथा श्री विश्राम राय, भू0 पू0 माननीय विधायकों को दिनांक 4-6-90 को तार द्वारा सूचना दी गयी, परन्तु 48 घंटे तक किसी के उपस्थित न होने के कारण दिनांक 6-6-90 को स्व0 श्री दौलत लाल जी की अंतयेष्टि ससम्मान विधिवत शासकीय व्यय पर कर दी गयी, क्योंकि शव को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाना सम्भव नहीं था । श्री दौलत लाल जी का अन्तिम संस्कार हो जाने के उपरान्त दिनांक 14-6-90 को जिला स्वाधीनता संग्राम सेनानी वंशज संघ, आजमगढ़ के मंत्री श्री सूर्यवंश पुरी मानसिक चिकित्सालय, आगरा में उपस्थित हुए थे और उन्होंने स्व0 श्री दौलत लाल जी के निधन की विधिवत सूचना देने का अनुरोध किया था और उन्हें उक्त सूचना तत्काल उपलब्ध करा दी गयी थी ।

स्व0 श्री दौलत लाल जी के निधन की सूचना संबंधित को तार द्वारा दी गयी थी । उक्त सूचना टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा इसलिए नहीं दी जा सकी, क्योंकि उक्त अवधि में टेलीफोन सेवा कार्यरत नहीं थी व टेलेक्स की सुविधा चिकित्सालय में नहीं है । चूंकि स्व0 श्री दौलत लाल जी भू0 पू0 विधायक थे, अतः उनका अंतिम संस्कार चिकित्सालय की ओर से ससम्मान विधिवत शासकीय व्यय पर किया गया है, जिसमें अनुमानितः रु0 780/- की धनराशि व्यय हुई है ।]

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष**--माननीय तिवारी जी, यह केवल वक्तव्य के लिये ही है ।

***श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी**--जी हां मान्यवर, मैं जान रहा हूं लेकिन फिर भी मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं कि आज जो यहां पर बैठे हुए सारे सदस्य हैं यह सब एक न एक दिन

---

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भूतपूर्व होंगे। यह एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का मामला है, आप फाईल मंगा कर देख लें कि उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया या नहीं और पुलिस की कौन सी टुकड़ी से उनको गार्ड आफ आनर दिया गया था। आपको इसकी सूचना भी नहीं दी गयी। प्रोटोकाल में आपको सूचित किया जाना चाहिये था, लेकिन कलेक्टर, आगरा ने नहीं बतलाया।

**श्री अध्यक्ष**—माननीय मंत्री जी, आप इसकी पत्रावली मंगा कर देख लें और यह हो जाय।

**श्री रेवती रमण सिंह**—ठीक है।

**यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन (अपट्रान) में करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में वक्तव्य**

**सिंचाई मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)**—मान्यवर, माननीय सदस्य सर्वश्री।

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—मान्यवर,

**श्री अध्यक्ष**—आप बैठिये, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

**नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)**—[माननीय सदस्यगण सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, राम कुमार शुक्ल एवं राम चन्द्र बक्श सिंह ने नियम—56 के अन्तर्गत प्रस्ताव में यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स निगम (अपट्रान) के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है :—

(1) महालेखाकार द्वारा अपट्रान के पांच वर्षों की आडिट रिव्यू रिपोर्ट दिनांक 7-3-89 में 14 करोड़ 78 लाख रुपये के धन के दुरुपयोग/घोटाला प्रकाश में लाया गया है।

(2) वर्ष 1987—88 के बारे में भी महालेखाकार द्वारा 10 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का घोटाला का मामला प्रकाश में लाया गया है।

(3) कानपुर की नार्दन लीजिंग कम्पनी से एक सौदा करके अपट्रान को 1 करोड़ 25 लाख रुपये का चूना लगा दिया गया। इस सौदे में प्रबन्धकों ने अपट्रान की कुछ आयातित मशीनें नार्दन लिजिंग कम्पनी को सस्ते में बेच दी तथा उसी दिन उनसे किराये पर ले ली।

(4) अपट्रान की प्रमुख बैंक (स्टेट बैंक आफ इन्डिया) ने दिल्ली की फर्म मीनाहास कन्सलटैंट के स्टाक का विशेष आडिट कराया था, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल, 1990 में बैंक को प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में पाया गया कि अपट्रान का रु0 15—20 करोड़ का स्टाक फर्जी पाया गया, लगभग 10 करोड़ रु0 की देनदारी फर्जी है।

---

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम से आख्या प्राप्त की गई। आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेखों का अध्ययन/परीक्षण से जो स्थिति उभर कर आयी है, उसके अनुसार बिन्दुवार स्थिति इस प्रकार है :—

**(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रस्तावित प्रतिवेदन :—**

अपट्रान इंडिया लि0 के कार्यकलापों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रस्तावित आडिट प्रतिवेदन 1987–88 में लगभग 14–73 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता एवं हानि का उल्लेख किया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के उक्त आडिट प्रतिवेदन पर प्रबन्ध, अपट्रान द्वारा प्रस्तरवार विस्तृत स्पष्टीकरण महालेखाकार उ0 प्र0 को भेजा गया है। प्रबन्ध निदेशक के विस्तृत स्पष्टीकरण एवं विचार विमर्श के परिप्रेक्ष्य में महालेखाकार की प्रतिक्रिया अभी तक प्रतीक्षित है।

इसी बीच शासन के प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स निगम को यह निर्देश दिये हैं कि महालेखाकार का उक्त प्रस्तावित आडिट प्रतिवेदन निदेशक मण्डल की बैठक में रक्खा जाय। निदेशकों के समक्ष हर बिन्दु पर विचार विमर्श किया जाय और तत्पश्चात् वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराया जाय।

उक्त वित्तीय पुनरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में अभी किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। महालेखाकार की अन्तिम आख्या अथवा निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित आडिट प्रतिवेदन पर रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा कि वास्तव में कितनी धनराशि की किन-किन मदों में अनियमितता हुई है और किन-किन मदों में कितनी धनराशि की हानि कम्पनी को हुई है।

**(2) अपट्रान इंडिया लि0 की वर्ष 1987–88 की बैलेन्सशीट पर जारी महालेखाकार के ड्राफ्ट कमेन्टस :—**

अपट्रान इंडिया लि0 के वर्ष 1987–88 के वार्षिक लेखा पर महालेखाकार द्वारा जो ड्राफ्ट कमेन्ट्स भेजे गये हैं उसमें 17 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की आडिट आपत्तियां उठाई गयी हैं। महालेखाकार के उक्त ड्राफ्ट कमेन्ट्स पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स निगम द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण महालेखाकार को भेजा गया है और उस पर महालेखाकार की प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है। प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में महालेखाकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा एक किन-किन मदों में वित्तिय अनियमिततायें अथवा हानि हुई है।

**(3) नार्दन लीजिंग कम्पनी से मशीनों के पट्टे का सौदा—**

अपट्रान इंडिया लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिसम्बर, 1985 में प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी निदेशक/वित्त नियंत्रक को पट्टे पर मशीन लेने हेतु अधिकृत किया गया था। स्वीकृत परियोजना के लिए कम्पनी द्वारा लगभग 29 लाख रु0 की मशीनें आयातित की गई एवं लगभग रु0 59 लाख की मशीनें देश में ही क्रय की गई। इस प्रकार कुल

लगभग रु0 88.45 लाख की मशीनें क्रय की गई जिसको उतनी ही धनराशि पर नार्दन लीजिंग कम्पनी को बेच दिया गया। पुनः उन मशीनों को अनुबन्ध के आधार पर पर 9 वर्ष पट्टे के लिए ले लिया गया।

इस सौदे के विषय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भी अपने प्रस्तावित आडिट प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रस्तावित प्रतिवेदन में सौदे से कम्पनी को कुल 32.4 लाख रु0 की हानि बतायी गयी है। अपट्रान द्वारा इस विषय में अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि इस सौदे से कम्पनी को रु0 1 लाख से अधिक का लाभ हुआ है, न कि हानि हुई है। चूंकि उनके उत्तर पर विचार के उपरान्त महालेखाकार की अन्तिम आख्या अभी प्रतीक्षित है, अतः इसमें अभी किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

**(4) स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा कराया गया विशेष आडिट :—**

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिल्ली की एक फर्म पी0 एन0 एच0 ए0 एन0 से अपट्रान के स्टाक तथा देनदारियों का आडिट सत्यापन कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार लगभग रु0 8.14 करोड़ का स्टाक स्तो/नानमूविंग है तथा स्टाक के मूल्यांकन के बारे में अपट्रान तथा फर्म के विचारों में लगभग रु0 9 करोड़ की भिन्नता है। इसी प्रकार रिपोर्ट के अनुसार रु0 12.46 करोड़ की देनदारियों की वसूली संदिग्ध है। अपट्रान का कथन है कि साधारणतः बैंकिंग नामर्स के अनुसार बैंक उस स्टाक एवं देनदारों पर वित्त नहीं उपलब्ध करता जो 6 माह से अधिक पुराने होते हैं, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि देनदार या स्टाक फर्जी है या देनदार पैसा नहीं देगा।

उपर्युक्त चारों प्रकरणों के अन्तर्गत मामलों की गम्भीरता को देखते हुए शासन द्वारा यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स निगम को यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि इन चारों प्रकरणों को निगम के निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जाये और निदेशक मण्डल गुण-अवगुण के आधार पर मामले का परीक्षण करके उत्तरदायित्व निर्धारित करें और उत्तरदायी/दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें, तथा शासन को कृत-कार्यवाही से अवगत करायें।]

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—मान्यवर, पूरा वक्तव्य काफी बड़ा है। आज प्रातःकाल ही इस विषय के प्रश्न पर विचार हुआ था आपके माध्यम से। जो आरोप इसमें लगाये गये हैं उसे शासन ने स्वयं स्वीकार किया है कि करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है बनावटी ढंग से। सरकार ने आखिर में एक बात कही है कि निदेशक मण्डल के समक्ष मामला रख दिया जाय और निदेशक मण्डल इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करें। आज ही प्रातः प्रश्नकाल के दौरान हमारे माननीय मंत्री जी शतरुद्र प्रकाश जो कि उत्तर दे रहे थे, वे एक जागरूक सदस्य हैं और प्रभावी मंत्री भी हैं, प्रातःकाल इस सदन में जवाब दिया गया। उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने का आश्वासन दिया, लेकिन जो उसका संचालक मंडल है, उसके सदस्य मुख्य सचिव हैं और मुख्य सचिव शासन के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, तो उनसे जांच कराना कहां तक उचित होगा। इसलिये मेरी मांग है कि इसकी जांच किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से या बोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य के द्वारा करायी जाय। जिससे निष्पक्ष जांच हो सके।

**श्री राम कुमार शुक्ल**--मान्यवर, वहां पर योजनाबद्ध तरीके से घपला चल रहा है। यह बिल्लीय मसला है। मेरा निवेदन है कि सम्बन्धित कागजातों को सील कर दिया जाय और उन अधिकारियों को वह देखने को न मिलें और संभव हो तो उन अधिकारियों को जब तक जांच चले, वहां से हटा दें।

**श्री शत्रुद्ध प्रकाश**--मान्यवर, यह प्रश्न सुबह भी आया था और इस समय 2-3 बिन्दु इसमें और जुड़ गये हैं। यह राय आयी कि शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायी जायें, तो कहा गया कि करा लेंगे। अनुपूरक प्रश्नों में यह आया कि उनके खिलाफ जांच है, उसको भी सम्मिलित कर लिया जाय, तो कहा गया कि इसको भी शामिल कर लिया जायेगा और जांच करने का एलान किया गया जो बिन्दु इस समय आये हैं, वह बड़े महत्वपूर्ण हैं, अगर आप इजाजत दें तो इनको भी उस जांच में सम्मिलित कर लिया जाये। ऐसी आशंका व्यक्त की गयी है कि जांच ठीक प्रकार से नहीं होगी, अगर ठीक से जांच नहीं होगी तो उस पर फिर से सोचा जा सकता है। सुबह कुछ एलान किया गया है और शाम को कुछ दूसरा एलान करना ठीक नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**--यह तो अच्छा सुझाव है।

**श्री अध्यक्ष**--अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

**भाल चन्द्र शुक्ल,**
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

11 जुलाई, 1990।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(नत्थी क)

(देखिये ता० प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

दिसम्बर 89 से 6 अप्रैल 1990 तक जनपद वाराणसी में हुई हत्या, डकैती, राहजनी, लूट का विवरण।

| थानों का नाम | हत्या | डकैती | राहजनी | लूट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1—लक्सा | 2 | 2 | — | — |
| 2—शिवपुर | — | — | — | 3 |
| 3—रोहनियां | 1 | 1 | — | — |
| 4—सुरियावां | — | 1 | — | 2 |
| 5—औराई | — | — | — | — |
| 6—जैतपुरा | 1 | 1 | — | 1 |
| 7—निगरा | 6 | 1 | — | 4 |
| 8—चकिया | 1 | — | — | — |
| 9—चन्दौली | 1 | 1 | — | 2 |
| 10—भैलूपुर | 1 | — | — | — |
| 11—मेडुवाडीह | 3 | — | — | 1 |
| 12—धीनापुर | 1 | — | — | — |
| 13—सकलडीहा | 1 | 1 | — | — |
| 14—आदमपुर | 1 | — | — | 1 |
| 15—मिर्जामुराद | 3 | — | 2 | — |
| 16—लंका | 5 | — | — | 3 |
| 17—नौगढ़ | — | — | — | — |
| 18—बड़ गांव | — | — | — | — |
| 19—दशाश्वमेध | 1 | — | — | — |
| 20—मुगलसराय | — | — | — | — |
| 21—जन्सा | 3 | 1 | — | — |
| 22—चौबेपुर | 2 | 1 | — | — |
| 23—गोपीगंज | 4 | — | — | 1 |
| 24—ज्ञानपुर | — | — | — | 1 |
| 25—कोइरौना | — | — | — | — |
| 26—फूलपुर | 1 | — | — | 1 |
| 27—चेतगंज | 2 | — | 2 | 4 |
| 28—रामनगर | 1 | — | — | — |
| 29—चौक | 2 | — | — | 1 |

क्रमशः

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30—भदोही | 2 | .. | .. | 1 |
| 31—कोतवाली | 1 | .. | .. | .. |
| 32—सैयदराजा | 2 | 1 | .. | 1 |
| 33—बलुआ | 1 | .. | .. | 1 |
| 34—कैण्ट | 2 | 1 | .. | .. |
| 35—सारनाथ | .. | .. | .. | .. |
| 36—अलीनगर | 3 | 1 | .. | 2 |
| 37—धीना | 1 | 2 | .. | .. |
| 38—बबुरी | 1 | .. | .. | .. |
| 39—शहाबगंज | 2 | 1 | .. | 1 |
| 40—चौरी | .. | .. | .. | .. |
| 41—धानापुर | 1 | .. | .. | .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(नत्थी ख)

(देखिये अ0 प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री राम चन्द्र बख्श सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–16 के उत्तर का संलग्नक।

(लाख रु0 मे)

| क्रमांक | जनपद | कुल व्यय 14–5–90 तक | कुल व्यय 31–5–90 तक | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रतापगढ़ | 288.10 | 288.55 | |
| 2. | बहराइच | 214.60 | 215.03 | |
| 3. | फैजाबाद | 297.80 | 298.33 | |
| 4. | सुल्तानपुर | 316.00 | 316.61 | |
| 5. | आजमगढ़ ] | 406.70 | 407.38 | |
| 6. | मऊ ] | | | |
| 7. | बस्ती ] | 239.10 | 239.93 | |
| 8. | सिद्धार्थनगर ] | | | |
| 9. | देवरिया | 395.20 | 395.75 | |
| 10. | गोरखपुर ] | 300.80 | 301.48 | |
| 11. | महराजगंज ] | | | |
| 12. | लखीमपुर खीरी | 259.70 | 260.11 | |
| 13. | लखनऊ | 151.00 | 151.86 | |
| 14. | रायबरेली | 298.05 | 298.77 | |
| 15. | उन्नाव | 246.81 | 247.41 | |
| 16. | बलिया | 197.74 | 198.14 | |
| 17. | गाजीपुर | 220.67 | 221.27 | |
| 18. | जौनपुर | 387.00 | 387.87 | |
| 19. | वाराणसी | 409.79 | 410.39 | |
| 20. | बाराबंकी | 4.65 | 4.65 | |
| 21. | गोण्डा | 6.17 | 6.17 | |
| 22. | हरदोई | 4.65 | 4.65 | |
| 23. | सीतापुर | 4.65 | 4.65 | |
| 24. | मिर्जापुर | 4.65 | 4.65 | |
| 25. | सोनभद्र | 4.65 | 4.65 | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(नत्थी ग)

(देखिये अ0प्र0सं0 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर विद्युत के चारों फीडरों द्वारा माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1990 में विद्युत आपूर्ति की अवधि का विवरण।

जनवरी, 1990

| दिनांक | | 11 के0वी0 नार्थ फीडर | 11 के0वी0 पूर्वी फीडर | 11 के0वी0 पश्चिमी फीडर | 11 के0वी0 पम्प कैनाल फीडर |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| जनवरी, 1990 | 1 | 14.05 | 14.00 | 14.05 | 24.00 |
| | 2 | 14.05 | 14.15 | 14.00 | 21.00 |
| | 3 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 20.00 |
| | 4 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 18.00 |
| | 5 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 21.00 |
| | 6 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 |
| | 7 | 18.00 | 11.55 | 18.00 | 21.00 |
| | 8 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
| | 9 | 19.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| | 10 | 15.40 | 15.40 | 9.15 | 15.40 |
| | 11 | 15.10 | 17.55 | 13.35 | 17.55 |
| | 12 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |
| | 13 | 14.15 | 15.25 | 15.50 | 19.55 |
| | 14 | 16.50 | 18.10 | 18.25 | 24.00 |
| | 15 | 17.25 | 18.50 | 18.50 | 20.10 |
| | 16 | 9.45 | 20.45 | 14.10 | 20.45 |
| | 17 | 14.55 | 18.45 | 13.45 | 18.45 |
| | 18 | 19.50 | 19.50 | 4.20 | 18.05 |
| | 19 | 15.45 | 22.30 | 3.45 | 22.30 |
| | 20 | 11.15 | 18.15 | 11.45 | 24.00 |
| | 21 | 13.30 | 16.15 | 14.00 | 23.30 |
| | 22 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 |
| | 23 | 17.00 | 16.30 | 16.00 | 20.30 |
| | 24 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
| | 25 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 |
| | 26 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 22.25 |
| | 27 | 19.55 | 18.15 | 17.15 | 22.25 |
| | 28 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 28.00 |
| | 29 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 30 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| | 31 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 |

(शिव कान्त दीक्षित)
उप-सचिव (कार्य-2)

फरवरी, 1990

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| फरवरी, 1990 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| | 2 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 |
| | 3 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 |
| | 4 | 16.00 | 16.10 | 16.10 | 23.00 |
| | 5 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
| | 6 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 |
| | 7 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 19.00 |
| | 8 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| | 9 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
| | 10 | 13.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| | 11 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 |
| | 12 | 24.00 | 24.00 | 17.00 | 24.00 |
| | 13 | 22.00 | 16.00 | 16.00 | 21.00 |
| | 14 | 20.00 | 9.00 | 9.00 | 24.00 |
| | 15 | 24.00 | 20.40 | 20.00 | 24.00 |
| | 16 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 21.55 |
| | 17 | 24.00 | 19.00 | 24.00 | 24.00 |
| | 18 | 24.00 | 15.35 | 7.00 | 24.00 |
| | 19 | 17.00 | 15.35 | 17.00 | 21.00 |
| | 20 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 22.00 |
| | 21 | 21.00 | 15.00 | 14.00 | 21.00 |
| | 22 | 23.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 |
| | 23 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 |
| | 24 | 19.00 | 23.00 | 24.00 | 18.00 |
| | 25 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| | 26 | 19.50 | 21.25 | 15.25 | 22.25 |
| | 27 | 23.00 | 19.00 | 21.35 | 23.00 |
| | 28 | 22.10 | 18.30 | 14.20 | 19.00 |

(शिव कान्त दीक्षित)
(उप-सचिव (कार्य-2)

अधिकृत प्रति

मार्च, 1990

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्च, 1990 | 1 | 23.05 | 20.05 | 21.50 | 24.00 |
| | 2 | 20.25 | 18.35 | 16.05 | 30.25 |
| | 3 | 18.55 | 19.05 | 10.15 | 22.20 |
| | 4 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| | 5 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 |
| | 6 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 |
| | 7 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| | 8 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 |
| | 9 | 21.00 | 14.00 | 21.00 | 21.00 |
| | 10 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| | 11 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 22.00 |
| | 12 | 24.00 | 17.00 | 10.00 | 24.00 |
| | 13 | 24.00 | 23.00 | 17.00 | 24.00 |
| | 14 | 21.00 | 24.00 | 19.00 | 21.00 |
| | 15 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 21.00 |
| | 16 | 16.00 | 20.00 | 21.00 | 16.00 |
| | 17 | 22.00 | 22.00 | 17.00 | 22.00 |
| | 18 | 24.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 |
| | 19 | 19.00 | 20.00 | 24.00 | 19.00 |
| | 20 | 24.00 | 10.00 | 20.00 | 24.00 |
| | 21 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 24.00 |
| | 22 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 16.00 |
| | 23 | 22.00 | 22.00 | 10.00 | 22.00 |
| | 24 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| | 25 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 20.00 |
| | 26 | 24.00 | 21.05 | 21.25 | 24.00 |
| | 27 | 24.00 | 15.40 | 24.00 | 24.00 |
| | 28 | 21.00 | 12.00 | 10.00 | 21.00 |
| | 29 | 20.00 | 13.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 30 | 24.00 | 22.00 | 14.00 | 24.00 |
| | 31 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 |

(शिव कान्त दीक्षित)
उप-सचिव (कार्य-2)

विधान सभा

(नत्थी घ)

(देखिये अ0 प्र0 सं0 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री रबीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–82 के उत्तर का संलग्नक।

| नाम व पता जिसे टी वी सेट दिया गया। | टी वी सेट दिये जाने की तिथि | टी वी सेट वापस लिये जाने की तिथि | टी वी सेट दिये जाने का कारण/उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 1––श्रीमती वीना दुग्गल, सदस्य, विधान परिषद् शिवाजी मार्ग, लखनऊ। | 31.3.89 | 20.4.89 | श्रीमती दुग्गल का निजी टी वी सेट खराब होने पर मरम्मत के लिए अपट्रान द्वारा कार्यशाला ले जाया गया और उन्हें एक टी वी सेट मरम्मत के दौरान दिया गया, जो उनके निजी टी वी सेट की मरम्मत हो जाने पर वापस ले लिया गया। |
| 2––श्री ए0 के0 विश्नोई बटलर पैलेस, लखनऊ। | 29.4.89 | 8.6.89 | नया टी वी सेट प्रदर्शन हेतु प्रचार के उद्देश्य से दिया गया था। |

पी0एस0यू0पी0 (आर0ई0) 1 विधान सभा/217––27–9–90––850 प्रतियां।

विधान परिषद सचिवालय